त्रयोदश माला, खंड 7, अंक 38

NOT TO BE ISSUED
FOR RELEASE ONLY.

बुधवार, 17 मई, 2000
27 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 61
Date 18/4/2001

(खण्ड 7 में अंक 31 से 38 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

विषय कॉलम

श्री यशवन्त सिन्हा ... 351,353-354, 356

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी ... 355-356

उत्तर प्रदेश पुर्नगठन विधेयक के बारे में 376-377

नियम 377 के अधीन मामले ... 377-384

(एक) गुजरात में बनासकंठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के दावों के शीघ्र निपटान हेतु साधारण निगम को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी 377-378

(दो) गुजरात में दाहोद रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री बाबूभाई के. कटारा 378

(तीन) दिल्ली के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता

श्री विजय गोयल ... 378-379

(चार) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की भाटगंज चीनी मिल को अर्थक्षम बनाने के लिए क़दम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्मयानन्द स्वामी 379

(पांच) केरल के अडूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ममपजतारा, चम्पानासीव और रोजमाला में दूर–संचार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश ... 379-380

(छह) राजस्थान में, विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर में विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी ... 380-381

(सात) देश में विशेषकर नक्सलवाद से प्रभावित बिहार के औरंगाबाद जिले में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्यामा सिंह 381

विषय कॉलम

(आठ) रक्षा मंत्रालय के वाहन विभाग को पश्चिम बंगाल के पनगढ़ बेस एरिया में ही रखे जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां ... 381-382

(नौ) उत्तर प्रदेश में इटावा में उप–मार्ग का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य 382

(दस) उत्तर प्रदेश के कौशम्बी जिले में लड़कियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश पासी 382

(ग्यारह) सिविल सेवा परीक्षा में "अन्य पिछड़े वर्गों" के लिए अभ्यर्थियों के चयन में अनियमितताओं को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. चिन्नासामी... 382-383

(बारह) महाराष्ट्र में इचलकरांजी में एक उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती निवेदिता माने 383-384

(तेरह) बिहार मे बोकारो, गोविन्दपुर में केन्द्रीय विद्यालयों को पुनः खोले जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय 384

(चौदह) बिहार में बरौनी रिफाइनरी की विकास योजनाओं में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह 384

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी ... 385
सभा के कार्य के बारे में

महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक 385-395

विचार करने के लिए प्रस्ताव ... 387

विषय	कॉलम

खण्ड 2, 3 और खंड 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव 394

विदाई उल्लेख 396-406

श्रीमती सोनिया गांधी 396-397

श्री सोमनाथ चटर्जी 397-399,401

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 400-403

अध्यक्ष महोदय 403-406

राष्ट्रगीत 406

लोक सभा

बुधवार, 17 मई, 2000/27 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 721।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : मैं छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनाने संबंधी विधेयक पेश करना आज की कार्य सूची में नहीं है पर मुझे खबर मिली है सदन को अंधेरे में रखकर और भविष्य में सरकार इसे अचानक सदन में पेश करेगी।.....*(व्यवधान)* प्रस्ताव तो हमने ही पास किया था .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अभी नहीं, क्वैश्चन आवर के बाद।

श्री मुलायम सिंह यादव : उत्तराखंड के बारे में समाजवादी पार्टी की सरकार ने पास किया था।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, बाद में।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अभी नहीं, जीरो आवर में।

.....*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज बिहार) : राज्यों के बंटवारे से संबंधित विधेयक पर सभी लोगों को विश्वास में लेकर चलना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएगी।

(व्यवधान) *

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। अनेक सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, यह ठीक नहीं है। आप बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज साल का अन्तिम दिन है। आप प्रश्न काल में क्यों अनावश्यक विघ्न डाल रहे हैं?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज सत्र का अन्तिम दिन है। आज प्रश्न काल को भी ठीक से नहीं चलने दे रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन आवर में नहीं, जीरो आवर में, मैं आपको एलाउ करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई बात कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं की जाएगी।

.....*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप सीनियर मैम्बर हैं। रोज क्वैश्चन आवर आबस्ट्रक्ट करना ठीक नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गीते, कृपया बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री खंडूरी, कृपया बैठ जाएं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन आवर में नहीं, जीरों आवर में आपको समय देंगे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नया विभाग

*721. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी.आई.ओ.) की समस्याओं के समाधान के लिए उनके मंत्रालय में अलग से एक नया विभाग स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रभाग की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है;

(घ) इस विषय पर गठित समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशें क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) विभाग के कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) मुख्य आयुक्त (अनिवासी भारतीय) के कार्यालय को वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से विदेश मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में अंतरित कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित सभी मसलों पर कार्रवाई की जाएगी।

(ग) यह नया विभाग निवेश, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास में सभी अनिवासी भारतीयों और देश से बाहर रह रहे भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उनसे सम्पर्क सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करेगा। यह नया विभाग देश से बाहर रह रहे भारतीयों के संगठनों एवं एसोसियशनों तथा भारत सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। यह विभाग अन्य मंत्रालयों तथा देश से बाहर रह रहे भारतीयों के हितों से जुड़े संगठनों की गतिविधियों को समन्वित करेगा।

(घ) सरकार ने इस मामले के लिए विशेष रूप से कोई समिति गठित नहीं की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अपर सचिव स्तर के एक अधिकारी ने पहले ही विदेश मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, मुख्य आयुक्त (अनिवासी भारतीय) के कार्यालय का वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से विदेश मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में अंतरण वास्तव में, एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने यह ठीक किया है। अब, मुख्यत. नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में बहुत अवसर उपलब्ध हो गये हैं। भारतीय मूल के लगभग 15 मिलियन लोग हैं जो बाहर 48 देशों में रहे रहे हैं। अनेकों देश मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण, विशेष रूप से इस क्षेत्र से जुड़े तकनीकी कार्मिकों के लिए हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। जर्मनी और जापान जैसे विकसित देश भी अनेक प्रकार की सेवाओं के लिए हमारे देश की तरफ देख रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भारतीय प्रोफेसरों, दूसरे देश के प्रोफेसरों तथा भारतीय मूल के उन व्यक्तियों का जो परस्पर बातचीत करने तथा यहां की स्थिति का अध्ययन करने भारत आ रहे हैं, अध्ययन दल बनाने के बारे में विचार कर रही है ताकि अपने देश के हित में अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों का अधिकाधिक योगदान हासिल किया जा सके।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। माननीय सदस्य को यह बात शायद मालूम होगी कि हाल में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसका विदेश मंत्रालय ने भी समर्थन किया। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद द्वारा किया गया था। यह सम्मेलन 12 और 13 फरवरी को दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश शैक्षणिक संस्थानों तथा प्रोफेसरों के आदान–प्रदान से संबंधित थी। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव है और मंत्रालय इस पर पूरा ध्यान देगा।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : हमारा देश अभी भी गरीबी एवं अशिक्षा से जकड़ा हुआ है यद्यिप कुछ व्यक्तियों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति कर ली है। डॉ. अमर्त्य सेन, प्रोफेसर

भगवती, प्रोफेसर राजा रेड्डी और कुछ अन्य लोग भी हैं जो कि पूरे विश्व में सुविख्यात हैं। हमारे देश में उनकी सेवाओं के भी उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, 25–30 वर्ष पहले इस देश के कुछ लोग दूसरे देशों में चले गये। दूसरी पीढ़ी के लोगों ने पहले से ही दूसरे देशों में जाना शुरू कर दिया है। वे वहाँ काम कर रहे हैं। उन्हें भारत से अपने संबंधों की जानकारी हैं। लेकिन अब ये संबंध समाप्त हो रहे हैं। अब मैं यह जानना चाहूंगा क्या यह मंत्रालय दोहरी नागरिकता देने पर विचार कर रहा है ताकि दूसरी पीढ़ी के लो हमारे देश में आ सकें और वे देश के पुनर्निर्माण में काफी हद तक सहायक सिद्ध हो सकें। दूसरे देश में नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई है। इसलिए हमारा देश दोहरी नागरिकता देने वाला पहला देश नहीं होगा।

हमारे देश में निवेश भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर सटीक उत्तर दें।

श्री जसवंत सिंह : दोहरी नागरिकता का प्रश्न लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है। इस विषय में कोई ठोस कदम उठाने से पहले इससे संबंधित अनेक पहलुओं पर ध्यान से विचार किए जाने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य महोदय को यह पता है कि कार्ड जारी करके सरकार इस दिशा में पहले ही ठोस कदम उठा चुकी है। इससे उन्हें यात्रा करने, यहाँ प्रवेश करने तथा अन्य कार्यों में सहायता मिलती है। यह प्रारंभिक शुरूआत है। दोहरी नागरिकता प्रदान करने से पहले इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार किया जाना है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : हम चाहते हैं कि इस मामले पर जल्दी कार्यवाही की जाए।

श्री जसवंत सिंह : हां, हम इस पर जल्दी कार्यवाही करेंगे।

श्री किरीट सोमैया : मैं यह जानना चाहूंगा क्या सरकार कर लाभ या भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण से संबंधित कोई विशेष पैकेज लाने की घोषणा करने की योजना बना रही है? क्या अनिवासी भारतीय और भारत मूल के लोगों के लिए 'रिसरजेंट इंडिया बांड' की तरह से कोई अन्य प्रस्ताव लाया जाना है ?

श्री जसवंत सिंह : मुझे यह विश्वास है कि माननीय सदस्य महोदय को पता होगा कि 'अनिवासी भारतीय' शब्द में कर आधारित अवधारणा स्वतः समायी हुई है। यह भारत में निवास करने की अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है और उसी के आधार पर करों में अनेक प्रकार की छूट दी जाती है। समय–समय पर जब भी सरकार एक विशेष योजना घोषित करने की आवश्यकता महसूस करती है– जैसे कि 'रिसरजेंट इन्डिया बाण्ड' तो वह निश्चित रूप से उस दिशा में कदम उठाती है। लेकिन वर्तमान में अनिवासी भारतीयों को पहले से ही दी गई कर में छूट के अलावा कर में किसी अन्य प्रकार की छूट देने की योजना नहीं है।

श्रीमती कृष्णा बोस : मैं जो प्रश्न करने जा रही हूं वह मेरे एक सहयोगी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। विदेश मंत्री ने यह कहा है कि दोहरी नागरिकता के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे विश्व में अनिवासी भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। यह बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है। उन्होंने पी.आई.ओ कार्ड का स्वागत किया है। यह कार्ड उन्हें वीजा प्राप्त करने तथा कुछ अन्य कार्यों में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। वे सोचते हैं कि अच्छा होता कि हमारी भी उनकी एक पहचान होती जिसकी पूर्ति इस कार्ड से नहीं हो पाती। इसलिए दोहरी नागरिकता प्रदान करके उनकी अपेक्षायें पूरी की जा सकती हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग इसके बारे में हमारी अपनी कुछ सीमाएं हैं। हमारे सभी पड़ोसी देशों ने दोहरी नागरिकता प्रदान कर रखी हैं। बांग्ला देश और पाकिस्तान में भी दोहरी नागरिकता है। वैश्वीकरण के इस युग में माता किसी राष्ट्र की हो सकती है, पिता किसी दूसरे राष्ट्र का हो सकता है और उनके बच्चे किसी तीसरे राष्ट्र से संबंधित हो सकते हैं। अतः यह पहले से ही एक सार्वभौमिक मुद्दा बन चुका है।

क्या मैं यह जान सकता हूं कि हमारी क्या सीमा है जिसकी वजह से हम इस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और बहुत लम्बे समय से यह कहते आ रहें है कि यह मुद्दा विचाराधीन है। क्या कोई विशेष कारण हैं जिसकी वजह से हम इस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : मैं एक बात पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनिवासी भारतीय शब्द अपने आप यह व्यक्त करता है कि वास्तव में, वे भारतीय नागरिक हैं। उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। इसी के आधार पर वे भारत में आते–जाते रहते हैं।

श्रीमती कृष्णा बोस : दूसरी पीढ़ी के लोगों के विषय में आपका क्या कहना है?

श्री जसवंत सिंह : तब वे अनिवासी भारतीय नहीं कहें जायेंगे। माननीय सदस्य महोदय जो पूछ रहे हैं उसके विषय में मैं यह बताना चाहता हूं कि उन्हें 'भारतीय मूल का व्यक्ति' कहा जायेगा। जहां तक भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा दोहरी नागरिकता का प्रश्न है, इस मुद्दे पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इसके कई पहलू हैं। मैं उन विभिन्न पहलुओं जिन पर कि भारत सरकार विस्तार से विचार कर रही है, माननीय महोदय को अलग से बताऊंगा।

श्री बलबीर सिंह (जालन्धर) : दोहरी नागरिकता की बात का पूरा समर्थन करते हुए मैं भारतीय मूल के लोगों को कार्ड जारी

करने की योजना की भी सिफारिश करता हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी जानते हैं कि कनाडा, अमेरिका और इंगलैंड में काफी पंजाबी बसे हुए हैं जब भी हम वहां जाते हैं या वे यहां आते है, तो वे इन कार्डो के लिए वसूली जाने वाली अधिक फीस का हमेशा विरोध करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इस शुल्क को कम करने पर विचार करेंगे? यह इन लोगों कीं वास्तविक समस्या है।

श्री जसवंत सिंह : जी हां, मंत्रालय को इस विशेष कठिनाई का पता है। पी आई ओ कार्ड प्राप्त करने के लिए जाने वाले शुल्क पर सरकार को फिर से ध्यान देना होगा तथा अगर संभव हो तो इसे कम किया जाए। यह ऐसी बात है जिसे विदेश मंत्रालय को गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित तथा प्रबंधित करना होगा। सरकार के पास यह शिकायत की गई है तथा हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं।

श्री के. मलयसामी : माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह लगता है कि मुख्य आयुक्त एन. आर. आई वित्त मंत्रालय से विदेश मंत्रालय में स्थानांतरण करने के बाद, वे संपर्क सूत्रों को गहन करने और अंतरा पृष्ठीय संव्यवहार से संबंधित कुछ कार्यो से भी जुड़े हुए हैं। जब ये आयुक्त वित्त मंत्रालय में थे तो वे वहां क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने वहां रहते हुए इस प्रकार का कुछ नहीं किया?

मुझे यह बताया गया है कि एशियाई देशों में विशेषकर सिंगापुर और मलेशिया में अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा वहां के भारतीय दूतावास उनकी विशेषकर तमिलों की कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। वे उनके प्रति नकारात्मक रवैया अपनाते हैं तथा उनके प्रति उदासीन रवैया अपनाते हैं। क्या विदेश मंत्रालय को इस संबंध में कोई शिकायत मिली है?

मैं इन दोनों प्रश्नों का सटीक उत्तर चाहता हूं।

श्री जसवंत सिंह : मैं यथासंभव सटीक उत्तर देने की कोशिश करूंगा। फिर भी मुझे अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों में अंतर करना होगा। अनिवासी भारतीय भारत के नागरिक हैं और उनके पास भारत के पासपोर्ट हैं। उनके मामले में, विदेशों में हमारे मिशनों में होने वाली किसी भी दूतावासीय समस्याओं के कारण भारत आने–जाने की समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जहां तक भारतीय मूल के लोगों का संबंध है, जब भी हमें भारत भ्रमण के संबंध में किसी भी देश के किसी भी नागरिक की समस्या की कोई शिकायत मिलती है तो मंत्रालय इस पर शीघ्रता से कार्रवाई करता है।

यह सच है कि अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों से संबंधित मामलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में हाल ही संबंधित आयुक्त का वित्त मंत्रालय से विदेश मंत्रालय में स्थानांतरण किया गया है। तथापि, इस समय, उनके पास भारतीय निवेश केन्द्र का भी प्रभार है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं पहले भारतीय निवेश केन्द्र नामक एक संस्था थी जो अभी भी चल रही है। वास्तव में, भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहा था। अन्य कई मंत्रालय हैं जिनकी इसमें अपनी–अपनी भूमिका होती है। केवल विदेश मंत्रालय ही यह काम नहीं कर रहा है। इसलिए, अधिक दक्षता के लिए, यह आयुक्त अब विदेश मंत्रालय का हिस्सा बन गया है। भारतीय निवेश केन्द्र के प्रश्न को सुलझाना अभी बाकी है। केबिनेट सचिव की जानकारी में यह मामला है। इससे पहले, मैंने माननीय सदस्य को वह सब स्पष्ट किया जो कार्य भारतीय निवेश केन्द्र करता है।

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : अनिवासी भारतीय हमारे देश को काफी योगदान कर रहे हैं। कई सरकारी अधिकारी और लोग दूसरे देशों में पैसा कमाने के लिए जाते हैं। परन्तु जब भारतीय लोग अपने देश वापस आते हैं तो उन्हें अनिवासी भारतीय समझा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप नई बातें बता रहे हैं।

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : जब कभी वे किसी कार्यालय में जाते हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। ये लोग एक महीने की छुट्टी पर आते हैं और जब तक वे किसी अधिकारी से संपर्क करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं, इसी में एक महीना खत्म हो जाता है। इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को पहचान पत्र दिए जाने चाहिए ताकि हमारे सरकारी विभागों में उनकी समस्याओं की तरफ तुरंत ध्यान दिया जा सके।

श्री जसवंत सिंह : फिर एक बार माननीय सदस्य ने अनिवासी भारतीयों के बारे में पूछा है। उन्हें अपनी पहचान के लिए किसी अतिरिक्त कार्ड की आवश्यकता नहीं है। वे भारतीय हैं और मैं उनकी अन्य बात से भी सहमत हूं कि जब वे वापस थोडे समय के लिए या छुट्टियों में घर आते हैं तो उन्हें प्रशासन से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह एक बड़ी कमी है। हमें इस कमी की चिन्ता है। वास्तव में, हममें से जो यहां रहते हैं वे इसका शिकार होते रहते हैं। परन्तु यह बात केवल विदेश मंत्रालय की ही जिम्मेवारी नहीं है। सरकार को इस बात का ध्यान है।

[हिन्दी]

श्री राम दास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नॉन–रेजीडेंट इंडियन्स की कुल संख्या क्या है और सबसे ज्यादा संख्या किस देश में है?

अध्यक्ष महोदय, मैं लंदन से ब्रिटिश एअरवेज से आया हूं। मेरे लगेज का 20 किलोग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से मुझसे 390 डालर यानी 22 हजार रुपया ज्यादा लिया गया है। मैं विदेश मंत्री से चाहता हूं कि वे ब्रिटिश एअरवेज को रेट कम करने के लिये लिखे और मुझसे जो 22 हजार रुपया ज्यादा लिया गया है, वह मुझे वापस मिलना चाहिये। यदि ब्रिटिश एअरवेज वापस नहीं देती है तो केन्द्र सरकार को मुझे 22 हजार रुपया देना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

भारत-पाक संबंधों के प्रति ब्रिटेन का दृष्टिकोण

***722. श्री रतन लाल कटारिया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर मुद्दे पर ब्रिटेन के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार नियंत्रण रेखा का सम्मान किए जाने की बात को स्वीकार किया है और जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद समाप्त करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) महोदय, एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत–पाकिस्तान संबंधों के प्रति ब्रिटेन का दृष्टिकोण

(क) से (घ) 21 जुलाई 1999 को हाउस आफ कामन्स में बहस के बाद जम्मू और कश्मीर पर एक विस्तृत वक्तव्य में युनाइटेड किंगडम की सरकार ने कहा, "यह मानना महत्वपूर्ण है कि घुसपैठ तथा जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा लगातार की जा रही हिंसा से कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान पाने की दिशा में कुछ नहीं हुआ और इससे न ही कुछ हो सकता है। साक्ष्य बताते हैं कि उग्रवादियों और जम्मू और कश्मीर के लोगों में बहुत कम समानता है तथा वे वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।"

2. ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्र कुल मामलों के राज्य मंत्री श्री पीटर हेन ने 18 जनवरी, 2000 को हाउस आफ कामन्स में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में यही बात दोहरायी कि, "पाकिस्तान का सीमापार आतंकवाद कश्मीर की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है। हमें आशा है कि जनरल मुशर्रफ अपने शासनकाल में ऐसे आतंकवाद को रोकना सुनिश्चित करेंगे। विशेषकर जनरल मुशर्रफ, जिन्हें व्यापक तौर पर कारगिल की घटना का कर्ताधर्ता माना जाता है, से आशा है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।"

3. युनाइटेड किंगडम की सरकार ने यह भी कहा है कि "हमने मानवाधिकारों से संबंधित बातों पर ध्यान देने के लिए भारतीय प्राधिकारियों द्वारा उठाये गये कदमों का स्वागत किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भारत में मानवाधिकारों का एक प्रभावी रक्षक और संवर्द्धक माना जाता है।"

4. यूरोपीय संघ के एक सदस्य के रूप में युनाइटेड किंगडम 24 जून 1999 की यूरोपीय संघ प्रेसिडेंसी घोषणा का पक्षकार है जिसमें नियंत्रण रेखा का पूर्ण रूप से सम्मान किये जाने का आह्वान किया गया है। 19 जुलाई, 1999 को दिये गये अपने वक्तव्य में प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा, "मुझे यह आशा है कि दोनों पक्ष नियंत्रण रेखा का सम्मान करेंगे।" विदेश मंत्री श्री राबिन कुक की हाल की भारत यात्रा (15–18 अप्रैल, 2000) के दौरान भी यह बात दोहरायी गयी।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि एन. डी. ए. की डायनैमिक लीडरशिप के अंतर्गत न केवल यू. के. बल्कि विश्व के बहुत से देशों ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया है।

अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रति यू. के. की विदेश नीति में जो परिवर्तन आया है और एल. ओ. सी. के बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसका सम्मान होना चाहिये, मैं उस संदर्भ में विदेश मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो नीति उन्होंने अपनाई है, क्या उसमें कारगिल की लड़ाई या कंधार में आतंकवादियों ने जो घिनौना कुकृत्य किया है, उसके पश्चात् उनकी नीति में परिवर्तन आया है या उससे पहले ऐसा परिवर्तन आया है?

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह भी बतायें कि श्री लंका के बारे में क्या नीति है?....*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : स्पीकर साहब, वैसे यह उचित नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जब पूछने का कष्ट किया है, इसलिए मैं उन्हें याद दिला दूं कि श्रीलंका के विषय में सरकार की ओर से एक वक्तव्य इस सदन और उस सदन में जारी किया जा चुका है। फिर भी यदि माननीय सदस्य नीति के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया उस वक्तव्य को पढ़ लें, आपको पूरी जानकारी मिल जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य कटारिया जी के प्रश्न का संबंध है, जो विशेष परिवर्तन आया है, वह अपने आप में

स्पष्ट है और घटनाओं से इसकी पुष्टि होती है कि यह परिवर्तन कारगिल युद्ध के पश्चात् ग्रेट ब्रिटेन की नीति तथा अन्य देशों की नीति में आना शुरू हुआ है। यह उसी के बाद की उत्पत्ति है।

श्री रतन लाल कटारिया : स्पीकर साहब, इंग्लैंड ने जिस "डिवाइड एंड रूल" की पालिसी के तहत आज से 52–53 वर्ष पहले भारत का बंटवारा कराया था, आज उसी इंगलैंड की पार्लियामेंट ने अपने एक काम्प्रीहैंसिव स्टेटमेंट के माध्यम से इस बात को कबूल किया है कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद बढ़ रहा है और उस आतंकवाद से न केवल आज भारत को बल्कि दुनिया को खतरा पैदा हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या भारत ने कभी इंग्लैंड से इस विषय में बातचीत की है कि इंग्लैंड के अंदर भी आतंकवादी पनाह लेते रहे हैं। क्या इंग्लैंड अपनी नीति में परिवर्तन करके उन सब लोगों को वहां से डीपोर्ट करने की नीति अपनायेगा ताकि इंग्लैंड की जमीन पर कोई भी आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियां न कर सके।

श्री जसवंत सिंह : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य के इस प्रश्न के दो–तीन पहलू हैं। "डिवाइड एंड रूल" की पालिसी के संदर्भ में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है और यह पहली बार हुआ है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में "फ्रैण्डस ऑफ इंडिया" एक दल बना है, जैसा हमारे यहां भी कुछ देशों को लेकर बना है। उसमें 99 लेबर पार्टी के सदस्य हैं। उसी प्रकार कंजरवेटिव पार्टी में भी यह शुरूआत हुई है। मैं सोचता हूं कि हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रेट ब्रिटेन की संसद में इस प्रकार की "फ्रैण्डस आफ इंडिया" जैसी एक सोसाइटी बनी। जहां तक ब्रिटेन से इस बात पर चर्चा करने का प्रश्न है कि जो हमारे यहां के आतंकवादी कई बार वहां पनाह पाते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि ग्रेट ब्रिटेन उस पर पुनर्विचार करे, इस मसले पर उनसे कई बार बातचीत हो चुकी है और ग्रेट ब्रिटेन से हमें इस पहलू पर पूरा सहयोग मिल रहा है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, चूंकि यूरोपीय संघ के कई देश जिनका युनाइटेड किंगडम भी एक सदस्य है, आतंकवाद से प्रभावित नहीं है, वे इसे केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति के रूप में ही लेते हैं। कुछ अफ्रीकी देश भी इसे इसी तरह से ले रहे हैं। माननीय मंत्री से मेरा यही प्रश्न है। सरकार उन्हें प्रभावित करने के लिए केवल इतना ही कर रही है कि यह केवल कानून और व्यवस्था की ही स्थिति नहीं है यह उससे कहीं अधिक है तथा उन्हें हमारी सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि वास्तव में साधारण बात होगी कि चाहे यूरोपीय संघ हो या ग्रेट ब्रिटेन वहां की सरकार आतंकवाद को कानून और व्यवस्था की स्थिति की तरह का ही आम प्रश्न समझती है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। परन्तु मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उस विवरण को देखें जो मैंने सभा पटल पर रखा है। इसमें उस पक्ष के बारे में पर्याप्त रूप से कहा गया है।

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : सीमापार हो रही आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं, कई देश हमारे विचार समझने में असमर्थ हैं। हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन के दौरे के बाद हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रेस या आम मत यही उभर कर आया है कि यू. के. सहित अमेरिका या कुछ यूरोपीय देशों के विचारों में परिवर्तन आया है। क्या आप मुझे यह बताएंगे कि क्या हमारी सरकार को दोनों देशों के बीच की नियंत्रण रेखा के होने या नियंत्रण रेखा की विश्वसनीयता के बारे में आए इस बदलाव की जानकारी है? क्या हमारे विचारों को पूरा करने या समझने के पक्ष में कोई परिवर्तन हुआ है? आखिर कितने देश हैं? क्या मुझे उन देशों का नाम बताएंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भारत–पाक संबंधों पर यूनाइटेड किंगडम के रवैये से संबंधित हैं।

श्री जसवंत सिंह : वास्तव में यह प्रश्न यू. के. से संबंधित है परन्तु जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है हमने पहली बार आतंकवाद सम्बंधी एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया गया है, इस प्रकार का आदान–प्रदान और सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिका को कुछेक देशों से ही मिलता है।

जहां तक युनाइटेड किंगडम का संबंध है यह बदलाव अचानक नहीं आया है। वास्तव में यह भारतीय स्थिति का अच्छी सूझबूझ का परिणाम है। अच्छी समझ का यह अर्थ है कि सरकार आतंकवाद के प्रश्न पर जम्मू–कश्मीर के भारतीय राज्य समेत, विभिन्न पहलुओं पर विश्व के समक्ष अपनी बात देखने में कामयाब रही है।

जहां तक नियंत्रण रेखा का संबंध है मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि नियंत्रण रेखा एक संधि दस्तावेज है। यह शिमला समझौते की संधि से उत्पन्न हुआ है। यह एक विश्वास निर्माण उपाय ही है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं बहुत संक्षेम में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा आतंकवाद जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर दिए गए जोरदार और बहुत ही स्पष्ट वक्तव्य के बारे में कहना चाहूंगा। वास्तव में यह वक्तव्य कारगिल युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद जुलाई 1999 में हाउस आफ कामंस में दिया गया था। यह इस संबंध में लेबर पार्टी के विचारों की विशेषता की प्रतीक है। इसमें कहा गया है कि दोनों देश के दीर्घावधि हित भारत और पाकिस्तान के संबंध में कहते हुए

श्री पीटर हैन, कामन वेल्थ कार्यालय के तत्कालीन राज्यमंत्री ने कहा था– आपसी सहमति से किए गए समाधान में हैं। यहां यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि कश्मीर विवाद के स्थाई समाधान के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की जा रही लगातार हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। कश्मीर के आतंकवादियों को बाहर से जो सहायता मिल रही है उसे बंद कर दिया जाए तो इससे समस्या का समाधान ढूंढने में काफी सहायता मिलेगी।

यह एक बहुत ही व्यापक वक्तव्य है। उसके बाद इस संबंध में यूरोपीय संघ से वक्तव्य आए, प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर ने वक्तव्य दिया और बाद में जब माननीय श्री राबिन कुक भारत के दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी इस बारे में वक्तव्य दिया। यह ब्रिटेन के पक्ष की फिर से पुष्टि करना है जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारों द्वारा अपनी स्थिति बताए जाने का ही परिणाम है।

विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

*723. **श्री प्रभुनाथ सिंह** :

श्री दिलीप संघाणी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विदेशी सहायता प्राप्त जल संसाधन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना में कुल कितना–कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या विदेशी सहायता का पूरा उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और धनराशि के अधिकतम उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूर्ण हो जाने और चालू हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (डॉ. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) इस मंत्रालय के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त जल संसाधन परियोजनाओं में किया गया परियोजना–वार निवेश, बाह्य सहायता की राशि, उसका उपयोग और उसके शुरू होने तथा पूर्ण होने की तिथि का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

बाह्य सहायता का उपयोग निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा जैसा कि अनुलग्नक से स्पष्ट है यह विभिन्न दाता अभिकरणों के साथ नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हुए समझौते पर निर्भर करता है। कुछ परियोजनाओं के कार्य में धीमी प्रगति, राज्य सरकारों की जर्जर वित्तीय स्थिति, प्रारंभिक कठिनाइयों, भूमि अधिग्रहण में विलंब, कर्मचारियों की कमी, बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में विलंब तथा दाता–मुद्रा की मूल्य वृद्धि जैसे परियोजना विषयक कारणों से हुई है।

भारत सरकार निधियों के उपयोग के साथ–साथ इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा तिमाही आधार पर करती है तथा जहां कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं होती है वहां संबंधित सरकारों को मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों/सचिवों/सिंचाई/जल संशोधन तथा परियोजना प्राधिकारियों के स्तर पर सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव एवं निर्देश देती है।

अनुबंध

बाह्य सहायता प्राप्त जल संसाधन परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	प्रारंभ होने की तारीख / पूर्ण होने की तारीख	परियोजना की कुल लागत (करोड़ रुपये में)	सहायता राशि (मिलियन दाता मुद्रा में)	31.3.2000 तक उपयोग की राशि (मिलियन दाता मुद्रा)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	(i) ए. पी. III सिंचाई परियोजना	विश्व बैंक	3.6.1997 / 31.1.2002	1889.78	325.00 अमेरिकी डालर	81.270 अमेरिकी डालर
		(ii) ए.पी. आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक)	विश्व बैंक	30.1.1999 / 31.3.2004	932.60	142.00 अमेरिकी डालर	50.00 अमेरिकी डालर

1	2	3	4	5	6	7	8
		(iii) कुरनूल कुड्डापाह नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	जेबीआईसी जापान	11.1.1996 26.3.2003	1033.74	16049.00 येन	1487.92 येन
		(iv) एपीवेल सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड्स	14.11.1994 14.11.2002	73.00	37.00 एन.एल.जी.	19.58 एन.एल.जी.
2.	गुजरात	(v) हाइड्रोप्लस फ्यूजगेट प्रणाली	फ्रांस	10.12.1998 31.12.2000	40.28	34.74 एफ एफ	–
3.	हरियाणा	(vi) हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	6.4.1994 31.12.2000	1858.00	258.00 अमेरिकी डालर	143.62 अमेरिकी डालर
4.	केरल	(vii) सामुदायिक सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड्स	15.12.1993 30.6.2000	16.32	6.175 एन.एल.जी.	2.805 एन.एल.जी.
		(viii) केरल लघु सिंचाई परियोजना	ई. ई. सी.	21.5.1992 31.12.2000	60.00	11.80 ई.सी.यू.	2.770 ई.सी.यू.
5.	महाराष्ट्र	(ix) महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	के. एफ. डब्ल्यू जर्मनी	31.12.1998 31.12.2006	115.79	45.00 डी. एम.	0.00 डी. एम.
6.	मध्य प्रदेश	(x) राजघाट नहर परियोजना	जेबीआईसी जापान	12.12.1997 5.2.2003	523.41	13222.00 येन	1428.200 येन
7.	उड़ीसा	(xi) उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	5.1.1996 30.9.2002	1409.00	290.90 अमेरिकी डालर	133.74 अमेरिकी डालर
		(xii) रेंगाली सिंचाई परियोजना	जेबीआईसी जापान	12.12.1997 5.2.2003	510.9	7760.00 येन	1880.83 येन
		(xiii) लिफ्ट सिंचाई परियोजना	के. एफ. डब्ल्यू जर्मनी	19.12.1993 31.12.2000	119.55	50.00 डी. एम.	37.88 डी. एम.
		(xiv) उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	ई.ई.सी.	3.7.1995 31.12.2000	50.80	10.70 ई.सी.यू.	0.465 ई.सी.यू.
8.	पांडिचेरी	(xv) टैंक सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	ई.ई.सी	21.2.1997 21.2.2003	32.84	6.65 ई.सी.यू.	0.72 ई.सी.यू.

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	राजस्थान	(xvi) सिंधमुख और नोहर सिंचाई परियोजना	ई.ई.सी.	7.6.1993 31.12.2000	186.00	45.00 ई.सी.यू.	32.74 ई.सी.यू.
10.	तमिलनाडु	(xvii) तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	19.4.1995 31.3.2003	815.00	282.90 अमेरिकी डालर	93.49 अमेरिकी डालर
11.	उत्तर प्रदेश	(xviii) बुंदेलखंड जल संसाधन प्रबंधन परियोजना	नीदरलैंड्स	12.6.1996 31.3.2003	6.00	3.087 एन.एल.जी.	1.35 एन.एल.जी.
	बहु राज्य	(xix) जल विज्ञान परियोजना	विश्व बैंक	22.9.1995 31.3.2002	725.00	142.00 अमेरिकी डालर	42.318 अमेरिकी डालर

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर हमने देखा है और इसी संबंध में जल संसाधन मंत्रालय की स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन भी है, जिसमें उन्होंने जो परियोजनाएं विदेशी सहायता से चल रही हैं, उनके पूरा न होने के संबंध में काफी निंदा भी की है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने अपने उत्तर में लिखा है कि हम तीन–तीन महीनें में इनकी मानिटरिंग करते हैं, सचिव और प्रधान सचिवों की बैठक करते हैं, इसके बावजूद जो टोटल 15 परियोजनाएं चलने की बात आपने कही है, उनमें कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं, जैसे महाराष्ट्र में, चार वर्षों में जहां अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं हो पाया है। इससे सामान की बढ़ती कीमतों की वजह से प्राक्कलित राशि भी बढ़ेगी। वैसी स्थिति में चार वर्षों में जब परियोजना का कार्य शुरू नहीं हुआ और अब मात्र एक वर्ष बचा है, एक वर्ष में उसे कैसे पूरा करांएगें? अभी तक इन योजनाओं में प्रगति नहीं हुई है, उसके क्या कारण हैं और कौन लोग उसके लिए दोषी हैं?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एडेड प्रोजेक्ट्स के संबंध में प्रश्न पूछा है। प्रोजेक्टस के डिले होने के कुछ जनरल कारण हैं और कुछ स्पेसेफिक कारण हैं। जनरल कारण यह है कि प्रोजेक्ट स्टेट की वॉटर रिसोर्स मिनिस्ट्री में आता है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री – मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। उसके बाद यह वर्ल्ड बैंक में जाता है। फिर वाशिंगटन में बैठक होती है और राज्य के प्रतिनिधि भी वहां जाते हैं। जब वर्ल्ड बैंक उसे ऐक्सेप्ट कर लेता है तब उसका अप्रैजल शुरू होता है। उस प्रोजेक्ट में कहीं खामी रह गई तो फिर वर्ल्ड बैंक में कुछ डिले हो जाता है। इसमें एक और कारण हैं कि स्टेट ने अपने प्लान्ड बजट में उसे दिखलाना है अगर सौ करोड़ रुपये का बजट है तो सौ करोड़ रुपये उसमें लगाएंगे। जब यह शुरू होता है तो स्टेट को पहले खर्च करना पड़ता है और उसके बाद उसका रीइंबर्समेंट होता है। खर्च करने में कभी–कभी स्टेट की तरफ से डिले हो जाती है, कभी संसाधन जुटाने में देर होती है – इस कारण भी उसमें विलंब होता है, लेनिक जब वह खर्च कर लेते हैं तो उसको वित्त मंत्रालय से पैसा मिल जाता है। जहां तक हम लोगों द्वारा मानीटरिंग का सवाल है हम लोग फ्रेण्डली मानीटरिंग तीन महीने में करते हैं और जब कहते हैं कि यह नहीं चल रहा है तो उनका आश्वासन होता है कि उस प्रोजैक्ट को वे जल्दी शुरू करेंगे। इस तरह से कहीं काम रुका हुआ है, लेकिन इनीशियल टीदिंग प्रॉबल्म्स हर स्टेट में होती है और थोड़े दिनों बाद, डेढ़ दो साल बाद वह पिक–अप होता है। जहां खरीदने का काम रहता है, उसमें जब दाम वगैरह बढ़ते जाते हैं, डालर ऐप्रिशियेट हो जाता है तो उसके कारण भी डिले हो जाता है। महाराष्ट्र वाला प्रोजेक्ट भी उसमें है और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, करीब–करीब समय होते –होते या एकाध का समय बढ़ाने पर सब के सब पूरे हो जाएंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो जवाब दिया गया है, इसमें 15 परियोजनाओं में कोई–कोई ऐसा प्रदेश भी है, जहां चार–चार परियोजनाएं शुरू की गई हैं लेकिन बिहार का नाम इस सूची में नहीं है, जबकि प्रति वर्ष बाढ़ और बरसात के कारण बिहार प्रभावित होता रहता है। हम यह जानना चाहते हैं कि आप जो भी विदेशी सहायता से परियोजना शुरू करेंगे, क्या उसमें बिहार का नाम शामिल करेंगे और यदि करेंगे तो बिहार में परियोजना की स्वीकृति कब तक देंगे?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : हम लोग चाहेंगे कि बिहार में भी परियोजना हो क्योंकि बिहार सबसे गरीब राज्य हैं, लेकिन इसके लिए बिहार राज्य को ही परियोजना केन्द्र को भेजनी पड़ेगी और

वर्ल्ड बैंक का प्रोजैक्ट बनाने का जो तरीका है, उसी हिसाब से भेजनी पड़ेगी। बिहार ने अभी तक कोई परियोजना भेजी नहीं है। भेजने पर ही हम उसे डिपार्टमेंट से एक्जामिन करवाएंगे और मदद करेंगे।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य का कहना है कि बिहार नहीं भेजेगा, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम अपनी तरफ से उसे शुरू करवा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री दिलीप संघाणी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि गुजरात में कुल कितनी परियोजनाओं पर विदेशी सहायता आज तक मिली हैं? सरदार सरोवर परियोजना में पहले विदेशी सहायता मिलती थी और केन्द्र सरकार ने पहले गुजरात सरकार को आश्वासन भी दिया था। कुछ शर्तें विश्व बैंक की थीं जिनको स्वीकारना योजना के लिए उचित नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, सरकार सरोवर परियोजना के संबंध में केन्द्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो सहायता विश्व बैंक की ओर से मिल रही थी, वह सहायता केन्द्र सरकार देगी, लेकिन आज तक वह सहायता केन्द्र सरकार की ओर से इस परियोजना को पूरा करने के लिए नहीं मिली है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता जिसे आपने देना स्वीकार किया है, उसे देंगे ताकि यह परियोजना पूर्ण हो सके?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ पर्यावरणविद् जिनमें मेधा पाटकर और उनके साथी हैं, वे किसी विदेशी सहायता के वशीभूत होकर इस परियोजना को किसी भी हालत में पूरी न होने देने, कच्छ तक पानी न पहुंचने देने और कच्छ की स्थिति कारगिल जैसी बन जाए, उसके लिए अनशन की दिशा में चल रहे हैं, उन्हें रोकने और उस समस्या के समाधान के लिए क्या केन्द्र सरकार कावेरी जल योजना की समस्या के समाधान की तरह, कोई युक्ति निकाल कर समाधान करने के लिए शीघ्रतिशीघ्र प्रयास करेगी?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि वह वर्ल्ड बैंक की परियोजना थी और जब एनवारयनमेंट लिस्ट ने उसका प्रतिरोध किया, हल्ला–गुल्ला किया, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इस परियोजना को हम समर्थन और सहायता नहीं देंगे। इसके बाद केन्द्र सरकार ने कहा कि जो पैसा वर्ल्ड बैंक दे चुका है वह और जो बाकी है वह पैसा हम देंगे और उतना पैसा हमने दे दिया। उसके बाद फील्ड चैनल बन रहे हैं। ए. आई. डी. पी. के माध्यम से हम पैसा दे रहे हैं। अभी डैम का बनना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रुका हुआ है और हम लोग गुजरात की हर तरह से मदद कर रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत अहम है। इस प्रश्न का जो उत्तर मंत्री महोदय दे रहे हैं वह उनकी दृष्टि से दुरुस्त हैं, लेकिन उससे हमारा और देश का समाधान नहीं होता और हमारे सामने जो प्रश्न हैं वे इससे हल नहीं हो सकेंगे। यहां पैसा बाहर से आ रहा है जिसकी मदद से हमें यहां सिंचाई की व्यवस्था करनी है लेकिन उस पैसे को हम खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। जो मालूमात हमें दी गई है उससे पता चलता है कि हर परियोजना में टाइम ओवर रन है और जब टाइम ओवर रन होगा, तो स्वाभाविक है कि कास्ट ओवर रन भी होगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि पैसा नहीं है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि पैसा होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बजट का डैफीसिट कम करने के नाम पर गरीबों के मुंह का निबाला भी महंगा किया जा रहा है। मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि एक्वीजीशन एक्ट में, प्लान बनाने में और दूसरी चीजों में दिक्कत होने से काम पूरा हुआ, मगर इससे हमारा समाधान नहीं होता। यहां बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, काम क्यों पूरा नहीं हुआ, उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन हमारा जो सही प्रश्न है, उसका उत्तर इसमें से नहीं निकलता है। ऐसी परिस्थिति में हम सरकार और मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि आज जो हमारे देश का अहम प्रश्न है, जो हमारा पैसा है वह सही ढंग से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, जिसकी वजह से कास्ट ओवर रन और टाइम ओवर रन बढ़ रहे हैं और डैफीसिट बढ़ रहा है, गरीबों की भूख का भी ख्याल नहीं किया जा रहा है– इसे दुरुस्त करने के लिए, सच्चाई से, गहराई में जाकर कुछ होने जा रहा है यदि होने जा रहा है, तो क्या होने जा रहा है?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है, उनकी उस चिन्ता से मैं भी सहमत हूं, लेकिन हम लोग मानिटरिंग करते हैं और आप उसे ऐसा समझिए कि वह एक तरह से फ्रैण्डली मानीटरिंग है। अपनी तरफ से हम प्रयास करते हैं, राज्यों को बुलाते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि आप इसे जल्दी से जल्दी कीजिए। वैसे इसके अलावा न हमारी फायनेंश्यल पावर है और न कोई और पावर है। हम तो नोडल मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस मैन मिनिस्ट्री है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना पैसा मिला है उसका जल्दी से जल्दी सदुपयोग हो। अब जैसे हरियाण में बाढ़ आ गई, वहां का काम रुक गया। उड़ीसा में साइक्लोन आ गया, जहां तमाम वर्ल्ड बैंक का काम चल रहा था, साइक्लोन के कारण वहां का काम रुक गया। इस प्रकार से कुछ डिले हो जाता है। इन बातों को लेकर मैं आपसे सहमत हूं कि प्रोजेक्ट में जो भी पैसा आता है उसका समय पर सदुपयोग हो जाए, ताकि उसकी कास्ट कम हो।

[अनुवाद]

डॉ. एस. वेणुगोपाल (अदीलाबाद) : लगभग पूरे भारत, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में काफी सिंचाई क्षमता है। नब्बे प्रतिशत पानी गोदावरी

में जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा केवल दस प्रतिशत पानी का उपयोग किया जाता है। सरकार हमें बताएगी कि क्या समूचे देश के लिए कोई योजना है? जब भी हम गंगा–कावेरी परियोजना जैसी परियोजनाओं पर चर्चा करते हैं तो कुछ प्रस्ताव सामने आते हैं। लेकिन सत्र के बाद किसी प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं होती है।

क्या देश में पानी के पूर्ण उपयोग के लिए सरकार के समक्ष कोई ठोस प्रस्ताव है और देश में विकास के लिए कितनी सिंचाई क्षमता है? सरकार के समक्ष अनेक परियोजनाएं लम्बित भी पड़ी हैं।

क्या पोलावरम् परियोजना और एस. आर. एस. परियोजना जैसी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य के एनडोमैंट डिपार्टमेंट और जल संसाधन मंत्रालय के बीच कोई समन्वय समिति है?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : एक बेसिन से दूसरे बेसिन में जल स्थानान्तरित करने का कार्य चल रहा है। कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि एक बेसिन से दूसरे बेसिन में जल स्थानान्तरित कर रही हैं। गोदावरी पर पोलावरम् परियोजना के संबंध में भी हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वे परियोजनाएं कार्यान्वित की जायें और तटीय राज्यों के साथ कुछ समझौता किया जाए। ऐसा होना चाहिए और मेरे विचार में माननीय संसद सदस्य भी इस विवाद को निपटाने में मध्यस्थता कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है, तो परियोजनाओं को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बनर्जी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि विदेशी सहायता प्राप्त जल–संसाधन पर आधारित परियोजनाओं में क्या नर्मदा परियोजना, जबलपुर और बर्गीघाट परियोजना भी आती है। यदि हां, तो इनमें कितना काम हुआ है?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अभी तो जबलपुर की नर्मदा नदी परियोजना, विदेशी सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं में नहीं है। यदि उसका कोई प्रस्ताव आएगा, तो हम उसे कंसीडर करेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण आने वाली बाढ़ की वजह से लाखों एकड़ भूमि में किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जन–धन की हानि हो रही है। क्या सरकार विदेशी परियोजना का लागू कर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए कोई परियोजना तैयार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक के जो टारगेट फिक्स हैं, उन्होंने जो सहायता देनी है, उसमें उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सहायता की जानी है। वहां बहुत पैसा आने वाला है, लेकिन आपका जो प्रश्न बाढ़ के बारे में हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि नेपाल सरकार से हमारी इस बारे में बातचीत शुरू हुई। जब हमारी बातचीत पूरी हो जाएगी, तब हम उसकी फंडिंग के लिए वर्ल्ड बैंक को एप्रोच करेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि नेपाल से निकलने वाली नदियों में कितना पानी छोड़ा जाता है और उससे कितना नुकसान उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रहा है, क्या इसका सरकार ने सर्वेक्षण कराया है?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सर्वेक्षण हो रहा है।

डॉ सुशील कुमार इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, देश की भलाई के लिए बड़ी–बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए हम विदेशों से सहायता लेते हैं, ऋण लेते हैं और साथ ही साथ हम यह वायदा भी करते हैं कि वक्त रहते हम इन परियोजनाओं को पूरा कर लेंगे। अगर हम वक्त रहते उन परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाते, तो हमें कमिटमेंट के तौर पर विदेशों को कुछ पैसा देना पड़ता है जिससे न केवल देश को घाटा होता है, बल्कि परियोजनाएं भी अधूरी रह जाती हैं।

मुझे मंत्री जी से पूछना है कि हमने कमिटमेंट चार्ज के रूप में अब तक कितना पैसा विदेशों को दिया है? इसके साथ–साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में विदेशों से समर्थित कितनी सिंचाई की परियोजनाएं हैं और क्या वे पूरी हो चुकी हैं? क्या आप एस. वाई. एल. परियोजना को विदेशों से समर्थित कराएंगे?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया, वह सही है कि परियोजना समय पर पूरी हो जानी चाहिए। हरियाणा में एस. वाई. एल. परियोजना अभी बनने की स्थिति में नहीं है फिर उसे विदेशी परियोजना में कैसे रखेंगे। पहले हम सब बैठकर तय करें कि एस. वाई. एल. परियोजना कब से शुरू होगी, उसके बाद देखेंगे। वैसे एस. वाई. एल. परियोजना को विदेशी मदद की जरूरत नहीं है। यदि आज समझौता हो जाये तो केन्द्रीय सरकार उसके लिए पैसा देने को तैयार है।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा : कमिटमेंट चार्ज के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। आपने कितना पैसा विदेशो को दिया है?

डॉ. सी. पी. ठाकुर : उसकी सूचना हम आपको भिजवा देंगे।

श्री सुजानसिंह बुन्देला : अध्यक्ष महोदय, बालाघाट मैनेजमेंट परियोजना के लिए 1996 में 6 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी, लेकिन आज की तारीख तक हम उसमें केवल 30 परसेंट रुपया ही खर्च कर पाये हैं जबकि उसकी प्रोजैक्ट की कास्ट काफी बढ़ गई है। वहां आज लोग बूंद–बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह किसकी लापरवाही है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आज वह किस स्थिति में है और कैसे यह परियोजना पूरी होगी? विदेशी सहायता से इतने बड़े उत्तर प्रदेश राज्य में केवल मात्र एक छोटी सी परियोजना बुन्देलखंड में चालू है। हम यह जानना चाहते हैं कि उस परियोजना का रुपया आज किस खाते में पड़ा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप प्रश्न पूछ रहे है, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। यह क्या है? आप उनके नाम की सिफारिश क्यों कर रहे हैं? यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, बुन्देलखंड के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ...*(व्यवधान)* वैसे तो परियोजना मंजूर ही नहीं होती और अगर भूल भटके मंजूर हो जाये तो उसे पैसा नहीं दिया जाता। ...*(व्यवधान)*

श्री सुजानसिंह बुन्देला : बुन्देलखंड में लोग बूंद–बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वे 6 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. सी. पी. ठाकुर : बुन्देलखंड की बालाघाट परियोजना करीब–करीब तैयार है। उसमें 23 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश को देने हैं। इस महीने हमने उसकी मीटिंग बुलाई है। राजघाट परियोजना को हम इसी साल शुरू करायेंगे।

श्री सुजानसिंह बुन्देला : आप इसे कब शुरू करायेंगे। ...*(व्यवधान)*

डॉ. सी. पी. ठाकुर : हम इसे इसी साल शुरू करायेंगे।

[अनुवाद]

रक्षा उपकरण

+

*724. **श्री तिरूनावकरसू :**

डॉ. जसवंत सिंह यादव :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र का सुदृढ़ करने की सरकारी नीति के एक भाग में रूप में सरकार का विचार लघु उद्योग इकाइयों को रक्षा उपकरणों के निर्माण की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा संबंधी वस्तुओं का निर्माण करने वाले लघु उद्योग क्षेत्र को कोई विशेष रियायतें प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कर्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्यमों का संवर्धन करने और सुदृढ़ बनाने के लिए 6 अगस्त, 1991 को घोषित किए गए नीतिगत उपायों में बड़े/मध्यम और लघु क्षेत्रों के उत्पादन कार्यक्रमों में अनुपूरकों का विस्तार करने और उन्हें गहन बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। नीतिगत उपाय रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने के लिए लघु उद्योग की औद्योगिक इकाइयों के संवर्धन के लिए समान रूप से लागू रहे हैं।

(ग) और (घ) लघु उद्योग इकाइयों को सामान्य तौर पर उपलब्ध सभी रियायतें उन सभी लघु उद्योगों को भी उपलब्ध हैं, जो रक्षा उपकरणों का विनिर्माण कर रहे हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त विशेष रियायतें ऐसी लघु उद्योग इकाइयों को भी उपलब्ध हैं, जिन्होंने रक्षा संगठनों को आपूर्ति किए जाने के लिए महानिदेशालय सामान्य गुणता आश्वासन, रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के साथ स्वयं को पंजीकृत किया है, वे निम्न प्रकार हैं :

(क) ऐसी लघु उद्योग इकाइयां जो महानिदेशालय सामान्य गुणता आश्वासन, रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के साथ पंजीकरण की इच्छुक हैं, उनसे बड़े उद्योगों द्वारा अदा की जाने वाली रुपये 2,500 की फीस की तुलना में 1,000 रुपये की रियायती पंजीकरण फीस ली जाती है।

(ख) देश में विकसित लघु मदों की ड्राईंग्स और विशिष्टियां टेंडर संबंधी इंक्वारी के साथ लघु उद्योग इकाइयों को निःशुल्क जारी की जाती है।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र को महा निदेशालय गुणता आश्वासन के साथ पंजीकरण के लिए तैयार करने में सहायता देने के लिए निःशुल्क परामर्शी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

श्री तिरुनावकरसू (पुडुक्कोट्टई) : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि लघु उद्योग की इकाइयों से कुल कितना उत्पादन होता है और लघु उद्योग की इकाइयों से प्रति वर्ष कुल कितनी रक्षा संबंधी सामग्री खरीदी जाती है।

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, सर्वप्रथम मैं एक बार फिर आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगी। मेरे पास विस्तृत आंकड़े नहीं हैं। जिनके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है। लेकिन अभी मैं केवल यह कह सकती हूं कि काफी रक्षा संबंधी खरीद और रक्षा संबंधी बिक्री लघु उद्योगों से की जा रही है।

मैं गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में पंजीकृत इकाइयों के बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी। आयुध के क्षेत्र में 73 इकाइयां हैं, जिसमें से 62 इकाइयां लघु उद्योग की हैं। वाहनों के क्षेत्र में, 341 इकाइयां हैं। जिसमें से 292 लघु उद्योग की इकाइयां हैं। इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में 221 इकाइयां हैं, जिसमें से 160 लघु उद्योग की इकाइयां हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 232 इकाइयां हैं, जिसमें से 174 लघु उद्योग की इकाइयां हैं। भंडार सामग्री की आपूर्ति की 445 इकाइयां हैं जिसमें से 412 लघु उद्योग की इकाइयां हैं और सबसे अधिक युद्ध–पोत परियोजनाओं के संबंध में 248 इकाइयां हैं जिसमें से 204 इकाइयां लघु उद्योग की हैं।

कुल 1560 इकाइयां हैं, जिसमें से 1304 इकाइयां लघु उद्योग की हैं जो कि रक्षा संबंधी सामग्री का उत्पादन कर रही हैं।

जहां तक की कुल उत्पादन का संबंध है, यह 5,27,515 करोड़ से 550 करोड़ रुपये के बराबर हैं, और वर्ष 1999–2000 के दौरान गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा स्वीकृत भंडारण के मूल्य के रूप में लघु उद्योगों का औसत अंश 35 प्रतिशत है।

श्री तिरुनावकरसू : महोदय, अब रक्षा क्षेत्र को अधिक धनराशि का आबंटन किया जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या विभिन्न राज्यों में लघु उद्योग मॉडल एस्टेट स्थापित करने के संबंध में कोई विशेष कार्यक्रम अथवा प्रस्ताव है मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या त्रिची के समीप पुडुक्कोट्टई निर्वाचन क्षेत्र में मॉडल एस्टेट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जहां रक्षा संबंधी उपकरणों का निर्माण किया जाता है। क्योंकि त्रिची में पहले से ही एक आयुध कारखाना है।

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, जहां तक समूचे औद्योगिक एस्टेटों का संबंध है, देश में 52 ऐसे एस्टेटों की स्थापना की जा रही है लेकिन इनमें से कोई भी एस्टेट ऐसा नहीं है जिसमें केवल रक्षा संबंधी सामग्री का उत्पादन होता है।

जहां तक कि इस क्षेत्र का संबंध है, नयी औद्योगिक नीति के अंतर्गत और इस तथ्य के कारण कि हम कुछ रक्षा संबंधी उत्पादनों का स्वदेशीकरण करना चाहते हैं, रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय और लघु उद्योग विकास संगठन के बीच एक संयुक्त कार्य योजना बनाई गई है। इसे वर्ष 1994 में अन्तिम रूप दे दिया गया था और अब इसके अंतर्गत एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रदर्शिनयां आयोजित की जाती हैं जो कि फरवरी 1994 तथा मई, 1994 के बीच देशभर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई थीं। हमने आवेदकों की बड़ी संख्या में से 1200 इकाइयों का गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा अर्हता पूर्व मूल्यांकन के लिए चयन किया है। इसके अतिरिक्त, इसी क्रम में गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारियों और विभिन्न स्थानों पर उद्यमियों के बीच बातचीत चल रही है। पहले की अनेक प्रक्रियाओं, जिसमें गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं शामिल थी, को अब सरलीकृत कर दिया गया है। हमारे पास रक्षा संबंधी आपूर्तिकर्ताओं के मूल्यांकन के लिए विभिन्न परिपत्रों के स्थान पर एक संयुक्त सेवा मार्ग निर्देशिका है। स्वदेशीकरण कार्यक्रम तथा प्रदर्शिनयों के प्रति लघु उद्यमियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए लघु उद्योग विकास संगठन ने प्रति वर्ष अनेक आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम आयोजित करने की परम्परा बनाई है जिसमें गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय डी. जी., वायु सेना संबंधी गुणवत्ता आश्वासन, भारतीय नौसेना और रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित रक्षा संगठनों को अपने विभिन्न उत्पादों के लिए अपनी आवश्यकताओं को प्रदर्शित करने हेतु आमंत्रित किया जाता है और तदुपरांत लघु उद्यमी उनका चयन कर लेते हैं।

जहां तक लघु उद्योग विकास संगठन की कार्य–योजना का संबंध है, मैं उस संबंध में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। हम देश भर में ऐसे अनेक आपूर्त्तिकर्ता विकास कार्यक्रम क्रेता–विक्रेता सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार के विभाग हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी उल्लेख किया है, तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, रेलवे, ओ. एन. जी. सी. और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा गैर सरकारी क्षेत्र में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय कंपनियां हैं। जहां तक कि राज्यों का संबंध है, इस तरह के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी विभागों और नगर पालिका निकायों ने भाग लिया था।

जहां तक कि इन कार्यक्रमों की उपलब्धियों का संबंध है, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1998–99 में राष्ट्रीय स्तर के चार विक्रेता–क्रेता सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं। वर्ष 1999–2000 में इस तरह के दस कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और वर्ष 2000–01 में, हम आशा करते हैं कि इन कार्यक्रमों की संख्या चौदह हो जाएगी। हम पहले दो कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं, हम अन्य दो कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और इस वर्ष के अन्त तक हम इस कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन विक्रेता–क्रेता–सम्मेलनों द्वारा उद्यमियों का ज्ञान बढ़ता है, जहां उद्यमियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में भी कुछ बातचीत होती है। ताकि रक्षा संगठन के सहायक ठेकेदार बनने पर वे इस मामले में सक्षम और नियमित बन सकें।

[हिन्दी]

डॉ. जसवंत सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर लघु उद्योगों की हालत अच्छी नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनमें से कितनी लघु उद्योग इकाइयां ऐसी हैं, जो रक्षा संबंधी उपकरण बनाती हैं लेकिन बंद पड़ी हैं और कितनी चालू स्थिति में हैं? रक्षा उत्पादन करने वाली जो लघु उद्योग इकाइयां बंद हो गई हैं, खासतौर से राजस्थान में तो, उससे देश के रक्षा उपकरणों की जरूरत पर कितना प्रभाव पड़ रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

राजस्थान की जनता, वैसे तो चूंकि माननीय मंत्री महोदया राजस्थान से संबंध रखती हैं, इनसे विशेष अपेक्षाएं रखती हैं। राजस्थान के लघु उद्योगों को सुधारने के लिए, उनकी स्थिति को बढ़ाने के लिए क्या वे कोई कार्य योजना लागू करने जा रही है और जो रक्षा उपकरण संबंधी इकाइयां बन्द पड़ी हैं, उनको सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही हैं?।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, जहां तक कि माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है, इस सूचना को निश्चित रूप से नहीं रखा जाता है। अतः मुझे आशंका है कि मैं राज्य स्तर पर उन लघु उद्योगों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे पाऊंगी।

हालांकि, जहां तक कि आपूर्तिकर्त्ता विकास कार्यक्रम का संबंध है, राजस्थान में वर्ष 1998–99 में हमने दो कार्यक्रम आयोजित किए थे– एक फरवरी माह में कोटा में और दूसरा मार्च में बराह में आयोजित किया था। जहां तक कि वर्ष 1999–2000 का संबंध है, हमने तीन कार्यक्रम जयपुर, राजस्थान में अगस्त, दिसम्बर और पुनः दिसम्बर माह में आयोजित किए थे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सूखे की स्थिति

***725. श्रीमती जसकौर मीणा :**

श्री रामपाल सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम प्रसारित अपने संदेश में लोगों से देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उदारता पूर्वक योगदान करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अपील के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या भीषण सूखे की स्थिति से कई राज्य प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या इन राज्यों में लोगों की मृत्यु होने, पशुधन और फसल आदि की क्षति होने के संदर्भ में कोई आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(च) प्रत्येक राज्य से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(छ) क्या सरकार ने देश में सूखे की स्थिति पर विचार करने के लिए कए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी; और

(ज) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी हां।

(ख) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान का विवरण नहीं रखा जाता है क्योंकि इसमें किया गया अंशदान स्वैच्छिक किस्म का होता और यह भारत की समेकित निधि का अंश नही होता।

(ग) जी, हां। सूचनानुसार गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति अत्यंत गंभीर है।

(घ) और (ङ) जबकि इन राज्यों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या पशुओं के मरने की सूचना नहीं दी है तथापि खाद्यान्न उत्पादन गुजरात में 29.45 प्रतिशत, राजस्थान में 22.88 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 10.08 प्रतिशत कम होने की आशंका है।

(च) वर्ष 1999–2000 के दौरान, गुजरात, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश की सरकारों ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से क्रमशः 722.16 करोड़ रुपये 1144.40 करोड़ रुपये एवं 720.36 करोड़

रुपये की सहायता की मांग की थी। वर्ष 1999–2000 के लिए आपदा राहत कोष के संपूर्ण केन्द्रीय हिस्से की निर्मुक्ति के अतिरिक्त सूखे की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से गुजरात को 54.58 करोड़ रुपये, राजस्थान को 102.93 करोड़ रुपये एवं आंध्र प्रदेश को 75.36 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। वर्ष 2000–2001 के दौरान, गुजरात को आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से की तीन किस्तें और राजस्थान को एवं आंध्र प्रदेश को आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से की दो किस्तें निर्मुक्त कर दी गई हैं।

(छ) और (ज) जी, हां। दिनांक 25 अप्रैल, 2000 को प्रधान मंत्री जी द्वारा बुलाई गई एक सर्वदलीय बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे की स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि सूखा प्रभावित राज्यों को पर्याप्त सहायता दी जाए। इसमें सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घा–वधि उपायों की आवश्यकता पर भी विचार किया गया। प्रधान मंत्री के सुझाव पर यह भी सहमति हुई कि सूखे की संबद्ध मामलों को राजनीति से ऊपर रखा जाए।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

***726. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहतर जल प्रबंधन में किसानों के सम्मिलित होने को सुनिश्चित बनाने हेतु उनको प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय किन–किन राज्यों में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने अब तक इस कार्यक्रम को शुरू नही किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(च) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को प्रति हैक्टेयर कितनी सहायता अनुदान राशि दी गई है;

(छ) इस प्रति हेक्टैयर सहायता अनुदान की राशि में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था?

जल संसाधन मंत्री (डॉ. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (छ) जी हां, सरकार बेहतर जल प्रबन्धन में किसानों को शामिल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के वास्ते जल प्रयोक्ता संघों को एक मुश्त कार्यकारी अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। इन जल प्रयोक्ता संघों को पंजीकृत किया जाना चाहिए तथा केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली सिंचाई परियोजनाओं की कमानों में जल के वितरण में वस्तुतः लगाया जाना चाहिए। कार्यकारी अनुदान 500 रुपए प्रति हेक्टेयर (केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 225 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाने हैं और किसानों द्वारा 50 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाने हैं) की दर से उपलब्ध कराया जाता है। इस राशि को बैंक में जमा किया जाना अपेक्षित होता है तथा इस पर प्राप्त होने वाले ब्याज का उपयोग जल प्रयोक्ता संघों के क्रियाकलापों में किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त, छोटे और सीमान्त किसानों को भूजल संरचनाओं के विकास, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणालियों को लगाने तथा भूमि को समतल करने और उसे आकार देने के लिए उनके द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर आर्थिक सहायता (सबसिडी) भी दी जाती है। इस समय, 23 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। इस मंत्रालय द्वारा शेष दो राज्यों अर्थात् मिजोरम और सिक्किम में लघु सिंचाई परियोजनाओं को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न खेत संबंधी विकास (ओएफडी) क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदान सहायता से संबंधित प्रति हेक्टेयर संशोधित लागत मानक 1.4.1996 से लागू है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा जहां इस समय कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है :

राज्य

1. आन्ध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. गोवा
6. गुजरात
7. हरियाणा
8. हिमाचल प्रदेश
9. जम्मू व कश्मीर

10. कर्नाटक
11. केरल
12. मध्य प्रदेश
13. महाराष्ट्र
14. मणिपुर
15. मेघालय
16. नागालैंड
17. उड़ीसा
18. पंजाब
19. राजस्थान
20. तमिलनाडु
21. त्रिपुरा
22. उत्तर प्रदेश
23. पश्चिम बंगाल

संघ राज्य क्षेत्र

1. दादरा और नागर हवेली
2. दमन और दीव

विवरण-II

केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल विभिन्न खेत संबंधी विकास कार्यों के संबंध में 1.4.1996 से लागू प्रति हैक्टैयर संशोधित लागत मानक।

विवरण	देय केन्द्रीय सहायता
1. फील्ड चैनलों का निर्माण:	
(i) पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना।	केन्द्रीय सहायता (निर्माण की अनुमानित लागत 10000.00 रुपये प्रति हैक्टेयर) के लिए 5000.00 रुपये प्रति हैक्टेयर अथवा वास्तविक व्यय का आधा जो भी कम हो।
(ii) ऊपर दी गई मद (i) में दिये गए राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	केन्द्रीय सहायता (निर्माण की अनुमानित लागत 60000.00 रुपये प्रति हैक्टेयर है के लिए 3000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा वास्तविक व्यय का आधा जो भी कम हो।
2. खेत नालियों का निर्माण :	
(i) पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना।	1000.00 रुपये प्रति हैक्टेयर अथवा वास्तविक व्यय का आधा जो भी कम हो। (निर्माण की अनुमानित लागत 2000.00 रुपये प्रति हैक्टेयर है।)
(ii) ऊपर दी गई मद (1) में दिये गए राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	500.00 रुपये प्रति हैक्टेयर अथवा वास्तविक व्यय का आधा जो भी कम हो। (निर्माण की अनुमानित लागत 1000.00 रुपये प्रति हैक्टेयर है।)
3. बाराबंदी सभी राज्यों के लिए	150 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा वास्तविक व्यय का आधा जो भी कम हो (पूरी लागत का 300.00 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से अनुमान लगाया गया।)
4. जल जमावग्रस्त क्षेत्रों का सुधार : सभी राज्यों के लिए	6000.00 रुपये प्रति हैक्टेयर अथवा वास्तविक व्यय का आधा जो भी कम हो (पूरी लागत का 12000.00 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुमान लगाया गया।)

[हिन्दी]

तिलहनों का उत्पादन

***727. श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहनों, दालों और मक्का के उत्पादन के क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलहनों और दालों के निर्यात और आयात का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) देश को आत्म निर्भर बनाने लिए तिलहन, दलहन तथा मक्का के उत्पादन व उत्पादकता संवर्धन हेतु विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मिशन के तहत तीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामतः तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) वर्ष 1996–97 से 1998–99 के पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलहन, खाद्य तेल तथा दलहन के निर्यात तथा आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तीनों केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामतः तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत बीज उत्पादन व वितरण बीज मिनीकिटों, स्प्रिंकलर सेटों, उन्नत फार्म उपकरणों जिप्सम/पाइराट्स सूक्ष्म पोषक तत्वों रिजोबियम कल्चर आदि के वितरण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त उन्नत उत्पादन व प्रौद्योगिकी संरक्षण के प्रसार के लिए कृषकों के खेतों पर अग्रणी तथा सामान्य प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

मात्रा 000 मी. टन में (मूल्य करोड़ रुपये)

क्र.सं.	मद	1996–97		1997–98		1998–99	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
निर्यात							
1.	तिल तथा रामतिल	103.800	275.280	129.320	302.580	103.29	324.59
2.	मूंगफली	148.780	325.840	245.400	566.300	48.91	122.48
3.	तेल से खाद्य पदार्थ	4787.850	3495.340	4497.910	3435.230	3566.92	1912.35
4.	अरंडी का तेल	241.470	627.240	204.420	576.130	102.68	668.75
	कुल	5281.900	4723.700	5077.050	4880.240	3911.800	3028.170
	दलहन	55.22	131.58	168.05	360.88	101.45	218.74
	आयात						
1.	तिलहन	–	4.700	–	2.470	–	8.83
2.	सब्जियां (खाद्य तेल)	1415.790	2929.190	1265.750	2764.670	2379.57	7131.41
		1415.790	2933.890	1265.750	2767.140	2379.570	7140.240
	दलहन	654.91	890.24	1008.16	1194.64	312.74	404.52

[अनुवाद]

पुष्प कृषि का विकास

*728. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कुल कितने क्षेत्र में पुष्प कृषि की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पुष्प कृषि के विकास हेतु कितना आबंटन किया गया; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में पुष्प कृषि के संवर्धन और उसे बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) वर्ष 1996–97, 1997–98 एवं 1998–99 के दौरान पुष्पकृषि के अंतर्गत राज्यवार भू–क्षेत्र इस प्रकार हैं :

(क्षेत्र है. में)

राज्य/सं.शा क्षेत्र	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7616	8420	8357
असम	442	442	उ.न.
बिहार	104	104	86
दिल्ली	1866	1866	3450
हरियाणा	1850	1950	2250
हिमाचल प्रदेश	100	114	133.3
जम्मू एवं कश्मीर	133	167	75
कर्नाटक	19656	20780	20780
मध्य प्रदेश	1334	1334	1956
महाराष्ट्र	5439	4786	4979
मणिपुर	78	78	140.5
उड़ीसा	–	–	175
पंजाब	550	550	560
राजस्थान	2048	2048	2353
सिक्किम	50	60	उ.न.
तमिलनाडु	15856	16745	17750
त्रिपुरा	–	–	25
उत्तर प्रदेश	320	321	350.08
पश्चिम बंगाल	13720	13720	10500
दमन एवं दीव	5	5	5
पांडिचेरी	46	46	46
कुल	71213	73536	73970.88

स्रोत : राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

उ. न. : उपलब्ध नहीं

(ख) और (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग पूरे देश में वाणिज्यिक पुष्पकृषि के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों में राज्यों को निम्नलिखित धनराशि प्रदान की गई हैं :

1997–98	146.70 लाख रुपये
1998–99	563.82 लाख रुपये
1999–2000	400.00 लाख रुपये

उपर्युक्त स्कीम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :

1. आदर्श पुष्पकृषि केन्द्रों की स्थापना
2. क्षेत्र विस्तार
3. प्रशिक्षण
4. प्रदर्शन प्लॉट
5. पादप घर एवं छाया जाल
6. नर्सरियां

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अपनी स्कीम, "उदार ऋण में भागीदारी के माध्यम से बागवानी उत्पादों का विपणन विकास" द्वारा पुष्पकृषि समेकित बागवानी परियोजनाओं के लिए उदार ऋण प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत सहायता मांग आधारित होती है और इसके लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया जाता है। साथ ही, वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) निजी क्षेत्र, सहकारी संस्थाओं तथा अन्यों के द्वारा पुष्पों के निर्यात का संवर्धन का रहा है।

इस्पात संयंत्र में भ्रष्टाचार

*729. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राउरकेला इस्पात संयंत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों की कोई जांच कराने का आदेश दिया है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (घ) 1.5.2000 की स्थिति के अनुसार राउरकेला इस्पात संयंत्र के 19 कर्मचारियों पर बड़ी शास्ति लगाने के लिए आरोप पत्र तैयार किए गए हैं और विभागीय जांच चल रही है। इनमें से 5 कर्मचारियों के मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों से प्राप्त हुई जांच रिपोर्टों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त सेल/राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 13 कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को मंजूरी दे दी है।

इसके अतिरिक्त 1.5.2000 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राउरकेला इस्तात संयंत्र के 53 कर्मचारियों के विरुद्ध 38 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र में भ्रष्टाचार के किसी आरोप की जांच करने के लिए सरकार द्वारा पृथक जांच के आदेश अभी नहीं दिए गए हैं।

ई.एस.आई. अस्पतालों का आधुनिकीकरण

***730. श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ई. एस. आई. अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरण लगाकर निदान सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु एक कार्ययोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999–2000 के दौरान कितने ई. एस.आई. अस्पतालों का इस कार्ययोजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण किया गया और ये कहां–कहां स्थित हैं और इनमें उपलब्ध कराए गए निदान उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्ययोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख की व्यवस्था का कार्य, दिल्ली और नोएडा को छोड़कर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है। दिल्ली और नोएडा में यह कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा देखरेख पर होने वाला व्यय कर्मचारी राज्य बीमा और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के बीच 7:1 के अनुपात में वहन किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों के कार्यचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हाल ही में एक कार्रवाई योजना बनाई थी और उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया था। कार्रवाई योजना में अन्य बातों के साथ–साथ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में अल्ट्रासोनोग्राफी, पल्स आक्सीमीटर, ऑटो–एनालाइजर, सेमी–ऑटो–एनलाइजर, कारडियक मॉनीटर, डेन्टल यूनिट, रिससिटेशन उपस्करों आदि को मुहैया कराकर चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन/आधुनिकीकरण शामिल है। कार्रवाई योजना के अंतर्गत, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 14 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 112 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के संबंध में आधुनिक उपस्करों के प्रावधान पर पहले ही विचार करके इसका अनुमोदन कर दिया है।

उदारीकरण का प्रभाव

***731. श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हाने के दस वर्ष पश्चात् इस बात का आकलन किया है कि रोजगार खेतिहार मजदूर और उनकी मजदूरी की विकास–दर पर उसके प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आकलन के क्या परिणाम निकले;

(ग) 1980, 1990 में भी इससे संबंधित तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) देश के श्रमिकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 1987–88 (43वां दौर) तथा 1993–94 (50वां दौर) के दौरान रोजगार एवं बेरोजगारी के संबंध में किए गए नवीनतम व्यापक सर्वेक्षणों के आधार पर योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार देश में 1987–88 तथा 1993–94 के दौरान यूजवल प्रिंसिपल एण्ड सब्सिडयरी स्टेटस (यूपीएसएस) के अनुसार रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.43 प्रतिशत थी। यह सकारात्मक रोजगार वृद्धि को दर्शाती है।

कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर 1987–88 से 1993–94 के दौरान प्रतिवर्ष 2.14 प्रतिशत थी। यह दर 1983 से 1987–88 के दौरान 0.37 प्रतिशत थी।

1981–91 व 1991–98 की अवधि के आंकड़ों की तुलना करने पर यह अनुभव किया गया कि कृषि क्षेत्र के अकुशल मजदूरों की वार्षिक वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर में लगभग 2:1 का अनुपात था।

केन्द्र सरकार ने समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी के प्रसंग में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रयास किया है। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से संस्तुति की गई है कि 'फ्लोर लेवल' मजदूरी 45/– रुपये प्रति दिन रखी जाए। सरकार ने श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व कल्याण हेतु विभिन्न श्रम अधिनियमों को लागू किया है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन हेतु जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनसे भी श्रमिकों के कल्याण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

हज यात्रियों को असुविधा

*732. **श्री जी.एस. बसवराज :**

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय ने हज यात्रा संबंधी प्रबंधों को देखने के लिए मंत्रियों का एक ग्रुप गठित किया था और अधिकारियों को हाल की हज यात्रा के दौरान जेद्दाह हवाई अड्डे पर सैकड़ों भारतीय हज यात्रियों के फंस जाने की घटना की जांच करने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) सरकार ने हज चार्टर कार्यों की समीक्षा करने के लिए विदेश मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री और नागर विमानन मंत्री से युक्त मंत्रियों का एक ग्रुप गठित किया है।

(ख) और (ग) इस ग्रुप ने अपनी सिफारिशें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

किसानों को राज-सहायता

*733. **श्री हरिभाई चौधरी :**

श्री राजो सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को राज्यवार कितनी–कितनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राज सहायता दी जा रही है और उनके प्रभाव के वार्षिक आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ख) लघु और सीमांत किसानों और कृषक समुदाय के तुलनात्मक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर तबके को दी जाने वाली राजसहायता कितनी है;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है कि क्या ऐसी राजसहायता लक्षित किसानों तक पहुंचती है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज सहायताएं वास्तव में लक्षित किसानों तक पहुंचे, क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ङ) किसानों को दी जा रही प्रमुख राजसहायता उर्वरकों के राजसहायता प्राप्त मूल्य, निम्न सिंचाई एवं बिजली शुल्क तथा बीजों और फार्म मशीनरी पर राजसहायता आदि के संदर्भ में होती है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित कृषि क्षेत्र को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गयी राजसहायता का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है। इस राजसहायता से किसानों को उचित मूल्य पर आदान प्राप्त करने में और इस प्रकार कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिली है। पिछले तीन वर्षों, यानि 1996–97 से 1998–99 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित, राज्यवार सिंचाई राजसहायता आंकडे का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने सूचित किया है कि राजसहायता के अन्य घटकों के राज्यवार ब्यौरे उनके द्वारा संकलित नहीं किए जा रहे हैं। राजसहायता के लाभ या इसके प्रभाव लक्षित किसानों तक पहुंच रहे हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सरकार ने अभी तक कोई अध्ययन नहीं करवाया है। बहरहाल, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली, आई. आई. एम. अहमदाबाद एवं सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर को इस विषय में अध्ययन करने के लिए जनवरी, 2000 में कहा गया। ये अध्ययन अभी पूरे नहीं हुए हैं।

केन्द्र सरकार लघु एवं सीमांत किसानों और कृषि समुदाय के अपेक्षाकृत पिछड़े वर्गों (अ.जा./अ.ज.जा.) को राजसहायता/प्रोत्साहन देने के लिए कई स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। इनमें छिड़काव सिंचाई प्रणाली, टपका सिंचाई, लघु किसानों के बीच कृषि यंत्रीकरण को संवर्धित करने के लिए उन्नत फार्म उपकरणों की आपूर्ति इत्यादि पर राजसहायता शामिल है। राजसहायता के लाभ वास्तव में लक्षित किसानों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए इन स्कीमों का नियमित मानीटरन किया जाता है।

विवरण-I

कृषि क्षेत्र को राजसहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

मद	1996–97 (वास्तविक)	1997–98 (वास्तविक)	1998–99 (वास्तविक)	1999–2000 (वास्तविक)
आदानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को राजसहायता				
1. उर्वरक (कुल)	7578	9918	11596	13250
2. बिजली **	8356	6210	उ.न.	उ.न.
3. सिंचाई ##	9155	10322	10880+	उ.न.
4. छोटे किसानों को बीज, तिलहन, दलहन के विकास एवं कृषक सहकारी समितियों आदि के रूप में दी गई अन्य राजसहायता	879	1086	उ.न.	उ.न.

स्रोत : 1. उर्वरक : व्यय बजट 2000-2001, केन्द्र सरकार का खंड–I

2. बिजली एवं सिंचाई : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

टिप्पणी : उ.न. उपलब्ध नहीं है।

** बिजली में विद्युत बोर्डों और निगमों को प्रदत्त समस्त राजसहायता शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में उपयोग हेतु विशेष रूप से उपलब्ध विद्युत राजसहायता के लिए अलग से अनुमान उपलब्ध नहीं है।

कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल की दरें, नीतिगत रूप से कम रखी जाती हैं, जिससे सरकारी सिंचाई प्रणाली को हानि होती है। कुल प्राप्त राजस्व पर प्रचालन लागतों के आधिक्य को सिंचाई राजसहायता माना जाता है।

\+ त्वरित अनुमान।

विवरण-II

सिंचाई राजसहायता (आरोपित) का राज्यवार प्राक्कलन

क्र.सं.	राज्य/ सं.शा. क्षेत्र	1996–97 (वास्तविक)	1997–98 (वास्तविक)	1998–99 (सं.प्रा.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	87782	104439	113883
2.	अरुणाचल प्रदेश	423	697	365
3.	असम	2027	2024	4732
4.	बिहार	18063	15069	31532
5.	गोवा	828	971	1350
6.	गुजरात	82471	92443	51237
7.	हरियाणा	20021	23390	42283
8.	हिमाचल प्रदेश	3026	3517	3786
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6309	6024	8496
10.	कर्नाटक	46317	53009	51770
11.	केरल	6817	6652	10363
12.	मध्य प्रदेश	16254	20728	13037

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	125822	144367	95447
14.	मणिपुर	280	390	522
15.	मेघालय	430	639	767
16.	मिजोरम	152	143	187
17.	नागालैंड	361	527	632
18.	उड़ीसा	4724	7012	7905
19.	पंजाब	13020	15364	16280
20.	राजस्थान	37513	41034	54904
21.	सिक्किम	143	141	191
22.	तमिलनाडु	24000	29146	36758
23.	त्रिपुरा	1341	1387	1002
24.	उत्तर प्रदेश	107412	111514	123639
25.	पश्चिम बंगाल	23128	28392	42557
26.	पांडिचेरी	393	641	714
27.	दिल्ली	280	403	466
	कुल	629337	710063	714805
28.	केन्द्र	126	126	166
	कुल योग**	629463	710189	714971

सं.प्रा. : संशोधित प्राक्कलन

@ किसानों को आपूर्ति जल की दरें नीतिगत रूप से कम रखी जाती हैं, जिसमें सरकारी सिंचाई प्रणाली को हानि होती है। कुल राजस्व पर प्रचालन लागतों के आधिक्य को आरोपित सिंचाई राजसहायता माना जाता है।

++ राष्ट्रीय स्तर पर आरोपित सिंचाई राजसहायता में स्थिर पूंजी का उपयोग शामिल हैं – इसके अनुमान राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में निवेश

***734. श्री होलखोमांग हौकिप** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में राज्यवार विशेषकर मणिपुर में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में राज्यवार कुल कितनी धनराशि का निवेश किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कृषि में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) कृषि के राज्य का विषय होने के कारण, केन्द्र सरकार का राज्यों में कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्षतः कोई निवेश नहीं है। कृषि में निवेश अर्थात् सकल पूंजी निर्माण (जी सी एफ) सकल सावधि/पूंजी निर्माण (जी एफ सी एफ) और माल सूची में परिवर्तन का कुल योग है। माल सूची आंकड़ों में परिवर्तन, राज्य और केन्द्र द्वारा, अलग से उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996–97 से 1998–99 तक मणिपुर सहित संबंधित राज्यों द्वारा तैयार जी सी एफ अनुमानों से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ग) कृषि में क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करने के लिए नौवीं योजना में इन कृषि पारिस्थितिकी मंडलों पर आधारित क्षेत्रीय वैविधक्य कार्यनीतियां तैयार की गई हैं (क) उच्च उत्पादकता मंडल (उत्तर पश्चिम तथा तटवर्ती क्षेत्र)। (ख) निम्न उत्पादकता क्षेत्र (केन्द्रीय पठारी क्षेत्र), और (ग) हिमालयी तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र।

विवरण

कृषि (सिंचाई) में सकल पूंजी निर्माण का अनुमान
(वर्तमान मूल्यों पर)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र	1996–97	1997–98	1998–99 (सं.अ.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	54348	60638	71362
2.	अरुणाचल प्रदेश	1609	1454	1032
3.	असम	7494	10983	9921
4.	बिहार	22603	6053	31131
5.	गोवा	3085	2638	3479
6.	गुजरात	30893	34682	48201
7.	हरियाणा	14981	24064	23162
8.	हिमाचल प्रदेश	2780	3771	2584
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1481	361	8670

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	74472	60056	62916
11.	केरल	17260	18263	4848
12.	मध्य प्रदेश	40309	46815	38333
13.	महाराष्ट्र	102939	83870	59849
14.	मणिपुर	4121	3744	5785
15.	मेघालय	649	647	1482
16.	मिजोरम	390	90	353
17.	नागालैंड	502	562	236
18.	उड़ीसा	38917	56337	65532
19.	पंजाब	39917	50213	8931
20.	राजस्थान	36190	47484	50932
21.	सिक्किम	114	138	44
22.	तमिलनाडु	3414	7609	22232
23.	त्रिपुरा	896	929	1323
24.	उत्तर प्रदेश	51172	51467	67452
25.	पश्चिम बंगाल	16503	11109	28034
26.	दिल्ली	46	84	117
27.	पांडिचेरी	159	79	82
28.	कुल राज्य	567244	584140	618023
29.	केन्द्र	345	308	207
30.	स्थानीय निकाय	13200	15500	18500
31.	गै.वि.वा.उ.	54900	55500	56000
32.	स्टाफ में परिवर्तन (संयुक्त)	23500	4800	–26200
	सकल योग	659189	660248	666530

सं.अ. : संशोधित अनुमान।

गै.वि.वा.उ. : गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम।

कृषि आदानों हेतु पैकेज

*735. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु किसी पैकेज समझौते को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के चावल उत्पादक उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है जहां मिट्टी तो उपजाऊ है परन्तु उत्पादकता क्षमता से कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसे क्षेत्र जहां मिट्टी उपजाऊ है, लेकिन चावल की उत्पादकता प्रत्याशा से कम है, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में हैं, जिनमें, असम, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोवा के पश्चिमी घाट तथा केरल और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं।

(ङ) चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित मोटे अनाज विकास कार्यक्रम नामक चल रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी सहित मुख्य चावल उत्पादक राज्यों में चावल की उत्पादकता और उत्पादन में बेहतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत उच्च उत्पादकता वाली किस्मों/संकर बीजों, फार्म उपकरणों, पावर टिलरों तथा छिड़काव सिंचाई प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण आदानों के लिए प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए भी सहायता दी जा रही है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन हेतु अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय बीज बैंक

*736. **श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न किस्मों के बीजों के उपयोग के बारे में किसानों को सलाह देने और उन बीजों को सस्ती दर पर उन्हें बेचने के लिए एक राष्ट्रीय बीज बैंक तथा परामर्शदात्री सेवा का सृजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

47 प्रश्नों के

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग विभिन्न कारणों जैसे, प्राकृतिक आपदा, उत्पादन में कमी, इत्यादि के कारण अचानक उत्पन्न बीजों की मांग की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम एवं कुछ राज्य बीज निगमों के माध्यम से बीज बैंकों की स्थापना और देखरेख पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। विभिन्न फसलों के आधारी और प्रमाणित बीजों के बीज बैंक की देखरेख प्रतिभागी अभिकरणों द्वारा की जा रही है तथा बीजों को बीज बैंक में रखने पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बीज संग्रह केन्द्रों के निर्माण, डाटा बैंक की देखरेख एवं गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न अभिकरणों को भी सहायता दी जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल नीति

***737. श्री किरीट सोमैया :**

श्री रघुनाथ झा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998 में राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जल नीति के संशोधित मसौदे को स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संशोधित नीति को जल संसाधन परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखा जाना था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार नई राष्ट्रीय जल नीति का शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वयन करने का है; और

(च) यदि हां, तो उक्त नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (डॉ. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (च) राष्ट्रीय जल बोर्ड की दिनांक 29.10.1998 को आयोजित दसवीं बैठक में मौजूदा राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा की गई और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् (एनडब्लयूआरसी) द्वारा विचार करने और स्वीकार करने के लिए एक अद्यतन और संशोधित राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार किया गया। इस नीतिगत मसौदे को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की 4 अप्रैल 2000 को होने वाली चौथी बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गया था। यह बैठक स्थगित कर दी गई। नई राष्ट्रीय जल नीति का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा इसे स्वीकार करने पर निर्भर करता है।

मौजूदा नीति में शामिल करने के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण क्षेत्रों/पहलुओं में अन्य बातो के साथ–साथ विशेषकर जल के विभिन्न उपयोगों के लिए जल का अन्तर–क्षेत्रीय आबंटन, अन्तर्राज्यीय नदी–जल विवाद, राज्यों के बीच जल का बंटवारा, संसाधनों की आयोजना और प्रबंधन में बहु–क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य और सहभागी दृष्टिकोण, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा जल संसाधन प्रबंधन में जल की मात्रा, गुणवत्ता और पर्यावरणीय पहलुओं का एकीकरण, परियोजना प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास, अनिवार्य प्रचालन और अनुरक्षण, वित्त पोषण तथा राजस्व एकत्र करने संबंधी नीतियां और जल संसाधन क्षेत्र के अंतर्गत कानून, संस्थाओं, प्रोत्साहन/दण्ड पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी इत्यादि से संबंधित सुधार शामिल करना है।

[अनुवाद]

भारत नेपाल वार्ता

***738. श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल ने नेपाल से निकलने वाली नदियों पर बांधों के निर्माण के मुद्दों पर प्रगति हेतु वार्ता करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नदियों के कारण गंगा के उत्तरी मैदानों, विशेषकर उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बाढ आती है;

(ग) यदि हां, तो समस्या के समाधान हेतु नेपाल किस सीमा तक सहमत हुआ है;

(घ) क्या भारत ने कोई ठोस प्रस्ताव पेश किये थे; और

(ङ) यदि हां, तो नेपाल ने इन्हें किस सीमा तक स्वीकार किया है?

जल संसाधन मंत्री (डॉ. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (ङ) जी, हां। जल संसाधन के क्षेत्र में भारत–नेपाल सहयोग के तहत सिंचाई, जल विद्युत के मामले में दोनों देशों को लाभ पहुंचाने के लिए गंगा के उत्तरी मैदानों विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी बिहार में बाढ़ से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए नेपाल के क्षेत्र में सारदा, कोसी, कमला तथा बागमती पर बांधों का निर्माण करने की आवश्यकता के बारे में भारत सरकार तथा नेपाल की महामहिम सरकार के बीच कई स्तरों पर वार्ता हो चुकी है।

नेपाल भारत–नेपाल सीमा के पास पंचेश्वर में महाकाली (भारत में सारदा) नदी पर बांध के निर्माण के लिए सहमत हो गया है जिसके लिए दोनों देशों के बीच दिनांक 12.2.1996 को "सारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास संबंधी संधि पर" हस्ताक्षर किए गए और यह संधि दिनांक 5.6.1997 से संशोधन संबंधी कागजातों के आदान–प्रदान के साथ ही लागू हो गयी है। भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तरी बिहार में बाढ़ और आप्लावन संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए नेपाल भू–भाग में लालबकिया, कमला, बागमती और खाण्डो नदियों पर मौजूदा तटबंधों के विस्तार तथा उनको ऊंचे स्थानों पर जोड़ने के भी प्रस्ताव हैं। तब से नेपाल ने लालबकिया नदी संबंधी अपेक्षित कार्य प्रारंभ कर दिए हैं।

भारत–नेपाल तकनीकी स्तर की विभिन्न बैठकों में भारत सरकार ने पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना और सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना संबंधी संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता पर नेपाल सरकार पर दबाव डाला है। नेपाल सरकार के साथ मार्च, 1999 और अगस्त, 1999 में हुई बैठकों में नेपाल सरकार पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना के वास्ते संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर सहमत हो गयी है और इसके परिणामस्वरूप पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से एक संयुक्त परियोजना कार्यालय–पंचेश्वर अन्वेषण (जेपीओ पी–1) काठमांडू में 10.12.1999 से खोला गया है। इसके बाद, भारत नेपाल तकनीकी स्तर की फरवरी, 2000 में हुई पिछली बैठक में संयुक्त परियोजना कार्यालय–पी–1 की कार्यप्रणाली और अन्वेषण की कार्रवाई योजना के लिए तौर–तरीकों पर विचार–विमर्श किया गया और उसे अंतिम रूप दिया गया। नेपाल के विदेश मंत्री और भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री के बीच 8 मई, 2000 को नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान नेपाल ने जल संसाधन विकास के क्षेत्र में संयुक्त परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है।

बासमती चावल की किस्में

***739. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**

श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयातकों के दबाव में बासमती चावल को परम्परागत और तैयार की गई नई किस्मों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में चावल अनुसंधान संस्थान (आर. आर. आई.) से परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार से उसके इस कदम के विरुद्ध आर. आर. आई. द्वारा कोई विरोध प्रकट किया गया है क्योंकि इससे उत्पादकों के हितों को हानि पहुंचने की संभावना है; और

(च) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (च) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश के वाणिज्यिक हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का "बासमती के लिए व्यापक गुणवत्ता मानीटरन प्रणाली" आरम्भ करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित प्रणाली में अन्य बातों के अलावा शामिल हैं।

(क) बासमती चावल का उचित वर्गीकरण एवं उत्पाद की गुणवत्ता स्थापित करने के लिए मानकों को निर्दिष्ट करना; एवं

(ख) खेत से उपभोक्ता तक आडिट प्रक्रिया के विश्लेषण एवं सृजन द्वारा निर्यातकों की घोषणा के अनुसार बासमती की मौलिकता स्थापित रखने के लिए गुणवत्ता आश्वासन।

इस वर्गीकरण में, उत्पाद जनन अभिलक्षण के आधार पर बासमती चावल को अन्यों के अतिरिक्त 'पारम्परिक भारतीय' एवं 'विकसित भारतीय' बासमती चावल किस्मों में वर्गीकृत किया गया है।

विभिन्न चावल शोध संस्थानों के साथ विचार विमर्श से व्यापक गुणवत्ता मानीटरन प्रणाली का मसौदा तैयार किया गया है। प्रारंभ में चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद (आई. सी. ए. आर.) का विचार था कि पारम्परिक और विकसित बासमती चावल दोनों के ही लक्षण समान हैं, अतः इन्हें अलग से वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् विचार विमर्श के दौरान यह बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम में स्थापित डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग विधि में, उस देश में आयातित बासमती चावल की पारम्परिक और विकसित किस्मों के बीच भेद करने की क्षमता है। बासमती की पारम्परिक किस्म का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मूल्य है। इसलिए, सरकार और चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद सहित शोध संस्थानों के बीच 'बासमती के लिए व्यापक गुणवत्ता मानीटरन प्रणाली' में बासमती चावल की पारम्परिक और विकसित किस्मों के लिए अलग श्रेणीकरण के संबंध में सहमति बन गई। प्रस्तावित वर्गीकरण से देश को निर्यात द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा मिलेगी तथा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से मौलिक उत्पाद मिल सकेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

*740. **श्री रामशकल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करके ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खाद्यान्नों, दलहनों, फलों, फूलों, सब्जियों, तिलहनों आदि जैसे कृषि उत्पादों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े औद्योगिक घरानों के प्रवेश पर रोक लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता लेकिन विभाग अपनी योजना स्कीमों के तहत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, मानव संसाधन विकास संगठनों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों आदि को आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है जिससे अन्यों के साथ–साथ ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास राज्य सरकारों द्वारा अपनी–अपनी नीतियों और योजनाओं के अनुसार किया जाता है और भारत सरकार राज्यों की विनिर्दिष्ट नोडल एजेंसियों की मार्फत इस बारे में तकनीकी और वित्तीय सहायता तथा दिशा–निर्देश देती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग के दायरे से मुक्त करना, बैंक ऋण प्राप्त करने के मामले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिक क्षेत्र की सूची में शामिल करना तथा कुछ शर्तों के अध्यधीन प्रसंस्कृत खाद्य मदों की इनमें अल्कोहल और बीयर तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदें शामिल नहीं हैं, के लिए शत प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के वास्ते स्वतः अनुमोदन शामिल है।

(घ) और (ङ) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का उत्पादन करने के लिए आमतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा बड़े औद्योगिक घरानों को औद्योगिक यूनिटें स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती। लघु क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं।

1. अचार और चटनी
2. सिरका
3. डबलरोटी
4. चाकलेट, च्यूंग गम और टाफी को छोड़कर मिष्टान्न
5. साल्वेंट एक्सट्रेक्ट को छोड़कर रेपसीड आयल
6. साल्वेंट एक्सट्रेक्ट को छोड़कर सरसों का तेल
7. साल्वेंट एक्सट्रेक्ट को छोड़कर तिल का तेल
8. साल्वेंट एक्सट्रेक्ट को छोड़कर मूंगफली का तेल
9. काजू से बनी मीठी वस्तुएं
10. साबुत और प्रसंस्कृत मसाले
11. टेपिओका सागो
12. टेपिओका आटा।

आन्ध्र प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता

7873. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 3 दिसंबर 1999 को प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने उनसे प्राथमिकता के आधार पर राज्य को 500 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि देने के लिए अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को 37 मांगों की एक सूची दी थी;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं; और

(घ) प्रधान मंत्री द्वारा अब तक कितनी मांगे मानी गई हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 3 दिसंबर 1999 को प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें एक पुस्तिका दी थी जिसमें 31 मुद्दे दिए गए थे। प्रधानमंत्री को दी गई पुस्तिका में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से संबोधित वित्तीय और गैर–वित्तीय मुद्दे शामिल हैं। 500 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि संबंधी मांग पुस्तिका में नहीं दी गई थी। तथापि, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को संबोधित दिनांक 3.12.1999 के पत्र में अतिरिक्त बाजार उधार (एएमबी) और 500 करोड़ रुपये के विशेष अर्थोपाय अग्रिम का अनुरोध किया था।

आंध्र प्रदेश सहित 13 राज्यों ने अपने राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों के साथ भारत सरकार से सम्पर्क किया था, और राजकोषीय स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक विश्वसनीय और मानीटर करने योग्य कार्यक्रम तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। राजकोषीय सुधारों से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम और अतिरिक्त बाजार उधार (एएमबी) के रूप में सहायता दी गयी थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 1999–2000 के दौरान 500 करोड़ एएमबी के रूप में उपलब्ध कराए गए और विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के रूप में 200 करोड़ रुपये उनके राजकोषीय सुधार से जुडी मध्यम अवधि सहायता के रूप में जारी किए गए।

चिकित्सा अरोग्यता प्रमाण पत्र के बिना पदोन्नति

7874. श्री अनादि साहू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सक्षम प्राधिकारी से एफ आर–10 के आधार पर चिकित्सा अरोग्यता प्रमाण पत्र लिए बिना किसी भी कर्मचारी की न तो सेवाएं नियमित की जा सकती हैं और न ही उसे पदोन्नति दी जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो किन नियमों के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है और ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ एफ आर–10 के अनुसार क्या कार्रवाई की जा सकती है;

(ग) कोई भी कर्मचारी कितने–कितने वर्षों तक चिकित्सा अरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है और उसे सरकारी विभागों/निगमों द्वारा कब तक माना जाता है; और

(घ) 15 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों के मामले में इन नियमों को लागू किया जाएगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) मूल नियम 10 में यह निर्धारित किया गया है कि "इस नियम में किए गए प्रावधान के सिवाय, भारत में, सरकारी सेवा में, किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति को स्वस्थता के बारे में डाक्टरी प्रमाण–पत्र के बिना नियुक्त नहीं किया जाए। केन्द्रीय सरकार, स्वस्थता के बारे में डाक्टरी प्रमाण–पत्र तैयार किए जाने हेतु फॉर्म निर्धारित करने तथा इस फॉर्म पर चिकित्सा अधिकारी विशेष अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बारे में नियम बना सकती है। सरकार किसी व्यक्ति विशेष के मामले में, उपर्युक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने से छूट दे सकती है और सामान्य आदेश द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को इस नियम का निर्वाह किए जाने से छूट दे सकती है।

विभागीय पदोन्नति–समितियों द्वारा अपनाई जाने हेतु अपेक्षित प्रक्रिया के बारे में भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों में किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति किए जाने के बारे में उसकी पात्रता पर विचार करते समय, डॉक्टरी स्वस्थता प्रमाण–पत्र का प्रस्तुत किया जाना निर्धारित नहीं किया गया है। फिर भी, यदि संगत भर्ती/सेवा–नियमों में ऐसा किए जाने की कोई व्यवस्था हो तो, सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों की अपेक्षा ऐसी व्यवस्था ही प्रभावी होगी।

[हिन्दी]

विमानों का दुरुपयोग

7875. श्री रामदास आठवले : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के विमानों का दुरुपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 1999 की रिपोर्ट संख्या–6, संघ सरकार

(वाणिज्यिक) (स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड) संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई है। इस रिपोर्ट में सेल के विमानों के उपयोग से संबंधित अध्याय भी है। इस अध्याय में अन्य बातों के साथ–साथ अधिकारियों द्वारा विमानों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

झूम खेती

7876. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछेक राज्यों में झूम खेती को रोकने के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा और उपलब्धि क्या है;

(ग) देश में विभिन्न भागों में इस समय झूम खेती में लगे हुए आदिवासी परिवारों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या झूम खेती पर नियंत्रण करने के लिए पूर्व में कुछ राज्यों में पायलट योजना शुरू की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. वी. पी. वी. के. सत्यनारायण राव) : (क) जी हां। राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना को 1994–95 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1992–2000 तक प्राप्त वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां निम्नवत हैं :

	राज्य का नाम	भौतिक (क्षे. हैक्टे. में)	वित्तीय (लाख रुपये में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	10824	661
2.	असम	7319	480
3.	मणिपुर	38842	1880
4.	मेघालय	15328	761
5.	मिजोरम	40361	1936
6.	नागालैंड	36600	2200
7.	त्रिपुरा	7506	664

(ग) देश में झूम खेती में संलग्न परिवारों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत् है :

1.	आंध्र प्रदेश	23200
2.	अरुणाचल प्रदेश	54000
3.	असम	58000
4.	मणिपुर	70000
5.	मेघालय	52290
6.	मिजोरम	50000
7.	नागालैंड	116046
8.	उड़ीसा	141000
9.	त्रिपुरा	43000

(घ) और (ङ) जी हां। झूम खेती को नियंत्रित करने के लिये 5वीं पंचवर्षीय योजना (1976–79) में एक अग्रणी परियोजना शुरू की गई थी जिसमें सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा को कवर किया गया था। इस योजना को दो साल तक जारी रखा गया और तत्पश्चात् इसे राज्य क्षेत्र में अंतरित कर दिया गया। फिर भी इस योजना को 1982–83 तक दो संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में जारी रखा गया। इस योजना में 129.11 लाख रुपये के खर्च से 3400 है. क्षेत्र का विकास किया गया है जिससे 1700 झमियां परिवारों को लाभ पहुंचा है।

पश्चिम बंगाल को बाढ़ राहत

7877. श्री एस. वी. मुखर्जी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष में बाढ़ राहत हेतु दिए गए 66 करोड़ रुपये की राशि के बारे में कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया है;

(ख) क्या स्थिति का पता लगाने के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) किन–किन राज्यों ने प्राकृतिक आपदाओं हेतु प्राप्त राहत राशि के उपयोग के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक नहीं भेजे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. वी. पी. वी. के. सत्यनारायण राव) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1998–99

के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (रा. आ. रा. को.) से राज्य को निर्मुक्त 66.33 करोड़ रुपये की पूर्ण धनराशि, जो राज्य में बाढ़ पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए राज्य द्वारा अपने विभिन्न विभागों को आबंटित की गई थी, के उपयोग की सूचना दी है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र सामान्यतः नियमित रूप से नहीं भेजे जाते।

विकलांग व्यक्ति

7878. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुष्ठ रोग से मुक्त हुए उन व्यक्तियों, लेकिन जो अब विकलांग हो गए हैं, को आरक्षण संबंधी लाभ देने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार काफी लम्बे अरसे से दृष्टि दोष, विकलांग, बधिरों और मूक और विकलांग व्यक्तियों तथा लम्बे अरसे से ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब से सांस ले रहे पैपीलोमा के रोगियों को इन सुविधाओं का लाभ देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन मामलों में अनुकरण किए गए दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित श्रमिक

7879. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित श्रमिकों और उनकी समस्याओं को डील करने वाले अपने संबंधित कार्यालयों को सुचारु रूप से चलाने का है;

(ख) क्या बीड़ी कर्मकारों से संबंधित कुछ समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सावधानीपूर्वक निपटान करने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो दी गई प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बीड़ी निरोधक प्रतिबंधों को कड़ाई से अमल में लाने की संभाव्यता की बीड़ी संघों ने विरोध किया है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) असंगठित श्रम से संबंधित विषय वस्तु के लिए श्रम मंत्रालय में एक पृथक प्रभाग है। विशिष्ट समस्याओं के निराकरण के लिए बीड़ी निर्माण, सिने उद्योग, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान, लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान व क्रोम अयस्क खान तथा माइका खान क्षेत्रों में नियोजित कामगारों के लिए कल्याण निधियां बनायी गयी हैं। कल्याण निधियों के उचित और सुचारु प्रशासन के लिए देश के 9 कल्याण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। श्रम कल्याण निधियों के कार्यचालन की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक हो उपयुक्त अनुदेश दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान में बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और अनुसंधान संबंधी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

(घ) से (च) बीड़ी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने समय–समय पर सरकार के विचाराधीन कतिपय प्रस्तावों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। इन मुद्दों को उक्त प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई आरंभ करने से पहले विचार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के ध्यान में लाया गया है।

केरल में कर्मचारी भविष्य निधि

7880. श्री टी. गोविन्दन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल में कर्मचारी भविष्य निधि के अनेक कार्यालयों विशेष रूप से कन्नूर स्थित कार्यालय में कर्मचारियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त कार्यालयों में समुचित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) केरल में कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों में कन्नूर में 14 रिक्त पदों सहित 23 पद हैं।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

इस्को की वात भट्टी

7881. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्को, बर्नपुर की वात भट्टी क्षतिग्रस्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भट्टी को पुनः बनाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) दो प्रचालनरत धमन भट्टियों अर्थात् धमन भट्टी संख्या 3 और 4 में से धमन भट्टी संख्या–4 की हर्थ दिसम्बर, 98 में और संख्या–3 की मार्च और अप्रैल, 2000 में टूट गई।

(ख) हर्थ के टूट जाने के सही कारण का पता नहीं लग सका। फिर भी किसी एक अथवा कई कारणों के संयोजन, जैसे धमन तुण्डों का अत्यधिक जलना, हर्थ की दीवारों को रिफ्रैक्ट्रीज का अत्यधिक घिस जाना, रिफ्रैक्ट्रीज का अपर्याप्त रूप से ठंडा होना आदि से हो सकता है।

(ग) से (ङ) 2001–02 और 2002–03 के दौरान बी. एफ. संख्या 4 और 3 की रिलाइनिंग की योजना बनायी गई है।

[हिन्दी]

अल्बानिया द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील

7882. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्बानिया सरकार ने यूगोस्लाव सेना द्वारा कोसोवो से भगाए जा रहे अल्बानिया मूल के लोगों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अप्रैल की है;

(ख) क्या अल्बानिया ने किसी समुदाय विशेष के लोगों की बड़ी संख्या में मारे जाने से रोकने के लिए बेलग्रेड पर दबाव डालने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) कोसोवो में स्थिति के संबंध में जून, 1999 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संकल्प 1244 पारित होने के बाद अल्बानिया गणराज्य की सरकार ने कोसोवो, यूगोस्लाविया संघीय गणराज्य में रह रहे अलबानियाई मूल के लोगों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से कोई अपील नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पृथक कृषि विज्ञान चैनल

7883. श्री साहिब सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए विविध अनुसंधानों का प्रचार–प्रसार करने के लिए देश में एक पूर्णकालिक कृषि विज्ञान चैनल शुरू करने का है;

(ख) ऐसे कृषि विश्वविद्यालयों (राष्ट्रीय और अन्यथा) की संख्या कितनी है जो रेशम–पालन, बागवानी क्षेत्रों इत्यादि सहित कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में शोध–कार्य कर रहे हैं तथा उनके नाम क्या हैं और ये विश्वविद्यालय किन–किन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं;

(ग) इन अनुसंधानों से कितने कृषक लाभान्वित होंगे; और

(घ) प्रस्तावित नए चैनल से अनुसंधान के प्रचार–प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) इस समय देश में पूर्णकालिक कृषि विज्ञान चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आजकल दूरदर्शन सप्ताह में पांच दिन आधा घंटे के लिए 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है जिसमें तीन दिन 'गांव की महिलाओं के लिए', 'मिट्टी की महक' और 'धरती का आंचल' संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं।

(ख) इस समय चार मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालयों और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित 34 कृषि विश्वविद्यालय हैं। विश्व–विद्यालयों के नाम और उनके अनुसंधान के क्षेत्रों का उल्लेख संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अनुसंधान का लाभ सभी वर्गों के किसानों को मिलता है।

(घ) जन माध्यम के रूप में मौजूदा दूरदर्शन कार्यक्रम जागरूकता पैदा करते हैं, जानकारी उपलब्ध कराते हैं और कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में राय बनाने हेतु सहायता करते हैं।

विवरण

कृषि विश्वविद्यालयों के नाम और उनके अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र

विश्वविद्यालय का नाम	अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र
1	2
1. आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) –500030	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान मात्स्यिकी, डेरी प्रौद्योगिकी
2. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके रांची (बिहार) – 834006	कृषि, बागवानी, वानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान
3. चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा) – 125004	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी
4. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कुषिनगर बनासकांठा (गुजरात) – 385506	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी वानिकी, मात्स्यिकी
5. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) – 176062	कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान
6. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश) – 482004	कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, वानिकी, आहार विज्ञान
7. केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानिकारा, त्रिशूर (केरल) – 680654	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, वानिकी, मात्स्यिकी, डेरी प्रौद्योगिकी
8. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी (महाराष्ट्र) – 431722	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, आहार विज्ञान
9. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा) – 751003	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, वानिकी, मात्स्यिकी
10. डा. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, कृषिनगर, अकोला (महाराष्ट्र) – 444104	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, वानिकी, डेरी प्रौद्योगिकी
11. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (असम) – 785013	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान, मात्स्यिकी
12. बिधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, डाकघर कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर, नाडिया (पश्चिम बंगाल) – 741252	कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, बागवानी
13. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश) – 208002	कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान
14. गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय पंतनगर (उत्तर प्रदेश) – 263145.	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, वानिकी, मात्स्यिकी, आहारा विज्ञान, कृषि व्यवसाय प्रबंध, गृह विज्ञान

1	2
15. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषिनगर रायपुर (मध्य प्रदेश) – 492012	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी डेरी प्रौद्योगिकी
16. कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली (महाराष्ट्र) – 415712	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, वानिकी, मात्स्यिकी
17. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी (महाराष्ट्र) – 431402	कृषि बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी
18. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) – 224001	कृषि, बागवानी, गृह विज्ञान
19. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब) – 141004	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, वानिकी, आहार विज्ञान, गृह विज्ञान
20. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान) – 334002	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, गृह विज्ञान डेरी विज्ञान
21. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर (बिहार) – 848125	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, मात्स्यिकी, गृह विज्ञान, डेरी प्रौद्योगिकी
22. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) – 641003	कृषि एवं पर्यावरण, रेशम पालन, कृषि विपणन, बागवानी, कृषि अभियांत्रिकी, वानिकी, गृह विज्ञान
23. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, पोस्ट बैग सं. 2477 बंगलौर (कर्नाटक) – 560065	कृषि, रेशम पालन, डेरी विज्ञान, बागवानी, कृषि अभियांत्रिकी, वानिकी, मात्स्यिकी
24. पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बेलगछिया, कलकत्ता – 700037 (पश्चिम बंगाल)	पशु चिकित्सा विज्ञान, डेयरी प्रौद्योगिकी, मात्स्यिकी
25. शेर–ए–कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शालीमार कैम्पस, पो. बा. 262, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) – 190001	कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान
26. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मद्रास (तमिलनाडु) – 600007	पशु चिकित्सा विज्ञान, मात्स्यिकी
27. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक) – 580005	कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, गृह विज्ञान, वानिकी
28. डा. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (हिमाचल प्रदेश) – 173230	बागवानी, वानिकी, मात्स्यिकी
29. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)	कृषि, डेरी विज्ञान

1	2
मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालय	
30. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली— 110012	कृषि, बागवानी, कृषि अभियांत्रिकी और सम्बद्ध विज्ञान
31. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा) – 132001	पशु चिकित्सा विज्ञान, डेरी विज्ञान
32. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर— 243122	पशु चिकित्सा विज्ञान
33. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, जय प्रकाश मार्ग, सातवां बंगला वरसोवा, मुम्बई–400058 (महाराष्ट्र)	मात्स्यिकी
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	
34. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (मणिपुर) –795001	कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, मात्स्यिकी

[हिन्दी]

कराची में मिशन की स्थापना

7884. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 से अब तक भारत और पाकिस्तान ने अपने राजनयिक कर्मियों को कितनी बार वापिस बुलाया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) कराची में पुनः मिशन स्थापित करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) सरकार ने 1990 के बाद पाकिस्तान से उनके अधिकारिक दर्जे के असंगत गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के लिए भारत स्थित उसके मिशन से 35 कर्मचारियों को वापस बुलाने के लिए कहा है इसी अवधि के दौरान पाकिस्तान ने मिथ्या एवं आधारहीन आरोप पर पाकिस्तान स्थित भारतीय मिशन के 33 अधिकारियों को वापस बुलाने के लिए कहा।

(ख) भारत का कराची स्थित प्रधान कॉंसलावास पाकिस्तान की सरकार की मांग पर 1995 से बंद है।

[अनुवाद]

अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के लिए रोजगार

7885. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनके मंत्रालय के अधीन उनके मंत्रालय विभागों/स्वायत्त निकायों और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध करायी गयी नौकरियों की वर्ष–वार और श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ख) उक्त कार्यालयों में से प्रत्येक में 31 मार्च, 2000 तक की स्थिति के अनुसार अनु.जा./अनु.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए रिक्त पदों की संख्या क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा उठाए गए या उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) योजना आयोग

(इसके स्वायत्त निकायों और अधीनस्थ कार्यालयों सहित) के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

वर्ष	कर्मचारियों की श्रेणी			जोड़
	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1997	34	21	48	103
1998	06	05	17	028
1999	06	07	12	025

(ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

अनु. जा.	–	09
अनु. ज. जा.	–	08
अन्य पिछड़ा वर्ग	–	29
जोड़	–	46

(ग) उपर्युक्त (ख) में से 29 पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा से संबंधित हैं जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से भरे जाते हैं जिनके लिए मांग भेजी जा चुकी है। तीन पद प्रस्तावित अधीनस्थ आर्थिक सेवा में शामिल किए जाने हैं जिसके लिए फिलहाल कार्रवाई लंबित हैं। शेष 14 पिछली रिक्तियों पर भर्ती की प्रक्रिया भी योजना आयोग के साथ–साथ इसके नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय, जनसाधन अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) द्वारा शुरू की जा चुकी है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को बढ़ावा देना

7896. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राजस्थान में लघु उद्योगों, कृषि और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) सरकार द्वारा राजस्थान में इन उद्योगों पर अनुदान अथवा ऋण के रूप में अलग–अलग कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) चालू बजट में लघु उद्योगों, कृषि और ग्रामीण उद्योगों को कितनी राशि दी गई हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान में कृषि, ग्रामीण उद्योगों और लघु उद्योगों की जो विभिन्न लाभ/रियायतें और ऋण पाने के लिए पात्र हैं, कोई सूची तैयार हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) कुल कितने लाभार्थी और ऋण लेने वाले व्यक्ति हैं;

(छ) प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत ऋण स्वरूप कुल कितनी राशि दी गई है;

(ज) सरकार के पास इस संबंध में अब तक ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं; और

(झ) इन आवेदन पत्रों का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) देश में लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन के लिए लघु उद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, खादी और ग्रामोफोन आयोग आदि के द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं के द्वारा अलावा, भारत सरकार ने देश में लघु, अतिलघु और ग्रामोद्योग के संवर्धन और संपूर्ण विकास के लिए मिशन फार मिलेनियम के रूप में एक कार्य योजना बनाई है। मिशन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं – आधारभूत सुविधाओं का नवीकरण, क्रेडिट और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का सुधार, विपणन का संवर्धन और औद्योगिक रुग्णता को घटाना आदि। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन करने के प्रयासों में सहायता उपलब्ध कराती है और बनायी गयी योजनाएं एवं कार्यक्रम सारे देश में एक समान रूप से लागू हैं। राजस्थान राज्य में, एक लघु उद्योग सेवा संस्थान, एक क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, जयपुर में है और एक हस्त औजार अभिकल्प एवं विकास प्रशिक्षण केन्द्र नागौर में है। लघु उद्योग सेवा संस्थान लघु उद्यमियों को उद्यमिता/प्रबंधन/दक्षता विकास प्रशिक्षण, परामर्श, प्रोजेक्ट प्रोफाइल विस्तार सेवाएं और सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिसमें माइक्रो उद्यम स्थापित करना भी शामिल है। एकीकृत आधारित संरचना विकास योजना का उद्देश्य लघु/अति लघु इकाइयां स्थापित करने के लिए आवश्यक भौतिक आधारिक संरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत जोधपुर, उदयपुर, टोंक और नागौर जिलों में 4 केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं और रुपये 4.97 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग आयोग स्वदेशी और

आयातित मशीनें आसान भाड़ा खरीद की शर्तों पर सप्लाई करता है, विपणन और निर्यात में सहायता करता है, मशीनों की प्रोटोटाइप विकसित करता है, और प्रशिक्षण देता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण मार्जिन मनी योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आयोजन करता है। संवर्धन करता है, आयोजन करता है और सहायता करता है।

(ख) और (ग) 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं सवंर्धन के लिए क्रमशः रुपये 735.10 करोड़, रुपये 708.30 करोड़ और रुपये 640.00 करोड़ (अनंतिम) खर्च किया। वर्तमान बजट (2000–2001) में लघु, कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए रुपये 1052.13 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। निधियां योजना/कार्यक्रमवार आबंटित की जाती हैं, राज्यवार नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (झ) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

7887. डॉ. बलिराम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए गैर–सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या उक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कार्य निष्पादन की कोई समीक्षा की गई है;

(ग) क्या ये संस्थान औद्योगिक प्रशिक्षण के नाम पर धनराशि का गलत उपयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस धन दुर्विनियोजन को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) वर्ष 1998–99 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लाक स्तर पर लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु 10 इण्टर कालेजों को 2.5 लाख रुपये की राशि एक मुश्त अनुदान के रूप में दी। इनमें से एक कालेज किसान इण्टर कालेज, आगरा ने अनुदान नहीं लिया।

(ख) बुनियादी ढांचे, स्टाफ, बिजली आपूर्ति के संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्थाई समिति द्वारा इन संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है।

(ग) किसी भी संस्थान द्वारा अनुदान का दुर्विनियोजन करने संबंधी कोई भी घटना देखने में नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार द्वारा सरकारी आवास का उपयोग

7888. श्री शीशराम सिंह रवि :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपदा निदेशालय ने केन्द्रीय भंडार को अपने शाखा स्टोर चलाने हेतु वर्ष, 1963 से कई सरकारी आवासीय क्वार्टर तथा कार्यालय भवन आबंटित किए हैं;

(ख) क्या गत 37 वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडार द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय द्वारा 90 के दशक के पूर्वार्द्ध में की गई पेशकश के बावजूद अपनी दुकानें/स्टोर खोलने हेतु अपनी संपत्तियां अर्जित करने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया;

(ग) क्या संपदा निदेशालय ने केन्द्रीय भंडार से सरकारी आवासीय फ्लैटों और भवन परिसरों को खाली करने और अपनी व्यवस्था स्वयं करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्र तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार केन्द्रीय भंडार के थोक और प्राथमिक भंडारों को नाममात्र के किराए पर आवासीय कालोनियों में उपयुक्त स्थान मुहैया करवाती आ रही है। केन्द्रीय भण्डार को स्थान आबंटित किए जाने के मामले पर संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पुनर्विचार किया गया और उक्त निदेशालय ने 1998 में केन्द्रीय भण्डार को विभिन्न आवासीय कालोनियों में एक रुपए प्रति माह के सांकेतिक (टोकन) किराए के भुगतान के आधार पर खाली दुकानें आबंटित करना तय किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवा

7889. श्री रामानंद सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के पांच वर्ष बाद भी नौकरी उपलब्ध नहीं कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में रोजगार कार्यालयों द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) भविष्य में बेरोजगार युवाओं को कितने वर्षों में नौकरी उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) चालू वर्ष में राज्यवार कितने व्यक्तियों को नौकरी उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) जी हां। यह उन व्यवसायों के लिए सत्य है कि जिनमें बड़ी संख्या में रोजगार चाहने वाले रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह अनिवार्य रूप से मांग एवं पूर्ति के बीच अंतर के कारण हैं।

(ग) रोजगार कार्यालयों के अनुदेशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र को रिक्तियां अधिसूचित करने के मामले में रोजगार कार्यालयों द्वारा उम्मीदवारों की वरीयता के अनुसार 1:20 के अनुपात में नाम भेजे जाने चाहिए। फिर भी राज्य निदेशक स्व–विवेकाधार पर स्थानीय परिस्थितियों की मांग के अनुसार अपना अनुपात बढ़ा सकते हैं।

(घ) और (ङ) रोजगार कार्यालय केवल उन्हीं अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध उम्मीदवारों को प्रायोजित करते हैं। रोजगार सृजित करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

विकलांग कल्याण

7890. श्री राजैया मल्याला : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विकलांग कल्याण हेतु वर्ष–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया;

(ग) यदि हां, तो योजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो धनराशि का पूर्ण उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं और इसका उपयोग करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) विकलांगता के क्षेत्र में वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान योजनावार बजट प्रावधान तथा किए गए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है। बचत के कारणों का ब्यौरा विवरण–II, III और IV में दिया गया है। निधियों का कम उपयोग करने संबंधी मौजूदा स्थिति में आवधिक मानीटरिंग करके तथा संबंधित एजेंसियों के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई करके तथा योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न आवश्यकताओं के अनुदानग्राही संगठनों को जानकारी देने के द्वारा सुधार किया जा रहा है।

विवरण-I

करोड़ रुपये में योजना

कार्यक्रम/योजनाएं	बजट अनुमान 97-98	संशोधित अनुमान 97-98	व्यय 97-98	बजट अनुमान 98-99	संशोधित अनुमान 98-99	व्यय 98-99	बजट अनुमान 99-2000	संशोधित अनुमान 99-2000	व्यय 99-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विकलांगता प्रभाग									
राष्ट्रीय दृष्टिवाजितार्थ संस्थान	2,00	1,40	0,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50
राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान	1,75	1,25	0,07	1,75	1,75	0,00	2,50	2,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान	1,90	1,25	1,25	1,90	1,90	0,95	2,90	0,80	0,00
राष्ट्रीय पुनर्वास अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	1,96	1,26	2,35	1,96	1,96	2,41	3,71	3,71	4,08
जन विकलांग संस्थान	0,60	0,10	0,10	0,60	0,60	0,60	1,50	1,50	1,50
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान	2,40	2,20	2,61	2,40	2,40	2,80	3,30	3,30	3,30
राष्ट्रीय बहुविकलांगता संस्थान	1,50	0,00	0,00	1,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
विकलांगों के लिए रोजगार	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,10	0,08
	0,18	0,18	0,14	0,18	0,18	0,18	1,41	1,41	0,53
	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,18	0,22
कुल	0,20	0,19	0,14	0,20	0,20	0,18	1,45	1,69	0,83
विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	22,00	18,29	17,61	25,00	25,00	23,30	0,00	0,00	0,00
विकलांगों के लिए सहायक यंत्र एवं उपकरण	15,00	8,00	8,94	25,00	22,00	23,99	30,00	30,00	28,41
मानव शक्ति विकास के लिए प्रमस्तिष्क संगघात और मानसिक मंदता व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1,00	0,50	0,34	9,00	7,00	6,05	0,00	0,00	0,00
मिशन मोड में प्रौद्योगिकी विकास	0,90	0,86	1,62	1,00	1,00	0,68	1,00	1,00	0,85
कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	3,00	2,85	2,85	3,00	3,00	3,00	6,35	6,35	6,35
राष्ट्रीय मानसिक मंदता और प्रमस्तिष्क संगघात न्यास	1,25	0,00	0,00	1,25	0,25	0,00	10,00	1,00	4,00
भारतीय पुनर्वास परिषद्	0,93	0,91	0,91	3,00	3,00	3,00	15,50	5,00	1,95
मेरुदण्ड क्षतिग्रस्त केन्द्र	2,00	1,90	1,96	3,00	3,00	3,30	7,00	5,15	5,43
कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1,50	1,00	0,92	2,00	2,00	1,97	0,00	0,00	0,00
विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल का विकास	2,50	1,25	1,33	10,00	5,00	4,52	0,00	0,00	0,00
विकलांगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम	0,05	0,00	0,00	15,00	2,21	0,00	5,00	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	28,00	13,30	13,30	28,00	28,00	28,00	20,00	10,00	10,00
विकलांग बच्चों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय	1,00	0,15	0,00	1,00	0,50	0,12	0,50	0,50	0,50
निशक्त व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं	15,00	0,00	0,00	2,98	0,48	0,00	3,50	3,50	3,50
मु. शीर्ष									
निशक्त व्यक्तियों के लिए स्वे. कार्य को									
बढ़ावा देने की योजना							62,29	62,29	53,96
कुल विकलांगता प्रभाग	106,44	56,66	56,30	141,54	113,75	106,87	179,50	146,29	134,15

(गैर योजना रुपये लाखों में)

	ब.अ. 97-98	सं.अ. 97-98	व्यय 97-98	ब.अ. 98-99	सं.अ. 98-99	व्यय 98-99	ब.अ. 99-2000	सं.अ. 99-2000	व्यय 99-2000
विकलांगता प्रभाग									
1. राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्था	192,00	236,10	236,10	265,00	265,00	291,00	265,00	300,00	300,00
2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्था	119,00	155,00	155,00	175,00	175,00	192,50	175,00	200,00	200,00
3. राष्ट्रीय श्रव्य विकलांग संस्था	229,00	287,50	287,50	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
4. राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था	180,00	237,23	229,23	258,00	258,00	258,50	258,00	280,00	280,00
5. विकलांग जन संस्थान नई दिल्ली	179.00	223,10	223,10	250,00	250,00	275,00	250,00	280,00	280,00
6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था	119,00	144,37	144,37	161,00	161,00	161,00	161,00	180,00	180,00
7. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वै. संगठनों को सहायता	170,00	161,00	18,87	170,00	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00
8. पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना	246,00	270,00	246,00	281,00	300,00	300,00	290,00	299,50	290,00
9. एलिम्को	41,00	39,00	38,95	41,00	311,00	241,00	192,00	192,00	192,00
10. भारतीय पुनर्वास परिषद्	36,00	50,00	50,00	56,00	56,00	81,00	66,00	63,00	66,00
11. इंडो विदेश सांस्कृतिक विनिमय	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00
12. संयुक्त राष्ट्र विकलांग दशक की निधि के लिए अंशदान	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00
13. द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत कर मुक्त माल की निकासी	378,00	359,70	475,09	400,00	490,00	490,62	370,00	771,00	770,00
कुल विकलांगता प्रभाग	1893,00	2166,00	2104,21	2381,00	2688,00	2611,12	2449,00	2896,50	2878,00

विवरण-II

योजना (1999–2000)

अभ्युक्ति

योजना सं.

3. राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान पिछले वर्ष व्यय न की गई राशि का उपयोग नहीं कर सका, इसलिए बचत हुई।

8. अभी संस्थान का गठन नहीं किया गया है और इसलिए बचत हुई।

10. बजट तैयार करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद लगभग 20.00 की लागत का एक भवन निर्माण का प्रस्ताव था। अंततः एस. एफ. सी. ने 390 लाख रुपये की कुल लागत वाला एक भवन निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसलिए बचत हुई।

11. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मामले में लिख पढ़ी के प्रयास के बावजूद सभी मायने में पूर्ण पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए बचत हुई।

12. इस निगम ने पूर्व निर्मुक्त निधियों का उपयोग नहीं कर सका। इसलिए कम जरूरत पड़ी।

13. आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और दिनांक 30.12.1999 को राष्ट्रपति जी द्वारा सहमति प्रदान की गई। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि सरकार 10,000 लाख रुपये का एक मुश्त कार्पस प्रदान करेगी। इसलिए 9,000 लाख रुपये की अतिरिक्त जरूरत हुई।

16. अभी मायने में पूर्ण पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए 15.00 लाख रुपये की बचत हुई।

विवरण-III

गैर–योजना (1999–2000)

अभ्युक्ति

योजना सं.

1, 2, 5, 6 इन संस्थानों के अनुरक्षण के लिए वांछित मदों के मूल्यों में सामान्य वृद्धि तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण अतिरिक्त जरूरत पड़ी।

8. पूर्व वर्षों के बकाया को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की जरूरत है।

10. उपकरणों अर्थात् डी आर सी के लिए कम्प्यूटरों की खरीद के लिए अतिरिक्त जरूरत है।

विवरण-IV

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत दस्तावेजों अर्थात् परीक्षित लेखे, पूर्व निर्मुक्त निधियों के बारे में उपयोगिता प्रमाणपत्र, कर्मचारियों की सूची, लाभार्थियों की सूची आदि के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है। इसके अतिरिक्त वर्ष की दूसरी किश्त राज्य सरकार सहित नामित एजेंसियों की सिफारिश के बाद निर्मुक्त की जाती है। अपूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति आवश्यक दस्तावेज/स्पष्टीकरण की विलम्ब से प्राप्ति तथा राज्य सरकार द्वारा सिफारिशों को अग्रेषित करने में विलम्ब, कम उपयोग होने का प्रायः कारण है।

सोयाबीन की खेती

7891. श्री कोलुर बसवनागौड़ : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सोयाबीन की कितने क्षेत्र में खेती होती है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक के सोयाबीन कृषकों को इसकी अच्छी पैदावार प्राप्त नहीं हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार सोयाबीन प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने और सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु कर्नाटक को सहायता देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के दौरान कर्नाटक में सोयाबीन की खेती के क्षेत्र का विवरण निम्नवत् है :

वर्ष	क्षेत्र (.000 हैक्टयेर)
1997–98	68.0
1998–99	54.0
1999–2000	61.0

(ख) और (ग) जी हां। कर्नाटक में सोयाबीन की उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में कम है। इसका मुख्य कारण इसकी खेती का हाल ही में शुरू किया जाना है। कर्नाटक की कृषि मौसमीय स्थिति को देखते हुए इसके सस्य विज्ञान में सुधार के लिए अभी कुछ समय लगेगा।

(घ) और (ङ) सोयाबीन सहित तिलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उक्त राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों जैसे गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, छिड़काव यंत्रों, उन्नत कृषि उपस्करों, जिप्सम/पाइराइटस, सूक्ष्म पोषक तत्वों, राइजोबियम कल्चर आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार हेतु किसानों के खेतों पर अग्रणी तथा सामान्य प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं। बहरहाल इस स्कीम के अंतर्गत सोयाबीन प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

ईसाइयों पर हमले

7892. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसाइयों पर हमलों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चार सदस्यीय दल ने आगरा, मथुरा और कोसीकलां का दौरा किया;

(ख) क्या आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष थे और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 26 अप्रैल 2000 को आगरा, मथुरा और कोसीकलां का दौरा किया था। ईसाई समुदाय के सदस्यों और प्रशासनिक प्राधिकारियों के सदस्यों से विचार–विमर्श के आधार पर, आयोग ने कहा है कि ये घटनाएं कानून और व्यवस्था समस्या से संबंधित हैं, साम्प्रदायिकता से नहीं।

रिपोर्ट की एक प्रति गृह मंत्रालय को समुचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई गयी है।

चमड़े की निर्यात

7893. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछेक विदेशी कम्पनियां हमारे चमड़ा उत्पादों के निर्यात को बंद करने के उद्देश्य से कथित रूप से झूठा प्रचार अभियान चला रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस झूठे प्रचार अभियान का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो कि इस विषय से संबंधित मामले में एक नोडल मंत्रालय है, से प्राप्त आदानों के आधार पर एक क्रमबद्ध उत्तर नीचे दिया गया है:

(क) और (ख) पी ई टी ए (पशुओं के नैतिक व्यवहार के लिए लोग) जो कि अमरीका आधारित एक पशु अधिकार संगठन है ने भारतीय चमड़े और चमड़ा उत्पादों के विरुद्ध अमरीका और पश्चिमी यूरोप में इस आधार पर अभियान छेड़ा है कि वहां चमड़ा प्राप्ति के लिए पशुओं को बूचड़खानों में ले जाते समय उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है।

(ग) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा चमड़ा निर्यात परिषद् जो निर्यात के लिए एक नोडल अभिकरण है, से पशुओं के विरुद्ध क्रूरता नियंत्रण अधिनियम, 1960 के अधीन निर्धारित नियमों का पालन करने में वाहकों और चर्मशोधकों को संवेदनशील बनाने के लिए नीति तैयार करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में एक त्रिस्तरीय नीति नामतः फिल्मों के माध्यम से तैयारी और प्रचार, विदेशी समाचार तंत्र में प्रैस विज्ञप्तियां और भारतीय मिशनों के जरिए विदेशों में अभियान छेड़ कर, तैयार की जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पशुओं के विरुद्ध क्रूरता नियंत्रण अधिनियम, 1960 के बेहतर क्रियान्वयन की सलाह देने का भी निर्णय लिया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

7894. डॉ. जसवंत सिंह यादव : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. ने खर्चों में सख्ती से कमी करने के उपाय अपनाने संबंधी केन्द्र सरकार के निर्देश का पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान इनसे क्या परिणाम सामने आये?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) सेल उत्पादन में सुधार, कोककर कोयले और अन्य कच्चे माल की खपत में कमी, विद्युत और ईंधन की खपत में कमी, भंडार और अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत की कमी, अन्य प्रौद्योगिक–आर्थिक प्राचलों में सुधार, आदि जैसे लागत नियंत्रण/लागत में कमी के उपायों के जरिए व्यय में कमी करने के संयुक्त और निरंतर प्रयास

कर रहा है। मितव्ययी उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ संपर्क कार्यालयों को सही आकार देना/बंद करना, यात्राएं करने के स्थान पर दूरसंचार सुविधाओं का विवेक सम्मत उपयोग करना, अन्य प्रशासनिक व्ययों में कमी करना, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के जरिए जन शक्ति में कमी करना और छुट्टी यात्रा सुविधा को आस्थगित करना शामिल है।

(ग) उपर्युक्त उपायों को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप 1999–2000 के दौरान लगभग 800 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

स्नातक बेरोजगार युवकों के लिए योजना

7895. श्री जी. जे. जाविया :

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में स्नातक बेरोजगार युवकों को अकुशल कामगारों के रूप में नियुक्त करने के बारे में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या स्नातक युवकों की बढ़ती हुई बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है/की जाएगी?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के स्नातकों समेत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए स्व–रोजगार उद्यमों की स्थापना हेतु विशेष रोजगार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप 10 वर्षों की अवधि में कम से कम 100 मिलियन नौकरियां (प्रतिवर्ष 10 मिलियन नौकरियां) सृजित करने के लिए विभिन्न उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य दल का भी गठन किया गया है।

नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र

7896. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नरोरा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र उस स्थान पर स्थित है जो भूकंप सक्रिय क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो भूकंप आने की अवस्था में रेडिएशन के रिसने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मानव जीवन की रक्षा की जा सके;

(ग) क्या राष्ट्रहित में उक्त संयंत्र को बंद करने अथवा इसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) नरोरा परमाणु बिजलीघर का डिजाइन तैयार करते और उसका निर्माण करते समय इस बिजलीघर के स्थल की भूकंपनीयता को ध्यान में रखा गया है। अभिधारित भूकंपीय घटनाओं के दौरान पाइपिंग की अखण्डता और संघटकों को संरेखण सुनिश्चित करने के लिए, भूकंपों के झटकों को सह सकने वाले अवशोषकों और अन्य नियत्रक युक्तियों का समावेश किया गया है। सुरक्षा से संबद्ध सभी तंत्र और संघटक भूकंपीय दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, भूकंपीय घटनाओं को मानीटर करने और यदि जरूरत पड़े तो रिएक्टर को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए उपयुक्त यंत्रावली की व्यवस्था की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अमेरिका से प्रत्यर्पण

7897. श्री मणि शंकर अय्यर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की भारत–अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत अमेरिका से प्रत्यर्पण किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची बनाकर अमेरिकी अधिकारियों को प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अमेरिकी अधिकारियों ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सूची में पाक अधिकृत कश्मीर के और वहां रह रहे आतंकवादियों की गतिविधियों के ब्यौरे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कश्मीर मुद्दा

7898. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में बैंकाक में हुए सम्मेलन में कश्मीर मुद्दा उठाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया रही;

(घ) क्या भारत के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) बैंकाक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने किन देशों के साथ वार्ता की थी और इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं। इस वर्ष फरवरी में बैंकाक में हुए यू एन सी टी ए डी एक्स सम्मेलन में पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला नहीं उठाया।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) यू एन सी टी ए डी सम्मेलन में भाग ले रहे भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने सम्मेलन में भाग ले रहे कुछ शिष्टमंडलों से बातचीत की जिसमें यू.के. थाईलैंड, श्रीलंका, इराक, बंगलादेश, नेपाल मोरक्को, बेल्जियम और इटली शामिल थे। इन बैठकों के दौरान केवल व्यापारिक और आर्थिक मसलों पर ही बातचीत की गई।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों द्वारा वीजा पर रोक

7899. श्री के. करूणाकरन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी देशों विशेषकर सऊदी अरब के साथ अकुशल और अर्द्ध कुशल भारतीय श्रमिकों के वीजा पर रोक के संबंध में उन देशों के साथ कोई राजनयिक पहल की है;

(ख) क्या खाड़ी देशों विशेषकर सऊदी अरब में स्थित भारतीय मिशन भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भाषा अनुवाद सेवा प्रदान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेश में स्थित भारतीय मिशनों का इन देशों के भारतीय नागरिकों की बेहतरी को लगातार नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों में आई आर्थिक मंदी के कारण अनेक प्रवासी कर्मकार बेहार हो गए हैं। अतएव खाड़ी देशों की सरकारें अस्थाई रूप से विदेशी श्रमिकों की भर्ती करने में धीमी गति से काम कर रही हैं। उम्मीद है कि जब कभी इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा इन निकाले गए कर्मकारों की सेवाएं फिर से बहाल कर दी जाएंगी।

(ख) और (ग) सऊदी अरब में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में मिशन द्वारा भाषा रूपान्तरण सेवा प्रदान की जाती है :

(क) रियाध और जेड्डाह स्थित श्रम न्यायालयों में, जहां भारतीय मिशन स्थित हैं, अन्वेषण स्तर पर, प्राथमिक कमीशन स्तर पर तथा उच्च कमीशन स्तर पर : हिन्दी/उर्दू/अंग्रेजी/मलयाली से अरबी में और इसके विपरीत।

(ख) रियाध तथा जेड्डाह स्थित पुलिस स्टेशनों पर हिन्दी/ उर्दू/ अंग्रेजी/मलयाली से अरबी तथा इसके विपरीत।

(ग) मिशन के परिसर या प्रायोनक के कार्यालय में कर्मकार और प्रयोजक के बीच विवाद में निपटारे में : हिन्दी/ उर्दू/ अंग्रेजी/ मलयाली/ तमिल/ तेलुगु/ बंगाली से अरबी और इसके विपरीत।

(घ) सऊदी अरब के विभिन्न हिस्सों में स्थित शरियत न्यायालयों में हिन्दी/उर्दू/अंग्रेजी/मलयाली से अरबी और इसके विपरीत।

संयुक्त अरब अमीरात में यथासंभव स्वागत कार्यालयों और कांउटरों पर भारतीय भाषाओं और स्थानी भाषा (अर्थात् अरबी) की जानकारी रखने वाले अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। भारतीय श्रमिकों तथा स्थानीय

नियोक्ताओं के बीच श्रम विवादों के निपटारे के लिए भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी/स्थानीय भाषा में अनुवाद करने में उच्चायोग के द्विभाषिये सहयोग देते हैं। दस्तावेजों का अंग्रेजी से अरबी तथा अरबी का अंग्रेजी में विधिक अनुवाद करने के लिए स्थानीय प्राधिकृत विधिक अनुवादक उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय मिशन/पोस्ट भारतीय श्रमिकों सहित भारतीय नागरिकों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सजग हैं और मेजवान देशो के कानूनी ढांचे के भीतर अपेक्षित सहायता प्रदान करते हैं। खाड़ी देशों (जिनमें एक बड़ी तादाद में भारतीय श्रमिक रहते हैं) में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों में श्रम अनुभाग भारतीय श्रमिकों की रोजगार संबंधी समस्याओं को विशेष प्रमुखता देते हैं और देयों की अदायगी न किए जाने, उत्पीड़न, गिरफ्तारी, मृत्यु, मृत्यु मुआवजा तथा प्रत्यावर्तन जैसे समस्त मुद्दों पर सहायता प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों का शोषण

7900. श्री एवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बार एसोशिएशन ने हाल ही में 'बच्चा और कानून' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संगोष्ठी में किन–किन विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या सरकार को इस संगोष्ठी की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो बच्चों के शोषण को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकार को उल्लिखित परिसंवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशु आहार उत्पादन संयंत्र

7901. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक राज्य दुग्ध परिसंघ पशु आहार उत्पादन इकाइयां चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कार्यकरण की निगरानी संबंधी तंत्र क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन पशु आहार उत्पादन संयंत्रों द्वारा क्या कच्चा माल प्रयोग में लाया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) परिसंघों/संघों द्वारा 46 गोपशु आहार संयंत्र चलाए जा रहे हैं नामतः आंध्र प्रदेश–6, असम–1, गुजरात–8, कर्नाटक–4, केरल–2, मध्य प्रदेश–2, महाराष्ट्र–4, उड़ीसा–1, पंजाब–2, राजस्थान–4, तमिलनाडु–4, उत्तर प्रदेश–2, पश्चिम बंगाल–2, गोवा–1 तथा पांडिचेरी–1। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दुग्ध संघों/परिसंघों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न गोपशु आहार संयंत्रों से कच्चे माल तथा अपशिष्ट उत्पादों से यादृच्छिक रूप से नमूने लेता है और तथा विश्लेषण के बाद इन संगठनों को फीड बैक उपलब्ध कराता है।

(ग) टूटे अनाज (चावल, गेहूं, बाजरा तथा जौ), केक (मूंगफली, कर्दी तथा सूरजमुखी) छाल (बबूल, कपास का बीज, सूरजमुखी, साल का बीज, सीशम, चावल की भूसी, खजूर का गूदा, कोकुम, कर्दी तथा मूंगफली), धान की भूसी, लासेदार टहनी, मक्का, लासा, सीरा, नमक इत्यादि।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महिलाओं के लिए आरक्षण

7902. श्री राशिद अलवी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में महिलाओं के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सेवा को नियमित किया जाना

7903. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 6 दिसंबर, 1996 के फैसले के आलोक में कार्यालय परिसरों में झाड़–बुहार,

सफाई, झाड़न और पहरेदारों के कामों में संग्लन ठेके के श्रमिकों की सेवा स्थायी तौर पर नियमित करने के लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य सरकारी संगठनों को सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अब तक ठेके के कुल कितने श्रमिकों की सेवा स्थायी तौर पर नियमित की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) एयर इंडिया स्टेचुटरी कारपोरेशन बनाम युनाइटेड लेबर यूनियन तथा अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 6.12.96 का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुस्थापित कानून है। इसे 1997 में एल एल आर 288 तथा ए आई आर 1997 एस सी 645 में प्रकाशित किया गया था। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय (विधिक विभाग) से परामर्श करके इस निर्णय के प्रभावों की समीक्षा की गई और इस निर्णय को पूरी तरह कड़ाई से कार्यान्वित करने के लिए श्रम मंत्रालय की प्रवर्तन एजेंसी को निदेश जारी किए गए थे।

विभिन्न मंत्रालयों, विभागों आदि द्वारा नियमित किए गए ठेका श्रमिकों से संबद्ध आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। तथापि, उपलब्ध सूचनानुसार, दो बड़े केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 2978 श्रमिकों को नियमित किया गया है।

नर्सों का प्रवास

7904. श्री पी. सी. थामस : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्सों को विदेशों में रोजगार मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी नर्सें रोजगार के लिए विदेश गईं;

(ग) क्या ऐसी नर्सों को अच्छा रोजगार प्राप्त है;

(घ) यदि हां, तो इन देशों में इन्हें मिलने वाली सामान्य परिलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रवास को बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (च) भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यताएं रखने वाली नर्सों सहित कतिपय श्रेणी के कर्मकार अपने पासपोर्टों पर 'उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं (ई सी एन आर) का वर्गीकरण प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार, नर्सों को उत्प्रवास संरक्षक के कार्यालयों से उत्प्रवास निस्तारण लेना अपेक्षित नहीं हैं, और इसलिए देश से विदेश में नौकरियों के लिए जाने वाली नर्सों का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है। नर्सों के नियोजन की निबंधन एवं शर्तें भिन्न-भिन्न देशों और साथ ही एक ही देश में एक नियोजक से दूसरे नियोजक के संबंध में भिन्न-भिन्न होती हैं। सामान्य तौर पर, नर्सों को अपने नियोजकों से कोई शिकायत नहीं है। जिससे स्पष्ट होता है कि वे समाविष्ट रोजगार की निबंधन और शर्तों से संतुष्ट हैं। सरकार नर्सों को विदेशी नियोजकों के साथ तैनात करने सहित किसी भी श्रेणी के कर्मकार को भर्ती करने में सीधे अन्तर्गस्त नहीं है। सामान्य तौर पर, नर्सों सहित कर्मकारों की भर्ती, भर्ती एजेंटों के माध्यम से विदेशी नियोजको द्वारा उनके पक्ष में जारी मांग पत्र और मुखतारनामें के आधार पर की जाती है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

7905. श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री वी. वेंकटेस्वरलु :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के कामगारों द्वारा अपनी न्यायोचित मांगे उठाए जाने पर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार उनकी मांगों को किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव रखती है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (घ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के कुछ कामगारों पर हाल ही में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था क्योंकि उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत लागू आदेशों का उल्लघंन किया था। यह आंदोलन विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को निजीकरण से बचाने के लिए कदम उठाए जाने के लिए किया गया था। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ने अपने पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक समग्र परिवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हानि को बट्टे खाते डालना शामिल है। विनिवेश

आयोग ने इसकी शेष साम्या की 51प्रतिशत से अनधिक साम्या को एक नीतिपरक क्रेता के पक्ष में विनिवेश करने सहित 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कंपनी की संपूर्ण संचित हानि को बट्टे खाते डालने की सिफारिश की है। यह मामला अंतर–मंत्रालयी परामर्श के अंतिम चरण में है। अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

प्राकृतिक आपदाएं

7906. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में आये समुद्री तूफान के पश्चात् आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो देश को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए क्या कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर आपदा की स्थिति में प्रारंभिक तैयारी और शमन के लिए पहले ही भली–भांति निर्धारित संस्थानिक व्यवस्था है तथा समय–समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

अश्लील फिल्में

7907. श्री कृष्णमराजू : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होने के फलस्वरूप बहुत से स्थानों पर अश्लील फिल्में दिखाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कुछ स्थानों पर छोटे–छोटे ऐसे क्लब बन गए हैं जो अश्लील फिल्में दिखाते हैं, और दूसरों को देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ङ) सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

कुछ ऐसे विशिष्ट साफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जो ऐसी आपत्तिजनक वेबसाइटों को अवरुद्ध करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसी साइटें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मात्रा में उत्पन्न होने के कारण तकनीकी रूप से उन्हें पूर्णतः अवरुद्ध करना संभव नहीं है। इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता (आईएसपी) लाइसेंस समझौते के अनुसार, लाइसेंस धारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके नेटवर्क पर अश्लील सामग्री नहीं दी जा रही है। साइबर कानून प्रवर्तित हो जाने पर इसे अधिक प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा।

राउरकेला में हॉकी अकादमी

7908. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने राउरकेला इस्पात संयंत्र में हॉकी अकादमी स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वहां क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या इसका नाम किसी लोकप्रिय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है; और

(ङ) कितने और कौन–कौन खिलाड़ी उक्त अकादमी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) जी, हां। सेल हॉकी अकादमी ने 27.7.1992 से अपनी गतिविधियां शुरू की थी। अकादमी की पूंजीगत लागत लगभग 2.8 करोड़ रुपए है। खिलाड़ियों को भोजन, शिक्षा, पाठ्य सामग्री, आवास, चिकित्सा सुविधाएं, खेल पोशाकें आदि निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं और उन्हें 350 रुपये प्रतिमाह वजीफा दिया जा रहा है। प्रत्येक खिलाड़ी का एक लाख रुपए का बीमा भी किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) राष्ट्रीय स्तर की हॉकी चैंपियनशिप (सीनियर और जूनियर) में 49 खिलाड़ी भाग ले चुके हैं। उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचा है।

विवरण

राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी (सीनियर और जूनियर)

क्र.सं.	नाम	प्रतिनिधित्व वर्ष
1	2	3
सीनियर स्तर		
1.	सर्वश्री राजेन्द्र बागे	1993
2.	मारियानस एक्का	1993
3.	अनिल एक्का	1993
4.	नागेश्वर एक्का	1993
5.	रंजीत जेवियर लाकरा	1993
6.	जोगिन्दर सिंह	1995
7.	राजूकान्त सैनी	1998
8.	ईमान कन्दूलना	1998
9.	सुनील तिर्की	1998
10.	नागेश्वर टोपनो	1999
जूनियर स्तर		
1.	सर्वश्री राजेन्द्र बागे	1992
2.	रंजीत जेवियर लाकरा	1992
3.	जागेश्वर एक्का	1992
4.	लीनस तिर्की	1992
5.	मारियानस एक्का	1992
6.	एन. जीतेन सिंह	1992
7.	राजूकान्त सैनी	1993
8.	प्रदीप कीरो	1993
9.	मांगरू तिर्की	1993
10.	संतोष यादव	1993
11.	दिग्विजय सिंह	1993
12.	सदय मिंज	1993
13.	मारियानस लाकरा	1993
14.	इग्नेशियस मिंज	1993
15.	अनिल प्रफुल एक्का	1995
16.	एल्बर्ट एस. टेटे	1995
17.	राजूकान्त सैनी	1997
18.	ईमान कंदूलना	1997
19.	किशोर जैलक्सो	1997
20.	लीनस तिर्की	1997
21.	सुनील तिर्की	1997
22.	आबिद अली	1997
23.	लूकास लाकरा	1997
24.	अनूस टोप्पो	1997
25.	बैंजामिन तिर्की	1997
26.	वाल्टर बारा	1999
27.	सुनील जैस	1999
28.	रबिन्द्र तिर्की	1999
29.	सुशील टेटे	1999
30.	दिलिप बारला	1999
31.	नागेश्वर टोपनो	1999
32.	अजीत तिर्की	1999
33.	तोशील एक्का	1999
34.	जूनस बारा	1999
35.	राजेश कुन्डो	1999
36.	पीयूश कुजुर	1999
37.	अब्राहम कुजुर	1999
38.	सरोज कुमार डुंगडुंग	1999
39.	राजेश कुल्लु	1999

पड़ोसी देशों के साथ आतंकवाद के मामले

7909. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्रोहियों और उग्रवादियों द्वारा भूटान, बंगलादेश, नेपाल, म्यांमार और थाइलैंड के क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किए जाने के संबंध में उन देशों से संपर्क बनाए हुए है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने उन देशों में आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन देशों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या सामूहिक नीति तैयार करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ङ) सरकार को भूटान, बंगलादेश, नेपाल, म्यांमा और थाइलैंड के प्रदेशों का दुरुपयोग कर रहे विभिन्न आतंकवादी संगठनों के बारे में जानकारी है। इस मामले को संबंधित सरकारों के साथ समुचित स्तरों पर उठाया गया है जिन्होंने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया है कि वे ऐसे तत्वों को भारत के सुरक्षा हितों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए अपने प्रदेश का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रेणुका और किशाऊ बांध

7910. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेणुका बांध और किशाऊ बांध नामक दो परियोजनाएं किस स्तर पर हैं;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इन परियोजनाओं के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राजस्थान सरकार को मनाने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) की दिनांक 18.1.2000 को हुई 72वीं बैठक में दो परियोजनाओं अर्थात् रेणुका बांध और किशाऊ बांध पर विचार किया गया था। जबकि कुछ शर्तों के आधार पर रेणुका बांध परियोजना को स्वीकार किया गया था, किशाऊ बांध परियोजना को यह निर्देश देते हुए स्थगित कर दिया गया था कि इस परियोजना की स्वीकृति के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा किया जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राजस्थान सरकार जल विद्युत में उसके हिस्से संबंधी समझौते की शर्त से सहमत नहीं है।

(घ) विद्युत मंत्री से इस मामले पर विचार–विमर्श करने के लिए नदी के तटवर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों एवं विद्युत मंत्रियों की तत्काल बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया है ताकि जल विद्युत के बंटवारे के संबंध में कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके।

केसर की खेती

7911. श्रीमती प्रभा राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धरती का सबसे महंगा सुगंधित केसर कश्मीर में खराब मौसम का सामना कर रहा है;

(ख) क्या सुगंधित केसर की खेती में 1,50,000 लोगों के लगे होने के बावजूद उपज 10,000 किलोग्राम तक कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो उत्पादन 60 प्रतिशत तक गिर गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपज बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) वर्ष 1999–2000 के दौरान अप्रत्याशित रूप से सूखे के कारण कश्मीर मण्डल में केसर की फसल को भारी नुकसान हुआ है।

(ख) केसर की औसत उपज 1996 के 2.62 कि.ग्रा. /है. से बढ़कर 1998 में 3.03 कि.ग्रा./है. हो गयी थी। 1998 में इस क्षेत्र में केसर का कुल उत्पादन 12780 कि.ग्रा. था। कार्म राट रोग के कारण जम्मू मण्डल के किस्तवाड़ प्रभाग में 5 से 10 प्रतिशत तक प्रभाव पड़ा है।

(ग) भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित समेकित मसाला विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम में केसर को भी शामिल किया गया है। जम्मू व कश्मीर में नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये/यथा

(i) बीज बहुलीकरण प्लाटों की स्थापना और

(ii) प्लाटों का प्रदर्शन

नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान केसर विकास के लिये निम्नलिखित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है यथा:

(i) गुणवत्ता प्रद बीज सामग्री का संवर्द्धन करने के लिए कार्म उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करना और

(ii) प्रदर्शन सह बीज बहुलीकरण प्लाटों की स्थापना जिसका उद्देश्य बेहतर कृषि पद्धति का प्रचार–प्रसार करना और क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देना है। जम्मू और कश्मीर में नौवीं योजना में केसर के विकास के लिए 10.50 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

7912. श्री सुकदेव पासवान :

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो 1990 के आरंभ और अंत तक राज्य–वार प्रति व्यक्ति आय कितनी थी; और

(ग) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पृथक रूप से राज्य–वार अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योनजा के अनुसार 1996–97 की कीमतों और कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा मापी गई देश में प्रति व्यक्ति आय आधार वर्ष (1996–97) के 12301 रुपये से अन्तिम वर्ष (2001–02) में बढ़कर 15567 रुपये होने का अनुमान है। ये अनुमान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की 1980–81 की श्रृंखला पर आधारित हैं।

(ख) वर्ष 1993–94 और 1998–99 के लिए निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) द्वारा मापी गई राज्यों में प्रति व्यक्ति आय विवरण में दी गई है।

(ग) प्रति व्यक्ति आय के राज्य–वार अनुमान ग्रामीण और शरही क्षेत्रों के लिए अलग से उपलब्ध नहीं है। प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही उपलब्ध है। इस संबंध में नवीनतम अनुमान वर्ष 1993–94 के लिए उपलब्ध हैं। इसके अनुसार चालू कीमतों पर 1993–94 में निवल घरेलू उत्पाद द्वारा मापी गई प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्रों में 5783 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 13525 रुपये अनुमानित की गई है।

विवरण

सतत् (1993–94) कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993–94	1998–99 क्यू
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7494	9118
2.	अरुणाचल प्रदेश	8557	8979
3.	असम	5715	5942
4.	बिहार	3955	4411
5.	गोवा	15602	एन. ए.
6.	गुजरात	9997	13709
7.	हरियाणा	10970	13084
8.	हिमाचल प्रदेश	7349	8864
9	जम्मू व कश्मीर	एन.ए	एन.ए
10.	कर्नाटक	8190	11153
11.	केरल	7788	9807
12.	मध्य प्रदेश	6645	7350
13.	महाराष्ट्र	12705	16217
14.	मणिपुर	एन.ए	एन.ए
15.	मेघालय	7331	8252
16.	मिजोरम	एन.ए	एन.ए
17.	नागालैंड	एन.ए	एन.ए
18.	उड़ीसा	4877	5648
19.	पंजाब	12991	एन.ए

1	2	3	4
20.	राजस्थान	6251	7694
21.	सिक्किम	एन.ए	एन.ए
22.	तमिलनाडु	9073	12287
23.	त्रिपुरा	5300	6637
24.	उत्तर प्रदेश	5287	5890
25.	पश्चिम बंगाल	6702	8622
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	एन.ए	एन.ए
27.	चंडीगढ़	एन.ए	एन.ए
28.	दिल्ली	17355	19091
29.	पांडिचेरी	9524	13111

क्यू : त्वरित अनुमान

एन ए: उपलब्ध नहीं

टिप्पणियां :

1. स्त्रोत आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।
2. उपयोग में लाई गई स्त्रोत सामग्री में भिन्नता के कारण विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के आंकड़े कड़े रूप से तुलनीय नहीं है।
3. मिजोरम राज्य यह अनुमान केवल चालू कीमतों पर तैयार करता है।
4. दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ये अनुमान तैयार नहीं करते।
5. 4.5.2000 की स्थिति नवीनतम 1993-94 की श्रृंखला पर आधारित है।

[अनुवाद]

सहकारिता क्षेत्र में सूती मिलें

7913. डॉ. गिरिजा व्यास : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान देश में राज्यवार और स्थानवार सहकारिता क्षेत्र में कितनी सूती मिलें स्थापित की गई;

(ख) क्या आगामी तीन वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के तहत देश में नई सूती मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) सहकारी क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई कपास मिल स्थापित नहीं की गयी है।

(ख) सहकारी क्षेत्र में नई कपास मिलें स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में लघु उद्योग

7914. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री पी. आर. खूंटे :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार राज्य–वार कितने लघु उद्योग हैं;

(ख) क्या सरकार लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए कुछ नए उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने देश के विशेषतः मध्य प्रदेश के विभिन्न अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति बहुल क्षेत्रों में लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों और अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन–कौन से कार्यक्रम शुरू किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पंजीकृत लघु इकाइयों की 30 अप्रैल 2000 तक राज्य–वार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विचार किए जाने वाले नए उपायों में शामिल है, रुपये 10 लाख तक का ऋण बिना कालेटरलस के उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के प्रोत्साहित करने के उपाय, विशेष बैंक शाखा

स्थापित करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क को सुदृढ़ करना। अनु. जाति/अनु. जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों के प्रमुख क्षेत्रों में एकीकृत आधारभूत विकास, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उद्यमिता विकास आदि शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सतना तथा सिवोनी जिलों में एकीकृत आधारभूत विकास केन्द्र मंजूर किये गये हैं ताकि ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के स्थल चयन में सुविधा हो सके। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अनु. जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आयु सीमा में छूट दी जाती है। अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लिए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अण्डमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे कमजोर वर्गों/क्षेत्रों के लिए उच्च अनुदान उपलब्ध कराता है। भाड़ा क्रय योजना के अंतर्गत, एन. एस. आई. सी. ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए समृद्धि नाम की एक नई योजना आरंभ की है। सिडबी ने एक गैर–सरकारी संगठन को सहायतार्थ 30 लाख रुपये की संस्वीकृति दी है ताकि जिला होशंगाबाद के ग्राम केसला में आदिवासी समुदायों के लिए कुक्कुट मुर्गी पालन तथा संबंधित क्रियाकलापों के लिए छोटे ऋण उपलब्ध कराए जा सकें। राज्य सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लघु उद्योग के विकास में तीव्रता लाने तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उद्योग निदेशालयों द्वारा 30 अप्रैल 2000 तक मंजूर की जाने वाली लघु उद्योग इकाइयों (सीडो) की स्थाई पंजीकरण की अनुमानित संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	30.4.2000
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	127325
2.	असम	23676
3.	बिहार	121361
4.	गुजरात	174177
5.	हरियाणा	84921
6.	हिमाचल प्रदेश	16452
7.	जम्मू एवं कश्मीर	29633
8.	कर्नाटक	157401
9.	केरल	198745
10.	मध्य प्रदेश	323956
11.	महाराष्ट्र	141586
12.	मणिपुर	6013
13.	मेघालय	2651
14.	नागालैंड	985
15.	उड़ीसा	19325
16.	पंजाब	152663
17.	राजस्थान	81833
18.	तमिलनाडु	307917
19.	त्रिपुरा	2118
20.	उत्तर प्रदेश	372684
21.	पश्चिम बंगाल	151710
22.	सिक्किम	344
23.	अण्डमान एवं निकोबार	1198
24.	अरुणाचल प्रदेश	4532
25.	चण्डीगढ़	3041
26.	दादरा एवं नगर हवेली	971
27.	दिल्ली	25339
28.	गोवा	5890
29.	लक्षद्वीप	416
30.	मिजोरम	4359
31.	पांडिचेरी	4887
32.	दमन एवं दीव	1517
	अखिल भारतीय योग	2549629

[अनुवाद]

पी. एम. आर. वाई. के अंतर्गत लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

7915. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अति लघु और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य वार इन उद्योगों की क्या प्रगति है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत धन के दुरुपयोग संबंधी मामले और उनमें अनियमितताओं का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना उद्योग सेवा और व्यापार के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2.20 लाख स्वतः नियोजित अति लघु इकाइयां स्थापित करने पर बल देती है। इस योजना के अंतर्गत अति लघु और लघु इकाइयों के लिए अलग से लक्ष्य नहीं रखे गए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1997–98, 1998–99, 1999–2000 (फरवरी 2000 तक) की राज्यवार प्रगति (उद्योग, सेवा और व्यापार इकाइयों के लिए) दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा दी गई अनियमितताओं और दुर्विनियोजन के मामले में संबंधित बैंक शाखा उचित आवश्यक कार्यवाही करती हैं।

विवरण

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 1997–98, 98–99 और 1999–2000 (29 फरवरी, 2000) राज्यवार प्रगति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना अनुसार

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	1997–98			1998–99			1999–2000		
			बैंकों द्वारा	बैंकों द्वारा		बैंकों द्वारा	बैंकों द्वारा		बैंकों द्वारा	बैंकों द्वारा
		लक्ष्य	संस्वीकृत	संवितरण	लक्ष्य	संस्वीकृत	संवितरण	लक्ष्य	संस्वीकृत	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तरी क्षेत्र										
1.	हरियाणा	6300	6202	4925	8300	7802	5337	7500	4933	2944
2.	हिमाचल प्रदेश	2300	2341	2009	2400	2314	1874	2500	1559	1202
3.	जम्मू एवं कश्मीर	3500	2882	1969	5000	1459	864	4000	1076	717
4.	पंजाब	9000	9354	7934	9000	9568	7669	9000	7824	5097
5.	राजस्थान	14300	12779	9681	16300	13756	8932	16100	11720	5580
6.	चंडीगढ़	200	168	114	100	103	74	100	59	33
7.	दिल्ली	4700	996	755	4700	679	466	4800	580	342
पूर्वोत्तर क्षेत्र										
8.	असम	13400	9355	7437	15000	9420	3498	12800	4054	1857
9.	मणिपुर	1300	832	658	1350	813	393	1350	132	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	मेघालय	550	456	377	550	361	190	550	96	52
11.	नागालैंड	450	403	335	250	165	46	200	22	11
12.	त्रिपुरा	1300	549	211	1300	958	85	1300	282	25
13.	अरुणाचल प्रदेश	300	269	178	500	205	164	500	26	21
14.	मिजोरम	400	286	334	350	163	34	350	2	1
15.	सिक्किम	100	87	58	150	87	61	150	52	24
पूर्वी क्षेत्र										
16.	बिहार	21500	14071	12139	20500	10682	7275	21800	5295	2715
17.	उड़ीसा	9250	7962	4903	10100	8334	1952	10650	1744	265
18.	पश्चिम बंगाल	23000	5103	4017	23000	3615	2416	22800	2245	1292
19.	अंडमान एवं निकोबार	100	70	61	100	94	74	200	82	61
केन्द्रीय क्षेत्र										
20.	मध्य प्रदेश	31500	30910	22231	30800	30286	15802	31600	17864	6039
21.	उत्तर प्रदेश	45200	37798	31476	51600	42720	31410	52000	30764	20111
पश्चिमी क्षेत्र										
22.	गुजरात	12600	8223	7110	14600	11180	10145	14600	8727	7724
23.	महाराष्ट्र	42600	38845	30514	42500	35910	24750	43600	23016	14291
24.	दमन और दीव	50	23	23	50	25	21	50	12	10
25.	गोवा	600	313	251	600	368	299	600	360	311
26.	दादरा एवं नगर हवेली	50	75	67	50	37	28	50	17	15
दक्षिणी क्षेत्र										
27.	आन्ध्र प्रदेश	34200	26309	20556	34200	23878	14131	33600	15446	7478
28.	कर्नाटक	22000	17283	14021	21900	16940	11513	22200	9523	4058
29.	केरल	16000	13829	11542	20000	16118	11286	24000	11436	6446
30.	तमिलनाडु	27700	15383	12745	18500	14863	10349	15000	10117	6506
31.	लक्षद्वीप	50	47	40	50	33	31	50	19	9
32.	पांडिचेरी	500	420	308	550	430	284	550	231	125
	विनिर्दिष्ट नहीं है	12				6	6			
	कुल योग		263623	208979		263372	171459		169315	95385

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का विस्तार

7916. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विस्तार से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नदी तल विद्युत केन्द्र

7917. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 200 मे.वा. दुतरफा "टरबो–जेनरेटर" एकक उपलब्ध नहीं है;

(ख) सरकार द्वारा इन्हें खरीदने के लिए क्या प्रबंध किया गया है; और

(ग) सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत केन्द्र में कितने ऐसे एकक लगाये जायेंगे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) देश में 200 मेगावाट रिवर्सेबल टरबो जेनरेटर यूनिट उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैसर्स सुमितोमो कारपो. लिमि., जापान के जरिए सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत गृह के लिए अपेक्षित छः टरबो जेनरेटर सेटों की खरीद की व्यवस्था की गई है। मैसर्स सुमितोमो कारपो. लिमि. ने इन सेटों की आपूर्ति के लिए सप्लायर्स ऋण भी दिया है।

नारियल अनुसंधान केन्द्र

7918. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1993 में कर्नाटक के हासल तालुक के होलेनारासीपुरा में नारियल अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस केन्द्र का निर्माण कार्य बन्द हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस केन्द्र के निर्माण कार्य को पुनः आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) गुणवत्ता वाली नारियल पौध के उत्पादन और वितरण के लिए स्वीकृत कार्यक्रमों के अंतर्गत, नारियल विकास बोर्ड के अधीन कर्नाटक राज्य के हासल जिले में नारियल के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव था। लेकिन 6 किसानों द्वारा दर्ज कराई गई रिट याचिका के प्रत्युत्तर में सम्मानित उच्च न्यायालय कर्नाटक ने दिनांक 29.6.1994 के पी. आर. 30694/6 सी पी एस द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश के कारण बोर्ड द्वारा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना नहीं की जा सकी है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री को निमंत्रण

7919. श्री विजय गोयल :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे प्रधान मंत्री को अमरीका यात्रा के लिए अमरीकी राष्ट्रपति का निमंत्रण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री का किस तिथि को अमरीका की यात्रा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस यात्रा के दौरान किन–किन मुद्दों पर चर्चा की जायेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपनी हाल ही भारत–यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री को संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था। प्रधान मंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया है।

(ख) प्रधान मंत्री दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सुविधाजनक समय पर निर्णीत संयुक्त राज्य की यात्रा करेंगे।

(ग) आर्थिक और वाणिज्यिक मसलों, आतंकवाद विरोधी, ऊर्जा और पर्यावरण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग जैसे दृष्टिकोण वक्तव्य में विनिर्दिष्ट मसलों सहित परस्पर हित के सभी मसलों पर विचार–विमर्श किया जाएगा।

लघु उद्योगों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव

7920. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

श्री श्रीनिवास पाटील :

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लघु उद्योग क्षेत्र खतरे में पड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के सामने आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखने के लिए एक नियामक निकाय को स्थापित करने तथा इसकी सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भारत में लघु उद्योग क्षेत्र ने पूर्व में बहु राष्ट्रीय कंपनियों के आने से प्रतिस्पर्धा में अधिक लचीलापन दिखाया है। लघु उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो सी. ओ. बी. अनुमति/औद्योगिक लाइसेंस/ 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व से संचालित हो रही हैं, के साथ प्रतिस्पर्धा में है। यह उनके दिए गए ट्रैक रिकार्ड से स्पष्ट है –

	1990–91	1998–99 (अनंतिम)
इकाइयों की संख्या	19.48लाख	31,21 लाख
वर्तमान मूल्य पर उत्पादन	1,55,340.00 करोड़ रुपए	5,27,515.00 करोड़ रुपए
वर्तमान मूल्य पर निर्यात	9,664.00 करोड़ रुपए	48,979.00 करोड़ रुपए

तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनना है ताकि उदार आयात से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन सकें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेकन कंपनी

7921. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रांची स्थित मेकन कंपनी का कार्य सन्तोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कंपनी के लाभ–हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस कम्पनी को लाभप्रद बनाने और इसके विस्तार हेतु क्या कदम उठाये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) इस्पात क्षेत्र में मंदी के कारण मेकॉन लि. का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मेकॉन लि. को हुए लाभ और हानि का विवरण निम्नानुसार है –

(करोड़ रुपए)

वर्ष	1997–98	1998–99	1999–2000 (अनंतिम)
लाभ/हानि	3.17	(–)11.17	(–)27.16

(ग) सरकार द्वारा कंपनी के विस्तार के लिए कोई कदम उठाये जाने की संभावना नहीं है। तथापि, कंपनी की लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं –

(1) स्वैच्छिक सेवा निवृति के जरिए कंपनी की श्रम शक्ति में कमी करना।

(2) निम्नलिखित गैर–इस्पात क्षेत्रों में मेकॉन के कार्यों का विविधीकरण –

– अवसंरचना (जल, आपूर्ति, सड़कें, पत्तन फ्लाई ओवर)

– सामग्री संभाल

– विद्युत

– पर्यावरण इंजीनियरी

– महासागरीय इंजीनियरी

– तेल एवं प्राकृतिक गैस/पैट्रो रसायन

– रक्षा

– अंतरिक्ष

– नाभिकीय शक्ति

(3) बाजार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशिष्ट बाजार–खंडों को उन्मुख बनाने सहित चरणबद्ध ढंग से कारोबार की रूपरेखा बनाकर संगठन का पुनर्गठन करना।

(4) मूल्य में वृद्धि नहीं करने वाली लागत में कमी करने और व्यय में कमी करने के लिए आर्थिक उपाय शुरू करना।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

7922. डॉ. सुशील कुमार इंदौरा :

श्री सुकदेव पासवान :

श्री नवल किशोर राय :

श्री अरुण कुमार :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में उत्पादन तथा औसत पैदावार के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने संबंधी नया कदम उठाने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना विभिन्न घटकों पर निर्भर करेगी जैसाकि प्रसंस्करण योग्य कच्चे माल की उपलब्धता उनकी उत्पादकता, प्रसंस्कृत खाद्यों की मांग, उत्पादन की लागत और कीमत आदि।

सरकार ने देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न नीतिगत उपाय किए है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के तहत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी सगठनों, सहकारिताओं, मानव संसाधन विकास संगठनों तथा अनुसंधान और विकास संस्थानों आदि को आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ii) बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया है।

(iii) अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग के दायरे से मुक्त रखा गया है।

(iv) अल्कोहल और बीयर एवं लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों के मामले में कुछ शर्तों के अध्यधीन 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी हेतु स्वतः मंजूरी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

इस्पात का निर्यात

7923. श्री चिंतामन वनगा : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने इस्पात प्लेट के निर्यात के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा के अर्जन की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी, हां। सेल ने प्लेटों के लिए मेक्सिको, दुबई, ताइवान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे नए बाजारों में प्रवेश किया है।

(ग) और (घ) नए बाजारों में निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

गेहूं, चावल और गन्ने की खेती

7924. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री राजो सिंह :

श्री किरीट सोमैया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं, चावल, दलहन और गन्ने की खेती कितने क्षेत्र में होती रही है और उसका प्रत्येक राज्य में कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले तीन वर्षों की तुलना में इन फसलों की खेती का और कितने क्षेत्र में विस्तार किए जाने की संभावना है;

(ग) कृषि का और अधिक क्षेत्र में विस्तार करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितना वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(घ) इन फसलों की खेती के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के.) सत्यनारायण राव) : (क) वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के दौरान गेहूं, चावल, दलहन तथा गन्ने के क्षेत्र एवं उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है।

(ख) से (घ) क्षेत्र कवरेज अनेक कारकों जैसे कृषि जलवायवीय परिस्थितियों, आदानों तथा ऋण की समय पर उपलब्धता, किसानों की प्रबंधकीय योग्यता आदि पर निर्भर करता है। इन फसलों की खेती के अन्तर्गत भविष्य में कवर किए जाने वाले क्षेत्र का सही आकलन पर पाना सम्भव नहीं है। खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए अलग से कोई वित्तीय आबंटन नहीं किया जाता। बहरहाल क्षेत्र कवरेज में वृद्धि हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इन फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन संवर्धन हेतु स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है। ये हैं:- चावल/गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास आदि। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अन्तर्गत, किसानों को अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बीजों के उपयोग, समेकित कीट प्रबंध के अनुप्रयोग, लघु सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध के प्रचार-प्रसार तथा उन्नत कृषि उपस्करों के उपयोग हेतु प्रोत्साहन दिए जाते हैं। भारत में अनाज की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास हेतु लगातार अनुसंधान भी किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के कारगर अन्तरण के लिए किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के प्रशिक्षण सहित किसानों के खेतों पर प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं। भूमि के समतलीकरण, उसे आकार देने, भू-जल संरचना आदि के विकास के लिए क्षेत्र विकास राजसहायता भी प्रदान की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान गेहूं का राज्यवार क्षेत्र तथा उत्पादन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)				उत्पादन (हजार मीटरी टन)			
	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000*	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	12.5	11.0	10.3	11.0	9.0	6.0	6.9	16.0
असम	87.9	84.7	89.6	85.0	117.1	110.1	90.5	100.0
बिहार	2088.9	2074.7	2098.8	2119.0	4560.7	4848.7	4180.8	4367.0
गुजरात	581.0	694.1	701.4	481.0	1336.0	1647.0	1702.6	1032.0
हरियाणा	2017.0	2064.0	2188.0	2150.0	7826.0	7554.0	8568.0	8300.00
हिमाचल प्रदेश	357.2	377.3	377.4	377.0	531.0	641.3	641.4	641.0
जम्मू और कश्मीर	246.9	244.7	238.5	257.0	412.6	396.5	365.0	501.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	248.4	250.7	268.6	256.0	190.3	118.5	219.9	176.0
मध्य प्रदेश	4327.2	4589.7	4650.9	4454.0	7793.2	7220.2	8344.2	8400.0
महाराष्ट्र	799.0	747.0	1015.5	922.0	1167.0	671.0	1308.0	1174.0
उड़ीसा	5.0	5.0	3.7	5.0	6.6	6.6	4.4	6.0
पंजाब	3229.0	3300.0	3338.0	3335.0	13672.0	12715.0	14460.0	14200.0
राजस्थान	2474.3	2679.7	2766.3	2466.0	6782.0	6701.0	6879.8	5825.0
तमिलनाडु	0.1	0.2	0.1	1.0	नगण्य	0.1	नगण्य	
उत्तर प्रदेश	9014.3	9152.8	9230.7	9400.0	24049.6	22833.9	23169.5	24500.0
पश्चिम बंगाल	351.1	367.4	367.5	370.0	839.0	810.5	778.1	796.0
अन्य	47.3	53.1	52.7	53.0	58.1	64.6	58.9	65.0
अखिल भारत	25887.1	26696.1	27398.0	26742.0	69350.2	66345.0	70778.5	70099.0

* 27-3-2000 की स्थिति के अनुसार अग्रिम अनुमान।

विवरण-II

वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान चावल का राज्यवार क्षेत्र तथा उत्पादन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)				उत्पादन (हजार मीटरी टन)			
	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000*	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	4109.0	3500.0	4112.0	3679.0	10686.0	8510.0	11434.0	9959.0
असम	2491.7	2489.8	2420.1	2557.0	3328.2	3382.9	3254.8	3500.0
बिहार	5067.9	5112.3	5099.9	4985.0	7280.7	7133.2	6632.5	6739.0
गुजरात	642.0	672.5	622.1	697.0	946.0	1042.3	1015.8	851.0
हरियाणा	831.0	913.0	1083.0	1042.0	2463.0	2556.0	2425.0	2483.0
हिमाचल प्रदेश	81.7	86.2	82.8	86.0	108.6	120.4	117.8	120.0
जम्मू और कश्मीर	275.3	275.7	270.3	228.0	431.4	549.3	589.1	434.0
कर्नाटक	1358.5	1353.4	1425.5	1344.0	3211.6	3212.7	3604.5	3380.0
केरल	424.8	387.1	348.2	457.0	831.6	764.6	658.6	1031.0
मध्य प्रदेश	5396.4	5426.7	5305.2	5309.0	5939.1	4528.2	5373.9	6303.0
महाराष्ट्र	1477.5	1476.9	1483.1	1509.0	2614.4	2394.6	2467.6	2544.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उड़ीसा	4469.3	4496.8	4447.1	4511.0	4438.4	6204.6	5391.5	4971.0
पंजाब	2159.0	2281.0	2519.0	2604.0	7334.0	7904.0	7940.0	8716.0
राजस्थान	147.1	163.5	168.0	200.0	174.2	190.3	205.4	253.0
तमिलनाडु	2173.7	2260.6	2386.4	2152.0	5805.3	6893.7	8215.3	7500.0
उत्तर प्रदेश	5549.2	5663.5	5932.3	5933.0	11770.7	12165.4	11615.9	12912.0
पश्चिम बंगाल	5800.6	5900.2	5904.1	6325.0	12636.8	13236.6	13316.5	15102.0
अन्य	978.3	986.8	988.6	989.0	1736.7	1745.7	1736.3	1755.0
अखिल भारत	43433.0	43446.0	44597.7	44607.0	81736.7	82534.5	85994.5	88553.0

* 27-3-2000 की स्थिति के अनुसार अग्रिम अनुमान।

विवरण-III

वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान दलहन का राज्यवार क्षेत्र तथा उत्पादन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)				उत्पादन (हजार मीटरी टन)			
	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000*	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	1615.5	1565.0	1568.1	1476.0	838.0	515.7	763.4	784.0
असम	119.6	117.9	126.9	150.0	68.4	64.5	69.2	80.0
बिहार	931.1	910.7	912.4	889.0	745.4	665.7	697.5	701.0
गुजरात	920.3	895.1	862.0	816.0	663.8	613.3	633.5	496.0
हरियाणा	417.4	422.0	427.1	150.0	345.0	374.7	353.2	149.0
हिमाचल प्रदेश	35.1	34.9	35.2	35.0	11.4	12.6	12.9	14.0
जम्मू और कश्मीर	31.3	32.6	32.2	68.0	17.0	18.4	18.5	59.0
कर्नाटक	1776.4	1681.7	1811.6	1821.0	722.2	496.5	721.6	798.0
केरल	20.4	34.6	34.4	36.0	14.6	27.6	27.1	32.0
मध्य प्रदेश	5025.1	5014.8	5039.6	5117.0	3544.0	3282.2	3573.4	3683.0
महाराष्ट्र	3325.0	3260.0	3499.5	3445.0	2036.8	1187.8	2254.9	2083.0
उड़ीसा	658.8	786.2	738.6	787.0	225.9	286.5	263.9	285.0
पंजाब	97.6	87.9	77.5	74.0	80.1	60.0	50.7	51.0
राजस्थान	3760.0	4389.4	4643.8	3268.0	1844.6	2634.9	2444.2	1102.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु	581.6	591.5	1017.6	967.0	232.8	244.2	471.5	618.0
उत्तर प्रदेश	2832.8	2753.7	2718.3	2701.0	2625.4	2285.2	2268.7	2311.0
पश्चिम बंगाल	231.5	220.5	202.9	318.0	171.5	151.6	126.1	251.0
अन्य	67.6	72.7	71.2	162.0	57.0	57.9	58.9	55.0
अखिल भारत	22447.1	22871.2	23818.9	22280.0	14243.9	12979.3	14809.2	13552.0

* 27-3-2000 की स्थिति के अनुसार अग्रिम अनुमान।

विवरण-IV

वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान गन्ने का राज्यवार क्षेत्र तथा उत्पादन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)				उत्पादन (हजार मीटरी टन)			
	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000*	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	199.3	192.2	213.8	221.0	15030.0	13955.0	16684.6	14840.0
असम	35.9	31.3	30.6	30.0	1490.3	1287.5	1223.6	1200.0
बिहार	129.6	108.0	107.5	109.0	5842.5	4959.9	5218.8	5339.0
गुजरात	165.8	165.0	196.3	220.0	11404.3	11836.2	13566.3	16750.0
हरियाणा	162.0	142.0	125.0	150.0	9020.0	7550.0	6880.0	8000.0
हिमाचल प्रदेश	3.4	3.8	3.3	4.0	70.3	139.1	120.2	139.0
जम्मू और कश्मीर	0.2	0.2	0.2	नगण्य	6.5	6.5	6.0	7.0
कर्नाटक	282.1	309.8	312.0	314.0	23374.4	28332.7	28454.0	29233.0
केरल	5.9	5.9	5.6	6.0	548.1	548.1	406.4	410.0
मध्य प्रदेश	45.0	42.3	50.2	51.0	1761.4	1631.7	1973.0	1886.0
महाराष्ट्र	516.2	459.7	529.8	590.0	41804.8	38174.3	47151.1	55798.0
उड़ीसा	23.5	18.7	22.3	45.0	1332.1	1144.0	1469.5	1990.0
पंजाब	173.0	126.0	103.0	108.0	11040.0	7150.0	6130.0	6500.0
राजस्थान	26.7	23.2	22.6	20.0	1290.2	1158.7	1078.8	1215.0
तमिलनाडु	259.6	282.8	347.9	203.0	25918.8	30183.6	46672.8	27200.0
उत्तर प्रदेश	2110.6	1985.2	1970.6	1963.0	125348 4	129266.7	116302.8	119974.0
पश्चिम बंगाल	24.9	25.8	26.9	24.0	1810.3	1825.7	2001.9	1776.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अन्य	10.4	7.9	8.0	7.0	467.6	394.7	386.2	380.0
अखिल भारत	4174.1	3929.8	4075.6	4065.0	277560.0	279544.4	295726.0	292637.0

* 27-3-2000 की स्थिति के अनुसार अग्रिम अनुमान।

जादुगुडा उत्खनन क्षेत्र के विस्थापित लोग

7925. डॉ. मंदा जगन्नाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जादुगुडा यूरेनियम उत्खनन क्षेत्र के कुछ आदिवासी लोगों ने उत्खनन क्षेत्र से काफी दूर सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किए जाने के लिए सरकार से सम्पर्क साधा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया; और

(ग) पुनर्वास कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) "विकिरण विरोधी झारखण्डी संगठन" (जेओएआर) नामक एक संगठन ने बिहार के पूर्वी सिंहभूम जिले में जादुगुडा नामक स्थान पर स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के परिचालन के (कथित) प्रतिकूल प्रभाव के संदर्भ में कई मांगे करते हुए प्रधान मंत्री को एक अभ्यावेदन हाल ही में प्रस्तुत किया है। कथित रूप से यह कहने के अलावा कि जादुगुडा क्षेत्र में पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा वहां की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था पर यूरेनियम खनन कार्यों के प्रभाव हानिकारक (निम्न–स्तरीय विकिरण) हैं, ऐसे मुद्दों के संबंध में भी मांगें की गई हैं जैसे कि ऊपर उल्लिखित (कथित) प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से एक बहु–विषयक दल का गठन किया जाना, यूरेनियम कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के मौजूदा पछोड़न तालों/बांधों के आस–पास के गांवों को खाली कराके वहां के वासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, निम्नस्तरीय विकिरण से संबद्ध बिमारियों का इलाज करने के लिए जादुगुडा में अथवा उसके आस–पास एक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करना, जादुगुडा में रेडियो सक्रिय अपशिष्ट–पदार्थों और विकिरण चिकित्सीय अपशिष्ट–पदार्थों के (कथित) "आयात" को यहां (कथित) ढेर लगाने/भंडारित करने के लिए किया जाना बंद करना तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) की स्वायत्तता।

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः जादुगुडा, भाटिन तथार नरवापहाड़ में तीन यूरेनियम खानों का तथा जादुगुडा में एक यूरेनियम–संसाधन मिल का परिचालन करता है। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के गठन के समय से ही, उसकी खानों तथा संयंत्रों में और उनके आसपास विकिरण के स्तरों को परमाणु ऊर्जा विभाग के एक संघटक यूनिट, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) के स्वास्थ्य भौतिकी यूनिट द्वारा निरन्तर मॉनीटर किया जाता है। जादुगुडा स्थित स्वास्थ्य भौतिकी यूनिट में संबद्ध विषय–क्षेत्र के योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ मौजूद हैं।

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खानों/संयंत्रों से होने वाले विकिरण–उत्सर्जनों की वजह से जादुगुडा में और उसके आस–पास विकिरण के स्तर पर उस सीमा के भीतर ही होते हैं जो इस संदर्भ में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है जोकि अंतर्राष्ट्रीय वैकिरणिकी बचाव आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं।

कुछ समय पहले टाटा मुख्य अस्पताल, जमशेदपुर तथा बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्वास्थ्य भौतिकविद् एवं चिकित्सा अधिकारियों सहित चिकित्सीय डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों के दलों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों ने भी यह सिद्ध किया है कि इन दलों द्वारा बिमारियों के जिन विशिष्ट मामलों का अध्ययन किया गया है उनका विकिरण से कोई संबंध नहीं है। जादुगुडा के आस–पास के क्षेत्र का विकिरण के संबंध में हाल ही में किया गया सर्वेक्षण भी पुनः इस बात की पुष्टि करता है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के परिचालनों के परिणामस्वरूप, पृष्ठ–भौमिक विकिरण के स्तरों में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक कोई वृद्धि नहीं हुई है।

कुछ समय पहले यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, अपने तीसरे चरण के पछोड़न ताल के निर्माण के लिए स्थानीय

जिला प्रशासन के माध्यम से लगभग 51 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया था। इस प्रकार अधिगृहीत भूमि के लिए यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पूरा मुआवजा दे दिया है। जिन परिवारों की भूमि/घरों का अधिग्रहण किया गया था उन्हें बसाने के लिए, स्थानीय प्रशासन द्वारा वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था भी की गई है। इस भूमि को यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने समतल करवा दिया है और वहां पेय–जल के लिए ट्यूबवैलों की व्यवस्था भी की है। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को रहने के लिए मकान बनाने हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता (अधिग्रहण के लिए देय उचित मुआवजे के अलावा) के लिए प्रतिबद्धता भी की है। अंततः उन 46 परिवारों में से, जिनकी भूमि और घरों का अधिग्रहण किया गया था, 51 व्यक्तियों को, तथा उन 10 परिवारों में से, जिनकी केवल भूमि का अधिग्रहण किया गया था, 10 व्यक्तियों को यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रोजगार दे दिया है। इस प्रकार, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, उन परिवारों के पुनर्वास के लिए जिनकी भूमि/घरों का अधिग्रहण तीसरे चरण के पछोड़न–ताल के निर्माण के लिए किया गया था, स्थानीय जिला प्रशासन के परामर्श से सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। तथापि, ऊपर वर्णित कारणों को देखते हुए, इन परिवारों को किसी अन्य दूरस्थ स्थान पर फिर से बसाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कार्यदिवसों की हानि

7926. श्री सुबोध मोहिते :

श्री बाबूभाई के. कंटारिया :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों, विशेषकर गुजरात में 1 जनवरी, 1998 से आज तक कितनी हड़तालें और तालाबंदी हुई और ये हड़तालें और तालाबंदियां किस–किस तिथि को हुईं;

(ख) प्रत्येक मामले में कर्मचारियों, केन्द्र और राज्य सरकारों, जनता तथा मालिकों को अलग–अलग कितना नुकसान हुआ;

(ग) कर्मचारियों द्वारा कितने कार्यदिवसों की हानि हुई;

(घ) मालिकों को कितने कार्यदिवसों की और कितनी वित्तीय हानि हुई;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जिससे ये हड़तालें और तालाबंदी न हों, क्या कदम उठाये गए हैं;

(च) हड़ताल की अवधि के दौरान आपराधिक कार्यों के लिए कितने मजदूरों और कर्मचारियों को पकड़ा गया; और

(छ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) देश के विभिन्न भागों में 1998 और 1999 के दौरान हुई हड़तालों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) हड़तालों और तालाबंदियों के कारण सरकार, नियोक्ताओं और कामगारों को होने वाले नुकसान को श्रम दिवसों की हानि, उत्पादन की हानि और मजदूरी की हानि के रूप में मापा जाता है। 1998 के दौरान श्रम दिवसों, उत्पादन और मजदूरी की कुल हानि क्रमशः 22.06 मिलियन, 694.32 करोड़ रु., 103.06 करोड़ रु. और 1999 के दौरान 24.50 मिलियन, 923.55 करोड़ रु. 54.14 करोड़ रु. थी।

(ङ) हड़ताल संबंधी नोटिस सरकार को प्राप्त होते ही हड़तालें और तालाबंदियां रोकने के लिए सुलह कार्रवाई की जाती है।

(च) और (छ) पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं अतः केन्द्रीय स्तर पर इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती।

विवरण

1998 और 1999 के दौरान चुनिंदा राज्यों में हड़तालों और तालाबंदियों की घटनाएं (अनंतिम)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998			1999		
	ह.	ता.	कुल	ह.	ता.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	60	151	211	29	84	113
बिहार	22	7	29	10	8	18
दिल्ली	2	11	13	1	9	10

1	2	3	4	5	6	7
गोवा दमन एंड दीव	6	0	6	2	2	4
गुजरात	114	18	132	92	10	102
हरियाणा	49	1	50	22	2	24
कर्नाटक	36	7	43	26	6	32
केरल	17	17	34	17	18	35
मध्य प्रदेश	26	0	26	13	0	13
महाराष्ट्र	23	12	35	14	8	22
उड़ीसा	14	3	17	8	0	8
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
पंजाब	17	5	22	7	4	11
राजस्थान	25	8	33	21	7	28
तमिलनाडु	186	42	228	117	26	143
उत्तर प्रदेश	24	26	50	12	18	30
पश्चिम बंगाल	21	116	137	30	150	180
अन्य	23	8	31	16	4	20
योग	665	432	1,097	437	356	793

ह. = हड़ताल

ता. = तालाबंदी

कुल = हड़तालों तथा तालाबंदी की कुल संख्या

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला

प्राकृतिक आपदाओं हेतु धनराशि

7927. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण परियोजनाओं को क्रियान्वित न किए जाने के कारण देश में सूखा और अकाल जैसी स्थितियां आती हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा धनराशि जारी और स्वीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान धनराशि की कमी के कारण अधर में लटकी परियोजनाएं कौन–कौन सी हैं और कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(घ) क्या सरकार का विचार धनराशि के आबंटन के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (घ) सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तत्काल राहत उपाय शुरू करने हेतु हर वर्ष राज्यों का आपदाराहत कोष से सहायता पहुंचायी जाती है। ऐसी सूचना मिली है कि भूसंसाधन विभाग ने सूखा प्रबण क्षेत्रीय कार्यक्रम (डी. पी. ए. पी.) और मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी. डी. पी.) चलाने की सूचना दी है। उनके अनुसार 13 राज्यों के 164 जिलों के 947 खण्डों को डी. पी. ए. पी. के अंतर्गत कवर करने के लिये अभिज्ञात किया गया है और 7 राज्यों के 40 जिलों के 277 ब्लाकों को डी. डी. पी. के

अंतर्गत कवर करने के लिए अभिज्ञात किया गया है। इस समय, डी. पी. ए. पी. के अंतर्गत 8335 परियोजनाएं और डी. डी. पी. के अंतर्गत 3694 परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। यदि परियोजना की वित्तीय प्रगति वित्तीय मानकों के अनुसार संतोषजनक पायी गयी है तो सूचनानुसार न तो किसी परियोजना को धन की कमी के कारण रोका गया है और न ही धन को जारी होने से ही रोका गया है।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

7928. श्री अधीर चौधरी :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिला और ग्राम स्तरीय बोर्ड स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परमाणु प्रक्षेपास्त्रों में कमी

7929. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस तथा अमेरिका के राष्ट्रपति परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की संख्या में कमी लाने के लिए एक शिखर बैठक बुलाने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इस विषय में प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) रूस ने कहा है कि वह अमरीका के साथ अन्योन्य आधार पर अपने सामरिक आक्रामक हथियारों को हेलसिंकी में 1997 में हुए रूसी– अमरीकी करार के प्रावधानों से भी एक स्तर अर्थात, 2000–2500 के स्थान पर 1500 स्फोटक शीर्ष तक कम करने के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति और अमरीकी राष्ट्रपति के बीच एक शिखर सम्मेलन जून, 2000 में होना तय हुआ है। विगत की भांति द्विपक्षीय नाभिकीय शस्त्रों को कम करने के भावी उपायों पर विचार–विमर्श किए जाने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और अफगानिस्तान के मध्य राजनयिक संबंध

7930. श्री अब्दुल हमीद :

श्री आर. एल. भाटिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगान सरकार ने भारत से राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा) : (क) और (ख) भारत राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है और अफगानिस्तान इस्लामिक राज्य के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध रखता है।

सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद्

7931. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी प्रमुख नगरों में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान इन संवर्धन परिषदों द्वारा कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के सॉफ्टवेयर, आनुषंगिक वस्तुओं के साथ–साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(घ) सरकार द्वारा भारत में 'ई–कामर्स' को बढ़ावा देने और प्रचार के लिए कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं और इस पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उपभोक्ताओं की क्या प्रतिक्रया है; और

(ङ) इस समय भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में कितनी धनराशि लगी है, उनका वार्षिक व्यय क्या है और गत तीन वर्षों में इन उद्योगों द्वारा सरकार को क्या आमदनी हुई ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) इलेक्ट्रॉनिक तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद् का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा एक क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर में हैं।

वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 में इलेक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात की स्थिति विवरण में दी गई है।

(घ) देश में ई–वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ मुख्य कदम इस प्रकार हैं:

(1) सरकार ने आईएसपी नीति कार्यान्वित की है तथा देश में आईएसपी सेवाएं प्रदान करने के लिए 307 पार्टियों को लाइसेंस दिया गया है। इन आईएसपी को वीएसएनएल से अलग स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

(2) दूरसंचार विभाग ने भी देश में 75 दूरसंचार जिलों में इन्टरनेट नोड स्थापित किए हैं।

(3) लोक सभा ने इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक आंकडा इन्टरचेंज को वैध–ढांचा उपलब्ध कराने के तथा कम्प्यूटर के दुरुपयोग एवं कम्प्यूटर अपराधों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 दिनांक 16 मई, 2000 को पारित कर दिया है।

(4) ई–वाणिज्य के क्षेत्र में सुरक्षा उत्पाद तथा अनुप्रयोग का विकास करने के लिए सीएमसी, हैदराबाद में एक उत्कृष्टता केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को लाइसेंस–मुक्त कर दिया गया है। सरकार उनके वार्षिक व्यय तथा आय के ब्यौरे इकट्ठे नहीं करती है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में राजस्व का सृजन बिक्री कर, उत्पाद–शुल्क तथा सीमा–शुल्क जैसी विभिन्न प्रकार की उगाही तथा करों के जरिए करती है। ये उगाहियां विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती हैं। प्राप्त राजस्व का कोई समेकित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिक तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद
इलेक्ट्रॉनिक/कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं का निर्यात

क्षेत्र	1997–98		1998–99		1999–2000 (अनुमानित)	
	मिलियन अमरीकी डालर	करोड़ रु.	मिलियन अमरीकी डालर	करोड़ रु.	मिलियन अमरीकी डालर	करोड़ रु.
इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर						
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी	99	370	102	425	–2.35	1.18
दूरसंचार उपस्कर तथा तारें	80	300	60	250	–30.51	–28.00
उपकरण/कार्यालय	64	240	42	175	–9.00	–5.71
उपस्कर चिकित्सा उपस्कर						
इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जे	213	800	217	900	28.68	33.33
कम्प्यूटर हार्डवेयर	293	1100	72	300	96.24	103.33
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सेवाएं	1813	6800	3012	12500	4000	17000

[हिन्दी]

फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग

7932. श्री रामजी लाल सुमन :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में अत्यधिक मात्रा में कृषि उत्पाद जैसे लीची और आलू खराब हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कारण किन–किन राज्यों को राज्यवार कितना नुकसान उठाना पड़ा;

(ग) क्या सरकार ने फल प्रंसस्करण उद्योगों को स्थापित करने के लिए बढ़ावा देने का विचार किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इन क्षेत्रों में प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, सूचना, ऋण आदि प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) 1995 में भारत सरकार ने फसलोत्तर प्रबंधन, विपणन और निर्यात पर एक कार्यदल का गठन किया था। इस दल ने अनुमान लगाया था कि विभिन्न फसलों में होने वाली फसलोत्तर बरबादी की मात्रा 8 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक है। इसके अतिरिक्त, ये बरबादी विभिन्न फसलोत्तर चरणों के दौरान होती है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने अनुमान लगाया है कि ये बरबादी निम्नलिखित चरणों के दौरान होती है।

(i) फसल पकने पर और फसल पकने से पूर्व खराब होने, बिखरने एवं काटने आदि के कारण।

(ii) ढुलाई के दौरान खराब होने, घसीटा लगने, टूटने और संक्रमण के कारण।

(iii) भंडारण के दौरान वर्षा एवं नमी के कारण ज्यादा पकने या कम पकने से।

(iv) प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग के दौरान अकार्यकुशलता एवं संदूषण के कारण।

(v) विपणन के दौरान विभिन्न स्तरों से गुजरने पर भार एवं गुणवत्ता में होने वाली कमी के कारण।

अलग–अलग फसलों को, अपर्याप्त प्रसंस्करण व्यवस्था के कारण होने वाले नुकसान के राज्य–वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग खाद्य प्रंसस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुकर बनाने के लिए सहयोग देता है। अपनी योजना स्कीमों के तहत विभाग खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के वास्ते जनशक्ति के प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, सूचना तथा जानकारी के प्रसार आदि के लिए रियायती वित्त देता है और विपणन सहायता भी प्रदान करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जैसी अन्य एजेंसियां भी अपनी–अपनी स्कीमों के तहत सहायता देती हैं।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र

7933. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में कुछ इकाइयां विद्युत उत्पादन नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की इकाइयों को चालू रखने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के परमाणु बिजलीघरों का उत्पादन संबंधी कार्य–निष्पादन निम्नानुसार हैं :

वर्ष	1997–98	1998–99	1999–2000
उत्पादन (मिलियन यूनिट में)*	9618	11174	12460
क्षमता गुणक (प्रतिशत)	71	75	80

* इसके अतिरिक्त, राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट–1, जोकि सरकार के स्वामित्व वाला एक गैर वाणिज्यिक रिएक्टर है और जिसका संचालन सरकार के एक एजेंट के रूप में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड करता है, ने भी वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान क्रमशः 480 मिलियन यूनिट, 827 मिलियन यूनिट तथा 934 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया।

(ग) से (ङ) ये यूनिट ऊपर उल्लिखित अनुसार अच्छी तरह काम करते रहे हैं और वर्ष 1999–2000 के दौरान क्षमता–गुणक 80 प्रतिशत से अधिक रहने के साथ इन्होंने उत्तरोत्तर सुधार दिखाया है। तथापि रिएक्टरों को योजनागत तरीके से बंद करने और उन्हें मजबूरी में बंद करने की घटनाओं को कम करने के लिए कदम उठाना और विभिन्न उपाय करना, रिएक्टरों को बंद करने के मूल कारणों का विश्लेषण करना और उन्हें दूर करने की कार्रवाई करना, निरंतर चलने वाले कार्यकलाप हैं।

[अनुवाद]

न्यूनतम मजदूरी

7934. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कितने रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है;

(ख) तमिलनाडु में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत नहीं अपितु किसी समिति या प्रत्यक्ष अधिसूचना द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में 44 अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। जहां तक राज्य क्षेत्र का संबंध है, ऐसे नियोजनों की संख्या 1222 है।

(ख) तमिलनाडु राज्य में, 60 अनुसूचित नियोजन हैं जिनके लिए मजदूरी निर्धारित की गयी है। अनुसूचित रोजगारों के नाम तथा न्यूनतम मजदूरी दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में समिति पद्धति और अधिसूचना प्रणाली दोनों के ही माध्यम से न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का प्रावधान है।

(ङ) और (च) सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने की कार्रवाई कर रही है। तथापि, दी गयी प्रक्रिया/उसमें शामिल कार्रवाईयों के कारण कोई निश्चित समय–सीमा बता पाना संभव नहीं है।

विवरण

1.4.99 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	अनुसूचित नियोजनों के नाम	न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन (रुपये में)
1	2	3
1.	ऊनी गलीचे के निर्माण और शाल बुनाई प्रतिष्ठान में नियोजन	39.44
2.	चावल मिलें, आटा मिलें और दाल मिलें	43.54
3.	तम्बाकू विनिर्माण	
	(i) जर्दा बीड़ी लपेटना	65.48
	(ii) सादा बीड़ी रोलर्स	43.78
	(iii) सुगन्धित और खैनी तम्बाकू	36.58
	(iv) नसवार उद्योग	38.69

1	2	3
4.	कोई बागान	45.73
5.	कोई तेल	41.08
6.	सड़क अथवा भवनों का निर्माण एवं रखरखाव	67.37
7.	सार्वजनिक मोटर परिवहन	74.58
8.	चर्मशोधन एवं चमड़ा विनिर्माण उद्योग	35.57
9.	रुई ओटाई और दबाई तथा रुई अपशिष्ट	44.97
10.	नमक पैन्स	48.90
11.	कयर विनिर्माण उद्योग	50.24
12.	माचिस और आतिश बाजी उद्योग	41.58
13.	हौजरी	मजदूरी पिछली बार 30.8.60 को 1.55 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई थी सरकार ने मजदूरी में संशोधन नहीं करने का निर्णय लिया है।
14.	ईंट और टाइल उद्योग	42.35
15.	लान्डरी और कपड़े धोना (ऊनी कपड़ों सहित)	72.27
16.	इमारती लकड़ी उद्योग	65.87
17.	साबूदाना उद्योग	49.13
18.	आटो मोबाइल वर्कशाप	57.27
19.	विद्युत करघा	43.45
20.	काजू गिरी	49.75
21.	सोने और चांदी की वस्तुएं	53.60
22.	हथकरघा सिल्क बुनाई उद्योग	उजरती दर विद्यमान है
23.	हथकरघा बुनाई	उजरती दर विद्यमान है
24.	होटल और रेस्तरां	48.77
25.	मुद्रणालय	44.52
26.	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	48.13
27.	सिनेमा उद्योग	70.34
28.	चलचित्र उद्योग	53.06
29.	कृत्रिम रत्न तराशना	उजरती दर विद्यमान है
30.	सामान लादन और उतारना	35.00 + परिवर्ती महंगाई भत्ता

1	2	3
31.	वॉट लीक टी फैक्टरी	59.60
32.	बरतन पात्र विनिर्माणशाला	41.58
33.	विरंजन और रंगाई	59.37
34.	दर्जीगीरी	43.20
35.	सरकारी तथा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और औषधालय के अलावा अस्पताल तथा नर्सिंग होम	58.32
36.	कहवा संसाधन कार्य	38.83
37.	साबुन विनिर्माणशाला	67.32
38.	ऑटो रिक्शा तथा टैक्सी	48.53
39.	जनरल इंजीनियरिंग फ्रेब्रिकेशन इंडस्ट्री	63.92
40.	टिन विनिर्माणशालाएं	48.32
41.	ताड़ी उतारना	79.00
42.	समुद्री भोजन उद्योग	45.29
43.	वायु मिश्रित जल विनिमार्णशाला तथा शीतल पेय विनिर्माणशाला	43.36
44.	फुटवियर निर्माण उद्योग	89.76
45.	चमड़ा वस्तु विनिर्माण	89.76
46.	पोलीथीन प्रक्रिया फोम सामान	60.80
47.	बेकरी और बिस्कुट	41.58
48.	टाट उद्योग	72.80
49.	सिल्क मरोड़ना	46.58
50.	बढ़ईगिरी और लोहारगिरी	66.58
51.	इलेक्ट्रानिक उद्योग	55.74
52.	अप्पालम विनिर्माण	47.97
53.	नारियल छीलना उद्योग	41.58
54.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	60.79
55.	कागज और अन्य संबद्ध प्रक्रिया	51.36
56.	रेशम कीट पालन	46.58
57.	नीरा उतारना	90.74

1	2	3
58.	स्थानीय प्राधिकरणों में रोजगार	किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन के बारे में राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की आगामी बैठक में इस विषय को रखते हुए स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा कोई निर्णय लिए जाने के लिए श्रम आयुक्त द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
	भाग-II	
59.	कृषि	54.00
60.	वनप्रांत में रोजगार	49.55

लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

7935. श्री नरेश पुगलिया : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास महाराष्ट्र की लम्बित बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कौन–कौन सी हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान क्या उन्हीं सिंचाई परियोजनाओं को राज्य सरकारों को लौटा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सिंचाई परियोजनाओं को कब तक अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) महाराष्ट्र की जिन सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण/वन दृष्टिकोण से स्वीकृति की आवश्यकता है उनका नाम इस प्रकार है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वृहद/मध्यम
1	2	3
1.	दूधगंगा सिंचाई	वृहद
2.	वर्ना	वृहद
3.	लोअर उन्ना	वृहद
4.	संगोला शाखा नहर	वृहद
5.	तालंबा सिंचाई परियोजना	वृहद
6.	उतवाली	मध्यम

(ख) जी., नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन परियोजनाओं का अंतिम अनुमोदन महाराष्ट्र सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के सर्वेक्षण की अनुपालना करने पर निर्भर करता है।

प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी

7936. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, देश में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी की स्वीकृति देने की, कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं जहां ऐसी नीति लागू की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के मजदूर संघों के साथ एक परामर्शदात्री तन्त्र स्थापित करने का है जिससे जहां यह अभी लागू नहीं किया जा सका है वहां प्रबंध में कामगारों की भागीदारिता सुनिश्चित की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी हां, स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अधीन इस्पात संयंत्रों में कामगारों को प्रबंधन में भागीदारी देने के लिए संगठनात्मक संरचनाएं हैं ताकि कंपनी और संयंत्र के विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय निर्णय लिए जा सकें। ये निम्न प्रकार हैं :

(1) इस्पात उद्योग की राष्ट्रीय संयुक्त समिति जिसका मुख्य उद्देश्य कामगारों के लिए मजदूरी संबंधी समझौता और उसका कार्यान्वयन, उत्पादकता, गुणवत्ता, लागत की कमी, कल्याण संबंधी सुविधाएं देने से संबंधित मामलों पर बातचीत करना है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एन. जे. सी. एस. का सदस्य नहीं है।

(2) इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी संयुक्त समिति जो इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उद्योग स्तर पर द्विपक्षीय शीर्ष मंच है।

(3) सेल की उत्पादन और उत्पादकता समिति उत्पादकता से संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श करने के लिए कंपनी का शीर्ष स्तर का द्विपक्षीय मंच है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में निगमित, विभाग और शॉप स्तरों पर 65 द्विपक्षीय प्रतिभागी समितियां हैं, जो उत्पादन, उत्पादकता गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रोत्साहन कार्य आवर्तन, तैनाती आदि से संबंधित मुद्दों पर प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी के लिए प्रमुख मंचों की व्यवस्था करती हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रचार पर व्यय

7937. श्री रामजी मांझी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 हेतु पशु पालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार हेतु कितनी धनराशि स्वीकृति की गई और यह गत तीन वर्षों की तुलना में कितनी है;

(ख) वर्ष 2000–2001 हेतु इस आबंटन में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या धनराशि का पूर्ण और प्रभावी उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) स्थिति निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)

वर्ष	स्वीकृत बजट अनुदान	
	योजना	गैर योजना
1996–97	–	2.00
1997–98	–	2.00
1998–99	–	3.00
1999–2000	2.00	3.00

(ख) इंटरनेशनल देस इपीजूटीस कार्यालय, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट अथवा उत्कृष्ट सेवा देने में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार देने के लिए एक गोल्ड मेडल तथा तीन प्रशंसा मेडल शुरू किए हैं। भारत इंटरनेशनल देस इपीजूटीस कार्यालय का सदस्य है और इसलिए इन पुरस्कारों के लिए नामांकन कर सकता है। नामांकनों की जांच के लिए समिति गठित की गई है। समिति को भारत में निजी व्यक्तियों तथा संगठनों से पूर्व में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। अतः अब यह निर्णय लिया गया है कि व्यक्तियों तथा निजी क्षेत्र से भी नामांकन प्राप्त करने के लिए इन पुरस्कारों को बड़े स्तर पर प्रचारित किया जाए। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी जिसके लिए 2000–2001 के बजट प्राक्कलन के दौरान इस शीर्ष के तहत 28.00 लाख रुपये का योजना बजट प्रस्तावित किया गया है।

पशुधन/डेयरी क्षेत्र तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के बीच उचित समन्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण योजना – "पशु प्रणाली परियोजना" शीर्षक की योजना स्कीम के तहत अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने तथा सम्मेलन/कार्यशाला आयोजित करने के लिए अच्छे एवं व्यवहार्य प्रस्ताव मंगाने के लिए प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए गैर–योजना में अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। बजट में सूचना प्रौद्योगिकी योजना के लिए हार्डवेयर आदि के लिए टेंडर जारी करने तथा सामान्य भर्ती नोटिसों के लिए व्यय देयता भी शामिल है।

(ग) और (घ) धनराशि का उपयोग जारी किए जाने वाले भर्ती नोटिसों की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

तटवर्ती उड़ीसा का पुनर्निर्माण करना

7938. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए मास्टर योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) 29.10.1999 को उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में महाचक्रवात आने के तुरंत बाद तात्कालिक बचाव एवं राहत कार्यों का निरीक्षण करने के अतिरिक्त चक्रवात प्रभावित इलाकों में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण हेतु एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यदल (एच पी टी एफ) का गठन किया गया था। एच पी टी एफ ने उड़ीसा के तूफान प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य, जल एवं सफाई, आश्रय, खाद्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण तथा सामाजिक क्षेत्रकों में विभिन्न मध्यम व दीर्घ अवधि के उपायों की अनुशंसा की। जैसाकि एच पी टी एफ द्वारा अनुशंसा की गई थी, भारत सरकार ने, उच्च स्तर पर पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास मामलों पर विचार करने के लिए 24 फरवरी, 2000 को उड़ीसा चक्रवात पुनर्निर्माण प्राधिकरण (ओसीआरए) का गठन किया है। ओसीआरए के अध्यक्ष रक्षा मंत्री हैं तथा वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। अब से, ओ सी आर ए, पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने तथा उनके कार्यान्वयन सहित उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित तटवर्ती जिलों में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण हेतु एच पी टी एफ का स्थान लेगा।

(ख) और (ग) उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित तटवर्ती क्षेत्रों के पुनर्निर्माण हेतु उड़ीसा को निम्नानुसार सहायता प्रदान की गई है:

बाढ़/चक्रवात आने पर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एम एफ सी आर) से सहायता	828.15 करोड़ रुपये
1999–2000 हेतु आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश	42.50 करोड़ रुपये
पुनर्वास हेतु अग्रिम सहायता	450 करोड़ रुपये
पुनर्निर्माण कार्य के तत्काल चरण हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रतिपक्षीय वित्त–पोषण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43.00 करोड़ रुपये

वृद्धावस्था

7939. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से वृद्धाश्रमों के निर्माण की योजना घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और उसके लिए पहचान किए गए क्षेत्र और इस कार्य के लिए आबंटित गैर–सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) वृद्धों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद क्या–क्या कार्य करती है और अभी तक उसकी उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) वृद्धों से संबंधित राष्ट्रीय नीति को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां। वृद्धाश्रमों के निर्माणार्थ पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना 1996–97 से कार्यान्वित की जा रही थी और इसे 1998–99 के दौरान संशोधित एवं व्यापक बनाया गया। संशोधित योजना जिसका नाम वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माणार्थ पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठन/स्व–सहायता समूहों को सहायता की योजना है, के अंतर्गत पात्र संगठनों को एकमुश्त अनुदान के रूप में 30 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं।

(ख) वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के लिए बजट आबंटन क्रमशः 393.00 लाख रुपये, 163.00 लाख रुपये, 239.00 लाख रुपये और 239.00 लाख रुपये रहा है। इस प्रकार किसी क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है। यह अनुदान वृद्धाश्रमों अथवा किसी बहु सेवा केन्द्र के निर्माण के लिए उन गैर–सरकारी संगठनों/स्व सहायता समूहों तथा पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाता है, जो सरकार के पास पूर्ण प्रस्तावों के साथ आते हैं और पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। गैर–सरकारी संगठनों के राज्यवार ब्यौरे तथा इस उद्देश्य के लिए उन्हें प्रदान की गई धनराशि को दर्शानेवाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (एन. सी. ओ. पी.) के मूल कार्य निम्नलिखित होंगे :

(1) सरकार को वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में सलाह देना;

(2) वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशेष कार्यक्रम/पहल के संबंध में सरकार को जरूरी सूचना प्रदान करना;

(3) वयोवृद्ध व्यक्तियों के सर्वोत्तम हितों का समर्थन करना;

(4) वृद्ध व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वरूप की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल स्थान उपलब्ध कराना।

(5) वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार और निगमित क्षेत्र दोनों के साथ रियायत छूट और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए समर्थन जुटाना;

(6) वृद्ध व्यक्तियों के सामूहिक मत का सरकार तक प्रतिनिधित्व करना;

(7) वृद्धावस्था को उत्पादक और सुखद बनाने के लिए उपाय सुझाना;

(8) अन्तर–पीढ़ीगत संबंध की गुणवत्ता में वृद्धि के उपाय सुझाना;

(9) वृद्ध व्यक्तियों के सर्वोत्तम हितों में कोई अन्य कार्य या कार्यकलाप शुरू करना।

एन सी ओ पी प्रत्येक वृद्ध व्यक्तियों से सुझाव/शिकायतें तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिए पदनामित कार्यालय भी हैं। एन सी ओ पी वृद्ध व्यक्तियों के विचारों का संग्रह करने और उन्हें आवधिक रूप से सरकार तक विशेष रूप से तैयार किए गए तंत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विचार–विमर्शों का भी आयोजन करेगा। वयोवृद्ध व्यक्तियों के हितों के समर्थन के क्रम में एन सी ओ पी सार्वजनिक मंच, मीडिया, न्यायालयों तथा अन्य उपयुक्त माध्यमों का भी उपयोग करेगा।

एन सी ओ पी के कार्य समूह ने अब तक दो बैठकें आयोजित की हैं। आधार नामक एन सी ओ पी के सचिवालय ने दिसम्बर, 1999 से कार्य करना शुरू कर दिया है और अलग–अलग वृद्ध व्यक्तियों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से सुझाव/शिकायतें और आपत्तियां प्राप्त कर रहा है और उन पर नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

(घ) सरकार ने जनवरी, 1999 में वयोवृद्ध व्यक्तियों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। इस नीति के अंतर्गत सरकार के भीतर तथा सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों के बीच अन्तर–क्षेत्रीय सहयोगों और सहकारिता के लिए एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया गया है। विशेषकर इस नीति के अंतर्गत देश में वृद्धजनों के कल्याण के लिए हस्तक्षेप, वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, आश्रय, शिक्षा, कल्याण जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा से संबंधित अनेक क्षेत्रों की पहचान की गई है। सरकार ने इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए मई, 1999 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस मंत्रालय द्वारा वृद्धावस्था एवं आय सुरक्षा संबंधी परियोजना (ओएसिस) भी शुरू की गई है। जिसने सरकार को अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह नीति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को उनसे संबंधित कार्रवाई के मुद्दों पर कार्रवाई योजनाएं तैयार करने के अनुरोध के साथ परिचालित कर दी गई हैं। तब से इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना का एक मसौदा केन्द्रीय स्तर पर भी तैयार किया गया है। इस राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखकर वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित इस मंत्रालय की दोनों वर्तमान योजनाओं की समीक्षा की गई है और इन्हें संशोधित किया गया है ताकि उन्हें वृद्ध व्यक्तियों की विविध जरूरतों को पूरा करने में समर्थ होने के लिए लचीला बनाया जा सके। इस मंत्रालय के अनुरोध पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करने की सलाह दी है इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोधों के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अस्पतालों में सभी स्तरों पर वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग पंक्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। इस मंत्रालय की पहल पर और वित्तीय सहायता से वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक टेलीफोन हेल्पलाईन नई दिल्ली में अप्रैल, 1999 से कार्य कर रही है। एन सी ओ पी के सचिवालय के रूप में स्थापित 'आधार' भी वृद्ध व्यक्तियों की व्यक्तिगत कठिनाइयों/शिकायतों को दूर करने के लिए एक ब्यूरो के रूप में दिसम्बर, 1999 से कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, जो इस मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है ने युवा व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को वयोवृद्ध विकलांग व्यक्तियों की देखभल करने के लिए आवश्यक सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार संपन्न बनाने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए "वयोवृद्ध विकलांग व्यक्तियों की घरेलू देखभाल" के संबंध में अगस्त, 1999 में एक छःमाही पाठ्यक्रम शुरू किया है।

विवरण

वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माणार्थ पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व–सहायता समूहों को सहायता (वर्ष 1996–97 से शुरू योजना)

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	गैर–सरकारी संगठन	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5	6
1.	**आंध्र प्रदेश**				
1.	पूर्वी गोदावरी जिला				
1.	ए. एम जी. इंडिया इंटरनेशनल गुंटूर	–	–	–	10.00
2.	कोसमोपोलिटन रिक्रेशनल सेंटर, रवुलपलेम	–	–	–	10.00
2.	नैलोर जिला				
1.	के. एस. आर. मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट फार रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद	–	–	–	10.00
3.	श्रीकाकुलम जिला				
1.	श्री श्रीकाकुलम इल्डर्स एसोसियेशन	–	–	–	10.00
4.	मेढक जिला				
1.	सेवाश्रम, हैदराबाद	–	–	–	10.00
2.	**असम**				
1.	नलबारी जिला				
	बंगाल रोड नवोदय संघ	–	2.50	–	–
2.	दरांग जिला				
1.	धुला रिजनल फिजीकली हैण्डिकैप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन धुले	–	–	4.15	–
3.	नागौन जिला				
1.	बहुमुखी कृषि अरू समाज कल्याण समिति, नूर	–	–	21.00	6.00
2.	असम ग्राम्य पुथिवारेल संस्था हैवरगांव	–	–	3.74	–
4.	मैलाकान्ति जिला				
1.	डब्ल्यू ओडी डब्लयू आई सी एच ई ई लकसिरवोंड	–	–	10.05	–
5.	कामरूप जिला				

1	2	3	4	5	6
1.	आई एल ए ट्रस्ट देहली (गुहाटी में परियोजना)	–	–	–	12.70
3.	**हरियाणा**				10.16
1.	अंबाला जिला				
1.	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी अंबाला सिटी	–	2.50	18.50	9.00
2.	कुरूक्षेत्र जिला				
1.	प्रेना श्री जकलामुखी मंदिर कुरूक्षेत्र	–	2.50	2.50	–
3.	रोहतक जिला				
1.	मानव सेवा संघ रोहतक	–	2.50	2.50	–
4.	सोनीपत जिला				
1.	बाल ग्राम	–	2.50	–	–
5.	हिसार जिला				
1.	विश्वास	–	–	–	10.00
6.	यमुनानगर				
1.	रेड क्रास सोसाइटी	–	–	–	10.00
4.	**केरल**				
1.	स्नेह भवन सेंट स्टीफनस चेरिटेबल सोसायटी	–	2.50	–	–
2.	एर्नाकुलम जिला				
1.	पारावुर म्युनिसिपेलटी नार्थ	–	–	2.50	–
2.	मुरथुपुजहा	–	–	3.50	–
3.	जिला				
1.	वाईज निवास चित्तंक्कल	–	–	3.50	–
4.	कोट्टायम जिला				
1.	दीप्ति सेंटर अरूविथरा	–	–	3.50	–
5.	पठानम्थीला जिला				
1.	अभय भवन सोसायटी मुथुर	–	–	4.50	–
5.	**महाराष्ट्र**				
1.	अहमदनगर जिला				
1.	नेताजी सुभाष टाउन मंडल ट्रस्ट, ताल अहमदनगर (निम्बाल्क में परियोजना) अगानेदवागर	5.00	–	–	–

1	2	3	4	5	6
2.	अकोला जिला				
1.	श्री गुरूदत्त शिक्षण प्रसारक मंडल, सीता उन्नयम (सिनोदय कामेलखेड़ में परियोजना)	5.00	–	–	–
3.	अमरावती जिला				
1.	प्रबोधंक थाकरे शिक्षण संस्थान अमरावती (राजा पेठ, बाजार मार्केट में परियोजना)	5.00	–	–	–
4.	औरंगाबाद जिला				
1.	जीवनभाई तपाड़िया चेरिटेबल ट्रस्ट मऊ सूलीभजन द. खुलताबाद (दखुलताबाद, सूलीहाजन में परियोजना)	5.00	–	–	–
5.	बीड जिला				
1.	अंकुर प्रतिष्ठान संशोधन संस्थान अम्बेजोगाई बीड (अंबेजोगाई में परियोजना)	5.00	–	–	–
6.	भंडारा जिला				
1.	विद्यासागर एजुकेशन सोसाइटी गोंदिया (ग्राम तहसील गोंदिया में नागरा रोड के निकट कटिंगी में परियोजना)	5.00	–	–	–
7.	चन्द्रपुर जिला				
1.	भारतीय समाज सेवा संघ, मऊ भीमकुंड (में परियोजना)	5.00	–	–	–
8.	जिला				
	डा. के. एल. दुगल स्मृति समिति (जामनगरी मेंहनल गांव सकरी में परियोजना)	5.00	–	–	–
9.	गोडचिरोली जिला				
1.	आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल गढ़चिरोली (गढ़चिरोली में परियोजना)	5.00	–	–	–
10.	जलगांव जिला				
1.	केशव स्मृति वृद्धा आश्रम सेवरशडे जलगांव (सेवरखेड़े में परियोजना बुद्रिक तहसील जलगांव)	5.00	–	–	–

1	2	3	4	5	6
11.	जालन जिला				
1.	शिवबा प्रतिष्ठान जालन (गनेदनगर में परियोजना अंबाड रोड, जालन)	5.00	–	–	–
12.	कोल्हापुर जिला				
1.	सिदधे महिला मंडल, अदत, तह. हात कांगला (अदत में परियोजना हतकांगला)	5.00	–	–	–
13.	लातूर जिला				
1.	श्री विवेकानन्द मेडिकल फाउडेशन रिसर्च सेंटर लातूर (अरवी में परियोजना तह. लातूर)	5.00	–	–	–
14.	नागपुर जिला				
1.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ सवनेर (आदसा परियोजना तह.)	5.00	–	–	–
15.	नन्देड जिला				
1.	श्री कनोबा शिक्षण प्रसारक मंडा. मदनापुर तह. किनवीत (पिंगली में परियोजना)	5.00	–	–	–
16.	नाशिक जिला थारलियमानसाहब जीजान सेवा संस्था समनगांव, (समनगांव में परियोजना तह. नासिक)	5.00	–	–	–
17.	ओसमानाबाद जिला	5.00	–	–	–
1.	श्री तुल्याजभवानी मंदिर संस्थान तुलियापुर, ओसमानाबाद (सिंघफल में परियोजना तह. तुलजापुर)				
19.	पुणे जिला				
1.	शिवराज प्रतिष्ठान हिंगने, तह. हवेली (हिंगने में परियोजना तहसील हवेली)	5.00	–	–	–
20.	रत्नागिरी जिला				
1.	शिवतेज आरोग्य सेवा संस्था अंबुजा, तह. खेड़ (अमेयु में परियोजना तहसील खेड़)	5.00	–	–	–
21.	सतुरी जिला				

1	2	3	4	5	6
1.	ज्योर्तिमयी स्वयं सेवा संस्था सतारा (में परियोजना)	5.00	–	–	–
22.	मिक्षण प्रचारक मंडल, संग्यू (कनकावती में परियोजना तह. कनकावती)	5.00	–	–	–
23.	सोलापुर जिला				
1.	सदगुरू शिक्षण प्रचारक संस्था पंढरपुर (पंढरपुर में परियोजना)	5.00	–	–	–
24.	थाणे जिला				
1.	जीवन संध्या मांगूल्या सोसाइटी थाणे (सूरा में परियोजना तह. भावंडी)	5.00	–	–	–
25.	योतमल जिला				
	संस्कृति सवंर्धक मंडल मन. निकोना (निकोना में परियोजना तह. योतमल)	5.00	–	–	–
26.	वर्धा जिला				
1.	मत्रु सेवा संघ पिमरी मेघ, वर्धा (पिमकपरी मेघ में परियोजना तह. वर्धा)	5.00	–	–	–
6.	**नई दिल्ली**				
	आर्शीवाद	–	–	–	10.00
7.	**उड़ीसा**				
1.	कटक जिला				
	वीमेनंस मोरल एजुकेशन सेंटर सबलपुर बेन्तकर	–	–	3.50	–
8.	**पंजाब**				
1.	भंटिडा जिला				
1.	आल इंडिया गुरूनानक मिशन, भंटिडा	–	–	3.50	1.50
2.	जालधंर जिला				
1.	गुलाब देवी मेमोरियल ट्रस्ट, जालंधर	–	10.00	10.00	–
3.	पटियाला जिला				
1.	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, पटियाला	–	–	7.00	–

1	2	3	4	5	6
2	संघु बसंत ट्रस्ट	–	–	–	10.00
4.	फरीदकोट जिला				
1.	रेड क्रास सोसायटी	–	–	–	10.00
5.	मनसा जिला				
1.	रेड क्रास सोसायटी	–	–	–	10.00
9.	**चंडीगढ़**				
1.	श्री सत्य सांई ट्रस्ट	–	–	–	10.00
10.	**राजस्थान**				
1.	जयपुर जिला				
1.	भारतीय समाज कल्याण परिषद	–	2.50	–	–
2.	श्री गंगानगर जिला				
1.	विवेक आश्रम	–	–	5.00	–
	मानव कल्याण समिति				
	श्रीगंगानगर				
3.	जोधपुर जिला				
1.	ओपियम डिइडिक्शन सेंटर मनेकलाव	–	–	–	10.00
11.	**तमिलनाडु**				
जिला					
1.	चेतना विकास परथीबानीन	–	2.50	–	–
2.	कोयम्बटूर जिला				
	श्री अनुवशीलिंगम एजुकेशन ट्रस्ट इंस्टीटयूट	–	–	12.00	–
3.	जिला				
	रेड क्रास सोसायटी	–	–	–	10.00
12.	**उत्तर प्रदेश**				
1.	गाजीपुर जिला				
1.	कृषक विकास समिति, मोहम्मदाबाद	–	–	3.49	–
2.	बलिया जिला	–	–	–	21.00
1.	मार्टयर्स मेमोरियल ट्रस्ट बलिया				

1	2	3	4	5	6
3.	पीलीभीत जिला				
1.	वृष सेवा संस्थान पीलीभीत	–	–	21.00	6.00
13.	**पश्चिम बंगाल**				
1.	मिदनापुर जिला				
1.	हिटल जोरे कोशोरीबाला दातव्य चिकित्सालय	–	–	3.70	–
2.	जिला				
	सोम्योलोक विश्व सेवा निकेतन	–	–	–	10.00
14.	**मणिपुर**				
1.	थोउबल जिला				
1.	वोलन्टियर्स फार रूरल हैल्थ एंड एक्सनस	–	–	–	10.00
15.	**पांडिचेरी**				
1.	यनम ओल्ड एज होम यनम	–	–	6.00	–
16.	**हिमाचल प्रदेश**				
1.	शिमला जिला				
1.	एज केयर इण्डिया	–	–	–	10.00

लघु उद्योगों में रोजगार सृजन

7940. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार सृजन, कुल औद्योगिक उत्पादन और निर्यात के मामले में लघु उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है;

(ख) इस क्षेत्र के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र को विकसित और सुदृढ़ करने के लिए उक्त नीति कितनी मददगार साबित हुई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) वर्ष 1998–99 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन करने में योगदान अनुमानतः 35.45 प्रतिशत रहा। कुल औद्योगिक उत्पादन और निर्यातों में लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान क्रमशः 39.07 प्रतिशत और 34.59 प्रतिशत रहा।

(ख) सरकार की मौजूदा नीति लघु उद्योग क्षेत्र को और अधिक जीवन क्षमता और विकास प्रोत्साहन प्रदान करने की है ताकि अर्थ–व्यवस्था में विशेष रूप से आउटपुट रोजगार और निर्यातों की वृद्धि शर्तानुसार अपने पूर्ण माइट का अंशदान कर सके।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत उपायों से लघु उद्योग क्षेत्र को सतत् वृद्धि दर बनाये रखने, वृद्धि में पर्याप्त रूप से आउट पुट की अंशदान करने, रोजगार सृजित करने, विदेशी मुद्रा अर्जित करने और एक सुदृढ़ उद्यमिता आधार विकास करने में सहायता मिली है।

सरकारी उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी

7941. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सांसदों ने प्रधान मंत्री को दिनांक 17.12.1996, 1.9.1997 और 23.7.1998 को दिए गए अपने अभ्यावेदनों में सरकारी उपक्रमों और उद्यमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को मुख्य कार्यकारी, कार्यकारी निदेशकों, अंशकालिक अध्यक्षों तथा प्रबंधन बोर्ड में सरकारी और गैर–सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त करने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कितने व्यक्तियों के नामों को अंतिम रूप दिया और उनकी नियुक्ति की गई;

(घ) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के थे और ऊपर निर्दिष्ट कुल संख्या में से इनका प्रतिशत क्या रहा;

(ङ) उक्त पदों हेतु व्यक्तियों का चयन करने वाली चयन समिति का स्वरूप क्या है तथा इसके सदस्य कौन–कौन हैं और इन बोर्डों/समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की सहभागिता/संबद्धता के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसदीय फोरम द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों में अन्य बातों के साथ–साथ, राज्यपालों, राजदूतों, योजना–आयोग के सदस्यों, भारत सरकार के सचिवों, संघ लोक सेवा आयोग, लोक उद्यम चयन बोर्ड के सदस्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विकास हेतु व्यापक उपाय करने का आग्रह किया गया।

दिनांक 3.3.1987 के संकल्प संख्या 27 (21)/ई.ओ/86(ए. सी. सी.) में प्रतिपादित नीति, निष्पक्ष और व्यक्ति निरपेक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रके उपक्रमों में, स्तर–I (मुख्य कार्यपालक) और स्तर–II (निदेशक) के पदों और समय–समय पर सरकार द्वारा निश्चित किए जा सकने वाले अन्य किसी स्तर के बोर्ड के स्तर के पदों पर उत्कृष्ट व्यावसायिक प्रबंधक नियुक्त किए जाने के बारे में है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड के स्तर के पदों पर नियुक्ति किए जाने की दृष्टि से व्यक्तियों का चयन करने हेतु अपनाए गए मानदंडों में जाति एक मानदंड नहीं है। अतः ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या में संबंधित जानकारी न तो उपलब्ध है और न ही यह जानकारी रखी जाती है।

जैसा कि भारत सरकार के दिनांक 3.3.1987 के उपर्युक्त यथासंशोधित संकल्प में निर्धारित है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड के स्तर के पदों पर नियुक्ति के बारे में सिफारिशें करने वाले निकाय के रूप में, लोक–उद्यम–चयन–बोर्ड (पी. ई. एस. बी.) में एक अंशकालीन अथवा पूर्णकालीन अध्यक्ष और तीन पूर्णकालीन सदस्य होते हैं और वे ऐसे व्यक्ति होने अपेक्षित हैं जिनका सार्वजनिक अथवा गैर–सरकारी (निजी) निगमों में प्रबंधन अथवा लोक प्रशासन का सुदीर्घ और प्रतिष्ठित कैरिअॅर रहा हो और वरीयतः कार्मिक, वित्त, उत्पादन अथवा विपणन के क्षेत्र में जिनकी उपलब्धियों का प्रामाणिक रेकॉर्ड रहा हो। लोक उद्यम चयन बोर्ड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रखे जाने/सहयोजित किए जाने के बारे में कोई सुस्पष्ट प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

फल और सब्जियों का प्रसंस्करण

7942. प्रो. दुखा भगत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी मात्रा में फलों तथा सब्जियों का उत्पादन और प्रसंस्करण हुआ;

(ख) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संपूर्ण विकास में मुख्य रूप से कौन–कौन सी बाधाएं हैं; और

(ग) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अपर्याप्त विकास को देखते हुए हालांकि भारत विश्व में फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इस उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) 1997–98 के दौरान देश में फलों और सब्जियों का उत्पादन 1128.82 लाख मी. टन था। अनुमान है कि फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत से कम प्रसंस्कृत किया जाता है।

(ख) प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को पेश आ रही मुख्य रुकावट कम मांग–उत्पादन की कम मात्रा–प्रति यूनिट अधिक लागत और फिर कम मांग है। इस क्षेत्र को उद्यमी अधिक जोखिम और कम लाभ वाला क्षेत्र समझते हैं।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुकर बनाने के लिए सहयोग देता है। अपनी योजना स्कीमों के तहत विभाग खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के वास्ते जनशक्ति के प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, सूचना तथा जानकारी के प्रसार आदि के लिए रियायती वित्त देता है और विपणन सहायता भी प्रदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जैसी अन्य एजेंसियां भी अपनी–अपनी स्कीमों के तहत सहायता देती हैं।

[अनुवाद]

करमापा को राजनीतिक शरण

7943. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने करमापा को भारत में रहने की गैर–सरकारी तौर पर अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) अपने अनुयाइयों द्वारा 17वें ग्यालवा करमापा के रूप में माने जाने वाले लामा उग्येन थिनले दोरजी 5 जनवरी, 2000 को तिब्बत से निकलकर धर्मशाला पहुंच गए। लामा उग्येन थिनले दोरजी के भारत आगमन पर चीन का सरकारी रूख यह है कि लामा उग्येन थिनले बौद्ध कर्मकाण्डों के "वाद्य–वृन्दों को प्राप्त करने और पूर्ववर्ती करमापाओं द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली काली टोपी को लेने के लिए" विदेश गये थे। चीनी पक्ष से यह अनुरोध किया गया है कि तिब्बत से भारत के लिए उनके प्रस्थान करने की परिस्थितियों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी से अवगत कराएं। भारत और चीन राजनयिक माध्यम से संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों ने पंचशील के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और विकास के प्रति संतोष व्यक्त किया है।

प्राकृतिक संसाधनों को पट्टे पर देना

7944. सरदार बूटा सिंह :

श्री रामदास आठवले :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली डॉ. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्राकृतिक संसाधनों के पट्टे पर देने के लिए लाइसेंस देने की योजना बनाने और लागू करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(घ) अभी तक इस संबंध में क्या परिणाम प्राप्त किए गए; और

(ङ) इससे संतोषप्रद परिणाम प्राप्त नहीं करने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली वक्फ बोर्ड

7945. श्रीमती रीना चौधरी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री 16 मार्च, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2985 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित जानकारी अब तक एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि महरौली (सौन बुर्ज) और पंचशील पार्क में स्थित सम्पत्तियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सौन बुर्ज पर एक मोमीन लतीफ का स्वामित्व अवैध पाया गया है। पंचशील पार्क में कुछ भाग पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का कब्जा स्वामित्व के अधिकारों के विवाद के कारण है और अन्य अतिक्रमणकर्ताओं ने

भूमि पर किसी कानूनी अधिकार के बिना पक्के मकान बना लिए हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड से कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपचारात्मक उपाय करने के लिए कहा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूखा प्रभावित क्षेत्रों से पलायन करने वाले व्यक्ति

7946. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रभावित क्षेत्रों से पलायन करने वालों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन लोगों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) भीषण सूखाग्रस्त गुजरात, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों से जनपलायन संबंधी कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) और (ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान, आपदा राहत कोष से निर्मुक्त की जाने वाली संपूर्ण केन्द्रीय सहायता के अलावा गुजरात को 54.58 करोड़, राजस्थान को 102.93 करोड़ और आन्ध्र प्रदेश को 75.36 करोड़ रुपये की सहायता राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जारी की गई थी। वर्ष 2000–01 के दौरान, आपदा राहत कोष से केन्द्रीय सहायता की तीन किश्तें गुजरात को (131.14 करोड़ रुपये) दो किश्तें राजस्थान को (112.12 करोड़ रुपये) और दो किश्तें आन्ध्र प्रदेश को (77.78 करोड़ रुपये) जारी की जा चुकी है।

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र

7947. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और स्थानवार कितने खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सभी प्रशिक्षण केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रशिक्षण केंद्रों की क्या उपयोगिता है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) 1992–93 में ग्रामीण इलाकों में जनशक्ति के विकास संबंधी स्कीम के आरंभ से लेकर इस विभाग द्वारा 1999–2000 तक 325 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। स्थान सहित इन केंद्रों का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) हालांकि अधिकांश प्रशिक्षण केन्द्र ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए हैं पर राज्य नोडल एजेंसियों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि इनमें से कुछ या कोई केन्द्र काम नहीं कर रहे/रहा है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र संबंधी स्कीम एक लघु प्रसंस्करण यूनिट को चलाने और प्रबंध करने के लिए व्यावहारिक अनुभव देती है। प्रशिक्षु बुक कीपिंग, निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण और उत्पादों के विपणन संबंधी विभिन्न कार्यों में भाग लेते हैं।

विवरण

1992–93 से 1999–2000 के दौरान सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त खा. प्र. तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	स्थान
1	2	3	4
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	डिगलीपुर (उत्तरी अंडमान)
2.	आंध्र प्रदेश	5	हैदराबाद, जडचेरला (जिला महबूबनगर), गांधीनगर (हैदराबाद), करीमनगर, नगरकुरनूल (जिला महबूबनगर)
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	जिला पश्चिमी सियांग
4.	असम	25	उलूबारी (जिला गुवाहाटी), नौगांव, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया,

1	2	3	4
			सिलचर, कोकराझार, मंगलदोई, बोंडा, चन्द्रपुर, बगीचा (जिला कामरूप), तेजपुर, जगी रोड, नालबाड़ी, रंगिया, धुबरी, हाडली (जिला बेरपेट), बेलटोला (सेजनगर, जिला गुवाहाटी), मजगांव (जिला नवगांव) तोपाटोली (जिला कामरूप) सोनापुर (जिला कामरूप) चमटा (जिला नलबारी), मोरीगांव, मंगलदोई (जिला दर्रांग) खकपारा या जलुकबाडी।
5.	बिहार	27	बारियातू, अंगारा, गुमला, गोत्रा, तोरपा, दुमका, गुमला, साहिबगंज तोरपा, लुम्बई (जिला बंदगांव) बारद्वारी (जिला जमशेदपुर) चांदिल (जिला पूर्वी सिंहभूम) भांद्रा (जिला लोहारडगा) चक्रधरपुर (जिला पश्चिमी सिंहभूम) आसनसोल (जिला डुमका), दानापुर रोड (जिला पटना), रामगढ़ कैंट दानापुर, देवधर, सुतिहार – नवादा (जिला सारन–छपरा), आराका जयप्रकाश नगर (जिला भोजपुर) तिताउथर (जिला रोहताश), रघुनाथपुर का सिरीधरनगर (जिला मुजफ्फरपुर) बख्तियारपुर (जिला पटना), नायाटोला (जिला पटना), गुलजारबाग (जिला पटना), बेहाट।
6.	दिल्ली	7	दिल्ली कैंट, बुराडी (दिल्ली का उत्तरी जिला), हस्तसल (प. दिल्ली), बपरौला (प. दिल्ली), पटपड़गंज (पूर्वी दिल्ली), कंझावला (उ. दिल्ली) लाडपुर (जिला उ. दिल्ली)
7.	गुजरात	3	गंडवी, जूनागढ़, बरदोलाई (जिला सूरत)।
8.	हरियाणा	9	करनाल, मुरथल (जिला सोनीपत), ताडरू (गुडगांव), अम्बाला, सिरसा नारनौल, सोनीपत, भुवनेश्वरी (जिला गुडगांव), फारूखनगर (जिला गुडगांव)।
9.	हिमाचल प्रदेश	7	शोगी, कतरैल (जिला कुल्लू), कल्पा (जिला. किन्नौर) फागु (जिला शिमला) सुबापू (शिमला हिल्स), तारादेवी, उदयपुर (जिला चम्बा)
10.	जम्मू और कश्मीर	8	कठुआ, कुपवाडा, श्रीनगर, रजौरी, अनंतनाग, फुलवामा, प. उदयवाला (जम्मू शहर), शालीमार कैम्पस।
11.	कर्नाटक	11	हब्बल, हलकोटी (जिला धारवाड़), गुलवर्गा, बिदार, गोनीकोप्पल (जिला कुर्ग), मुदीगेरे (जिला चिकमगलूर) आरभावी (जिला बेलगांव) बेलगांव बंगलौर का कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हुदली (जिला बेलगांव) बेलगांव
12.	केरल	6	वेल्लानी, वेल्लानीकश, अल्यूवा (जिला कोचीन) चंगाचैरी, नरीकुन्नी (जिला कोजीकोड) मटूटनूर (जिला कन्नुर)।
13.	महाराष्ट्र	17	धानू, नासिक, वर्धा, लाटूर, वर्ध, इंदिरानगर (लाटूर), चक्कन (जिला पुणे), उमरी, खडगांव रोड (जिला लाटूर) बम्बई विश्वविद्यालय (उपकेन्द्र रत्नागिरिथीबा पैलेस रोड रत्नागिरि) बुधोदा (जिला लाटूर) गुलेबाड़ी (जिला अहमदनगर) कंधार (जिला नांदेड) कस्तूरबा

1	2	3	4
			बाड़ी (पुणे) अष्टविनायक नगर (जिला नांदेड), औरंगाबाद, बाभालेश्वर (औरंगाबाद) नंदूरबाद (जिला धुले)।
14.	मध्य प्रदेश	5	सतपुडा, सागर, जबलपुर, इंदौर, जबलपुर
15.	मणिपुर	3	पोरम्पट (जिला इम्फाल) ताऊसेम, तमई
16.	मिजोरम	6	सौरंग, लांगेट–लाई, वेरंगेटा, खवाजव्हल, चियांगचिप, लंगलेई
17.	मेघालय	1	शिलांग (हैप्पी वैली)
18.	नागालैंड	2	दीमापुर, कोहिमा
19.	उड़ीसा	62	नायागढ़, भुवनेश्वर, सुंदरगढ़, पुरी, किशोर नगर (कटक), नयागढ़, पोटलमपुर (गंजम), पाडालेखमुडी गजपति, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, कटक, केओंझार, बेकाला (खेनधर), नरला रोड (कालाहांडी), आश्रमगढ़ (गजपति), सबोलोंग (केन्द्रपाडा), डेलांग (पुरी), ढेंकनाल, जे. एस. पुर, ढेंकनाल, कोरापुट, मयूरभंज, भापुर (जिला ढेंकनाल), ढेंकनाल, भुवनेश्वर, टिगरिआ (कटक) ढेअलासाही (कटक) सनकुमारी (जिला बालासौर), देवीद्वार (जिला जाजपुर), महिमागडी (जिला ढेंकनाल), बारिकपुर (जिला भद्रक), सनकुमारी (जिला बालासौर), किशोर नगर (कटक), बालाशाही (जिला जगदीशपुर), जटनी (जिला खुर्दा), ओडेगांव (जिला नयागढ) चांदीपुर (जिला बालासोर) राऊरकेला, बालीशाही, नवपाडा (जिला कटक), गांधीनगर (जिला कोरापुट), प्रधानपाली (जिला राउरकेला) होसंगा (जिला कटक), विरासत (जिला ढेंकनाल), नीलगिरि (जिला बालासौर), वैधकेतनी (जिला ढेंकनाल), अनकोली बरहमपुर (जिला गंजम), बोरिदा कवि सूर्यनगर (जिला गंजम), कान्यू जमपोशी (जिला जाजपुर), सुकिंडा अरूहन, चिरौली (जिला ढेंकनाल), बेलापाडा पटना (जिला नयागढ़) मंचेश्वर, रसूलगढ़ (जिला खुर्दा) सरिओन (जिला ढेंकनाल), रघुनाथपुर, बारीपाडा (जिला मयूरभंज) छत्तपुर (जिला गंजम), दयाविहार कालेज, कनास (जिला पुरी) खलारी (जिला अंगुल) बालभद्रप डाकघर ढेंकनाल, बनताला (जिल अंगुल) बालीपटना (जिला खुर्दा)
20.	पंजाब	2	घोनीकलां (होशियारपुर), पटियाला।
21.	राजस्थान	3	उदयपुर, भरतपुर, उदयपुर
22.	तमिलनाडु	33	तिरूपतूर, समथुवापुरम गांव (जिलापुड्डुकोट्टई), पलानीअप्पानगर (जिला पुड्डुकोट्टई), त्रिची, गोमबुम वैली (जिला मदुरै), वेलिंगटन (जिला नीलगिरी) ओमाचिकुलम (जिला मदुरै), तिरूमुल्लाईवायल (जिला चेंगईएम. जी. आर), शिव गंगल (जिला. मुथ्यूरामलिंगम थेवर), वर्धापल्ली (जिला कोयम्बटूर), वलायाथूर (जिला उत्तरीारकोटअम्बेडकर), जवाहरपुरम (जिला मदुरै), वेल्लूथारेड्डी

1	2	3	4
			(जिला विल्लूपुरम), (जिला पुजहल), टी कलुपति, मदुरै, तिरूचनगोड्डू (जिला सलेम), नल्लामनार कोट्टई (जिला उंडीगल अन्ना), टूटीकोरिन, पोन्नूथू, पन्नीमडाई गांव के पास (जिला कोयमबटूर), रामावरम (जिला चैन्नई), विक्कीराममंगलम (जिला मदुरै), ओक्कूपट्टी (जिला शिवगंगई), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, कोविलंगुलम (जिला विरूदनगर), केलमबकम् (जिला काशीपुरम), के. के. नगर (जिला. त्रिची), करपगम (जिला कोयम्बटूर), कृष्णा नगरी (जिला धरमपुरी), कोयम्बटूर, नटराजपुरम (जिला शिवनगरी), थानक्सडिओमबू (जिला डंडीगुल), राजापल, राजापलायम
23.	त्रिपुरा	1	अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	67	देवरिया, इलाहाबाद, रामगढ़, रामनगर, अमेठी, हल्द्वानी, गाजीपुर, हरदोई, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, लखनऊ, शारनपुर, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, बस्ती, सीतापुर, पलिया (जिला अमेठी), सुलतानपुर, मधुपुर, (जिला मिर्जापुर), इलिया (जिला वाराणसी), चैल (जिला इलाहाबाद), औतारपुर (जिला प्रतापगढ़), लैसडाउन रानीखेत, बरेली, फतेहगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ, दहोलामऊ (जिला प्रतापगढ़) अशोकपुर (जिला गोंडा), फाफामहू (जिला इलाहाबाद), बैरवा (जिला सोनभद्र), लाल गोपालगंज (जिला प्रतापगढ़), तनखुईराज (जिला पदरौना), कालाकांकर (जिला प्रतापगढ़), बारी (जिला सीतापुर), सिरदौ (जिला भीमताल), लोचनगंज (जिला इलाहाबाद), गोहनिया (जिला इलाहाबाद), आदर्शनगर (जिला उन्नाव), कपसेथी (जिला बनारस), कौंधिआरा (जिला इलाहाबाद), प्रतापगढ़, रायबरेली, मऊ (जिला शानोजी), आश्रम बिहार (जिला प्रतापगढ़), देवकाली (जिला फैजाबाद), जमालपुर (जिला सुलतानपुर), देदौर (जिला रायबरेली), हलद्वानी, वाराणसी, लखनऊ, साओरा, भरोसा (जिला लखनऊ), रायबरेली, विकासपुरम (जिला फैजाबाद), मोहदपुर, मलीहाबाद (जिला लखनऊ), सदरपुर – सादत (जिला गाजीपुर), लोरहन (जिला वाराणसी), बीरकाजी, फूलपुर (जिला इलाहाबाद), गुलेरिया, अमरोहा (जिला ज्योतिबा फुले नगर), हल्दिया (जिला इलाहाबाद), लकावली (जिला आगरा), भोपरा (जिला मुजफ्फरनगर)
25.	पश्चिम बंगाल	13	बरूईपुर (जिला दक्षिणी 24 परगना) मालदा, हाबड़ा, बर्दवान, हट्टूबा ग्राम (जिला उत्तरी 24 परगना), झारग्राम, बेलपहाड़ी दाक्षिणी 24 परगना, इच्छापुर, कल्याण, विवेकानंद नगर (जिला पुरूलिया), कलगढ़छिया (जिला दाक्षिणी 24 परगना), सूजापुर (जिला मालदा), कृष्णानगर (जिला सियालदा)
	कुल	325	

छापा मारने का अधिकार

7948. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री रामदास आठवले :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों के परिसरों पर पुलिस द्वारा छापा मारने के अधिकारों से संबंधित कानून के बारे में विभिन्न व्यवसाय एसोसिएशनों से उनकी राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ङ) लोक सभा ने सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 1999 दिनांक 16 मई, 2000 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में पुलिस उप अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी और केन्द्र सरकार के किसी अन्य अधिकारी या केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी को बिना वारंट के ही किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने तथा वहां के ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सक्षम बनाया गया है, जिसके द्वारा हम इस अधिनियम के तहत अपराध कारित करने या अपराध कारित करने में प्रवृत होने के युक्तियुक्त कारण हैं। विधेयक में सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के दुरुपयोग के लिए शास्तियों और क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक की प्रतियां देश की सभी राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों, उद्योग संघों और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को भेजी गई हैं। यह विधेयक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेब साइट पर भी उपलब्ध है। विभिन्न संगठनों और उद्योग संघों से प्राप्त टिप्पणियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण एवं वन की स्थायी संसदीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया हैं विधान के प्रवर्तित होने पर यह सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्कों के दुरूपयोग तथा कम्पयूटर अपराधों एवं कम्प्यूटर के दुरुपयोग को रोकेगा।

केन्द्रीय भंडार का लेखा परीक्षा

7949. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1993 से केन्द्रीय भंडार के लेखों का भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कराएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भंडार के लेखे–जोखे की लेखापरीक्षा दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 53 तथा यथा संशोधित दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के नियम 84 के अधीन की जाती है। इन नियमों के अनुसार, कानूनी लेखापरीक्षक को पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा वार्षिक लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष नियमित आधार पर की जाती है।

लघु और सीमांत किसान

7950. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ से केन्द्र सरकार द्वारा लघु व सीमांत किसानों के लाभार्थ कौन–कौन सी योजनाएं आरंभ की गईं;

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं के फलस्वरूप किसानों को हुए लाभ का विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं में विद्यमान खामियों का पता लगाया है; और

(ङ) इन्हें दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (ङ) कृषि एवं सहकारिता विभाग कई किस्म की स्कीमें चला रहा है जिनका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की सभी श्रेणियों को होता है। छोटे और सीमांत किसानों पर स्कीमों के प्रभाव का परिमाणात्मक मूल्यांकन संभव नहीं है। स्कीमों के कार्यान्वयन के नियमित मानिटरन के माध्यम से बाधाओं और कमियों का पता लगाया जाता है तथा उचित सुधारात्मक हस्तक्षेप करके समाधान किया जाता है।

तम्बाकू किसानों का संरक्षण

7951. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तम्बाकू किसानों के हितों की रक्षा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सक्रिय भूमिका अदा करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तम्बाकू उगाने वाले किसानों के हितों की रक्षा में अपने से संबंधित कार्य क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई है। पिछले 50 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री ने तम्बाकू की अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा उनसे मेल खाती उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास में सराहनीय कार्य किया है जिसके फलस्वरूप तम्बाकू उगाने वाले किसानों का आर्थिक उत्थान हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तम्बाकू उगाने वाले किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों को चलाने हेतु पूरा प्रोत्साहन दे रही है एवं पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करा रही है। आठवीं (योजना के तहत 465.39 लाख रुपये तथा गैर योजना के तहत 2138.45 लाख रुपये) की तुलना में केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान को नौवीं योजना के लिए योजना के तहत 600.00 लाख रुपये तथा गैर योजना के तहत 3640.00 रुपये आबंटित किये गये हैं। अखिल भारतीय तम्बाकू अनुसंधान परियोजना को आठवीं योजना में 200.62 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे जिसे नौवीं योजना में बढ़ाकर 391.00 लाख रुपये कर दिया गया है।

राष्ट्रीय फसल पूर्वसूचना केन्द्र

7952. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख फसलों संबंधी आवधिक फसल पूर्वसूचना और फसल पूर्वसूचना से संबंधित विभिन्न विधियों और तकनीकी विकास के समन्वय और उसे अपनाने के लिये राष्ट्रीय फसल पूर्वसूचना केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) फसल विवरण पता लगाने के तंत्र में तीव्र प्रवाह हेतु इस केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर नेटवर्क पर किन–किन राज्यों को जोड़ा गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष के दौरान विविध आंकड़ा सैटों के समेकन और निर्देशित फसलों की संभावनाओं के उचित समय पर मानिटरन हेतु उनके विश्लेषण की प्रणाली विकसित की गयी है। ये विश्लेषण समय–समय पर सरकार द्वारा निर्मुक्त फसलोत्पादन के अग्रिम अनुमान तैयार करने में महत्वपूर्ण आदान है। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र कृषि मंत्रालय में फसल मौसम निगरानी दल का सचिवालय है, जिनकी फसल परिदृश्य प्रभावकारी कारकों पर विचार करने के लिए हर सप्ताह बैठक होती है। फसल संभावनाओं की साप्ताहिक स्थिति निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करती है। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र द्वारा प्रारंभ कृषि मासिक स्थिति कृषि के संबंध में विभिन्न विकासों का समेकित विवरण प्रदान करती है। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र फसल मूल्यांकन में सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के समेकन के लिए अंतरिक्ष विभाग के साथ समन्वयन करता है। वर्ष के दौरान पहली बार वर्ष 1999 के लिए सुदूर संवेदन का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय खरीफ चावल का जायजा लिया गया है। इसके अलावा वर्ष 1999–2000 के लिए सुदूर संवेदन आधारित राष्ट्रीय गेंहू मूल्यांकन भी किया गया।

कम्प्यूटर नेटवर्क पर राज्यों से त्वरित आंकडा प्रवाह के लिए शीर्षस्थ अभिकरणों की पहचान की गई है तथा इन शीर्षस्थ एजेंसियों को कम्प्यूटर सुविधा देने के लिए 2000–2001 के बजट में प्रावधान किया गया है।

नांदयाल जल योजना

7953. श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की नांदयाल जल योजना पर धीमी गति से काम चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलंब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस योजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों में से और उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

7954. श्री राजो सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक वर्षवार राज्य सरकारों को विशेषकर बिहार राज्य सरकार को महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में विधियों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई निगरानी दल गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ङ) संबंधित राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत और चीन के बीच बस सेवा का आरंभ

7955. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत और चीन के मध्य बस सेवा आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह बस सेवा कब से आरंभ किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष

7956. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विभाग एक प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष की स्थापना करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभाग द्वारा बनाई गई योजना को कब तक शुरू किया जाएगा तथा इस संबंध में भारतीय लघु उद्योग बैंक द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और इसमें राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम की क्या भूमिका होगी?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) लघु उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ब्याज सहायता की योजना सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

कल्याण परियोजनाएं

7957. डॉ. बलिराम : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कुछ कल्याण परियोजनाएं इस समय केन्द्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट न दिए जाने के कारण कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ध) उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(च) पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को कल्याण कार्यों के लिए वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(छ) क्या सरकार ने 25 से 50 वर्ष पुराने गैर सरकारी संगठनों को विशेष सहायता देने के लिए कोई प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) इस समय उत्तर प्रदेश की 116 परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए लम्बित हैं।

(ग) राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए 84 लम्बित हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता विकलांगों के कल्याण, अन्य पिछड़े वर्गों और

अल्पसंख्यकों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग, वृद्धाश्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों, बेसहारा बच्चों और समाज रक्षा के लिए हैं।

(ङ) परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। आवेदनों के निपटाने के लिए लगने वाला समय, पूर्व दस्तावेजों की प्राप्ति, नामित प्राधिकारियों की सिफारिशों और उस क्षेत्र में परियोजना, जहां इसे प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, की प्रमाणित आवश्यकता पर निर्भर करता है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों को कल्याण कार्यों के लिए प्रदान की गई राशि वर्षवार निम्नलिखित हैं :

(रुपये लाख में)

वर्ष	राशि
1997–98	0892.83
1998–99	1724.79
1999–2000	2939.22

(छ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

7958. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को निपटाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण संबंधी 37 प्रस्तावों और उनके मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति का राज्यवार विवरण संलग्न है। इन प्रस्तावों की स्वीकृति सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना पर निर्भर करती है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	वृहद/मध्यम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण	आंध्र प्रदेश	वृहद	659.16	बी
2.	मच्छू–I का आधुनिकीकरण	गुजरात	वृहद	8.12	बी
3.	लघु (आरआईडीएफ–I) के निर्माण और विस्तार का प्रस्ताव	हरियाणा	वृहद	60.08	ए
4.	लघु एवं बाढ़ संरक्षण कार्यों (आरआई डीएफ–II) के निर्माण एवं विस्तार के लिए प्रस्ताव	हरियाणा	वृहद	81.00	ए
5.	डाडी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	10.91	ए
6.	न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	10.94	ए
7.	कथुवा नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	12.00	ए
8.	जैंगीर नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	10.07	ए
9.	नन्दी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	6.61	ए
10.	लार नहर का आधुनिकीकरण (पुलवामा)	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	37.05	ए

1	2	3	4	5	6
11.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	7.96	ए
12.	लार नहर (बडगाम) का आधुनिकीकरण	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	6.63	ए
13.	सोनामन नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	4.58	ए
14.	मावखुल नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	7.00	ए
15.	मारतंड नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	17.72	ए
16.	दाब नहर गेंडरबल की रिमाडलिंग	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	5.40	ए
17.	बाबुल नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	4.77	ए
18.	मध्य प्रदेश जल संसाधन समेकन परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	441.90	ए
19.	अपर इन्द्रावती विस्तार परियोजना	उड़ीसा	वृहद	136.67	बी
20.	अपर कोलाब विस्तार परियोजना	उड़ीसा	वृहद	71.66	बी
21.	साल्की सिंचाई परियोजना का सुधार	उड़ीसा	वृहद	10.80	ए
22.	तालाडंडा मुख्य नहर और वितरिणिका सं. 12 का सुधार	उड़ीसा	वृहद	57.06	ए
23.	हीराकुड वितरण प्रणाली की सैसन नहर प्रणाली का सुधार	उड़ीसा	वृहद	33.14	ए
24.	महानदी डेल्टा चरण–I और II में जल निकास विकास (फेज1)	उड़ीसा	वृहद	227.75	ए
25.	भाखड़ा मुख्य नहर को पक्का करना	पंजाब	वृहद	16.02	ए
26.	होशियारपुर से बालाचौड़ तक कांडी नहर का विस्तार	पंजाब	वृहद	147.12	बी
27.	अपर बारी दोआब नहर चैनलों की रिमाडलिंग	पंजाब	वृहद	154.00	बी
28.	बादशाही नहर का आधुनिकीकरण और विस्तार	पंजाब	मध्यम	11.77	ए
29.	रिड्फ निधि के तहत पंजाब सिंचाई परियोजना (चैनलों का पक्का करना)	पंजाब	मध्यम	49.02	ए
30.	गंग नहर का आधुनिकीकरण	राजस्थान	वृहद	450.04	ए
31.	इंदिरा गांधी नहर चरण–I (ईआरएम)	राजस्थान	वृहद	121.92	बी
32.	कावेरी डेल्टा फेज–I का आधुनिकीकरण	तमिलनाडु	वृहद	78.80	बी
33.	मेजा बांध को ऊंचा उठाना	उत्तर प्रदेश	वृहद	65.0	बी
34.	बुन्देलखंड में चैनल को पक्का करना	उत्तर प्रदेश	वृहद	57.37	बी
35.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	उत्तर प्रदेश	वृहद	45.83	ए
36.	भूपाली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	उत्तर प्रदेश	वृहद	64.86	ए
37.	कंग्साबती जलाशय फेज–I का आधुनिकीकरण	पश्चिम बंगाल	वृहद	471.90	ए

स्थिति : ए – पत्राचार चल रहा है।

बी – सलाहकार समिति को प्रस्तुत और कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकार्य।

सी – सलाहकार समिति द्वारा स्थगित।

डी – निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास लम्बित।

विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना

7959. श्री राजैया मल्याला : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 जनवरी, 1999 से "विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही प्रोत्साहन योजना" नामक संशोधित योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में वर्ष 1999–2000 के दौरान गैर सरकारी संगठनों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें शामिल संगठनों को स्थानवार क्या सहायता दी जा रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण, अनुसंधान, कानूनी परामर्श/सहायता तथा श्रम शक्ति विकास गतिविधियों तथा संसाधन केन्द्रों आदि पर विचार/समर्थन न करने के क्या कारण हैं; और

(च) आवेदनों पर विलंब से/अनियमितता से कार्यवाही होने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी योजना को प्रभावी ढंग से दिनांक 1 अप्रैल 1999 से शुरू किया गया। इस योजना के उद्देश्य संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस योजना में सूचीबद्ध विभिन्न उद्देश्यों के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए अनेक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1999–2000 के दौरान प्रदान की गई राज्यवार सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों एवं दिशानिर्देशों की रूपरेखा के भीतर सर्वेक्षण अनुसंधान कानूनी परामर्श/सहायता तथा जनशक्ति विकास कार्यकलापों आदि से संबंधित प्रस्तावों सहित सभी प्रस्तावों, जो सभी मामले में पूर्ण है, की जांच की जाती है और उन पर गुण–दोष के आधार पर मंजूरी के लिए विचार किया जाता है।

विवरण-I

योजना का लक्ष्य

अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना।

उपयुक्त वातावरण तैयार करना।

विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।

विकलांग व्यक्तियों को अधिकार देना।

शहरी और ग्रामीण वातावरण को आउटरीच और व्यापक समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

सभी स्तरों पर और सभी स्वरूपों में शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा।

व्यावसायिक अवसरों, आय सृजन और लाभप्रद व्यवसायों के क्षेत्र को बढ़ाना।

औपचारिक तथा अनौपचारिक रोजगार तथा स्थापन संबंधी अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सभी उपायों को समर्थन देना जो आवश्यक हों।

विकलांग व्यक्तियों को उन परियोजनाओं में सहायता प्रदान करना जो वातावरण के अनुकूल और परिस्थिति को बढ़ावा देने वाली हों।

विकलांग व्यक्तियों के मानवीय, सिविल तथा उपभोक्ता संबंधी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास को समर्थन देना।

कानूनी परामर्श सहित कानूनी साक्षरता, कानूनी सहायता और वर्तमान कानूनों के विश्लेषण और मूल्यांकन को समर्थन देना।

सूचना, प्रसारण, प्रलेखीकरण और प्रशिक्षण सामग्रियों के प्रकाशन और प्रसार के विकास को समर्थन देना।

सर्वेक्षण कार्यों और मरक–विज्ञान संबंधी (इपिडी मिओलाजिकल) अध्ययनों के अन्य स्वरूप को समर्थन देना।

(क) भवन के निर्माण और रखरखाव (ख) फर्नीचर और फिक्चर्स (ग) मशीनरी और उपकरण को स्थापित करने और रखरखाव को समर्थन देना।

समुचित आवासीय गृहों और होस्टल सुविधाओं की उपलब्धता को समर्थन देना और सुगम बनाना।

खेलकूद, मनोरंजन, अवकाश संबंधी कार्यकलापों, सैर, सृजनात्मक और नाट्य कला, सांस्कृतिक और सामाजिक सम्मिलित कार्यकलापों के लिए सुविधाएं स्थापित करना और समर्थन करना।

विभिन्न विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान, नई कार्यनीतियों, सहायक उपकरणों तथा सक्षम तकनीकों को बढ़ावा देना और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए ऐसे उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देना।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी कार्यक्रमों/परियोजनाओं/कार्यकलापों के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए जनशक्ति विकास कार्यकलापों को समर्थन देना।

विभिन्न स्तरों पर सुसज्जित संसाधन केन्द्र स्थापित करना।

स्वयंसेवी दलों, मूल संगठनों और स्वतंत्र जीवनयापन के विकास को बढ़ावा देना और समर्थन देना।

समन्वय, सहयोग और नेटवर्किंग तथा बहुक्षेत्रीय संपर्कों को प्रोत्साहन देना।

ऐसे अन्य उपायों को समर्थन देना जो विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा कर सकें और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में यथानिर्धारित दायित्वों को पूरा कर सकें।

विवरण-II

राज्य का नाम	राशि (करोड़ रुपये में)
1	2
आंध्र प्रदेश	12.08
अरुणाचल प्रदेश	0.13
असम	0.28
बिहार	0.60
चंडीगढ़	0.01
दिल्ली	6.79
गोवा	0.18
गुजरात	0.75
हरियाणा	0.58
हिमाचल प्रदेश	0.32
जम्मू और कश्मीर	0.09
कर्नाटक	5.72
केरल	4.42
मध्य प्रदेश	0.17
महाराष्ट्र	2.64
मणिपुर	0.57
मेघालय	0.17
मिजोरम	0.25
उड़ीसा	1.94
पांडिचेरी	0.01
पंजाब	0.65
राजस्थान	0.88
तमिलनाडु	3.26
त्रिपुरा	0.07
उत्तर प्रदेश	7.72
पश्चिम बंगाल	3.66

प्रतिबंधित कीटनाशक

7960. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों में अनेक कीटनाशकों के कृषि कार्य हेतु प्रयोग पर प्रतिबंध से भारत के निर्यात हितों पर बुरा प्रभाव पडा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) महोदय, कुछ देशों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा मे कीटनाशी अवशिष्ट युक्त कृषि उत्पाद संबंधित आयातक देशों द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे हमारा कृषि निर्यात प्रभावित होता है।

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण निम्नवत् हैं :–

(i) अन्य देशों द्वारा कृषि उपयोग की दृष्टि से प्रतिबंधित कीटनाशियों की सरकार द्वारा विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से समय–समय पर समीक्षा की जाती है। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने देश में 23 कीटनाशियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ii) राज्य सरकारों को समय–समय पर सलाह दी जाती है कि वे कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत अधिसूचित कार्यान्वयनकों के माध्यम से यह

सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित कीटनाशियों की बिक्री/उपयोग कृषि के प्रयोजनार्थ न किया जाए।

(iii) कीटनाशियों के उपयोग में कमी लाने तथा समुचित कृषि एवं स्वच्छता विधियां अपनाने की आवश्यकता की दृष्टि से किसानों, व्यापारियों तथा निर्यातकों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रमुख निर्यातोन्मुखी केन्द्रों में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(iv) रासायनिक कीटनाशियों के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए समेकित कीट प्रबंध के माध्यम से अनेक प्रकार के जैव कीटनाशियों एवं जैव नियंत्रण एजेंटों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो सुरक्षित हैं, आसानी से विघटित होते हैं और जिनसे अवशिष्ट संबंधी समस्या उत्पन्न होने की सूचना नहीं है।

(v) राज्य सरकारों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अपने विस्तार कर्मचारियों के माध्यम से प्रशिक्षण देते समय किसानों को लेबलों/विवरण पत्रों पर खुराक, अनुप्रयोग की अवधि, अनुप्रयोग की विधि तथा सुरक्षित अन्तराल रखने के संबंध में दिए गए अनुदेशों का पालन करने के बारे में शिक्षित किया जाता है ताकि कृषि जिन्सों में कीटनाशी अवशिष्ट न्यूनतम स्तर पर रहे।

राजदूत/उच्चायुक्त के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की नियुक्ति

7961. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :

श्री एमेश सी. जीगाजीनागी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों वर्ग के सांसदों ने प्रधानमंत्री को 17 दिसम्बर, 1996, 1 सितम्बर 1997 और 23 जुलाई, 1998 को दिए गए अपने अभ्यावेदनों में विदेशों में राजदूत/उच्चायुक्त/भारतीय राजनयिक मिशन के प्रधान के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर कार्यवाही की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 के अनुसार विदेशों में राजदूत/उच्चायुक्त/भारतीय राजनयिक मिशन के प्रधान के पदों की संख्या क्या है और इन पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार कुल उक्त पदों की तुलना में इन पदों पर कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) जी हां। ये प्रत्यावेदन प्रधान मंत्री कार्यालय ने कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और पर्यावरण मंत्रालय को भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ उनके द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाही के लिए भेजे थे।

(घ) विदेशों में कार्यरत भारतीय मिशनो/केन्द्रों की कुल संख्या 1.1.1996 को 152 थी और 1.1.2000 को 157 थी। इन पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या 1.1.96 को 25 (अनु.जाति 18, अनु. जनजाति 7) और 1.1.2000 को 22 (अनु. जाति 13, अनु. जनजाति 9) थी।

(ङ) 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार कुल पदों की तुलना में उपरिलिखित पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की प्रतिशतता अनु. जाति 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति 5 प्रतिशत तथा 1.1.2000 को अनु. जाति 8 प्रतिशत और अनु. जनजाति 6 प्रतिशत थी।

सी. एम. सी. के पब्लिक इश्यू

7962. श्री किरीट सोमैया : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सी. एम. सी. लि. के पब्लिक इश्यू को अंतिम चरण पर स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य बढ़ने के बावजूद सी. एम. सी. के शेयर भाव यथावत हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) सीएमसी ने वर्ष 1997–2000 के दौरान अपने विस्तार कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव किया था। सरकार की बजटीय सहायता के अभाव में, कंपनी ने अपनी साम्या पूंजी के आधार को बढ़ाकर बाजार से पूंजी उगाहने का अनुरोध किया था। इस पर विचार किया गया और सहमति दी गई। लेकिन, साम्या पूंजी उगाहने की पद्धति पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले सीएमसी का इसके पक्ष और विपक्ष के पहलुओं पर विचार करके साम्या पूंजी उगाहने के विविध विकल्पों का ब्यौरा/गणना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। कंपनी ने मार्च, 1998 में जिस निवेश योजना को अंतिम रूप दिया था, वह बाजार की उस समय विद्यमान दशाओं पर आधारित थी। तब से अब तक पूंजी बाजार में बहुत से परिवर्तन हो गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक–वाणिज्य तथा इलेक्ट्रॉनिक–शासन जैसे नए क्षेत्र उभरे हैं। इन परिस्थितियों में कंपनी को अपने भावी व्यवसाय की योजना तैयार करने और इसके लिए आवश्यक वास्तविक धनराशि का प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया था ताकि इश्यू के आकार के बारे में निर्णय लिया जा सके। इन ब्यौरों को प्रस्तुत करने और सरकार से औपचारिक अनुमोदन मिलने तक कंपनी को अतिरिक्त साम्या पूंजी उगाहने का कार्य शुरू न करने का परामर्श दिया गया था जिस पर उन्होंने दिनांक 20.1.2000 को होने वाली इस असाधारण बैठक में चर्चा/विचार करने का प्रस्ताव किया था।

(ग) और (घ) अंश पूंजी का बाजार मूल्य पूर्णतः बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है, और इस कारण सूचना प्रौद्योगिकी कपंनियों के अंश मूल्यों में उतार–चढ़ाव का कोई विशेष कारण नहीं दिया जा सकता है। बाजार मूल्यों को निर्धारित करने वाले कारकों में से एक है कंपनी के पास व्यापारिक कार्यों के लिए उपलब्ध प्लवमान स्टॉक की मात्रा। इस समय सीएमसी की 8 प्रतिशत साम्या पूंजी जनता के लिए उपलब्ध है। जहां तक सीएमसी का संबंध है, पिछले एक वर्ष के दौरान इसके अंश मूल्य में भी 287 रुपए से लेकर 873 रुपए तक का परिवर्तन हुआ है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी क्षेत्र के तहत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

7963. श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी क्षेत्र के तहत केन्द्र द्वारा कितनी प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की गईं/प्रस्तावित हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी नई योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी;

(ग) क्या सरकार का विचार श्रम सहकारिताओं के लिए जनता व्यक्तिगत बीमा योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति प्रीमियम दर में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) सहकारी क्षेत्र में निम्नलिखित पांच केन्द्र प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं –

1. सहकारी रूप से अल्पविकसित और संघ शासित क्षेत्रों में सहकारी विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण कार्यक्रमों के लिए सहायता।
2. सहकारी चीनी मिलों में अंश पूंजी सहभागिता।
3. उत्पादक सहकारी कताई मिलों के लिए सहायता।
4. कमजोर वर्ग के सहकारी समितियों को सहायता।
5. महिला सहकारी समितियों को सहायता।

(ख) नौंवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित नई स्कीमें क्रियान्वयनाधीन हैं :

1. श्रमिक सहकारी समितियों के लिए जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा।
2. ऊन प्रसंस्करण और औद्योगिक सहकारी समितियों का विकास।
3. समूचे देश में सहकारी सांख्यिकी का वार्षिक संग्रह, संकलन और प्रसार।

(ग) और (घ) प्रारंभ में द ओरिएन्टल इंस्युरेंश कंपनी श्रमिक सहकारी समितियों के लिए जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 5.25 रुपये की प्रीमियम दर पर सहमत हुई। अब बीमा कंपनी ने इस दर को बढ़ाकर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 9.75 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। प्रीमियम दर के उर्ध्वगामी संशोधन के मामलों पर बीमा कंपनी और श्रम मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

बाल श्रमिकों को शैक्षणिक सुविधाएं

7964. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बाल श्रमिकों को गैर–सरकारी संगठनों अथवा अन्यथा किसी माध्यम से शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना प्रायोजित कर रही है अथवा उसे सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना के अंतर्गत काम करने वाले अध्यापकों और अन्य कार्मिकों को कितना वेतन अथवा वृत्ति प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या ऐसे अध्यापकों और कार्मिकों के वेतनों/वृत्तियों को उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार एक उचित स्तर तक बढ़ाने की मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके वेतन में वृद्धि किए जाने के बारे में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) भारत सरकार कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास हेतु दो योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय बाल श्रम प्ररियोजना (एन. सी. एल. पी.) तथा स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक अनुदान योजना को क्रियान्वित कर रही है। राष्ट्रीय बाल परियोजना की स्कीम का क्रियान्वयन जिला–धिकारी /मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला बाल श्रम परियोजना समितियों के माध्यम से किया जाता है। 1.9 लाख बच्चों के पुनर्वास हेतु बाल श्रम बाहुल्य वाले 10 राज्यों में फिलहाल 92 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सहायता अनुदान की योजना के अंतर्गत कामकाजी बच्चों के लाभार्थ अभिमुखी परियोजनाओं पर कार्रवाई करते हुए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर, स्वैच्छिक संगठनों को निधियां जारी की जाती हैं। सहायता अनुदान की स्कीम के अंतर्गत 70 से अधिक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की स्कीम के अधीन, विशेष स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों के शैक्षणिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले स्वयं सेवकों को 800 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। विशेष स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों के लिपिक सह–टंकक लेखाकार तथा चपरासी को क्रमशः 800 रुपये तथा 400 रुपये प्रतिमाह (समेकित मानदेय) दिया जाता है। स्वैच्छिक संगठनों की सहायता अनुदान योजना के अधीन संगठन, आर्थिक अनुदान समिति द्वारा किए गए अनुमोदन के आधार पर वेतनों का भुगतान करते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की स्कीम के अधीन कामकाजी स्टॉफ के वेतन को बढ़ाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की स्कीम के अधीन बाल श्रम हेतु विशेष स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों के लिए मॉडल बजट में वृद्धि पर विचार किया गया है। प्रस्तावित वृद्धि में अन्य बातों के साथ–साथ स्वयं सेवकों तथा दूसरे परियोजना कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि और कार्यालय से संबंधित व्यय भी सम्मिलित हैं।

मातृ-अनुकूल कार्यस्थल

7965. श्री राशिद अलवी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मातृ–अनुकूल कार्यस्थल संबंधी पहल 1993 में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम में अभी तक किन राज्यों को शामिल किया गया है;

(घ) महिला–कार्मिकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना को बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए है;

(च) क्या सरकार का दूरदर्शन से क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) और (ङ) से (छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार के द्वारा ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई थी।

(घ) महिला कर्मकारों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

महिला कर्मकारों की राज्य वार संख्या (1991 जनगणना)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कर्मकारों की संख्या
1	2	3
	भारत	89,767,563
1.	आंध्र प्रदेश	11,252,643
2.	अरुणाचल प्रदेश	149,789
3.	असम	2,324,535
4.	बिहार	6,116,974
5.	गोवा	117,977
6.	गुजरात	5,180,886

1	2	3
7.	हरियाणा	821,299
8.	हिमाचल प्रदेश	888,985
9.	कर्नाटक	6,472,816
10.	केरल	2,347,268
11.	मध्य प्रदेश	10,430,890
12.	महाराष्ट्र	12,617,454
13.	मणिपुर	350,134
14.	मेघालय	302,853
15.	मिजोरम	143,964
16.	नागालैंड	215,722
17.	उड़ीसा	3,241,991
18.	पंजाब	418,646
19.	राजस्थान	5,744,129
20.	सिक्किम	57,790
21.	तमिलनाडु	8,236,872
22.	त्रिपुरा	184,333
23.	उत्तर प्रदेश	8,019,310
24.	पश्चिम बंगाल	3,662,855
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16,584
26.	चंडीगढ़	29,443
27.	दादरा और नागर हवेली	32,944
28.	दमन और दीव	11,584
29.	दिल्ली	314,076
30.	लक्षद्वीप	1,906
31.	पांडिचेरी	60,911

टिप्पणी – 1999 में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

अगरतला और ढाका के बीच बस सेवा

7966. श्री रामपाल सिंह :

डॉ. अशोक पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पड़ोसी देशों के नाम क्या हैं और इन देशों में किस–किस स्थान से आज की तारीख को बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) क्या अगरतला से ढाका तक किसी बस सेवा के चलाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इस सेवा को कब तक शुरू किया जायेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) बंगलादेश की सरकार और पाकिस्तान की सरकार के साथ हुए करारों के अंतर्गत यात्री बस सेवाएं क्रमशः कलकत्ता – ढाका (बंगलादेश) और नई दिल्ली–लाहौर (पाकिस्तान) के बीच उपलब्ध है। तथापि, भारत–भूटान और भारत–नेपाल के बीच भी तदर्थ आधार पर बस सेवाएं चल रही हैं।

(ख) से (ङ) जनवरी, 2000 में विदेश राज्य मंत्री की बंगलादेश की यात्रा के दौरान अगरतला और ढाका के बीच बस सेवा आरंभ करने पर सहमति हुई थी और जिसके लिए दोनों देशों के द्वारा रूप–रेखाएं तैयार की जाएंगी। अगरतला–ढाका के बीच बस सेवा चलाने के लिए रूप–रेखाएं तैयार करने के आशय से एक द्विपक्षीय बैठक निर्धारित की जा रही है।

[अनुवाद]

बांध का निर्माण

7967. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कर्नाटक में चित्रावती नदी के ऊपर प्रस्तावित बांध के निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के लिए हस्तक्षेप करने और कर्नाटक सरकार को सलाह देने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कर्नाटक की राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से कर्नाटक सरकार को प्रस्तावित अनिकट का निर्माण कार्य शुरू न करने तथा आंध्र प्रदेश को परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति तत्काल देने तथा 1892 के समझौते के अनुसार आंध्र प्रदेश की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना इस नदी पर कोई कार्य शुरू न करने की सलाह देने का अनुरोध किया है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग ने 3.4.2000 को कर्नाटक राज्य सरकार से वर्ष 1892 के समझौते के अनुसार आंध्र प्रदेश को इस परियोजना का ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का संवर्द्धन

7968. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कृषि उत्पाद बाजार में अपना हिस्सा बढाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय कृषि उत्पाद बाजार में मुक्त व्यापार आरंभ होने के मद्देनजर अपनी घरेलू कृषि नीति में परिवर्तन करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश से कृषि उत्पादनों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु विकसित देशों द्वारा लगाए गए गैर–शुल्क प्रतिबंधों तथा संरक्षणात्मक शुल्क हटाए जाने की मांग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. अच्छी गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री के उत्पादन, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों तथा प्रचार के जरिए किसानों में तकनीकी प्रौद्योगिकी के उन्नयन, पुराने उद्यानों के पुनरुद्धार, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के मिनिकिटों की आपूर्ति, उत्पादकता सुधार तथा कृषक प्रशिक्षण हेतु छोटी तथा बड़ी नर्सरियों में वृद्धि करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना।
2. उन्नत पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ीकरण तथा प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी।
3. विदेशी बाजारों से और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए उत्पाद में, विशेषकर आमों में पेस्ट इंक्यूबेशन को समाप्त करने के लिए वाष्प उपचार सुविधाओं की स्थापना।
4. बागवानी वस्तुओं के निर्यात तथा ताजे फल एवं सब्जियों के चयन के लिए वायु भाड़ा राजसहायता की मंजूरी।
5. क्रेता–विक्रेता बैठकों जैसे संवर्द्धनात्मक अभियान आयोजित करना तथा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी।
6. फूलों, ताजे फलों तथा सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के निर्यात प्रचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर समेकित कार्गो हैंडलिंग तथा शीतागार सुविधाओं का सृजन।
7. डाटा बेस के विकास तथा मंडी आसूचना के प्रचार प्रसार के लिए सहायता मुहैया कराना।
8. गुणवत्ता सुनिश्चित करना, संदूषण की समाप्ति तथा फंफूद व जीवाणुओं से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

(ख) कृषि उतपादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा नीतियों के माध्यम से सतत् आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके और साथ ही निर्यात के लिए भी अधिशेष सृजन किया जा सके।

(ग) और (घ) कृषि पर विश्व व्यापार समझौते के अनुच्छेद 20 के प्रादेश के अनुसार कृषि उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और अधिक सुधार करने के लिए इस वर्ष बातचीत शुरू की गई है। मुख्य मुद्दों में एक मुद्दा, जिसे भारत द्वारा उजागर करना है, वह है, भारत सहित विकासशील देशों के निर्यात हित के संबंध में कुछ विकसित देशों की व्यापार भागीदारी में अधिक टैरिफ प्रचलित होना। उच्च टैरिफ सीमा को पर्याप्त कम से कम करना और टैरिफ वृद्धि में कमी लाना जो मूल्य वर्धित कृषि उत्पाद के निर्यात को

प्रभावित करती है, को कृषि समझौते पर चल रही वार्ता के लिए भारत की कार्यसूची में उच्च प्राथमिकता दी गई है।

यह भी देखा गया है कि कुछ विकसित देश कृषि निर्यात पर बिना पर्याप्त औचित्य के स्वास्थ्यकर तथा पादप स्वास्थ्यकर मानकों के रूप में गैर सीमा शुल्क अवरोध लागू करते हैं जो कभी–कभी अर्न्तराष्ट्रीय मानकों से अलग होते हैं। भारत तर्क संगत रूप से इस समस्या को उठाता रहा है तथा संबंधित बहुपक्षीय बैठकों में और कृषि संबंधी समझौते पर वार्ताओं के दौरान ऐसा करना जारी रखेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संगठनों को मान्यता

7969. श्री रामदास आठवले : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संगठनों को विभागीय मान्यता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार को अब तक कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है; और

(ङ) इन संगठनों को कब तक विभागीय मान्यता मिलने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु, ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा–संघों को मान्यता दिया जाना, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (सेवा संघों की मान्यता) नियम, 1993 द्वारा विनियमित किया जाता है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान है कि सेवा–संघों की सदस्यता एक से हित वाले विशिष्ट श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित रखी जाए तथा ऐसे संघ, किसी जाति, जनजाति अथवा धार्मिक संप्रदाय अथवा ऐसी किसी जाति, जनजाति अथवा ऐसे किसी धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत ही, किसी समुदाय अथवा वर्ग के आधार पर गठित नहीं किए जाएं।

यद्यपि इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं, एकीकृत सिविल सेवा के हित में, इन नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पृथक् संघों को मान्यता दिए जाने का विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान की हिरासत में मछुआरों को छोड़ा जाना

7970. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री दह्यभाई वल्लभभाई पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा हाल ही में छोड़े गए मछुआरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पाकिस्तानी जेलों में अभी भी अनेक मछुआरे बंद हैं;

(ग) यदि हां, तो वे कब से पाकिस्तानी हिरासत में हैं;

(घ) ऐसे मछुआरों के परिवारों को क्या सहायता दी जा रही है; और

(ङ) उनकी रिहाई हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ङ) दिनांक 22–23 अप्रैल 2000 की रात्रि को उनकी रिहाई के पश्चात् 23 अप्रैल 2000 को 22 भारतीय मछुवारों को भारत भेजा गया था।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार 112 भारतीय मछुवारे पाकिस्तानी हिरासत में हैं। ये मछुवारे अक्तूबर 1999 से जनवरी, 2000 की अवधि के दौरान पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे।

सरकार इन मछुवारों की शीघ्र रिहाई कराने और उनको वापिस लाने के लिए पाकिस्तान के साथ राजनयिक माध्यमों से निरंतर सम्पर्क में हैं।

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए धन

7971. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कौन–कौन सी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने संबंधित राज्यों को रोजगार आश्वासन योजना तथा अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धन जारी किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन योजनाओं को समय पर कार्यान्वित करने के लिए उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को धनराशि जारी करने के लिए कोई प्रभावकारी नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों हेतु निधियां, प्रत्येक स्कीम के कार्यान्वयन हेतु मार्गनिर्देशों में यथा–अनुबद्ध संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी की जाती हैं। सरकार रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) के अंतर्गत राज्यों को नियमित रूप से निधियां जारी कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इन स्कीमों के कार्यान्वयन को मानीटर करने तथा प्रत्येक राज्य को समय से निधियां जारी करने के लिए योजना आयोग अन्य बातों के अलावा, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों में भाग लेता है।

विवरण

(क) *1997–98 से 1999–2000 के दौरान, मंत्रिमंडल/पूर्ण योजना आयोग द्वारा अनुमोदित केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सी एस एस)*

1997-98

शून्य

1998-1999

1. महिला एवं बाल विकास विभाग की ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता परियोजना।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) की ताज सुरक्षा मिशन के संबंध में केन्द्र प्रायोजित स्कीम।
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अन्य पिछड़े वर्गों के बालकों एवं बालिकाओं हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृति।
4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अन्य पिछड़े वर्गों के बालक व बालिकाओं हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृति।
5. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अन्य पिछड़े वर्गों के बालकों व बालिकाओं हेतु छात्रावास।
6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अन्य पिछड़े वर्गों के बालकों व बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय।
7. ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की जिला ग्राम विकास अभिकरणों को सुदृढ़ करने के लिए 'डी आर डी ए प्रशासन' के नाम से एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम।
8. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय "किशोर सामाजिक असमायोजन का निवारण एवं नियंत्रण" की केन्द्र प्रायोजित स्कीम को जारी रखना एवं उसका संशोधन।
9. कृषि एवं सहकारिता विभाग का कपास विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन।
10. महिला एवं बाल विकास विभाग का महिलाओं हेतु राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एन आर सी डब्ल्यू) (अभी शुरू की जानी है।)
11. नौवीं योजना के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मुर्गी पालन/बत्तख पालन फार्मों को केन्द्रीय सहायता।
12. पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम।
13. केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी स्कीम।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

7972. श्री कोलुर वासवनगौड : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान राष्ट्रीय विकास निगम के तुलन–पत्र में कितना लाभ अथवा हानि दशाई गई है;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 के दौरान उक्त निगम हेतु कितनी धनराशि नियत करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त निगम को लाभ अर्जित करने वाला निगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) वर्ष 1998–99 के लिए कर पूर्व लाभ 171.99 करोड़ रुपये था और वर्ष 1999–2000 के लिए कर पूर्व अनुमानित लाभ (लंबित लेखा परीक्षा) 206.64 करोड़ रुपये है।

(ख) सरकार द्वारा 2000–2001 के दौरान एन. एम. डी. सी. को किसी बजटीय सहायता का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(क) एन. एम. डी. सी. पिछले कई वर्षों से लगातार लाभ अर्जित कर रही है और भारत सरकार को 25 प्रतिशत लाभांश का भुगतान कर रही है।

फलों और सब्जियों का उत्पादन

7973. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सबसे अधिक फल और सब्जियों का उत्पादन करने वाले देश का क्या नाम है;

(ख) अभी संसार में फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है;

(ग) क्या भारत में भंडारण सुविधाओं और पैक करने के सामान के उपलब्ध न होने के कारण अधिक मात्रा में फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन देशों की संख्या क्या है जिन्हें भारत फल और सब्जियां निर्यात कर रहा है और भारत में फलों और सब्जियों का कितना औसतन वार्षिक उत्पादन होता है तथा निर्यात का क्या प्रतिशत है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) खाद्य एवं कृषि संगठन वर्ष पुस्तिका, 1998 के अनुसार चीन विश्व में फलो और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

(ख) भारत चीन के बाद फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

(ग) और (घ) लगभग 25 प्रतिशत की औसत हानि आंकी गई है, यद्यपि फलों और सब्जियों में भंडारण सुविधाओं और पैकेजिंग सामग्री सहित कटाई पश्चात प्रबंध के दौरान विभिन्न फसलों में यह 8 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक है।

(ङ) भारत वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान लगभग 119 देशों में फल और सब्जी का निर्यात कर रहा है। वर्ष 1996–97 से 1998–99 के दौरान फलों और सब्जियों का वार्षिक औसत उत्पादन क्रमशः 42.48 मिलियन मीटरी टन और 78.01 मिलियन मीटरी टन था। उपर्युक्त अवधि के दौरान फलों और सब्जियों के निर्यात का प्रतिशत 0.37 प्रतिशत और 0.58 प्रतिशत रहा है।

[हिन्दी]

खान मजदूरों के लिए सुरक्षा उपाय

7974. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हीरे के खानों और पत्थर की खादानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) राज्य वार लाभान्वित मजदूरों की संख्या बताते हुए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण हेतु कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान खाद/खदान दुर्घटनाओं में कितने मजदूर मारे गए; और

(घ) उनके परिवारों को सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की गई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) खानों में नियोजित लोगों की सुरक्षा से संबद्ध उपबंध खान अधिनियम, 1952 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों व विनियमों में दिए गए हैं। सुरक्षा कानूनों की निरंतर समीक्षा की जाती है और उनमें समय–समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय भी प्रबंधन को दिशानिर्देशयुक्त परिपत्र भेजता है। खान प्रबंधनों को चाहिए कि वे इन उपबंधों का पालन करें। सुरक्षा उपबंधों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए तथा किसी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में खान अधिनियम, 1952 के तहत कार्रवाई करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारीगण समय–समय पर खानों का निरीक्षण करते हैं :

सरकार विधायी उपायों के अलावा अन्य उपाय भी कर रही है, जैसे –

1. खानों में सुरक्षा विषयक सम्मेलन।
2. प्रबंधन द्वारा स्व–विनियमन।
3. सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
4. विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय तथा द्विपक्षीय समीक्षाएं।
5. कामकाजी लोगों को प्रशिक्षण।
6. सुरक्षा सप्ताह तथा सुरक्षा अभियानों का आयोजन।
7. राष्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 1998 तथा 1999 में खान/खदान दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों की संख्या निम्नवत् रही :

	1998	1999*
हीरा खान	0	2
पत्थर खदान	6	6
कुल	6	8

* अनंतिम

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय असंतुलन

7975. श्री भर्तृहरि महताब : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय उड़ीसा में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों का मूल्यांकन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर, दक्षिण तथा मध्य उड़ीसा में क्षेत्रीय असंतुलन पर किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अध्ययन के निष्कर्षों के कार्यान्वयन के लिए कौन–कौन से कदम उठाए गए?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) किसी क्षेत्र की आयोजना तथा विकास और इस प्रयोजनार्थ निधियों का आबंटन करना मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। अतः योजना आयोग ने उड़ीसा में क्षेत्रीय असंतुलनों के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है।

बहरहाल, उड़ीसा में कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी (केबीके) के अविभाजित जिलों की बुनियादी समस्याओं से निपटने के लिए वर्ष 1995 में इन जिलों के विकास के लिए एक दीर्घावधिक कार्य योजना शुरू की गई थी। इसके उपरांत, इन जिलों की बुनियादी समस्याओं से निपटने वाली उच्च प्राथमिकता स्कीमों पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए उड़ीसा सरकार से एक संशोधित योजना बनाने के लिए कहा गया। संशोधित दीर्घावधिक योजना (1998–99 से 2006–2007) में विभिन्न क्षेत्रकों यथा कृषि, बागवानी, जलसंभर विकास, वनारोपण, सिंचाई, स्वास्थ्य, पेयजल, आपात आहार, अनुसूचित जातियों/जनजातियों का कल्याण और ग्रामीण सम्बद्धता की केन्द्रीय योजना और केन्द्र प्रायोजित स्कीमें शामिल हैं।

बार–बार सूखे और कमजोर प्रशासन के परिणामस्वरूप स्कीमों के धीमें क्रियान्वयन के अलावा राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियां भी इन पाकेटों के निरंतर गंभीर गरीबी से प्रभावित होने का कारण हैं। इस क्षेत्र की स्थानिक गरीबी को कम करने के लिए त्रिपक्षीय दृष्टिकोण के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं : (1) जलसंभर विकास, वनारोपण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से सूखा–निवारण, (2) अधिक उत्तरदायी प्रशासन, और (3) गैर टिम्बर वन उत्पाद, भूमि अधिग्रहण, अन्य संक्रामित भूमि की बहाली और वित्तीय मामलों में ग्राम पंचायतों को स्वायत्ता से संबंधित राज्य सरकार की कुछ नीतियों में परिवर्तन।

बीड़ी कामगारों के लिये घर

7976. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी मजदूरों के लिये "समग्र आवास योजना" के आरंभ से मार्च 2000 तक, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में बीड़ी कामगारों के लिये कितने मकानों का निर्माण किया गया और वर्ष 2001 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितने मकानों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) राज्यवार सहकारिता संघों अथवा अन्य संगठनों द्वारा किए गए मकानों के निर्माण का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बेघर बीड़ी मजदूरों की राज्य वार संख्या क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) बीड़ी कर्मकारों के लिए स्वीकृत आवास योजना तीनों मौजूदा अलग–अलग आवास योजनाओं को मिलाकर 14 जून, 1999 को शुरू की गई थी। मकानों का निर्माण एक सतत् और जारी रहने वाली प्रक्रिया होने के कारण इसके शुरूआत से मार्च, 2000 तक की अवधि से संबंधित विभिन्न राज्यों से बीड़ी कर्मकारों के लिए संस्वीकृत/निर्मित मकानों के आंकड़े निम्नानुसार है :

राज्य	आवास योजना के संघटक		
	मार्च, 2000 तक ई डब्ल्यू एस के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत/निर्मित मकान	मार्च, 2000 तक वी वाई ओ एच एस के अंतर्गत अलग-अलग बीड़ी कर्मकारों द्वारा संस्वीकृत/निर्मित मकान	2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों में बीड़ी कर्मकारों के लिए मकानों के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
आंध्र प्रदेश	40,063	1,617	10,000
तमिलनाडु	298	175	3,000
महाराष्ट्र	5,354	137	10,000
उत्तर प्रदेश	–	210	21
उड़ीसा	100	4,626	400
प. बंगाल	–	1,358	175
असम	–	352	25
त्रिपुरा	–	12	–
राजस्थान	150	25	–
गुजरात	173	25	61
कर्नाटक	2,816	88	25
केरल	–	3,432	150
मध्य प्रदेश	3,642	32	7,167

घर-विहीन बीड़ी कर्मकारों की संख्या के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

बागवानी से निर्यात संभावनाएं

7977. श्री हरिभाई चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एक्जिम बैंक आफ इंडिया' ने देश में बागवानी से निर्यात संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए हाल ही में अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन से क्या परिणाम रहे; और

(ग) बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में आ रही बाधाओं को हटाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा बागवानी फसलों की निर्यात संभावना के बारे में कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। बहरहाल इसने जुलाई, 1996 में 'फ्लोरीकल्चर ए सेक्टर स्टडी" शीर्षक से एक सामान्य शोध पत्र प्रकाशित किया था।

(ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक के शोध पत्र में पुष्पकृषि में भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है एवं पुष्पकृषि निर्यात के विकास की नीतियों से संबंधित सिफारिशें की गई हैं।

(ग) बागवानी/पुष्पकृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी तथा बड़ी नर्सरियों की स्थापना के लिए सहायता देना, प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी में वृद्धि करना, पुराने उद्यानों का पुनरुद्धार, सब्जियों

के लिए मिनिकिटों की आपूर्ति, उत्पादकता सुधार तथा किसानों को प्रशिक्षण।

(2) उन्नत पैकेजिंग के लिए वित्तीय सहायता देना, गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना तथा प्रसंस्करण यूनिटों का आधुनिकीकरण।

(3) विदेशी मंडियों तक पहुंच बनाने के लिए उत्पादों, खासतौर से आम में कीट पैदा होने से रोकने के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट सुविधाओं की स्थापना।

(4) पुष्पकृषि से संबंधित उत्पादों तथा चुनिन्दा ताजे फलों एवं सब्जियों के निर्यात पर हवाई भाड़ा राजसहायता प्रदान करना।

(5) संवर्द्धनात्मक अभियान जैसे क्रेता–विक्रेता संपर्क शुरू करना तथा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों एंव मेलों में भाग लेना।

(6) निर्यात के प्रयोजनार्थ जल्द खराब होने वाली जिंसों जैसे फलों, ताजे फलों एवं सब्जियों के रखरखाव के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर समेकित कार्गो हैण्डलिंग एवं शीत भंडारण सुविधाओं की स्थापना।

(7) गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रदूषण रोकने तथा फफूंद एवं जीवाणुओं की रोकथाम की दृष्टि से उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना।

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

7978. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकी–करण हेतु लागू कार्यक्रमों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) आज की तिथि में राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण में कितना खर्च किया गया है;

(घ) क्या आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप इस इस्पात संयंत्र के कार्य निष्पादन में सुधार आया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के आधुनिकीकरण का कार्य नवम्बर, 1999 में गामी रूप से पूरा हो गया है। संपूर्ण संयंत्र के निष्पादन और विशेषकर इसकी आधुनिकीकृत इकाइयों की समंय–समय पर समीक्षा सरकार द्वारा सेल के निष्पादन की समीक्षा करते समय की जाती है।

(ग) अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार आर एस. पी. के आधुनिकीकरण पर 4,469.18 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई।

(घ) और (ङ) आधुनिकीकरण का उददेश्य पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी को कम करना, उत्पादन संबंधी रुकावटों को दूर करना, उत्पादकता बढ़ाना, ऊर्जा संरक्षित करना और उत्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त करना था। आधुनिकीकरण के पश्चात् प्रौद्योगिकी आर्थिक प्राचलों अर्थात् धमन भट्टी उत्पादकता, कोक दर और ऊर्जा खपत के साथ–साथ उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में आर. एस. पी. के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है। इनगोट प्रक्रिया के माध्यम से किया जाने वाला उत्पादन भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है तथा शत प्रतिशत उत्पादन सतत् ढलाई प्रक्रिया के जरिए किया जा रहा है। जहां तक मात्रात्मक दृष्टि से संयंत्र के निष्पादन का संबंध है, आधुनिकीकृत सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी आर. एस. पी. का उत्पादन बाजार में मंदी की स्थिति के कारण विनियमित करना पड़ा तथा 1999–2000 के दौरान एक धमन भट्टी भी बंद हो गई थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग की समीक्षा

7979. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कार्यकरण की कभी समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और उक्त आयोग के पास गत तीन वर्षों से कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आयोग के प्रभावी कार्यकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 338 के खंड 6 के अंतर्गत प्रावधान

के अनुसार, आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिन पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है और संसद में रखी जाती है।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

7980. श्री चिंतामन वनगा :

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में इस्पात उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा प्राप्त किये गये;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस्पात उत्पादन में गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) मूल आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 1994–95 में अपरिष्कृत इस्पात का वास्तविक उत्पादन 197.70 लाख टन था, जबकि योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित लोहा और इस्पात संबंधी कार्यकारी दल द्वारा लगभग 249.2 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ङ) योजना आयोग द्वारा नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए गठित लोहा और इस्पात संबंधी कार्यकारी दल द्वारा किए गए प्रक्षेपणों के अनुसार परिसज्जित इस्पात का उत्पादन नौंवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2001–02 तक 380.1 लाख टन हो जाएगा। उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उद्योग की सहायता करने के लिए इस्पात की मांग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शमिल हैं :

- बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद मिश्र को उन्मुखी बनाना और बाजार–मांग में हुए परिवर्तन के अनुसार उत्पादन का आयोजित करना।
- ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन/आपूर्ति व्यवस्था करके दीर्घकालिक ग्राहक संबंध विकसित करना।
- निर्यात संबंधी अड़चनों को दूर करने में इस्पात निर्यातकों की सहायता करने के लिए "इस्पात निर्यातक मंच" का गठन किया गया है।
- इस्पात की मांग और माल में वृद्धि करने के लिए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात ने इस्पात की मांग, विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्रों जैसे गैर–परंपरागत क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।
- निर्यात में वृद्धि करने के लिए इस्पात में निर्यात हेतु ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक (डी ई पी बी) दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- इस्पात विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकी में सुधार करने और भारतीय इस्पात की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की जांच और सहायता करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

लघु उद्योग क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

7981. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लघु उद्योग क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप भारत में लघु उद्योगों को कितना लाभ होने की संभावना है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) भारत सरकार तथा ब्रिटेन, दोनों देशों के लघु तथा मझौले उद्यमों के बीच फार्जिंग लिंकेज सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से, जारी आर्थिक तथा वाणिज्यिक पारस्परिक विचार–विमर्श को मजबूती प्रदान करने पर सहमत हो गए हैं। इन प्रयत्नों के एक भाग के रूप में, विकासशील भागीदारी में भारत और ब्रिटेन के लघु तथा मझौले उद्यमों को सहायता देने के लिए एक 'ग्लोबल एंटरप्राइज इनिसिएटिव" शुरू किया गया है। दोनों देशों के लघु तथा मझोले उद्यमों (एस.एम.ई) के बीच सहयोग

से यह आशा की जाती है कि प्रौद्योगिकी स्थानांतरित तथा संयुक्त उद्यमों आदि के संवर्द्धन के क्षेत्रों में लाभ होगा।

[हिन्दी]

ई. एस. आई. योजना

7982. प्रो. रासासिंह रावत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना के द्वारा राज्यवार कितने औद्योगिक कर्मचारी कवर किए गए है और कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) आज की तारीख में राजस्थान में ई एस आई के कितने अस्पताल और डिस्पेंसरियां कार्य कर रहे हैं और इन अस्पतालों व डिस्पेंसरियों से कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए है;

(ग) वर्ष 2000 के दौरान स्थानवार कितने अस्पताल और डिस्पैंसरियां खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर राजस्थान में ई एस आई डिस्पेंसरियों और अस्पतालों के आधुनिकीकरण व उन्नयन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन डिस्पेंसरियों व अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराये गए हैं; और

(छ) उक्त अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में राज्यवार कितने पद रिक्त पड़े हैं और इन्हें कब तक भरा जाएगा?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) मार्च, 1999 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 80.85 लाख कर्मचारियों को शामिल किया गया था जबकि मार्च, 1996 में 66.13 लाख कर्मचारी शामिल थे इससे व्याप्ति में 22.26 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी थीं 31.3.99 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राज्य वार व्याप्ति के बारे में सूचना विवरण–I में दी गई है।

(ख) वर्तमान में राजस्थान में 2.92 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देख–रेख तथा इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 4 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा 63 औषधालयों की स्थापना की गयी है।

(ग) वर्ष 2000 के दौरान राजस्थान में कोई नया कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों को बेहतर बनाए जाने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हाल ही में एक कार्य–योजना तैयार की है और उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है। कार्य योजना में अन्य बातों के साथ–साथ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में अल्ट्रासोनोग्राफी पल्स ऑक्सीमीटर, ऑटो एनालाइजर, सेमी ऑटो एनालाइजर कार्डियक मॉनीटर, दन्त चिकित्सा इकाई, रीससाइटेशन उपकरण आदि को उपलब्ध करवाकर चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत बनाना उनका आधुनिकीकरण शामिल है। कार्य योजना के अंतर्गत, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 112 क.रा.बी. अस्पतालों के संबंध में आधुनिक उपस्करों के संबंध में पहले ही विचार किया है और उनका अनुमोदन कर लिया है। चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अस्पताल–वार उपलब्ध करावाए गए उपकरणों का ब्यौरा अत्यधिक विस्तृत है अतः इस संबंध में अलग–अलग ब्यौरा उपलब्ध करवा पाना कठिन है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राजस्थान में तीन कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और 61 औषधालयों में आधुनिकीकरण हेतु कतिपय उपकरणों की मंजूरी प्रदान की है।

(च) और (छ) चिकित्सा, परा चिकित्सा तथा अन्य पदों की रिक्तियों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है। दिल्ली और नोएडा को छोड़कर कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संचालित किया जा रहा है। तदनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने संबंधित राज्य सरकारों से रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया है। चूंकि इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है अतः यह बता पाना कठिन है कि उक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा।

विवरण–I

31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन व्याप्त कर्मचारियों की राज्यवार संख्या

राज्य/क्षेत्र	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	4,74,100
असम और मेघालय	38,000
बिहार	1,70,850

1	2
चंडीगढ़	28,350
दिल्ली	5,43,250
गोवा	70,800
गुजरात	5,48,100
हरियाणा	3,56,300
हिमाचल प्रदेश	48,600
जम्मू और कश्मीर	17,450
कर्नाटक	6,27,400
केरल और माहे	3,78,950
मध्य प्रदेश	2,36,000
महाराष्ट्र	13,81,200
उड़ीसा	1,29,050
पांडिचेरी	39,750
पंजाब	4,00,200
राजस्थान	2,92,250
तमिलनाडु	10,52,850
उत्तर प्रदेश	5,14,750
पश्चिम बंगाल	7,37,000
समस्त भारत	80,85,200

विवरण-II

विभिन्न कर्म. रा. बी. संस्थानों में रिक्त पड़े पदों की राज्य/क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र का नाम	पद रिक्त		
		मेडिकल	पैरा मेडिकल	अन्य
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	145	264	299
2.	असम	10	22	2
3.	बिहार	43	271	–
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	4	17	12
5.	दिल्ली	299	662	376
6.	गोवा	7	15	2
7.	गुजरात	90	352	407
8.	हरियाणा	26	15	80
9.	हिमाचल प्रदेश	11	7	4
10.	कर्नाटक	195	464	566
11.	केरल	117	164	77
12.	मध्य प्रदेश	98	135	85
13.	मुम्बई	75	191	407
14.	नागपुर	6	41	52
15.	पुणे	1	16	34
16.	मेघालय	–	5	2
17.	उड़ीसा	37	68	63
18.	पांडिचेरी	10	8	1
19.	पंजाब	19	93	171
20.	राजस्थान	36	29	17
21.	तमिलनाडु	33	182	223
22.	उत्तर प्रदेश	107	132	161
23.	पश्चिम बंगाल	394	395	167
24.	जम्मू और कश्मीर	3	8	–

[अनुवाद]

कावेरी जल विवाद

7983. श्री मणिशंकर अय्यर : क्या **जल संसाधन** मंत्री दिनांक 19 अप्रैल 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3921 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक तमिलनाडु सीमा पर बिल्लीगुंडुलू में कावेरी नदी पर केन्द्रीय जल आयोग के हाइड्रोलाजिकल आब्जर्वेशन साइट पर जो कि मेत्तुर जलाशय से 60 कि.मी. दूरी पर है प्रतिदिन किए जा रहे प्रवाह का माप मेत्तुर पर प्राप्त जलागत के आंकड़ों के अनुरूप हैं;

(ख) यदि नहीं, तो आंकड़ों के समायोजन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) बिल्लीगुंडुलू और मेत्तूर पर क्रमशः मापे गए आंकड़ों में अंतर के बारे में कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के बीच मतभेद जैसा कि कावेरी निगरानी प्राधिकरण की आज तक केवल एक बार आयोजित बैठक में व्यक्त किया गया था को दूर करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) मेत्तुर जलाशय के 60 कि.मी. प्रति प्रवाह पर बिल्लीगुंडुलू स्थल पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रेक्षित प्रवाह के माप और मेत्तुर जलाशय में तमिलनाडु सरकार द्वारा सूचित अंतर्वाह में परस्पर एकरूपता नहीं है। चूंकि कावेरी जल विवाद अधिकरण ने अपने अंतरिम आदेश में कर्नाटक को अपने जलाशयों से जल छोड़ने का निदेश दिया है ताकि एक वर्ष में जून से मई तक मेत्तुर जलाशय में 205 टी. एम. सी. जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसलिए मेत्तुर जलाशय में किए गए मापन मानीटरिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र

7984. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विज्ञान केन्द्र अपने वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में पीछे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में इन केन्द्रों विशेषकर महाराष्ट्र के केन्द्रों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के पुनरुद्धार हेतु कोई कार्य योजना शुरू की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने आमतौर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के नाम से प्रचलित 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। इनमें से 16 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा संगठन में बदलाव के कारण हाल ही में दिए गए अनुमोदन, कर्मचारियों की भर्ती में विलंब और कुछ में न्यायिक प्रक्रिया निहित होने के कारण, अपनी संपूर्ण गतिविधियां अभी आरम्भ की जानी है। ऐसे कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा सन् 1993–94 के दौरान, नौ पंचवर्षीय समीक्षा दलों का गठन करके की गई। इनमें गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए भी एक दल शामिल था। समिति ने प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों की पहचान करने, प्रशिक्षण एवं अन्य तकनीकी कार्यक्रमों की पद्धति, संपर्क, स्थानीय प्रबंध समिति के कार्य निष्पादन अनुदेशात्मक फार्म के संचालन, बुनियादी ढांचे के विकास, कार्मिक एवं वित्तीय प्रबंध पर अनेक सिफारिशें की हैं कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए समिति की सिफारिशों पर अमल किया गया है।

(ङ) और (च) कर्मचारियों की भर्ती और न्यायिक प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने से संबंधित मुददों पर कार्रवाई शुरू की गई है। कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा सभी गतिविधियों को आरंभ करने के लिए बुनियादी ढांचे तथा दूसरी सुविधाएं विकसित करने के लिए धन का प्रावधान किया गया है।

विवरण

कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या	जिला
अरुणाचल प्रदेश	1	पश्चिम सियांग
बिहार	5	दरभंगा, वैशाली, शेखपुरा, मुज्जफरपुर और जहानाबाद
जम्मू और कश्मीर	1	कठुआ
कर्नाटक	1	कोलार
मध्य प्रदेश	2	ग्वालियर और बस्तर
महाराष्ट्र	1	सतारा
मिजोरम	1	लुंगलेई
त्रिपुरा	1	दक्षिणी त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश	2	पीलीभीत और लखनऊ
पश्चिम बंगाल	1	जलपाईगुड़ी

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग से सहायता

7985. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्यों को राज्यवार कितनी सहायता मुहैया करायी गई है;

(ख) वर्ष 1998–99, 1999–2000 के दौरान और अभी तक इस ऋण से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और इसके साथ–साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी. आई. सी.) द्वारा प्रदान की गयी राज्यवार सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1998–99 के दौरान 58.29 लाख लोगों को लाभ प्राप्त हुआ और वर्ष 1999–2000 के दौरान लगभग 60.89 लाख लोगों को लाभ प्राप्त होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के. वी. आई. सी.) ने 3.50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार के सृजन करने का लक्ष्य नियत किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1996–97 से 1998–99 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को संवितरित ऋण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996–97		1997–98		1998–99	
		खादी	ग्रा. उ.	खादी	ग्रा. उ.	खादी	ग्रा. उ.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	383.16	258.90	63.02	17.68	19.76	31.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.33	29.42	–	–	–	–
3.	असम	61.43	4.68	19.43	0.37	0.79	2.00
4.	बिहार	144.81	56.34	30.17	0.14	53.83	7.02
5.	गोवा	36.65	11.30	–	31.32	–	1.55
6.	गुजरात	61.64	30.41	7.00	13.37	43.34	29.13
7.	हरियाणा	74.67	65.72	18.75	219.36	2.10	8.88
8.	हिमाचल प्रदेश	11.97	31.03	–	–	6.52	4.33
9.	जम्मू और कश्मीर	35.97	4.51	0.38	–	6.61	0.52
10.	कर्नाटक	170.98	56.66	170.75	68.05	102.75	61.58
11.	केरल	108.82	21.87	3.15	1.46	35.48	13.68
12.	मध्य प्रदेश	153.26	49.27	1.21	48.88	8.18	12.11
13.	महाराष्ट्र	87.68	220.24	10.84	48.68	7.62	41.96
14.	मणिपुर	7.42	2.84	–	–	–	0.34
15.	मेघालय	6.75	36.04	–	–	–	0.86
16.	मिजोरम	1.62	–	–	–	0.10	–

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागालैंड	16.78	2.73	–	2.00	–	–
18.	उड़ीसा	116.46	9.52	18.95	3.87	6.10	8.34
19.	पंजाब	72.00	6.10	–	2.50	11.45	1.21
20.	राजस्थान	218.24	18.79	28.59	26.21	19.70	23.60
21.	सिक्किम	3.90	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	446.80	43.07	0.25	26.57	42.27	37.41
23.	त्रिपुरा	21.99	4.61	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	492.82	241.38	61.81	135.90	332.88	191.10
25.	पश्चिमी बंगाल	138.32	69.55	43.15	4.97	36.28	48.54
26.	अंडमान और निकोबार	–	–	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
29.	एनसीटी आफ दिल्ली	13.69	3.38	–	–	1.65	10.11
30.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–
31.	पांडिचेरी	2.06	–	–	–	–	1.29
32.	लक्षद्वीप	–	5.10	–	–	–	–
33.	विभागीय	–	–	–	–	–	7.67
34.	अन्य योजनाएं	–	–	–	–	–	–
	कुल योग	2904.22	1283.46	477.45	651.37	737.41	544.33

वर्ष 1996–97 से 1998–99 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को संवितरित ऋण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996–97		1997–98		1998–99	
		खादी	ग्रा. उ.	खादी	ग्रा. उ.	खादी	ग्रा. उ.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	273.95	685.78	174.29	737.29	275.35	340.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	125.41	0.87	–	–	–
3.	असम	52.55	12.70	35.06	6.30	59.79	6.72

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	651.17	12.29	748.45	4.00	1196.53	33.96
5.	गोवा	0.60	45.35	1.00	9.84	–	40.36
6.	गुजरात	922.70	519.17	1387.00	94.71	2554.96	268.56
7.	हरियाणा	19.40	292.58	592.79	52.25	652.94	185.23
8.	हिमाचल प्रदेश	1.88	203.59	123.30	153.97	76.51	272.94
9.	जम्मू और कश्मीर	70.29	263.48	81.92	40.53	182.50	352.13
10.	कर्नाटक	255.57	653.33	438.63	561.35	1008.73	1228.32
11.	केरल	147.03	1175.18	322.60	15.58	205.45	395.94
12.	मध्य प्रदेश	100.60	720.64	367.27	319.06	178.49	1319.02
13.	महाराष्ट्र	260.82	795.04	32.93	285.31	310.59	308.97
14.	मणिपुर	2.38	208.16	–	281.51	–	266.93
15.	मेघालय	4.88	232.43	–	–	2.36	44.93
16.	मिजोरम	1.13	1028.05	–	49.63	0.02	344.39
17	नागालैंड	28.32	733.46	7.18	90.00	5.37	396.94
18.	उड़ीसा	45.25	396.94	30.99	60.50	172.53	87.02
19.	पंजाब	281.01	391.05	619.41	124.79	345.73	605.12
20.	राजस्थान	860.03	636.87	105.26	314.15	1490.71	461.80
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	757.63	737.73	1268.80	58.77	2690.76	414.10
23.	त्रिपुरा	0.50	90.31	0.02	–	0.50	–
24.	उत्तर प्रदेश	2141.50	1589.33	1947.68	77.71	4201.30	1454.00
25.	पश्चिमी बंगाल	227.47	1011.77	235.00	7.60	595.10	20.49
26.	अंडमान और निकोबार	–	42.85	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
29.	एनसीटी आफ दिल्ली	321.06	73.11	22.29	10.74	669.27	31.34
30.	दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	–
31.	पांडिचेरी	–	7.60	–	–	–	26.23

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	लक्ष्यद्वीप	6.39	24.20	–	–	0.39	34.64
33.	विभागीय	229.43	3654.50	217.35	21567.01	752.48	7707.43
34.	अन्य योजनाएं	–	4868.15	–	–	–	–
	कुल योग	7663.54	21224.05	8760.09	24922.60	17628.36	16648.26

[अनुवाद]

भारत में विकलांग व्यक्ति

7986. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की आबादी और उनके जीवन–स्तर के बारे में कोई रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के शिक्षण और प्रशिक्षण, पुनर्वास कार्य कल्याण के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों दोनों के द्वारा स्थानवार व राज्यवार कितनी संस्थाएं चलाई जा रही हैं;

(घ) क्या सरकार के पास भारत में अंधे व्यक्तियों की आबादी के बारे में कोई सांख्यिकीय आंकड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) भारत में अन्धे लोगों के शिक्षण–प्रशिक्षण के लिए राज्यवार–स्थानवार कितने अन्धे स्कूल व अन्य संस्थाएं हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने विकलांग व्यक्तियों की संख्या संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए जुलाई–दिसम्बर, 1991 में 47वें दौर का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से विकलांग उस स्थिति में माना गया जब एक व्यक्ति में एक अथवा अधिक विकलांगताएं हों नामतः (1) दृष्टि (2) श्रवण (3) वाणी तथा (4) चलन विकलांगता। नमूना सर्वेक्षण के आधार पर देश की कुल जनसंख्या की लगभग 1.9 प्रतिशत आबादी एक अथवा अधिक शारीरिक विकलांगताओं से पीड़ित हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में विलम्बित विकास वाले बच्चों पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया कि सामान्य जनसंख्या की 3 प्रतिशत आबादी विलम्बित मानसिक विकास से पीड़ित हैं। कार्य स्थिति यानि नियोजित बेरोजगार तथा श्रम बल में से विकलांग व्यक्तियों के वर्गीकरण से यह पाया गया कि 29 तथा 25 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति क्रमशः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में नियोजित हैं।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

(1) यह मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने की योजना को कार्यान्वित कर रहा है। विकलांग व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ–साथ शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जा रही है। योजना के अंतर्गत 1999–2000 के दौरान जिलेवार सहायता प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(2) विकलांग व्यक्तियों के लिए 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र हैं जिनको श्रम मंत्रालय द्वारा नियंत्रित तथा शासित किया जाता है। ये अगरतला (त्रिपुरा), अहमदाबाद (गुजरात), बेंगलूर (कर्नाटक), भुवनेश्वर (उड़ीसा), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), जबलपुर (मध्य प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), कानपुर (उत्तर प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), मुंबई (महाराष्ट्र), नई दिल्ली (दिल्ली), पटना (बिहार), तिरूवनन्तपुरम (केरल), तथा वडोदरा (गुजरात) में स्थित हैं। वडोदरा स्थित केन्द्र विकलांग महिलाओं की जरूरतों को पूरा करता है।

(3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है जो सामान्य

स्कूल प्रणाली में विकलांग बच्चों (लड़के तथा लड़कियों दोनों) के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करती है ताकि प्रणाली में उनके प्रतिधारण और अन्ततः एकीकरण को सुगम बनाया जा सके। योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चों के लिए पुस्तकों तथा लेखन सामग्री, वर्दी, संसाधन अध्यापकों (रिसोर्स टीचरों) तथा हैल्परों को वेतन तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण आदि सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है। इस समय यह योजना 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलाई जा रही है।

(4) विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थान विकलांग की इस संबंधित श्रेणी में शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(घ) और (ङ) भारत की राज्यवार नेत्रहीन जनसंख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(च) वर्ष 1995 में किए गए संकलन के अनुसार भारत में दृष्टि विकलांगों के लिए लगभग 430 संस्थान कार्यरत हैं जो सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों दोनों द्वारा चलाए हैं। स्थानवार तथा राज्यवार और विकलांगता तथा पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा संकलित की गई। भारत में विकलांगों के लिए कार्यरत संस्थाओं की डायरेक्टरी के पृष्ट 73 से 143 पर उपलब्ध हैं।

विवरण-I

प्रति एक लाख व्यक्तियों की तुलना में लिंग–वार विकलांग व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
आंध्र प्रदेश	2640	2354	2498	2092	1712	1903
असम	1408	947	1200	1390	948	1186
बिहार	1973	1125	1573	1740	1071	1436
गुजरात	1786	1557	1676	1720	1566	1648
हरियाणा	2290	1665	1988	1603	1105	1374
हिमाचल प्रदेश	3580	2157	2870	1268	995	1144
कर्नाटक	2368	1891	2131	1662	1307	1494
केरल	2280	1636	1945	1927	1587	1755
मध्य प्रदेश	2281	1794	2051	1805	1113	1475
महाराष्ट्र	2437	1927	2700	1787	1408	1610
उड़ीसा	3191	2166	2306	2025	2077	2049
पंजाब	3418	2384	2936	2025	1558	1807
राजस्थान	2141	1355	1767	1594	1168	1126
तमिलनाडु	2541	2201	2372	2075	1669	1874
उत्तर प्रदेश	2669	1441	1879	1779	1210	1519
पश्चिम बंगाल	2269	1484	1788	1690	1283	1505
समस्त भारत	2277	1694	1995	1774	1361	1579

स्रोत : एन एस एस ओ की रिपोर्ट, 1991

विवरण-II

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत 1999–2000 के दौरान जिलेवार सहायता प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों की संख्या

राज्य का नाम	जिला का नाम	एन जी ओ की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	चित्तूर	6
	कुडप्पा	1
	ईस्ट गोदावरी	5
	गुंटूर	5
	करीमनगर	3
	खम्माम	3
	कृष्णा	4
	कुरनूल	1
	महबूबनगर	2
	मेडक	1
	नालगोंडा	1
	नेलौर	2
	निजामाबाद	2
	प्रकासम	6
	रंगारेड्डी	32
	विशाखापट्टनम	6
	विजियानगरम	3
	वारंगल	1
	वेस्ट गोदावरी	2
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	2
असम	गुवाहाटी	3
बिहार	भागलपुर	1
	मुंगेर	1
	मुजफ्फरपुर	1
	नालंदा	1
	पटना	6
	सहरसा	1
चंडीगढ़	चंडीगढ़	2
दिल्ली	दिल्ली	31
गोवा	नार्थ गोवा	2
गुजरात	अहमदाबाद	7
	बड़ोदा	2
	भागल	1
	भावनगर	2
	जामनगर	1
	राजकोट	1
	सूरत	1
	सुरेन्द्रनगर	1
	वडोदरा	1
हरियाणा	अम्बाला	1
	चंडीगढ़	1
	फरीदाबाद	2
	गुडगांव	3
	हिसार	1
	रोहतक	1
	यमुना नगर	1
हिमाचल प्रदेश	शिमला	1
जम्मू व कश्मीर	जम्मू	2
कर्नाटक	बंगलौर	17
	बेलगांव	4
	बेल्लारी	2
	बीदर	3

1	2	3
	बीजापुर	1
	चित्रदुर्ग	6
	दक्षिण कन्नड़	1
	धारवाड़	11
	गुलबर्ग	1
	हासन	1
	कोलार	3
	मैसूर	4
	रायचूर	2
	उत्तर कन्नड़	2
केरल	अल्लापूझा	1
	कोचीन	1
	एर्नाकुलम	7
	इडुकी	2
	कन्नौर	3
	कोल्लाम	1
	कोट्टायम	8
	कोजीकोड (कालीकट)	4
	पालक्कड़	3
	त्रिचूर	10
	त्रिवेन्द्रम	8
	वायनाड़	1
मध्य प्रदेश	भोपाल	1
	इंदौर	3
	जबलपुर	1
	कोरबा	1
	मोरेना	1
	उज्जैन	1

1	2	3
महाराष्ट्र	अमरावती	2
	औरंगाबाद	1
	भण्डारा	1
	मुंबई	14
	गढ़चिरौली	2
	पुणे	5
	विरार	1
मणिपुर	इम्फाल	4
	इंफाल जोन–II	1
	थांगा	1
	थाउबाल	1
मेघालय	शिलांग	2
	तुरा	1
	पश्चिम गारो हिल्स	1
मिजोरम	आइजोल	1
उड़ीसा	भद्रक	1
	कटक	1
	धेनकनाल	2
	गंजम	2
	क्योंझर	1
	खुर्दा	9
	नयागढ़	2
	पुरी	3
पांडिचेरी	पांडिचेरी	2
पंजाब	अमृतसर	1
	चंडीगढ़	2
	फरीदकोट	1
	गुरूदासपुर	1

1	2	3
	होशियारपुर	1
	जालंधर	2
	लुधियाना	1
	पटियाला	1
राजस्थान	अलवर	1
	भरतपुर	1
	भीलवाड़ा	1
	गंगानगर	1
	जयपुर	2
तमिलनाडु	चेन्नई	14
	कोयम्बटूर	1
	धर्मापुरी	3
	मदुरै	5
	पेराम्बलूर	1
	तंजावुर	1
	तिरूनेलवेली	2
	त्रिची	6
	वेलौर	1
त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	आगरा	2
	अलीगढ़	1
	इलाहाबाद	8
	अलमोड़ा	1
	अम्बेडकर नगर	1
	बरेली	1
	बिजनौर	1
	देहरादून	2
	देवरिया	3

1	2	3
	फैजाबाद	4
	फर्रुखाबाद	1
	गाजियाबाद	1
	गाजीपुर	1
	गोंडा	1
	गोरखपुर	1
	हरिद्वार	1
	जे पी नगर	1
	कानपुर	1
	कुशीनगर	2
	लखनऊ	16
	मथुरा	1
	मेरठ	2
	मिरजापुर	1
	मुरादाबाद	1
	पिथौरागढ़	1
	प्रतापगढ़	1
	रामपुर	1
	सहारनपुर	1
	सुल्तानपुर	1
	वाराणसी	7
पश्चिम बंगाल	24 परगना (उत्तर)	3
	24 परगना (दक्षिण)	1
	आसनसोल	1
	बीरभूम	1
	वर्द्धमान	3
	कलकत्ता	20
	दार्जिलिंग	2

1	2	3	1	2	3
	दुर्गापुर	1		जलपाईगुड़ी	1
	हुगली	5		मिदनापुर	2
	हावड़ा	1		नदिया	1

विवरण-III

प्रति एक लाख व्यक्तियों की तुलना में लिंग–वार दृष्टि विकलांग व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण			दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्ति अनुमानित (00)	शहरी			दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्ति अनुमानित(00)
	पुरुष	महिला	व्यक्ति		पुरुष	महिला	व्यक्ति	
आंध्र प्रदेश	668	946	806	3776	326	445	385	558
असम	405	355	382	523	520	371	451	58
बिहार	333	349	341	2112	220	232	225	209
गुजरात	327	423	1373	1032	185	357	266	267
हरियाणा	538	710	621	842	335	399	364	143
हिमाचल प्रदेश	661	809	629	429	332	319	326	14
कर्नाटक	494	632	562	1713	309	370	338	370
केरल	400	435	418	830	293	480	388	172
मध्य प्रदेश	424	646	529	2658	222	258	239	291
महाराष्ट्र	478	620	549	2505	241	290	264	671
उड़ीसा	733	908	820	2303	349	550	444	171
पंजाब	526	682	599	742	301	353	325	173
राजस्थान	375	502	435	1277	212	298	253	205
तमिलनाडु	547	704	625	2328	332	423	377	741
उत्तर प्रदेश	490	549	518	5428	269	358	310	773
पश्चिम बंगाल	381	411	395	1821	280	371	321	480
समस्त भारत	471	548	525	30753	263	346	302	5509

स्रोत : एन एस एस ओ की रिपोर्ट, 1991

[हिन्दी]

उत्तरी भारत में बाढ़

7987. श्री रामजी लाल सुमन :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का पता लगाया है जो उत्तरी भारत की बारहमासी नदियों के अतिरिक्त वर्षा के जल से प्रभावित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों के क्या नाम हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में किए गए जान–माल की हानि का आंकलन क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मानव खपत के लिए वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अभिज्ञान और उसकी सूचना संबद्ध राज्य सरकारें देती हैं। संबद्ध राज्य राजस्व अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तरी भारत के राज्यों के बाढ़ प्रभावित जिलों की सूची विवरण–I पर दी गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई मौतों एवं संपति को नुकसान (करोड़ रुपये में) क्रमशः का ब्यौरा विवरण–II एवं III में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण जनता को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उपमिशन परियोजनाओं के तहत वर्षा जल दोहन संरचनाओं के निर्माण की अनुमति दी गई है। इन परियोजनाओं पर आने वाली लागत भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच 75:25 आधार पर वहन की जाती है। 1.4.1998 से उप मिशन गतिविधियों के तहत परियोजनाओं को स्वीकृत एवं क्रियान्वित करने की शक्ति राज्य सरकारों को प्रदान की गई है तथा भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिए जाने वाले धन का 20 प्रतिशत इन गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

विवरण-I

उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित जिले **(वर्ष 1997)**

बिहार	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शीवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, खगरिया, बेगुसराय, लखीसराय, शेख़पुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, पटना, नालंदा, भोजपुर, गया, जहानाबाद, जमशेदपुर, गाढ़वा, गोपालगंज, सीवान और भागलपुर।
गुजरात	अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, खेड़ा, साबरकंठा, जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, वडोदरा, पंचमहल, बरूच, वलसाड, डांग, बनासकांठा और सूरत।
हिमाचल प्रदेश	कांगरा, शिमला, मंडी, सोलन, सीरमोर, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, चम्बा, किन्नर, लाहौल और स्पीति।
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर, बड़गाम, अनंतनाग, फुलवामा, बारामुला, कुपवाडा, लेह, कारगिल, जम्मू, कथुआ, उधमपुर, डोडा, राजौरी और पूंछ।
मध्य प्रदेश	रीवा और बालाघाट।
राजस्थान	अजमेर, बांसवाड़ा, बारमेर, बीकानेर, चुरू, धोलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, झालवार, करौली, नागौर, पाली और सीकर।
हरियाणा	राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई।
पंजाब	राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई।
उत्तर प्रदेश	राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई।

उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित जिले **(वर्ष 1998)**

बिहार	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शीवहर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, साहेबगंज, बाका, मधुबनी, खगरिया, बेगुसराय, लखीसराय, शेखपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पटना, गोपालगंज, सीवान और भागलपुर।
गुजरात	अहमदाबाद, गांधीनगर, महेसाना, नर्मदा, अमरेली, आनंद, खेड़ा, साबरकंठा, भावनगर, जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, वडोदरा, दाहौड, नवसारी, पाटन, पोरबन्दर, राजकोट, पंचमहल, बरूच, सुरेन्द्र नगर, वलसाड, डांग, बनासकांठा और सूरत।
हिमाचल प्रदेश	कांगरा, शिमला, मंडी, सोलन, सीरमोर, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, चम्बा, किन्नर, लाहौल और स्पीति।
पंजाब	पटियाला, कपूरथला, अमृतसर, फरीदकोट, भटिंडा, मोगा, गुरूदासपुर, संगरूर, होशियारपुर और मंसा।

राजस्थान अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, चुरू, दौसा, धोलपुर, झुंझुनु, जयपुर, झालवार, करौह, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, नागौर और सीकर।

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई।

हरियाणा राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई।

रा.रा.क्षे. राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई।

दिल्ली

उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित जिले **(वर्ष 1999)**

बिहार मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, सीतामढ़ी, शीवहर, सारण, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर,मधेपुरा सहरसा, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय, खगरिया भागलपुर, साहेबगंज, पाकुर, पटना और जहानाबाद।

गुजरात महेसाना, साबरकंठा, नवासारी, आनंद, खेड़ा, जामनगर, दाहौड़, राजकोट, वलसाड, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच, नर्मदा, सुरेन्द्रनगर, भावनगर, बनासकांठा और अमरैली।

उत्तर प्रदेश खीरी, गोरखपुर, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, काशीनगर, संत कबीरनगर, बिजनौर, चंदौली, बहराईच, बरेली और आजमगढ़।

राजस्थान बरान, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौरगढ़, चुरू, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, झालवार, कोटा और पाली।

पंजाब राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई।

चंडीगढ़ राज्य द्वारा सूचना नहीं दी गई।

विवरण-II

वर्ष 1997–99 के दौरान उत्तरी भारत के राज्यों में बाढ़ से हुई मौतों का राज्यवार विवरण

(सं.)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा. क्षेत्र	1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	बिहार	163	381	230
2.	गुजरात	55	–	–
3.	हरियाणा	3	–	–
4.	हिमाचल प्रदेश	229	71	–
5.	जम्मू और कश्मीर	80	–	–
6.	मध्य प्रदेश	14	–	–
7.	पंजाब	–	–	–
8.	राजस्थान	64	31	–
9.	उत्तर प्रदेश	102	1390	17
10.	चंडीगढ़	–	–	–
11.	दिल्ली	–	–	–
	कुल	710	1873	247

विवरण-III

वर्ष 1997–99 के दौरान उत्तरी भारत के राज्यों में बाढ़ के कारण संपत्ति के नुकसान को दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा. क्षेत्र	1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	बिहार	108.33	514.84	368.83
2.	गुजरात	10.99	0.00	0.00
3.	हरियाणा	6.15	0.00	0.00
4.	हिमाचल प्रदेश	490.47	216.76	0.00
5.	जम्मू और कश्मीर	103.19	0.00	0.00
6.	मध्य प्रदेश	1.00	0.00	0.00
7.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
8.	राजस्थान	24.86	21.46	0.00
9.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
10.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
11.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
	कुल	744.99	753.06	368.83

[अनुवाद]

यूरिया और उर्वरकों की खपत और मांग

7988. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000–2001 के दौरान प्रत्येक राज्य में यूरिया की आवश्यकताओं का आंकलन किया है;

(ख) क्या यूरिया की खपत और मांग अलग–अलग राज्यों में भिन्न–भिन्न है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और एक विशेष राज्य की यूरिया की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करने के लिए क्या मानदंड है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में किसानों के लिए यूरिया की आवश्यकता के आंकलन हेतु एक नयी प्रणाली स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार कीटनाशक सहित यूरिया तथा अन्य उर्वरक उपलब्ध कराने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) से (ग) प्रत्येक फसल मौसम के पहले प्रत्येक राज्य के लिए यूरिया की आवश्यकता का मौसमवार निर्धारण किया जाता है। तदनुसार खरीफ, 2000 मौसम के लिए प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए यूरिया की आवश्यकता का निर्धारण किया गया है। यह मूल्यांकन पहले की खपत स्तर और अन्य संगत कारक, जो यूरिया की खपत को प्रभावित करते हैं, पर विचार करते हुए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के परामर्श से किया जाता है।

वर्ष 1998–99 और खरीफ, 1999 के दौरान यूरिया की राज्यवार खपत और खरीफ, 2000 मौसम के लिए अनुमानित आवश्यकता का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) यूरिया ही ऐसा एकमात्र उर्वरक है जो मूल्य, वितरण एवं परिचलन नियंत्रण के अधीन है और जिसके लिए सरकार आबंटन करती है। अनुमानित आवश्यकता और साथ ही प्रत्येक राज्य के पास पहले से उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखते हुए आबंटन किया जाता है ताकि प्रत्येक राज्य की आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यूरिया के अलावा, विनियंत्रित उर्वरकों का कोई आबंटन नहीं किया जाता है और उनकी उपलब्धता बाजार की शक्तियों से निर्धारित होती है। इसी प्रकार, वे कृमिनाशी जो मूल्य, वितरण एवं परिचलन नियंत्रण के अधीन नहीं है, उनकी उपलब्धता बाजार की शक्तियां सुनिश्चित करती हैं।

विवरण

(000 मी. टन)

राज्य/संघ शा. क्षेत्र	यूरिया की खपत		यूरिया की अनुमानित आवश्यकता
	1998–99	खरीफ, 1999	खरीफ, 2000
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	2,003.18	1,031.95	1,083.60
2. अरुणाचल प्रदेश	0.61	0.26	0.27
3. असम	91.97	54.19	90.00**
4. अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.42	0.40	0.50
5. बिहार	1,287.75	687.00	700.00
6. चंडीगढ़	0.59	0.25	0.25

1	2	3	4
7. दादरा व नागर हवेली	1.19	0.90	0.95
8. दमन व दीव	0.35	0.25	0.25
9. दिल्ली	25.43	14.00	10.00
10. गोवा	4.32	2.14	3.00
11. गुजरात	1,173.71	504.25	548.00
12. हरियाणा	1,283.96	499.93	560.00
13. हिमाचल प्रदेश	48.82	26.54	32.00
14. जम्मू एवं कश्मीर	96.70	39.24	55.00
15. कर्नाटक	910.54	597.57	640.00
16. केरल	114.42	60.52	65.00
17. लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
18. मध्य प्रदेश	1,307.50	558.85	660.00
19. महाराष्ट्र	1,750.46	1,137.46	1,180.00
20. मणिपुर	32.42	24.56	25.00
21. मेघालय	5.53	2.86	3.00
22. मिजोरम	0.11	0.36	0.60
23. नागालैंड	0.54	0.50	0.50
24. उड़ीसा	340.62	299.80	360.00
25. पांडिचेरी	19.25	8.03	9.00
26. पंजाब	2,101.84	961.53	1,000.00
27. राजस्थान	1,007.69	452.72	475.00
28. सिक्किम	0.98	0.41	0.55
29. तमिलनाडु	821.09	352.89	365.00
30. टी बोर्ड (एन ई)	47.37*	18.42*	0.00
31. त्रिपुरा	15.14	5.81	13.00
32. उत्तर प्रदेश	4,881.35	2,361.87	2,410.00
33. पश्चिम बंगाल	1,020.58	451.89	470.00**
अखिल भारत	20,396.43	10,156.85	10,760.47

* असम और पश्चिम बंगाल में चाय बगान द्वारा खपत के लिए टी बोर्ड को किया गया यूरिया का आबंटन।

** टी बोर्ड (पूर्वोत्तर) की आवश्यकता शामिल।

राष्ट्रमंडल से पाक का निष्कासन

7989. श्री नरेश पुगलिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल परिषद् की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रमंडल के महासचिव ने संकेत दिया है कि निर्धारित समय–सीमा के भीतर पाकिस्तान में प्रजातंत्र की बहाली हेतु चुनाव नहीं कराये जाते तो उसे राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के साथ क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी हां। पाकिस्तान को 18 अक्तूबर, 1999 को राष्ट्रमंडल के मंत्रियों के कार्यवाही दल (सी.एम.ए.जी.) की लन्दन में हुई बैठक के बाद उसी दिन पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली होने तक राष्ट्रमंडल परिषद से निलम्बित कर दिया गया था। इस निर्णय की पुष्टि 12–15 नवंबर 1999 तक डर्बन में राष्ट्रमंडल के राज्याध्यक्षों की बैठक में की गई थी। 2 मई, 2000 को लन्दन में सी एम ए जी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पाकिस्तान राष्ट्रमंडल परिषद से निलंबित ही रहेगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि यदि पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली की दिशा में तेजी से प्रगति नहीं होती है तो पाकिस्तान की स्थिति को निरंतर समीक्षाधीन रखा जाए तथा और भी उपायों की सिफारिशें की जाएं।

(ग) राष्ट्रमंडल देशों के साथ पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधों पर कोई संभावित प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रमंडल सचिव की किसी टिप्पणी की सरकार को जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और नेपाल के बीच पासपोर्ट प्रणाली की शुरूआत

7990. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच पासपोर्ट प्रणाली आरंभ करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) 1–3 फरवरी, 2000 तक काठमांडू में आयोजित सीमा प्रबंधन से संबद्ध भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक के अवसर पर दोनों पक्षों ने दोनों देशों की हवाई यात्रा करने वाले भारतीय और नेपाली नागरिकों की राष्ट्रीयता की पहचान करने के उद्देश्य से वीजा की आवश्यकता के बिना–ही एक पासपोर्ट प्रणाली आरंभ किये जाने की संभावनाओं पर चर्चा की। इस प्रणाली की क्रियाविधियां तैयार किये जाने तक उन फोटो पहचान दस्तावेजों की जांच एवं इसके किस्मों को कम किये जाने, जो हवाई यात्रा के लिए वैध होगी तथा ऐसे दस्तावेजों की संशोधित सूची के संबंध में एक दूसरे को सूचित करने पर सहमति हुई।

रक्षित विद्युत संयंत्र

7991. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के रक्षित विद्युत संयंत्रों विशेषकर बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर द्वारा उत्पन्न की जा रही विद्युत अन्य की तुलना में सबसे सस्ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अपने कार्यकरण हेतु निधियां प्राप्त करने के लिए एन. टी. पी. सी. को अपने विद्युत संयंत्र बेचने जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) हालांकि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के निजी विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत दामोदर घाटी निगम से खरीदी गई विद्युत की तुलना में महंगी है जबकि बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर स्थित अन्य निजी विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत उनके अपनी–अपनी उपयोगिता वाले ग्रिडों से खरीदी गई विद्युत की तुलना में सस्ती है।

(ग) और (घ) सेल अपना निजी विद्युत संयंत्र एन. टी. पी. सी. को नहीं बेच रहा है। तथापि, बोकारो स्थित निजी विद्युत पी. पी.–I और पी. पी.–II दुर्गापुर स्थित पी. पी.–II ओर राउरकेला स्थित पी. पी.–II की सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एस. पी. एस. सी. एल.) के रूप में पंजीकृत एक अलग विद्युत कंपनी बनाकर कुछ सम्बद्ध सुविधाओं के साथ पुनर्गठित किया जाएगा। एस. पी. एस

सी. एल में संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में एन. टी. पी. सी. की भागीदारी हेतु सेल बातचीत कर रहा है।

इस लेनदेन से प्राप्त होने वाले वित्त से सेल को मजबूत वित्तीय कठिनाइयों से निपटने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

पारंपरिक मछुआरे

7992. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व व्यापार आयोग के साथ किए गए समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में मछली आदि पकड़ने से संबंधित विनियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत में पारंपरिक मछुआरों को आधुनिक उपकरण प्रदान करके उनके हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मत्स्यन पर विश्व व्यापार संगठन के साथ किसी विशेष विनियमन अथवा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार, भारत ने 1976 के प्रादेशिक जल क्षेत्र, महाद्वीपीय रेती, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम को लागू करके 200 नौटिकल मील का अनन्य आर्थिक क्षेत्र घोषित किया है।

इस कानून में जीवित तथा निर्जीव संसाधनों का दोहन करने के लिए अनन्य अधिकारों की व्यवस्था है जिसमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा, भारतीय समुद्र क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन विनियमन) अधिनियम, 1981 में देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर विदेशी मत्स्यन जलयानों द्वारा मत्स्यन विनियमन की व्यवस्था है।

(ख) सरकार ने अन्य बातों के अलावा परम्परागत मछुआरों के हित की रक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) मत्स्यन विनियमन के लिए समुद्री राज्यों द्वारा समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम संबंधी कानून बनाने को बढ़ावा देना और उसके द्वारा प्रादेशिक जल क्षेत्र के भीतर पारंपरिक मछुआरों को अनन्य अधिकार प्रदान करना।

(2) प्रादेशिक जल क्षेत्र के भीतर विनियमन उपायों की निगरानी करने के लिए गश्ती नौकाओं की खरीद करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से समुद्री राज्यों को सहायता देना।

(3) अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने संबंधी क्रिया-कलापों को रोकने में तट रक्षकों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से सहायता देना।

(4) परंपरागत मछुआरों के काम करने की सीमा को बढ़ाने के उद्देश्य से आउट बोर्ड मोटर के लिए 10000 रुपए की दर से तथा इन बोर्ड मोटर के लिए 12000 रुपए की दर से इंजन की खरीद के लिए राजसहायता का प्रावधान।

(5) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के क्रियान्वयन जिसमें मछुआरों के लिए बचत-सह राहत, सामूहिक दुर्घटना बीमा तथा गृह निर्माण संबंधी घटक हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

7993. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की सेवा शर्तों में सुधार लाने हेतु पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) उनमें से कितनी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है; और

(ग) यह सिफारिशें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय की लिपिकीय सेवा की सेवा-शर्तों में सुधार के बारे में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें और उनके बारे में लिए गए निर्णय/की गई कार्रवाई विवरण में दर्शाई जा रही है।

विवरण

पांचवें केन्द्रीय वेतन–आयोग की रिपोर्ट (खंड–1) के पैराग्राफ की संख्या	की गई सिफारिश	सरकार द्वारा लिया गया निर्णय/की गई कार्रवाई
1	2	3
	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	
45.23 (ञ)	केन्द्रीय सचिवालय–सेवा–संवर्ग को केन्द्रीकृत तथा कम्प्यूटरीकृत किया जाये ताकि विभिन्न संवर्गों में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों की मौजूदा विसंगतियां दूर की जा सकें तथा अपने संवर्ग में रिक्तियां उपलब्ध नहीं होने के कारण संवर्ग से बाहर चले जाने वाले अधिकारियों की वरिष्ठता भी बरकरार रखी जा सके।	स्वीकार नहीं की गई।
45.23 (ढ)	केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय–सेवा में नियुक्त विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग के प्रशिक्षण–प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण–कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के पात्र ठहराए जाएं।	केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के अधिकारी भी, इस विभाग के प्रशिक्षण–प्रभाग द्वारा आयोजित कुछ प्रशिक्षण–कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के पात्र हैं।
45.23 (न)	केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के अधिकारियों के एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानान्तरण के बारे में एक व्यापक स्थानान्तरण–नीति बनाई जाए। फिर भी, ऐसे स्थानान्तरण, पदोन्नति से नहीं जोड़े जाएं क्योंकि पदोन्नति के समय अनिवार्य रूप से स्थानान्तरण किए जाने से पहले ही देर से होने वाली पदोन्नति में और देर हो जाती है।	सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई तथा इस बारे में आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए।
45.23 (फ)	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की पात्रता की दृष्टि से सीधी भर्ती वाले सहायकों तथा पदोन्नत सहायकों द्वारा पूरी किए जाने हेतु अपेक्षित सेवा के वर्षों के बारे में विसंगति दूर की जाए।	स्वीकार कर ली गई/संगत आदेश जारी कर दिए गए।
45.23 (भ)	सहायकों तथा आशुलिपिक ग्रेड 'सी' की, अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों के पद पर पदोन्नति के समय उनका वेतन न्यूनतम वेतनमान से दो वेतन वृद्धियों के उच्चतर स्तर पर नियत करने का मौजूदा चलन जारी रखा जाए।	स्वीकार कर ली गई/संगत आदेश जारी कर दिए गए।
45.25 (i)	केन्द्रीय सचिवालय–सेवा में चल रहे बहुत अधिक गतिरोध के मद्देनजर, उन मौजूदा प्रावधानों की	स्वीकार नहीं की गई।

1	2	3
	समीक्षा बहुत समय से अपेक्षित चली आ रही है जिनके अनुसार केन्द्रीय सचिवालय की आशुलिपिक सेवा के अधिकारियों को पार्श्विक रूप से केन्द्रीय सचिवालय सेवा में आने दिया जाता है।	
45.25 (iii) और 45.27	अनुभाग अधिकारियों के स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पद डेस्क अधिकारियों के पदों में बदल दिए जाएं और 2500–4000/– रुपए के नव–सृजित वेतनमान में रखे जाएं। केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् सुनिश्चित कॅरिअर–प्रोन्नयन की योजना के अंतर्गत दूसरे वित्तीय उन्नयन के पात्र ठहराएं जाएं।	स्वीकार नहीं की गई।
	केन्द्रीय सचिवालय की लिपिकीय सेवा	
45.56 (ग)	सहायक ग्रेड में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का चलन शुरू किया जाए तथा तीन वर्ष की नियमित पूरी किए हुए उच्च–श्रेणी लिपिकों को सहायक ग्रेड में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त परीक्षा में बैठने दिया जाए। सहायक के ग्रेड में भर्ती, 50 परसेंट सीधी भर्ती द्वारा, 25 परसेंट विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा तथा 25 परसेंट उच्च श्रेणी–लिपिकों की पदोन्नति द्वारा की जाए।	इस मामले पर विभागीय परिषद् में विचार किया गया है। कर्मचारी–पक्ष वरिष्ठता कोटे को 50 परसेंट से घटाकर 25 परसेंट करके सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का चलन शुरू किए जाने के पक्ष में नहीं है। उनकी मांग सीधी भर्ती के कोटे को घटाए जाने की थी। उनकी उपर्युक्त मांग स्वीकार नहीं की गई क्योंकि इससे सेवा की गुणवत्ता घट जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति

7994. सरदार बूटा सिंह : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सांसदों ने 17 दिसंबर, 1996; 01 सितम्बर, 1997; तथा 23 जुलाई 1998 को प्रधान मंत्री को दिए गए अभ्यावेदनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, कार्यकारी निदेशकों, अंशकालिक अध्यक्ष तथा सरकारी क्षेत्र के प्रबंधन बोर्ड में तथा भारत सरकार के अधीन उद्यमों में अधिकारिक/गैर अधिकारिक सदस्यों जैसे पदों में नियुक्ति/तैनाती की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस्पात एवं खान मंत्रालय के तहत विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उक्त पदों पर कुल कितने व्यक्ति नियुक्त/तैनात किए गए; और

(घ) इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति हैं तथा उपरोक्त पदों की कुल संख्या की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसदीय फोरम द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों में अन्य बातों के साथ–साथ, राज्यपालों, राजदूतों, योजना आयोग के सदस्यों, भारत सरकार के सचिवों, संघ लोक सेवा आयोग, लोक उद्यम चयन बोर्ड के सदस्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विकास हेतु व्यापक उपाय करने का आग्रह किया गया।

दिनांक 3.3.1987 के संकल्प संख्या–27(21) ई.ओ./86 (ए.सी.सी.) में प्रतिपादित नीति, निष्पक्ष और व्यक्ति–निरपेक्ष चयन, प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, स्तर–I (मुख्य कार्यपालक) और स्तर–II (निदेशक) के पदों और समय–समय पर सरकार द्वारा निश्चित किए जा सकने वाले अन्य किसी स्तर के बोर्ड के स्तर के पदों पर उत्कृष्ट व्यावसायिक प्रबंधक नियुक्त किए जाने के बारे में है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड के स्तर के पदों पर नियुक्ति किए जाने की दृष्टि से व्यक्तियों का चयन करने हेतु अपनाए गए मानदंडों में जाति एक मानदंड नहीं है। अतः इस्पात मंत्रालय अथवा खान–विभाग अथवा किसी अन्य मंत्रालय/विभाग के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड के स्तर के पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या के संबंध में जानकारी न तो सुलभ है और न ही यह जानकारी रखी जाती है।

[हिन्दी]

कृषि विकास हेतु योजनाएं

7995. श्रीमती रीना चौधरी :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कृषि सुधार हेतु विस्तार सेवाएं दुबारा आरंभ करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार किसानों के लिए जिला कृषि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने और विस्तार कार्य संबंधी गतिविधियों के लिए विशेष कार्यक्रम के माध्यम से धनराशि देकर सहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. वी. पी. वी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) कृषि विस्तार राज्य का विषय है, केन्द्र सरकार राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। उत्तर प्रदेश में विस्तार सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- कृषि में प्रौद्योगिकी और विस्तार प्रणाली के क्षेत्र में राज्य सरकार के वरिष्ठ विस्तार कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहायता।
- कृषि, सूचना कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, जिसमें प्रदर्शनियों, किसान मेला, अखिल भारतीय फल और सब्जी शो का आयोजन करना और प्रिंट मीडिया द्वारा सूचना का प्रसार करना शामिल है।
- कृषि में महिला स्कीम के अंतर्गत कृषि महिला दलों के लिए प्रशिक्षण, परिणाम, प्रदर्शन, अध्ययन दौरे आदि के जरिए विस्तार सेवाओं को मजबूत करना।
- अनुसंधान–विस्तार कृषक संपर्क में सुधार करना, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं और अन्य विशिष्ट स्थानों में कृषक वैज्ञानिक अंतः क्रियाओं और कृषक अध्ययन के दौरे को बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी प्रसार में चयनित गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना।
- राज्य में 30 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन सहायता देना। इसके अलावा, 8 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों का कार्य प्रारंभ करने के लिए 8 क्षेत्रीय कृषि केंद्रों के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकार के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थान पहले से ही किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

[अनुवाद]

सहकारी विकास कार्यक्रम

7996. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री राजेश रंजन सिंह उर्फ पप्पू यादव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से राज्य के प्रत्येक जिले में गहन सहकारी विकास कार्यक्रम चलाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की मदद से सहकारी क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में निवेश किया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यमारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

बेरोजगारी

7997. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश में, रोजगार केन्द्रों में कितने बेरोजगार युवा पंजीकृत है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में अनु. जाति/जनजाति, आदिवासी जनजातियों और पिछड़े वर्गों में आने वाले बेरोजगार युवाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है जो रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों का सृजन करने के उद्देश्य से कोई नई श्रमोन्मुख औद्योगिक योजना शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) दिनांक 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों में रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, 403.95 लाख थी जिसमें मध्य प्रदेश का 25.84 लाख शामिल है।

(ख) दिनांक 31.12.1998 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रोजगार चाहने वालों की संख्या क्रमशः 3.39, 2.65 तथा 2.52 लाख के लगभग थी दूरस्थ क्षेत्रों से संबंधित सूचना अलग से नहीं रखी गई है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी तथा अल्प–रोजगार की उच्च दरों की प्रवृति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सेक्टरों, सब–सेक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार सृजित करना है। हो रहे रोजगार सृजन का अवलोकन करने तथा 10 वर्ष की अवधि में कम से कम 100 मिलियन (प्रत्येक वर्ष में 10 मिलियन) रोजगार के अवसरों के सृजन के उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग के सदस्य डा. मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक श्रम बल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली-अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड

7998. श्री हरीभाउ शंकर महाले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री 26 अप्रैल 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4998 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोटोकापियर मशीन खरीदने हेतु ऋण मुहैया कराए जाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त ऋण मुहैया कराए जाने के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक आय के आधार पर रद्द किए गए प्रत्येक आवेदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में उन मंडल मजिस्ट्रेटों द्वारा विधिवत सत्यापित और आवेदक द्वारा घोषित आय क्या है;

(घ) प्रत्येक मामले में दिल्ली–अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के अधिकारी द्वारा निर्धारित आय क्या है और उनके निर्धारण का आधार क्या है;

(ङ) इस संबंध में दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(च) अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अलमाटी बांध

7999. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अलमाटी बांध विवाद के बारे में अपना निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के उल्लघंन के मामले में कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार और भारत की संघ सरकार के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर याचिका के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में अन्य बातों के साथ–साथ यह टिप्पणी की गई कि "अलमट्टी पर बांध की ऊंचाई 519.6 मी. तक बढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार के उपयुक्त प्राधिकरण और कानून के अंतर्गत अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त की जाये।" तदनुसार इस परियोजना की स्वीकृति कर्नाटक सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

गोदावरी कार्य योजना

8000. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गोदावरी के जल के बेहतर प्रयोग के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजना की आयोजना, निष्पादन और इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

पाक दल का दौरा

8001. श्री किरीट सोमैया :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में हाल ही में शांति और प्रजातंत्र विषय पर पाकिस्तान भारत के लोगों के फोरम का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या हाल ही में किसी पाक दल ने भारत का दौरा किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(च) इसने किन–किन व्यक्तियों, संगठनों के साथ चर्चा की है; और

(छ) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (छ) जी हां। शांति और लोकतंत्र से संबद्ध पाकिस्तान भारत जनसाधारण मंच का पांचवा संयुक्त सम्मेलन 6–8 अप्रैल, 2000 तक बंगलौर में हुआ। यह मंच एक निजी पहल है और इसके सदस्य दोनों देशों के नागरिक हैं जिनमें भूतपूर्व नौकरशाह, राजनीतिज्ञ एवं सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। इस मंच में होने वाले विचार–विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार लाना है।

"दक्षिण एशिया में शांति के लिए महिलाओं की पहल" द्वारा आयोजित यात्राओं के आदान–प्रदान कार्यक्रम के तत्वावधान में पाकिस्तानी महिलाओं के एक 62 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 2–9 मई, 2000 तक भारत का दौरा किया। भारत में अपने प्रवास के दौरान शिष्टमंडल के सदस्यों ने विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री तथा दिल्ली, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात थी। इस यात्रा से पाकिस्तानी शिष्टमंडल को प्रमुख भारतीय नेताओं जिनमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल भी शामिल थे, के साथ कार्यकलाप करने का अवसर मिला। शिष्टमंडल ने भारतीय महिला प्रेस कोर तथा शांति और लोकतंत्र के लिए पाकिस्तान भारत जनसाधारण मंच जैसे गैर–सरकारी संगठनों के सदस्यों के साथ भी कार्यकलाप किया। नई दिल्ली मे अपने प्रवास के दौरान पाकिस्तानी शिष्टमंडल ने आगरा–सिकन्दरा, फतेहपुर सीकरी और जयपुर का दौरा किया।

सरकार दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के बीच संपर्क को संवर्द्धित करने के सभी प्रयासों का समर्थन करती है।

प्रधान मंत्री के प्रधान प्रमुख सचिव की इजरायल यात्रा

8002. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के प्रधान प्रमुख सचिव ने सितम्बर, 1999 में इजरायल की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की थी; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन मुददों पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मिश्र ने इजरायल सरकार के आमंत्रण पर 2-4 सितम्बर, 1999 तक इजरायल का दौरा किया। इजरायल में अपने प्रवास के दौरान श्री मिश्र ने प्रधान मंत्री श्री इहुद बराक से मुलाकात की। उनकी यह यात्रा भारत और इजरायल के बीच जारी राजनयिक वार्ता के एक भाग के रूप में थी।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.) का विस्तार

8003. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आयु सीमा और योग्यता में छूट देने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या इस योजना में किसी अन्य श्रेणी को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं और अपंग व्यक्तियों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने राजसहायता द्वारा वित्त पोषण समूह के अंतर्गत कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे बागवानी, सूअर पालन, मत्स्य पालन आदि को शामिल करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना के क्षेत्र का विस्तार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विस्तार किये गये कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना का कृषि एवं संबद्ध क्रिया-कलापों सहित आर्थिक तौर पर सभी जीवनक्षम क्रियाकलाप को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है, परंतु इसमें प्रत्यक्ष कृषि संबंधी कार्य शामिल नहीं है। विस्तृत कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों में जून, 1998 से और संपूर्ण देश में 1.4.99 से कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रही है।

[हिन्दी]

अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम

8004. श्री रतन लाल कटारिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य विदेशी ऋण का अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजना

8005. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में आठवीं और नौवीं योजना के दौरान आज तक बहु-क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा लाभान्वित अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत अधिकाधिक अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इन स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने का कार्य देश के 41 जिलों में शुरू किया गया है जिसमें आंध्र प्रदेश के हैदराबाद तथा कुरनूल जिले शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। राज्य सरकार से चल रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध सहायता के सामंजस्य स्थापित करने के द्वारा योजना को कार्यान्वित करने की अपेक्षा की जाती है। कुरनूल जिले के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और राज्य सरकार से उसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना सितम्बर, 1994 में की गई थी। आंध्र प्रदेश में 8वीं योजना अवधि के दौरान 2080 लाभार्थियों को तथा 9वीं योजना अवधि के दौरान (31 मार्च, 2000 तक) 3696 लाभार्थियों को निगम की योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी गई थी।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान 151.31 लाख रुपए की स्वीकृत राशि के मुकाबले 135.15 लाख रुपये का वितरण किया गया था। योजना के दौरान दिनांक 31.3.2000 तक 1078. 52 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी इस राशि को वितरित कर दिया गया है।

(ग) एन. एम. डी. एफ. सी. की योजना का क्रियान्वयन राज्य माध्यम एजेंसियों के जरिए किया जाता है। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त निगम राज्य एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। एन. एम. डी. एफ. सी. द्वारा राज्य माध्यम एजेंसी के परामर्श से प्रत्येक वर्ष के लिए आवश्यकता तथा कार्य निष्पादन पर आधारित कार्य योजना तैयार की जाती है। वर्ष 2000–2001 के दौरान आंध्र प्रदेश में लगभग 2200 लाभार्थियों को शामिल करने के लिए एन. एम. डी. एफ. सी. को 589 लाख रुपये की सहायता देने की योजना है।

(घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(1) वसूली के साथ–साथ कार्य निष्पादन में सुधार के लिए राज्य माध्यम एजेंसियों को सहायता देना।

(2) प्रभावी मानिटरिंग तथा पर्यवेक्षण के लिए राज्य माध्यम एजेंसियों के कार्यों के कंप्यूटरीकरण के लिए सहायता अनुदान।

(3) कवरेज में वृद्धि के लिए एक से अधिक माध्यम एजेंसी का चयन।

(4) राज्य माध्यम एजेंसी को उनके स्तर पर 50,000 रुपये तक की यूनिट के साथ वित्तीय आवश्यकता आधारित योजनाओं के लिए प्रत्यायोजन जिससे लगने वाले समय में कमी आएगी।

(5) लाभार्थियों की बड़ी संख्या को शामिल करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रेडिट योग्य लघु वित्त पोषण योजना शुरू करना।

(6) शिल्पियों को उनके उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय के लिए सहायता देना।

(7) डिजाइन विकास तथा कौशल उन्नयन के लिए और जहां जरूरी हो लाभार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी अनुदान का प्रावधान।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

8006. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी में विशेषकर बोकारो इस्पात संयंत्र में कितने कर्मचारियों/अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है;

(ख) इन अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए सेवानिवृत्ति तथा अन्य लाभ का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में वर्तमान नियम क्या है;

(ग) इन कर्मचारियों और अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली बकाया धनराशि के भुगतान से संबंधित कितने मामलों को निपटाया जा चुका है तथा आज की तिथि के अनुसार इस संबंध में कितने मामले लंबित हैं;

(घ) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र प्रबंधन का विचार इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान शीघ्र करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बीजों की किस्मों का विकास

8007. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान नकदी फसलों के लिए बीजों की नई किस्में विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये नए बीज बोए गए और बोए जाएंगे; और

(घ) उनसे प्रत्येक नकदी फसल का कितना उत्पादन हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं। नकदी फसलों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कपास पर अनुसंधान कार्य करता है तथा पिछले वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान कपास की कोई किस्म विकसित नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तटबंधों का निर्माण

8008. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा की राज्य सरकार से ज्वार के समय आने वाली ऊंची लहरों को रोकने के लिए राज्य के सभी तटीय क्षेत्रों में ऊंचे तटबंध (इम्बैंकमेंट) बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तटबंध निर्माण के लिए केन्द्र द्वारा निधि की विशेष व्यवस्था की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है और इस परियोजना के पूरा होने की समय–सीमा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार से 436.29 करोड़ रुपये की राशि का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें गंजम (20 कि.मी.) और पुरी (55.80 कि.मी.) जिलों में 18.33 करोड़ रुपये की लागत से 75.80 कि.मी. लम्बे तटबंधों का निर्माण करना शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र

8009. श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तंजावुर में धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित किया गया था और इस केन्द्र में क्या अनुसंधान कार्य किया जाता है;

(ग) नौवीं योजना की बाकी अवधि के दौरान इस केन्द्र में क्या अनुसंधान कार्य किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस केन्द्र के लिए वार्षिक योजना आवश्यकता कितनी है और नौवी योजना अवधि के दौरान कितनी सहायता उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या योजना अवधि के दौरान इस केन्द्र के उन्नयन का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) जी हां।

(ख) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र जिसे तिरूवरूर में 1972 स्थापित किया गया था 1987 में तंजावुर में अपने खुद के भवन में स्थानांतरित हो गया। केन्द्र में मुख्यतः फसलोत्तर नुकसानों की रोकथाम, अधिक नमी वाले धान के परिरक्षण, धान के सेलीकरण, शुष्कन और मिलिंग तथा सह–उत्पादों के उपयोग पर अनुसंधान किया गया।

(ग) इस केन्द्र में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित अनुसंधान कार्य हैं :

(1) कम पालिश किए, कच्चे और सेलीकृत चावल के सुरक्षित भंडारण के वास्ते तकनीकों का विकास।

(2) चावल और चावल उत्पादों का पोषणात्मक पुष्टिकरण।

(3) खाद्य इस्तेमाल जैसे प्रोटीन आईसोलेट के वास्ते चावल की भूसी का प्रसंस्करकण।

(4) उत्पादक कार्यों के लिए भूसी की राख का इस्तेमाल।

(5) धान के पुआल के छप्परों के टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया का विकास।

(घ) वार्षिक योजना अपेक्षा लगभग 1.00 करोड़ रुपये है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी जाने वाली संभाव्य सहायता लगभग 5.00 करोड़ रुपये है जिसमें केन्द्र की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए 2.50 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ङ) और (च) केन्द्र की विस्तार योजना दिसंबर, 1997 में मंजूर की गई। मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी के हस्तातंरण आदि के क्षेत्र में कार्यकलापों का विस्तार करने के वास्ते अतिरिक्त निधियों और जनशक्ति मुहैया कराकर केन्द्र का पहले ही उन्नयन किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन

8010. श्री रति लाल कालीदास वर्मा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के उपबंधों के अनुसार गुजरात में अपनी इच्छा से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को सरदार परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को बसाने के लिए गुजरात की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे रही है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव सन् 1995 से लंबित पड़ा है;

(ग) क्या मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को लम्बे समय से लबित पडे मुद्दे को हल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो किसी अध्यादेश के माध्यम से गुजरात की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों को संशोधित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) उक्त मामले को कब तक सुलझा लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

8011. श्री रामपाल सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की सहमति से भारतीय मसौदे को अन्तिम रूप देने के लिए भारतीय अधिकारियों का एक दल मध्य अप्रैल, 2000 में वाशिंगटन गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फ्रांस और अन्य देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध एक व्यापक अभिसमय पारित किये जाने का प्रस्ताव किया है। संयुक्त राष्ट्र के 54वें महाधिवेशन ने सितम्बर, 2000 से भारत के प्रारूप अभिसमय पर चर्चा आरंभ किये जाने का प्रादेश दिया है। भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय का उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों, जो आतंकवाद के विशिष्ट कृत्यों अथवा विशेष हथियारों के जरिए किये गये आतंकवादी कृत्यों पर ही ध्यान देता है, की कमियों को दूर करना है। भारतीय प्रारूप किसी भी तरीके से किये गये आतंकवादी कृत्यों को शामिल करता है।

(ग) और (घ) भारत और अमरीका ने आतंकवाद से संबद्ध विधि विशेषज्ञों के एक भारत–अमरीका संयुक्त कार्यदल की स्थापना की है। विदेश मंत्रालय के एक शिष्टमंडल ने वाशिंगठन का दौरा किया तथा इसने 12 और 13 अप्रैल, 2000 को भारतीय प्रारूप प्रस्ताव पर संबंधित अमरीकी अधिकारियों के साथ चर्चा की जिससे दोनों देशों के दृष्टिकोण में समानता का पता चला।

(ङ) और (च) भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय के प्रारूप पर समर्थन जुटाने के लिए फ्रांस तथा ग्रुप–8 के अन्य देशों के साथ सम्पर्क किया है। भारत ने द्विपक्षीय वार्ताओं

के दौरान भी इस मामले को अन्य देशों के साथ उठाया है। कार्टाजेना में 8 और 9 अप्रैल, 2000 को आयोजित बारहवें निर्गुट आंदोलन मंत्रिस्तरीय बैठक के अंतिम दस्तावेज में सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय के पहल का समर्थन करने का आह्वान किया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची का पुनरीक्षण

8012. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की अनुसूची में और जातियों के नाम जोड़ने या हटाने से संबंधित सभी मामलों के निपटान के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में माननीय सदस्यों और अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन करने से संबंधित सभी अनुरोधों/प्रस्तावों पर अनुमोदित रूपात्मकताओं के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसे मामलों, जो निर्धारित किये गये अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते हैं, के संबंध में विधेयक पर विचारार्थ कार्यवाही की जाएगी।

कुटीर उद्योग का विस्तार

8013. श्री रामजी लाल सुमन :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुटीर उद्योगों के और अधिक विस्तार की संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उद्योगों के उन्नयन, विकास और विस्तार हेतु कौन–कौन सी योजनाएं हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार खादी एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान एवं ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। खादी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को "छूट एवं ब्याज सब्सिडी" के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए मार्जिन मनी स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष ग्रामीण कलेक्टर्स स्थापित किए जाते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 1998–99 की अवधि में रुपये 5112.37 करोड़ के स्तर तक का कुल उत्पादन किया है जो विविध रूप में बढ़ाया जा सकता है।

[अनुवाद]

बीड़ी मजदूर

8014. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेन्दु पत्ते संबंधी काम कर रहे बीड़ी मजदूरों और अन्य मजदूरों की राज्यवार अलग–अलग संख्या क्या है;

(ख) सरकार इन क्षेत्रों में किस सीमा तक रोजगार संरचना की रक्षा कर रही है;

(ग) क्या श्रम संगठनों की समस्याओं को दूर करने के लिए उनके साथ कई बार बैठकें की गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों पर शीघ्र प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) देश में बीडी कामगारों की कुल संख्या लगभग 44 लाख है। राज्यवार बीड़ी कामगारों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तेन्दु पत्ता एकत्रित करने वालों की संख्या का पता लगाने के लिए अभी तक देश में कोई जनगणना नहीं करवाई गई है।

(ख) से (घ) समय–समय पर, सरकार बीड़ी क्षेत्र में, रोजगार परिदृश्यों के संबंध में, बीड़ी कामगारों के संगठनों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सरकारी नीतियों के संदर्भ में उचित निर्णय लेने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ मामले उठाती रहती है।

बीड़ी कामगार कल्याण निधि पर गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति एक त्रिपक्षीय समिति है, जिसमें सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं और वे समय–समय पर बीड़ी कामगारों के हितों को प्रभावित करने वाले मसलों पर चर्चा करते हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	फिलहाल बीड़ी कामगारों की कुल अनुमानित संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6,25,000
2.	असम	7,725
3.	बिहार	3,91,500
4.	गुजरात	50,000
5.	कर्नाटक	3,60,876
6.	केरल	136,416
7.	मध्य प्रदेश	7,50,000
8.	महाराष्ट्र	2,56,000
9.	उड़ीसा	1,60,000
10.	राजस्थान	1,00,000
11.	त्रिपुरा	5,000
12.	तमिलनाडु	6,21,000
13.	उत्तर प्रदेश	4,50,000
14.	पश्चिम बंगाल	4,87,000
	योग	44,00,517

जलस्राव

8015. श्री राशिद अलवी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के आसपास पानी के रिसाव के कारण दलदल बन गया है; और

(ख) सरकार ने इस समस्या के निदान के लिए कौन–कौन से उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) ऐसी कोई दलदल भूमि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

युद्ध बन्दी

8016. श्री नरेश पुगलिया :

श्री जयभद्र सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कुछ अधिकारी उस भारतीय नागरिक से मिले जो पच्चीस से अधिक वर्षों के बाद पाकिस्तानी जेल से हाल ही में रिहा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसको दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक पाकिस्तानी जेलों से रिहा किए गए युद्ध बन्दियों की संख्या क्या है; और

(घ) अभी तक पाकिस्तान में कितने युद्ध बन्दियों के मरने की सूचना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) सरकारी अधिकारी श्री रूप लाल सहारिया नामक एक भारतीय राष्ट्रिक के साथ संपर्क में हैं, जिन्हें 25 वर्ष से अधिक के लिए पाकिस्तानी कैद में रखे जाने के बाद 14.4.2000 को भारत भेज दिया गया।

(ग) और (घ) 1971 के युद्ध के दौरान 532 भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान द्वारा युद्ध बन्दी बनाया गया। तत्पश्चात् सरकार को 54 गुमशुदा भारतीय रक्षा कार्मिकों के बारे में सूचना मिली, जिनके मामलों को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया गया। पाकिस्तान का लगातार कहना है कि कोई भारतीय युद्धबंदी उसकी हिरासत में नहीं है।

चूंकि पाकिस्तान अपनी हिरासत में भारतीय युद्धबंदियों के होने की बात स्वीकार नहीं करता है इसलिए सरकार के पास उनके हित कल्याण से संबंधित कोई जानकारी नहीं है।

पद आधारित रोस्टर

8017. सरदार बूटा सिंह : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आरक्षण व्यवस्था लागू करने हेतु 2 जुलाई, 1997 से "पद आधारित रोस्टर" के स्थान पर "रिक्ति आधारित रोस्टर" आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या "पद आधारित रोस्टर" के स्थान पर "रिक्ति आधारित रोस्टर" आरंभ करते समय मंत्रालय और सभी स्वायत्तशासी सांविधिक संगठनों, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में किसी आधिक्य/कमी का पता लगाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96–स्था.(आ.) दि. 2 जुलाई, 1997 के पैरा (5) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया पूरी की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार सेवाओं की उक्त सभी श्रेणियों में पाई गई कमियों/आधिक्य का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी, हां। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और इसके साथ पठित जे. सी. मलिक बनाम भारत सरकार के मामले के निर्णय पर अमल करने के लिए अपने 2 जुलाई, 1997 के का. ज्ञा. सं. 36012/2/96 स्था. (आ.) के अनुसार पहले के रिक्ति आधारित रोस्टरों के स्थान पर दिनांक 2.7.1997 से पद आधारित रोस्टर आरंभ किए थे।

(ग) और (घ) इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केवल एक संबद्ध कार्यालय विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात का कार्यालय कलकत्ता में है। जिसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कोई सांविधिक अथवा स्वायत संगठन नहीं है। इस्पात मंत्रालय और विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात के कार्यालय में पद आधारित रोस्टर शुरू किए गए थे और सेवा श्रेणी I, II, III और IV में अधिशेष/कमी को अभिज्ञात किया गया था। विवरण निम्नानुसार है :

इस्पात मंत्रालय सचिवालय

श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जातियां	
	अधिशेष	कमी	अधिशेष	कमी	अधिशेष	कमी
श्रेणी I	2	–	–	–	–	–
श्रेणी II	5	–	4	–	–	5
श्रेणी III	5	–	3	–	–	7
श्रेणी IV	18	–	4	–	–	5

विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात का कार्यालय

श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ी जातियां	
	अधिशेष	कमी	अधिशेष	कमी	अधिशेष	कमी
श्रेणी I	2	–	2	–	–	–
श्रेणी II	3	–	5	–	–	–
श्रेणी III	7	–	5	2*	–	–
श्रेणी IV	–	2	–	–	–	–

*कमी को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से पूरा किया गया।

इस्पात मंत्रालय और खान विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सांविधिक निकायों और खान विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नदियों को जोड़ना

8018. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल ग्रिड का केन्द्र बनाने के लिए देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन करने हेतु किसी समिति या विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने की संभावनाओं का पता लगाने का काम शुरू करेगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1980 में जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी जिसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल के हस्तातंरण के लिए विभिन्न प्रायद्विपीय नदियों एवं हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने जल संतुलन और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अन्य अध्ययन करने तथा संपर्कों के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए जुलाई, 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन डब्ल्यू डी ए) की स्थापना की थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग

8019. श्री हरीभाउ शंकर महाले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेयजल योजना के अंतर्गत गांव मैजोर, पंचायत कुढ़ा चुरानी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान में कार्यरत पम्प आपरेटरों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं;

(ख) उक्त विषय पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आधार पर किसी भेदभाव के विरुद्ध बनाए गए कानूनों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जाति आधार पर किसी भेदभाव के विरुद्ध बनाए गए कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार जातिगत आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में आज भी जाति भेदभाव की प्रथा है; और

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सूचना राजस्थान सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने सूचित किया है कि इस मामले में ऐसी कोई शिकायत मुख्यालय अथवा जयपुर स्थित राज्य के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) संविधान के अनुच्छेद 17 के विस्तार में, जिसके द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई थी तथा इसका प्रचलन का किसी रूप में निषेध था, संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया। इसके अलावा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों की जांच तथा निवारण करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को 30 जनवरी, 1980 से प्रभावी बनाया गया तथा उसके अंतर्गत अधिसूचित किए गए नियम प्रभावित व्यक्तियों/आश्रितों को राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करने सहित उस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत दोनों अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनके द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित उपायों के लिए राज्य सरकारों को 50:50 के

आधार पर (संघ राज्य क्षेत्रों को शत–प्रतिशत) केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत नीतियों/योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और मानीटरिंग को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त तंत्र पर विचार करने का भी अनुरोध किया है।

(च) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों की सूची में धोबी जाति को शामिल किया जाना

8020. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में धोबी जाति को पूर्णतः अनुसूचित जाति की मान्यता प्रदान की गई है और किसी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए क्या मापदंड है और तत्संबंधी अनुशंसा अधिकारी कौन होता है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश विधान सभा में 3 अप्रैल, 1998 को पूरे राज्य में धोबी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने संबंधी एक गैर–सरकारी विधेयक पारित किया था और महाजन समिति (मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग) मंडल आयोग और मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने क्या–क्या सिफारिशें की और तत्संबंधी ब्यौरा और आधार क्या है;

(ग) क्या 1967 में किसी समिति ने मध्य प्रदेश के भोपाल, सियोहर और रायसेन जिलों में धोबी, जाति को अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर रखने की सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो इसका आधार क्या था?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) निम्नलिखित राज्यों–असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, (भोपाल, रायसेन तथा सिहोर जिलों में) मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के संबध में धोबी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में निहित उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों की सूचियों को अधिसूचित किया गया है। अनुसूचित जातियों की सूची में किसी समुदाय को विनिर्दिष्ट करने के लिए मानदंड इस प्रकार हैं:

अनुसूचित जातियां

अस्पृश्यता की पारंपरिक प्रथा से उत्पन्न अत्यंत सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन। अनुमोदित रूप रेखाओं के अनुसार अनुसूचित जाति की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव पर संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सिफारिश की जाती है। इसके बाद प्रस्ताव को भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को उनके विचारों के लिए भेजा जाता है। आवश्यक सहमति प्राप्त करने के बाद सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाता है और तब इसे विधेयक के रूप में संसद में विचार के लिए रखा जाता है।

(ख) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा ने मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में रजक (धोबी) को शामिल करने के लिए दिनांक 3 अप्रैल, 1998 को एक गैर सरकारी संकल्प पारित किया है और इस सिफारिश को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.4.1998 को अग्रसारित किया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां। अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन संबंधी सलाहकार समिति ने मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची से धोबी समुदाय को हटाने की सिफारिश (रायसेन तथा सियोहर जिलों में अनुसूचित) की थी जहां वे अस्पृश्यता से पीड़ित नहीं हैं।

[अनुवाद]

उजबेकिस्तान के अधिकारियों द्वारा खेप की जब्ती

8021. श्री विलास मुत्तेवार :

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उजबेकिस्तान के सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में कजाखिस्तान के साथ लगी अपनी सीमा पर पाकिस्तान ले जा रहे तेज विकिरणशील पद्धार्थ को जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी जानकारी भारत को दी गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) 30 मार्च, 2000 को उजबेकिस्तान के तटकर प्राधिकारियों ने कजाकस्तान और पाकिस्तान के बीच उजबेकिस्तान क्षेत्र से

होकर पारगमन कर रहे ईरान में पंजीकृत एक ट्रक को पकड़ा था। कजाकस्तान की फर्म एवं क्वेटा में पाकिस्तान की फर्म के बीच निविदा के अनुसार ट्रक पर घोषित 23.2 टन स्टेनलेस स्टील स्क्रेप लदा था। ट्रक के चालक से प्राप्त दस्तावेजों में इस बात का प्रमाणपत्र भी शामिल था कि इस परेषण में कोई रेडियो धर्मी पदार्थ नहीं है। तथापि ट्रक से उच्च रेडियो धर्मिता वाले पदार्थ युक्त दस लेड कन्टेनर पाए गए थे। उजबेकिस्तान के प्राधिकारियों ने आपराधिक मामला दर्ज किया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत को राजनयिक माध्यमों से इस घटना की सूचना दी गई थी।

जैव उर्वरकों पर कार्य दल

8022. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार द्वारा जैव उर्वरकों पर कोई कार्य दल बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके गठन, उद्देश्य तथा लक्ष्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह दल कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, हां। देश के जैव उर्वरकों के उत्पादन, वितरण और प्रवर्धन के लिए भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग नौंवी योजना के दौरान जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग पर एक सतत् गामी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित का रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत देश में एक केन्द्रीय और छह क्षेत्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र किसानों द्वारा उत्पादन और उपयोग के लिए जैव उर्वरकों के सक्षम प्रभेद (स्ट्रेन) के संकलन, परिरक्षण और वितरण में लगे हुए हैं। ये केन्द्र जैव उर्वरकों के उपयोग पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन भी आयोजित करते हैं। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 71 जैव उर्वरक उत्पादन एककों की मंजूरी दी गई है। सरकार की सहायता से देश में जैव उर्वरकों की 10410 मी. टन प्रतिवर्ष की कुल उत्पाद क्षमता स्थापित की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

8023. श्री रविन्द्र कुमार पांडे : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के लिए नियम और समय सूची निर्धारित की गई है;

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में वर्तमान में कुल कितने नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने श्रमिकों को नियमित किया गया है;

(ग) उक्त उपक्रम में कार्य करने के लिए निर्धारित अवधि को पूरा कर लेने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है और उन नैमित्तिक श्रमिकों को कब तक नियमित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) वर्तमान आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूर्ण रूप से नैमित्तिक प्रकृति के कार्य में लगा कोई नैमित्तिक मजदूर उसी प्रतिष्ठान में या उसी नियोक्ता के अधीन 180 दिन की अनवरत सेवा पूरी करने के पश्चात् संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने की शर्त पर नियमित आधार पर रोजगार पाने का हकदार हो जाता है।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में कोई भी नैमित्तिक कामगार अनवरत आधार पर कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में नैमित्तिक कामगार बहुत थोड़े समय के लिए पूर्णतः अस्थाई प्रकृति के कार्य में लगाए जाते हैं और इसलिए उनके नियमित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आज की तारीख में 7 व्यक्तियों को पूर्णः अस्थाई प्रकृति का कार्य करने के लिए दैनिक मजदूरी पर रखा गया है और जैसे ही उनकी वर्तमान अवधि समाप्त होगी उनका नाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की नामावली से हटा दिया जायेगा।

सलांदी बांध परियोजना

8024. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिल में सलांदी बांध का निर्माण कार्य विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बांध के निर्माण कार्य में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त बांध कब तक पूरा बन जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) सालन्दी सिंचाई परियोजना (चरम्पा शाखा नहर) 31.40 मिलियन (संशोधित 64.32 मिलियन) रुपये की अनुमानित लागत से 28.52 कि.मी. मुख्य नहर और शाखा नहर, 102.84 कि. मी. लम्बी सवितरणिकाओं एवं लघु शाखाओं और 454 संरचनाओं के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना के तहत शुरू की गई है। दिसंबर 1999 तक उप परियोजना का संचयी व्यय 51.05 मिलियन रुपये हैं। इसे जून, 2000 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन

8025. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति सबसे खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की स्थिति में सुधार करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तन लाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित राशि का उपयोग करने में असमर्थ रही; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह बताया गया हो कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति सबसे खराब है। प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण और सहायता अनुदान का प्रावधान;

(ii) बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्रों की सूची में शामिल करना;

(iii) अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत लाइसेंसिंग के दायरे से मुक्त करना;

(iv) अल्कोहल और बीयर एवं लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों के लिए कुछ शर्तों के अध्यधीन 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी हेतु स्वतः मंजूरी प्रदान करना।

(ङ) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की स्कीमों के लिए आबंटित और उपयोग की गई योजना निधियां निम्नलिखित अनुसार हैं :

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
97–98	44.10	40.00	22.87
98–99	44.10	30.00	30.00
99–00	47.00	40.00	37.78

कम मांग, कम मात्रा में उत्पादन, प्रति यूनिट अधिक लागत और फिर मांग का कम होना प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के सम्मुख आने वाली मुख्य रुकावटें हैं। अधिक जोखिम और कम लाभ के कारण अधिकतर उद्यमी इस क्षेत्र में दाखिल होने का साहस नहीं कर पाते जबकि प्राप्त सूचना के अनुसार इस क्षेत्र में विशाल संभावनाएं हैं।

राइस ब्लास्ट रोग

8026. श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'राइस ब्लास्ट' रोग देश में चावल के उत्पादन में कमी आने का मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 'राइस ब्लास्ट' पर नियंत्रण करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राइस ब्लास्ट रोग के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपचारी उपाय किए गए/किए जा रहे हैं :

(1) संस्तुत प्रतिरोधी/सहन क्षमता वाली किस्में उगाना,

(2) अति संवेदनशील किस्में उगाने से बचना,

(3) बुवाई से पहले थिरम/कैप्टन से बीज उपचार,

(4) नाइट्रोजनस उर्वरकों का संतुलित उपयोग तथा इसके अधिक उपयोग से बचना,

(5) रोग प्रभाव का समय–समय पर मानीटरन,

(6) मेनकोजेब (1.125–1.5 किग्रा. ए. आई. 75 लीटर पानी में) एडिफेनफोस (250–350 मि.ली. 750–1000 ली. पानी में) त्रिसाइक्लोजोल (225–300 ए. आई. 100 ली. पानी में) जैसे फंफूदी–नाशकों का आवश्यकता आधारित उपयोग।

ईरान और भारत के मध्य गैस/तेल पाइपलाइन

8027. श्री किरीट सोमैया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने ईरान और भारत के बीच पाकिस्तान से होकर जाने वाली गैस/तेल पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) भारत और ईरान के बीच नवंबर 1993 में सम्पन्न समझौते ज्ञापन के बाद, यह सहमति हुई थी कि ईरानी प्राकृतिक गैस को पाइप लाइन के जरिये भारत भेजने का पूर्व–व्यवहाहार्यता अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात और प्रसिद्ध इंजीनियरी परामर्शी फर्म द्वारा तैयार किया जाएगा। तदनुसार व्यवहार्यता अध्ययन के कार्य का अनुबंध इस प्रयोजन के लिए गठित संयुक्त कार्य दल द्वारा 1995 में जर्मनी की मैसर्स पी एल ई को सौंपा गया था। भारत के लिए पाइपलाइन लाने का व्यवहार्यता मार्ग ईरान क्षेत्र के भीतर एक भू–भाग पर और पाकिस्तान के प्रादेशिक जलक्षेत्र के बाहर तटीय क्षेत्र से पड़ता है। इस कंपनी द्वारा किए गए बार–बार प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान की ई ई जैड के जरिये सर्वेक्षण कराने की अनुमति प्रदान नहीं की है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्यता अध्ययन के अनुबंध को समाप्त करना पड़ा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रूस के साथ प्रत्यर्पण संधि

8028. श्री रामपाल सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस के साथ प्रत्यर्पण संधि किस तिथि से लागू होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : 21.12.98 को रूस के साथ सम्पन्न प्रत्यर्पण संधि अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान–प्रदान की तारीख से प्रवृत होगी। भारत ने इस संधि का अनुसमर्थन कर दिया है, रूसी पक्ष इस संधि के अनुसमर्थन की प्रक्रिया को पूरा करने में प्रगति पर है।

[अनुवाद]

नारियल के पेड़ों संबंधी बीमारियां

8029. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल के वृक्षों के विकास से संबंधित कृषि अनुसंधान संगठन कौन–कौन से हैं;

(ख) क्या नारियल के वृक्षों की बीमारियों की पहचान संबंधी अनुसंधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या नारियल के वृक्षों के अनुसंधान से संबंधित ऐसे संगठनों की उपयोगिता का मूल्यांकन किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इन संगठनों का कब तक सर्वेक्षण कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, केरल कृषि विश्वविद्यालय त्रिसूर और ताड पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत अम्बजीपेट (आंध्र प्रदेश), अलियारनगर और वेप्पाकुलम (तमिलनाडु) अर्सीके (कर्नाटक) जगदलपुर (मध्य प्रदेश), काहीकुची (असम), कोणार्क (उड़ीसा), मंदौरी (प. बंगाल) और रत्नागिरी (महाराष्ट्र) में स्थित केन्द्र द्वारा नारियल की खेती से संबंधित अनुसंधान और विकास का काम किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) नारियल के प्रमुख रोगों की पहचान की जा चुकी हैं। बड रॉट, स्टैम ब्लीडिंग गेनोडर्मा विल्ट, लीफ रॉट, क्राउन चोकिंग जैसे प्रमुख रोगों के लिए प्रभावी नियंत्रक उपाय उपलब्ध हैं। केरल में जड़ (मुरझान) रोग के प्रभावी प्रबंधन पद्धतियां तैयार की गई हैं ताकि रोग के बुरे प्रभावों को दूर किया जा सके और उत्पादकता में सुधार लाया जा सके। रोग प्रति सहिष्णु ताड़ों की पहचान की गई है ताकि रोगों के प्रति सहिष्णु किस्मों का विकास करने में उनका उपयोग किया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत कार्य कर रहे केन्द्रों के कार्यों की हर पांच वर्ष के अंतराल पर पंचवर्षीय समीक्षा दल के माध्यम से समीक्षा करने का एक आन्तरिक तंत्र मौजूद है।

अमेरिका में एक भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी

8030. श्री नरेश पुगलिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अमेरिकन दूतावास में कार्यरत किसी भारतीय नागरिक को अमेरिका में दिनांक 15 जनवरी, 2000 को एक भारतीय महिला द्वारा आश्रय स्थान हेतु दिये गये आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रिश्वत मांगने तथा रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी हां। नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास में कार्य कर रहे भारतीय राष्ट्रिक राकेश कुमार कश्यप को भारत में वीसा के इच्छुकों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करते समय बलपूर्वक धन वसूली के आरोप में अमरीका में गिरफ्तार कर लिया गया था। श्री कश्यप ने कथित रूप से आरोप स्वीकार कर लिया था फेडरल कोर्ट ने 28 अप्रैल, 2000 को उन्हें साढ़े तीन महीने के कारावास का दण्ड दिया था।

(ग) भारत का राजदूतावास वाशिंगटन इस मामले में तथा श्री कश्यप के सम्भावित निर्वासन के मामले में स्टेट डिपार्टमेंट तथा न्याय विभाग के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क

8031. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि फार्मों के लिए हाल ही में घोषित आयात–निर्यात नीति के अंतर्गत सरकार ने चावल, अंगूर और अन्य फलों सहित विभिन्न कृषि उत्पादों पर कुछ अधिक ही सीमा शुल्क लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में कुछ खाद्यान्नों तथा फलों पर बुनियादी उत्पाद शुल्क की दरें बढ़ा दी हैं। उन उत्पाद मदों के नाम तथा निर्धारित शुल्क दरें निम्नवत हैं :

क्रम सं.	मद	बुनियादी उत्पाद शुल्क
1.	गेंहू	50 %
2.	स्पेल्ट गेंहू	50 %
3.	मक्का (कानी) बीज	50 %
4.	भूसी वाला चावल	80 %
5.	भूसी वाला (ब्राउन) चावल	80 %
6.	मशीन का आधा कुटा या पूरा कुटा पॉलिश किया या चमकाया गया चावल	70 %
7.	टुकड़ा चावल	80 %
8.	ग्रेन सोरघम	50 %
9.	कदन्न	50 %
10.	ताजा अंगूर	35 %
11.	सेब	50 %

बकाया रिक्त पद

8032. सरदार बूटा सिंह : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉ. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पदों को भरने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने इस संबंध में 1993 के बाद से क्या कार्रवाई की और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय और इसके स्वायत्तशासी/सांविधिक/संबद्ध कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त थे और इन्हें भरने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित बकाया रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इस्पात मंत्रालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। संबद्ध कार्यालय विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात, कलकत्ता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बकाया नहीं है।

इस्पात मंत्रालय के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :

1.1.1993 की स्थिति के अनुसार रिक्त पद

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी I	–	–
श्रेणी II	–	2
श्रेणी III	2	1
श्रेणी IV	–	–

29.8.1997 की स्थिति के अनुसार बकाया रिक्त पद

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी I	–	–
श्रेणी II	–	1
श्रेणी III	1	–
श्रेणी IV	–	–

इस्पात मंत्रालय के अधीन कोई स्वायत्तशासी/सांविधिक कार्यालय नहीं है।

खान विभाग तथा इसके स्वायत्तशासी/सांविधिक/संबद्ध कार्यालयों के संबन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना

8033. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) योजना के तहत अब तक कितनी प्रगति हुई;

(ग) क्या देश के सभी जिलों में योजना के कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए राज्यवार कितना धन निर्धारित किया गया?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर आयात शुल्क

8034. श्री रामपाल सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया, डाइएमोनियम फास्फेट और मूरियट आफ पोटाश जैसे उर्वरकों पर कोई आयात शुल्क लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे किस दर पर लगाया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट और पोटाश के म्यूरिएट पर निम्नलिखित दरों पर आयात शुल्क लेवी लगाया गया है :

उर्वरक	आयात शुल्क की प्रभावी दर
खाद के रूप में उपयोग के लिए यूरिया	5.5 %
डाई अमोनियम फास्फेट	5 %
पोटाश का म्यूरिएट	5.5 %

[अनुवाद]

चूड़ी उद्योग में बाल श्रमिक

8035. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिबंध के बावजूद उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की चूड़ी इकाइयों में बच्चे अब भी कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन उद्योगों की खराब स्थिति की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार का उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की चूड़ी इकाइयों में बाल श्रम को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद जिले में चूड़ी इकाइयों में काम करने वाले 4656 बच्चों की पहचान की गई है।

चूड़ियों सहित कांच के सामान के विनिर्माण को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में शामिल किया गया है जिसमें उन व्यवसायों और प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है जिनमें 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कामकाजी बच्चों की पहचान करने के लिए तीन सर्वेक्षण कराए हैं; श्रम विभाग के अधिकारियों के अलावा शिक्षा और राजस्व विभागों के अधिकारियों को भी निरीक्षण की शक्तियां प्रदान की गई हैं: निरीक्षण/सर्वेक्षण के दौरान पहचान किए गए बच्चों की प्राथमिक विद्यालयों और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, फिरोजाबाद के अंतर्गत चल रहे विशेष विद्यालयों/पुनर्वास केन्द्रों में प्रवेश दिलाया जा रहा है। दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन आरंभ किए गए हैं और 20000 रुपये प्रति बालक की वसूली के आदेश जारी किए जा चुके हैं; कामकाजी बच्चों के परिवारों की रोजगार सृजन योजना और जिला स्तर पर क्रियान्वित की जा रही अन्य विकास और कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों को सहायता

8036. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी निगम के माध्यम से विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन प्राप्त हुए और 1999–2000 में कितने आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई है;

(ग) क्या राज्य स्तर पर उनके आवेदन पत्रों पर समुचित और शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों को जारी मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999–2000 के दौरान राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या 1408 थी तथा स्वीकृत आवेदनों की संख्या 982 थी।

(ग) जी, हां।

(घ) एन.एच.एफ.डी.सी. द्वारा राज्य सरकारों/राज्य माध्यम एजेंसियों को ऋण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करने तथा अग्रसारित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। लाभार्थियों द्वारा एन. एच. एफ. डी. सी. के निर्धारित प्रपत्र में सभी संगत ब्यौरे के साथ ऋण के लिए आवेदन राज्य माध्यम एजेंसी को प्रस्तुत किए जाते हैं। जांच के बाद आवेदन राज्य माध्यम एजेंसी द्वारा एन. एच. एफ. डी. सी. को ऋण स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। विभिन्न एस. सी. ए. के आवेदन पर कार्यवाही करने के विभिन्न तंत्र होते हैं जो उनके जिला/क्षेत्र स्तरीय अवसंरचना तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी विशिष्ट अनुदेशों पर निर्भर होते हैं।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों में बेरोजगारी

8037. श्री राम टहल चौधरी :

डॉ. बलि राम :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में राज्यवार कितने लघु उद्योग बंद हो गये जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमान पर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी; और

(ख) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सफलता प्राप्त की गयी?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विमान अपहरण पर अमरीकी रवैया

8038. डॉ. संजय पासवान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि इंडियन एयरलाइंस विमान आई सी–814 के अपहरण के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को संदेहमुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह मसला अमरीका के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो अमरीकी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) 25 जनवरी, 2000 को संवाददाता संक्षेपण में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमरीका के पास ऐसा साक्ष्य नहीं है कि पाकिस्तान सरकार किसी न किसी रूप में विमान अपहरण में शामिल थी।

(ग) सरकार ने अपहरण में शामिल व्यक्तियों और संगठनों की पहचान के बारे में अपने मूल्यांकन से अमरीका सहित अनेक मित्र देशों को अवगत करा दिया है। सुरक्षा मामलों पर अमरीका के साथ 18–19 जनवरी को लंदन में चल रही बातचीत के दौरान तथा हाल ही में गठित भारत–अमरीका आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्यदल की 7–8 फरवरी को वाशिंगठन डी सी में हुई प्रथम बैठक के दौरान भी इस मामले पर चर्चा हुई।

(घ) भारत और अमरीका यह सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर कार्य करने पर सहमत हुए हैं कि आई सी–814 के अपहरण के अपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अमरीका ने स्टेट डिपार्टमेंट ऑन ग्लोबल टैररिज्म की हाल ही में जारी रिपोर्ट सहित यह भी माना है कि पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के उन आतंकवादी दलों के साथ संबंध हैं जो आई सी. –814 के अपहरण में शामिल थे।

साप्टा और साफ्टा पर आई. टी. का प्रभाव

8039. श्री साहिब सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साप्टा और साफ्टा संबंधी आई. टी. की भूमिका क्या है;

(ख) क्या आने वाले समय में आई. टी. द्वारा साप्टा और साप्टा के कार्यकरण में परिवर्तन लाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) सार्क अधिमानी व्यापार प्रबंध (साप्टा) तथा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव संभाव्यतः दो स्तरीय है :

(i) दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात की संभावनाएं हैं क्योंकि भारत ने विश्व में ब्रांडेड क्वालिटी के साफ्टवेयर उत्पादों एवं सेवाओं के प्रमुख एवं भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में अग्रणी स्थान प्राप्त कर लिया है इससे हमारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से विदेशी मुद्रा कमाने वाला क्षेत्र बनता जा रहा है और क्योंकि भारत साप्टा तथा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपने इन सभी उत्पादों के लिए बड़े बाजारों में पहुंच तलाश रहा है; और

(ii) इन्टरनेट तथा ई–कामर्स का बढ़ता हुआ प्रयोग राष्ट्रीय, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक स्तर पर व्यापार में उत्प्रेरक का काम करेगा तथा व्यापार बढ़ाने में सहायता देगा इसलिए साप्टा और साफ्टा के अंतर्गत भी ऐसा संभव है यदि यहां ई–कामर्स को स्थापित किया जाए।

(ख) और (ग) ई–कामर्स से संबद्ध सार्क संगोष्ठी अक्टूबर, 2000 में नेपाल में होगी। इस संगोष्ठी में सार्क में व्यापार सुकर बनाने के लिए हथियार के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल तथा अन्तरा क्षेत्रीय व्यापार प्रसार में इसके योगदान पर प्रकाश डाले जाने की आशा है।

वैश्वीकरण और उत्प्रवास के दबाव

8040. कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. धनीराम शांडिल्य : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैश्वीकरण के कारण उत्प्रवास का दबाव बढ़ेगा जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) द्वारा प्रकाशित पीटर स्टॉल्कर द्वारा लिखित पुस्तक में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हमारे देश में पड़ने वाले इसके प्रभावों का अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) पीटर स्टॉकर द्वारा लिखित तथा अं.श्र.सं. द्वारा हाल ही में जारी –वर्कर्स विदाउट फ्रंटियर्स "इम्पैक्ट आफ ग्लोबलइजेशन आन इंटरनेशनल माइग्रेशन" नामक पुस्तक में इस तथ्य का खुलासा

किया गया है कि व्यक्तियों के स्थान पर उत्पादों के स्थान परिवर्तन से अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास के बहाव को कम करने की अपेक्षा वैश्वीकरण से आने वाले वर्षों में प्रवासियों की संख्या में वृद्धि ही होगी। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि धनी देशों के बीच वस्तुओं और पूंजी के प्रवाह से ही निर्धन देशों में रोजगार की जरूरतें पूरी नहीं की जा सकेंगी। इसके बजाय आर्थिक पुनर्निर्माण के कारण पैदा होने वाले सामाजिक व्यवधान के कारण अधिकाधिक लोगों के अपने–अपने समुदायों से दूर विदेश में रोजगार की तलाश करने की संभावना बढ़ेगी। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि भारत जैसे देश को स्वयं को विश्व अर्थव्यवस्था के और अधिक अनुरूप बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हाशिए पर पड़े भारतीयों की संख्या खत्म तो नहीं होगी, किन्तु उनके पास काम की तलाश में विदेश जा सकने के लिए पर्याप्त संसाधन जरूर उपलब्ध हो सकेंगे।

(ग) सरकार अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास कार्यक्रमों और नीतियों की समीक्षा निरन्तर करती रहती है ताकि सामाजिक लागतों को कम से कम किया जा सके।

बोकारो इस्पात संयंत्र

9041. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृप. करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र विभिन्न लघु उद्योगों से उपकरण खरीदता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रयुक्त स्थानीय लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योगों द्वारा विनिर्मित, उपकरणों/मदों का ब्यौरा क्या है और इनका अलग–अलग लागत मूल्य क्या था; और

(घ) इन मदों की खरीद लघु उद्योगों से किए जाने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.) लघु उद्योगों से स्पेयर्स, उपकरण तथा उपयोग्य वस्तुएं खरीदता है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लघु उद्योगों को विभिन्न मदों के लिए दिए गए आदेशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास में सहायता करने के लिए जिन मदों का विनिर्माण लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है तथा गुणवत्ता और लागत के संबंध में अन्य उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है उन्हें उनसे खरीदा जाता है।

विवरण

बी. एल. ए. डी. ए. को दिए गए आर्डरों का प्रमुख श्रेणी–वार सारांश

(क्रय आदेश करोड़ रुपए)

श्रेणी	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001 (अप्रैल 2000 तक)
1	2	3	4	5
यांत्रिक स्पेयर्स	12.21	10.72	7.86	0.55
विद्युत स्पेयर्स	0.30	0.63	0.50	0.03
*औजार, टैक्लस तथा उपभोग्य वस्तुएं	10.72	9.93	10.95	0.25
फाउन्ड्री कैमिकल्स	0.78	0.66	1.01	–
इनगोट मोल्ड तथा बाटम प्लेटस	8.01	0.00	0.00	0.00
उप–योग–1	32.02	21.94	20.32	0.83
रिफ्रेक्ट्रीज	0.32	0.38	0.70	0.00

1	2	3	4	5
वाल्व	0.03	0.14	0.04	0.00
पूंजीगत मदें	0.09	0.40	0.00	0.00
कच्चा माल	0.00	0.00	0.07	0.00
नान फैरस मैटल	0.13	0.06	0.00	0.00
अन्य	0.05	0.04	0.04	0.00
उप–योग–2	0.62	1.02	0.85	0.00

* अग्नि शमन, तार की रस्सी, साल्ट, अम्ल, पैकिंग तथा पैकिंग सामग्री सम्मिलित है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की योजनाएं

8042. श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के अधीन कितनी केन्द्रीय योजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने केवल तीन योजनाएं रखने का प्रस्ताव किया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जनजातीय क्षेत्र सहित देश के किसी भी भाग में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाये जाने के लिए विभाग द्वारा कोई अन्य योजनाएं बनायी गयी थीं और इससे कितना लाभ अर्जित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) 9वीं योजना के दौरान लागू करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने आरंभ में ही 48 योजना स्कीमें तैयार की थीं, परन्तु योजना आयोग में चर्चा के परिणामस्वरूप कुछ स्कीमों को मिलाकर एक/पुनः समूहित कर दिया गया और वर्ष 1997–98 के दौरान 26 स्कीमें कार्यान्वित की गईं। बाद में, कुछ परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वर्ष 2000–2001 के दौरान 21 स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

योजना सहायता के प्रणोद क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

(i) फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं विशेषकर कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना।

(ii) औद्योगिक संपदा/पार्कों की स्थापना।

(iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण।

(iv) अनुसंधान और विकास।

(v) मानव संसाधन विकास।

इन स्कीमों से प्राप्त होने वाले लाभों में रोजगार के अवसरों का सृजन, फसलोत्तर बरबादी में कमी, आय में वृद्धि आदि शामिल हैं। इन स्कीमों का उद्देश्य सारे देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र का विकास करना है। वैसे दुर्गम क्षेत्रों जिनमें एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्र शामिल है, के लिए योजना स्कीमों के अंतर्गत सहायता की बढ़ी हुई मात्रा उपलब्ध है।

दुग्ध उत्पाद

8043. श्री राशिद अलवी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुग्ध क्षेत्र की चुनौतियों पर राष्ट्रीय गोल मेज रिपोर्ट के निष्कर्षों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन. डी. डी. बी.) द्वारा किए गए दावे की सत्यता के बारे में आज गंभीर संदेह है और ऐसी राय 1984 के एल. के. झा समिति की रिपोर्ट में भी व्यक्त की गई थी;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में दुग्ध उत्पादन का अनुमान लगाने हेतु विश्वसनीय तरीके अपनाने का है; और

(घ) क्या ऐसे दावों के बावजूद दुग्ध उत्पादों का आयात किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) 1984 में एल. के. झा, समिति ने दुग्ध उत्पाद आंकड़ों के एकत्रीकरण के तौर–तरीकों का मुद्दा उठाया था। तथापि, यह बताया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारत में दुग्ध उत्पादन का अनुमान नहीं लगाती तथा इसलिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दावों की सच्चाई का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दुग्ध उत्पादन के आंकड़े प्रमुख पशुधन उत्पादों (जैसे दूध, अंडा, मीट, ऊन) का अनुमान लगाने के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में चलाए जाने वाले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किए जाते हैं।

(घ) वर्तमान आयात–निर्यात नीति के तहत दुग्ध उत्पादों का आयात–निर्यात अनुमत्य है। यद्यपि दुग्ध उत्पादों का थोड़ा आयात हुआ है किन्तु साथ ही कुछ निर्यात भी हुआ है।

भारतीय कृषकों संबंधी अध्ययन

8044. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय कृषकों की दशा के संबंध में एक 'सहस्त्राब्दि अध्ययन' शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार, कृषि क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों का निगमितीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) भारतीय किसानों की स्थिति पर अध्ययन हेतु चल रही योजना स्कीम के भाग के रूप में "भारतीय कृषि का नियोजन एवं प्रबंधन" नामक एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस अध्ययन का उद्देश्य नई सहस्त्राब्दि की शुरूआत में भारतीय किसानों की स्थिति की जांच तथा विकासपरक नियोजन के पिछले 50 वर्षों के दौरान आरंभ की गई नीतियों और कार्यक्रमों का उनकी स्थिति पर प्रभाव पर मूल्यांकन करना है।

(ग) और (घ) कृषि गतिविधियों में भागीदारी वाले निगमों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते वे इन गतिविधियों को संचालित करने वाले किसी वर्तमान केंन्द्रीय या राज्यीय कानून के उपबंधों का उल्लंघन न करते हों।

खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य

8045. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और सहकारिता विभाग को नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने की संभावना नहीं है क्योंकि उनके द्वारा मांगी गई धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने कृषि क्षेत्र को वर्ष 1999–2000 के लिए धनराशि का आबंटन बढ़ाने से मना कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) नौंवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2001–02 के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि कृषि जलवायुवीय कारक, फार्म के आकार, गुणवत्ताप्रद आदानों का समय से उपयोग, उन्नत विधियों के पैकेज का विकास और उनका अंगीकरण तथा इन सबके अलावा निवेश का स्तर। देश में खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता संवर्धन हेतु सरकार अपनी ओर से कई कदम उठा रही है। सरकार चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चला रही है तथा दलहन विकास परियोजना ओदि भी चला रही हैं. इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत किसानों को बीजों की उच्च उत्पादक किस्मों का प्रयोग करने, समेकित कीट प्रबंध का प्रयोग करने, वैज्ञानिक जल प्रबंध को लोकप्रिय बनाने और उन्नत फार्म उपस्करों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए लगातार अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं ताकि भारत में खाद्यान्न की उत्पादकता अैर उत्पादन में वृद्धि की जा सके। प्रौद्योगिकी के कारगर अंतरण के लिए किसानों के खेतों में क्षेत्रीय प्रदर्शन, जिनमें किसानों और खेतिहर मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जाना शामिल हैं, आयोजित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) योजना आयोग 2000–2001 के दौरान कृषि विभाग के लिए 1950 करोड़ रुपये से ज्यादा का आबंटन नहीं कर सका है क्योंकि बजटीय बाधाएं थीं और अन्य जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी थी।

अनौपचारिक श्रम क्षेत्र

8046 ो साहिब सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनौपचारिक श्रम क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मकारों सहित श्रमिकों के दशा सुधारने के लिए कई श्रम कानून अधिनियमित किये हैं। इनमें से कुछ कानून इस प्रकार हैं : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बीड़ी व सिगार कर्मकार (रोजगार शर्तें) अधिनियम, 1966, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976, अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, भवन व अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 आदि। लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा अभ्रक खान, सिने उद्योग तथा बीड़ी उद्योग में लगे कर्मकार भी संबंधित कल्याण निधियों के अधीन चलाए जाने वाले विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के दायरे में शामिल हैं। हथकरघा बुनकरों, रिक्शा चालकों आदि जैसे विशिष्ट कार्यकलापों में एक बड़ी तादाद में लगे कर्मकारों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकारों ने भी बीमा और सामाजिक सुरक्षा स्कीमें चलाई हैं। असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में लगे कर्मकारों के रोजगार की गुणवत्ता और कार्य शर्तों में सुधार सरकार की मुख्य चिन्ता रही है और सरकार इसके प्रति सजग है।

सरकार देश के ग्रामीण असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए तथा उनकी दशा सुधारने के लिए जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना जैसी अनेक योजनाएं भी क्रियान्वित कर रही है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, ड्वाक्रा जैसी चालू स्कीमों को एक साथ मिलाकर अप्रैल, 1999 से "स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" नामक एक नया कार्यक्रम चलाया गया है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है जैसे गरीबों को स्व–सहायता ग्रुपों में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, आधारभूत सुविधा तथा विपणन।

[हिन्दी]

पालीक्लिनिक केन्द्र

8047. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में कृषि पालीक्लिनिक केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(घ) क्या उक्त सहायता राशि का समुचित रूप से उपयोग करने के बारे में निगरानी रखने के लिए कोई सतर्कता समिति गठित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा 56 एग्रोपालीक्लीनिक एवं किसान प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

मनिसाना वेतन बोर्ड

8048. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनिसाना वेतन बोर्ड सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा;

(ख) इसके रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त वेतन बोर्ड का कार्यस्थल किस अवधि तक बढ़ाया गया है; और

(घ) सरकार मनिसाना वेतन बोर्ड की सिफारिशों को कब तक लागू कर देगी?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सरकार ने मजदूरी की दरों को निर्धारित और संशोधित करने के लिए 2.9.1994 को पत्रकार और गैर पत्रकार समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसी कर्मचारियों के लिए मनिसाना वेतन बोर्ड का गठन किया था। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। वेतन बोर्ड का कार्यालय समय–समय पर बढ़ाया गया था, अन्तिम बार इसे 31.3.2000 तक के लिए बढ़ाया गया था। चूंकि वेतन बोर्ड का कार्य, बढ़ाई गई तारीख तक पूरा नहीं हो सका,

वेतन बोर्ड ने रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए और समय की मांग की है। सरकार एक बार वेतन बोर्ड की रिपोर्ट की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर उसे अल्पतम संभावित अवधि के भीतर क्रियान्वित करने के लिए सभी प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र

8049. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्दियों और जूतों की खरीद में 'सेल' की अनुषंगी इकाई बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा की जा रही अनियमितताओं से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच करवाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मजदूर संघों को मान्यता

8050. श्री एस. बंसवराज : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापार संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि जाली सदस्यता और भारी-भरकम दावों के आधार पर मान्यता प्राप्त करने का दावा करने वाले संघों को अलग रखा जा सके;

(ख) क्या इससे औद्योगिक संबंधों को स्थिर बनाने की दृष्टि से संघों में व्याप्त राजनीति को दूर करने में मदद मिलेगी और फलस्वरूप कार्य संस्कृति तथा सामाजिक जवाबदेही के आधार पर उत्पादकता में वृद्धि होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संशोधन द्वारा 100 वेतनभोगी से अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों को बंद करने में राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक बनाने वाली धारा 25(ओ.) और (एन.) को समाप्त कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) श्रमिक संघ (संशोधन) विधेयक, 2000 राज्य सभा में 28.4.2000 को पुरःस्थापित किया जा चुका है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विभिन्न संशोधन सामाजिक भागीदारों की अपेक्षाओं के आधार पर और आर्थिक सुधारों के समनुरूप प्रस्तावित हैं। संशोधित प्रस्तावों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन दिए जाने के पूर्व विभिन्न चरणों पर प्रोसेस किया जाता है।

[हिन्दी]

परमाणु-अस्त्र मुक्त और हिंसाविहीन विश्व व्यवस्था के लिए कार्य योजना

8051. श्री मणिशंकर अय्यर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार द्वारा 1988 में निरस्त्रीकरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के द्वितीय विशेष सत्र में परमाणु-अस्त्र मुक्त और हिंसाविहीन विश्व-व्यवस्था के लिए पेश की गई कार्य योजना को संज्ञान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार इस कार्य योजना पर अमल कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने परमाणु अस्त्रों और जनविनाश के अन्य हथियारों को समयबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए कोई वैकल्पिक योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अमरीकी अधिकारियों और अन्य परमाणु-शक्तियों के साथ चर्चा के दौरान सरकार ने व्यापक परमाणु-परीक्षण निषेध संधि (तथा निरस्त्रीकरण-सह-परमाणु-अप्रसार के अन्य उपायों, यथा प्रस्तावित विखंडनीय पदार्थ उच्छेद संधि) को मसले को परमाणु-अस्त्रों और जनविनाश के अन्य हथियारों को समयबद्ध रूप से समाप्त करने के प्रवृत्त के साथ जोड़ने की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने अमरीका तथा अन्य नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न शक्तियों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के प्रति भारत की अपरिवर्तित वचनबद्धता पर जोर देते हुए भारत के सुरक्षा हितों के अनुरूप नाभिकीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार की ओर अग्रसर होने संबंधी उपायों का पता लगाया।

[अनुवाद]

बेहतर प्रशासन एक चुनौती

8052. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में दिल्ली में पंडित गोविन्द वल्लभ पंत की स्मृति में आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने वालों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की मुख्य बात क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा देश को बेहतर प्रशासन सुलभ कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कल्याण समिति द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (च) पंडित गोविन्द वल्लभ पंत की स्मृति में भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 25 मार्च, 2000 को आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय शहरी विकस मंत्री ने, अन्य बातों के साथ–साथ अच्छा शासन प्रदान करने संबंधी चुनौतियों के संबंध में भी चर्चा की थी। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि शासन तंत्र के समग्र रूप से दयनीय निष्पादन के लिए अकुशलता, भ्रष्टाचार तथा कदाचार सहित अनेक तत्व जिम्मेदार हैं। उन्होंने सिविल कर्मचारियों में वचनबद्धता की कमी, कार्य के प्रति गंभीर न होना तथा प्रत्येक विचारधारा और कार्य प्रवृति के अभाव का भी उल्लेख किया।

(2) भारत सरकार ने समय–समय पर शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय किये हैं। हाल ही में किये गये कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं :

(3) सरकार ने अपनी कार्य–प्रणाली में अधिकाधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने के लिये उपाय किये हैं। इस प्रकार व्यापक जनसंपर्क वाले अनेक सरकारी संगठनों ने नागरिक चार्टर तैयार किये हैं जिनमें मोटे तौर पर यह बताया गया है कि एक निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर जनता किस प्रकार की सेवा प्राप्त करने की हकदार होगी। 45 मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकार के संगठनों द्वारा सूचना और सुविधा काउंटर स्थापित किये गये हैं ताकि संबंधित संगठन की कार्य–पद्धति तथा स्कीमों और विभिन्न मामलों की स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

(4) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने हेतु तीन सूत्री योजना की परिकल्पना की गई है। इसे शुरू में 1985–86 में आरंभ किया गया था और इसे वार्षिक आधार पर लागू रखा गया है। इस कार्य योजना के प्रमुख तत्व निम्नानुसार हैं :

(i) निवारक सतर्कता

(ii) निगरानी ओर खोज, तथा

(iii) निरोधक दंडात्मक कार्रवाई

इन तीन प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत, कार्य योजना में सतर्कता तंत्र के यथासंभव अधिक–से–अधिक पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। सरकार निवारक सतर्कता के क्षेत्र को उचित महत्व और प्राथमिकता दे रही है ताकि विवेकानुसार निर्णय लेने की गुजाइश विशेष रूप से निम्न स्तरों पर, निम्नतम की जा सके। सरकार ने अभी हाल ही में केन्द्रीय सतर्कता आयोग और मुख्य सतर्कता अधिकारियों के कार्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं ताकि सतर्कता तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए अभी हाल ही में उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार हैं:

(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99–ए.वी.डी.–III के पैरा 3(वी) के तहत सतर्कता प्रशासन की देखरेख के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शक्तियां प्रदान की गई हैं। आयोग ने भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करने हेतु कई अनुदेश जारी किये हैं जिनमें ईमानदारी की भावना पैदा करना, प्रशासन में अधिकाधिक पारदर्शिता लाना, इलैक्ट्रानिकी निकासी प्रणाली शुरू करना तथा बैंकों को कम्प्यूटरीकृत बनाना एवं जनता को संवेदनशील बनाना आदि शामिल हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता प्रबंधन विषयक विशेष अध्याय भी जारी किये हैं।

(ii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 20.12.1999 को लोक सभा में पेश किया गया है जिसमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक हैसियत प्रदान करने और विनीत नारायण बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के अन्य निदेशों को शामिल करने की व्यवस्था की गई है।

(iii) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को बाहरी प्रभावों से अलग रखने तथा इसकी कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिये किये गये कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं :

- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया है।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में एक चयन बोर्ड का गठन किया गया है जो कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के रैंक और उससे ऊपर के अधिकारियों की समयावधि को घटाने/बढ़ाने अथवा उन्हें समय से पूर्व प्रत्यावर्तन करने की सिफारिशें करेगा।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष अपराध प्रभाग तथा आर्थिक अपराध विंग में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, तकनीकी पदों सहित 183 पद स्वीकृत किये गये हैं।

(5) सरकार ने संगठनों की कार्य–कुशलता में सुधार लाने के लिये कानूनों, नियमों और कार्यविधियों को सरल बनाने का कार्य भी शुरू किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये, 40 से अधिक विभागों ने विशेषज्ञ कार्य बलों अथवा आंतरिक कार्यवाही के माध्यम से उनके द्वारा नियंत्रित कानूनों, विनियमों और कार्यविधियों की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कानूनों, विनियमों, कार्यविधियों, विधायी प्रक्रियाओं आदि को निरस्त करने/उनमें संशोधन करने हेतु सिफारिशें करने के लिये 8 मई 1998 को प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 30 सितम्बर, 1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों में लगभग 50 परसेंट केन्द्रीय कानूनों (2500 में से 1382 कानूनों) को निरस्त करना, 109 निर्दिष्ट अधिनियमों की विवेचनात्मक सूची में शीघ्र संशोधन करना, सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासनिक कानूनों (नियमों, विनियमों, कार्यकारी अनुदेशों) का प्रलेखन, संभावित अंतर्देशीय और विदेशी निवेशकों, व्यापार और उद्योग, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और आयातकों के संदर्भ में सांविधियों और कानूनों का सामंजस्यीकरण तथा एक व्यवहार्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का विकास करना शामिल है। सरकार ने रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया था। अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने उनके द्वारा प्रशासित अधिनियमों और कानूनों में उपयुक्त संशोधन/फेरबदल करने तथा उन्हें निरस्त करने से संबंधित कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि सरकार की सेवा सुपुर्दगी में सुधार हो सके और कार्य–प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके।

(6) सरकार द्वारा गठित विभिन्न सुधार समितियों और आयोगों की सिफारिशों पर समुचित ध्यान दिया जाता है। जिन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है उन्हें कार्यान्वित करने हेतु कार्रवाई की जाती है।

इस्पात उत्पादन

8053. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई. आई. एस. कार्पो. में इस्पात का उत्पादन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो 1999–2000 के दौरान तय लक्ष्य की तुलना में प्राप्त किय गये उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आई. आई. एस. कार्पो. में वात भट्टी को पुनः ठीक–ठाक करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वातभट्टी में सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) में विक्रेय इस्पात का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है:

(इकाई : हजार टन)

1998–99	1999–2000	
वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
285	242	250

(ग) से (ङ) दो प्रचालनरत धमन भट्टियों में से एक रिलाइनिंग वर्ष 2000–2002 में की जानी है। रिलाइनिंग हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के पश्चात् प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हर्थ को रक्षात्मक कोटिंग देने के लिए टिटेनियम बियरिंग बर्डन को चार्ज करने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

चूना पत्थर की कथित घटिया गुणवत्ता

8054. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अनुषंगी इकाई में कच्ची सामग्री के प्रभाग की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं;

(ख) कच्ची सामग्री प्रभाग ने किस सीमा तक अपने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की सहायक इकाई बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा घटिया गुणवत्ता वाले चूना पत्थर की खरीद की गई है;

(घ) यदि हां, तो कच्ची सामग्री प्रभाग द्वारा तैयार चूना पत्थर और पिछले तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा निजी खान मालिकों से सीधे खरीदे गये चूना पत्थर के रासायनिक विश्लेषण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान कोई घटिया कच्ची सामग्री की आपूर्ति की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) सेल का कच्चा माल प्रभाग निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था।

- निजी खानों का कुशलतापूर्वक कार्य करना।
- निजी खानों और इस्पात संयंत्रों की समुचित नेटवर्किंग के जरिए कच्चे माल का इष्टतम उपयोग।
- इस्पात संयंत्रों की आवश्यकतानुसार गुणता वाले कच्चे माल का प्रेषण।
- कच्चे माल के क्षेत्र में संदर्श आयोजना।
- इस्पात संयंत्रों की भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए स्रोतों का विकास।

(ख) कच्चा माल प्रभाग (आर.एम.डी.) को स्थापित करने से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित लाभ हुए हैं:

- लौह अयस्क उत्पादन में वृद्धि।
- लौह अयस्क खानों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि।
- इस्पात संयंत्रों की लौह अयस्क की मांग को बाहर से अधिप्राप्त किए बगैर पूरा करना।
- बी. एस. एल. को अयस्क पूर्ण और डी. एस. पी. आर. एस. पी. और इस्को को डलों की आपूर्ति में औसत मात्रा में वृद्धि।
- भारी अर्थ मूविंग मशीनों के लिए केन्द्रीकृत रखरखाव संबंधी सुविधाएं स्थापित हुईं जिससे नकद राशि के बाहर जाने और मरम्मत में विलंब होने में कमी आयी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

जल की कमी

8055. डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जल की कमी वाले राज्य/क्षेत्रों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य/क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितना पानी उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की भी पहचान की है जहां भारी वर्षा/बाढ़ के दौरान जीवन सामान्यता अस्त-व्यस्त रहता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) नदियों में जल की उपलब्धता का आकलन नदी बेसिन-वार किया जाता है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 1993 में किए गए जल संसाधन क्षमता के आकलन के अनुसार देश में बड़े नदी बेसिन में जल की औसत वार्षिक उपलब्धता और 2000 ई. तक अनुमानित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता संलग्न विवरण-I में दी गई है। कुछ अंर्तराष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा

अपनाए गए मानदंड के अनुसार, 1000 घनमीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष से कम जल उपलब्धता की कोई भी स्थिति जल की कमी की स्थिति मानी जाती है। इस मानदंड के अनुसार, आठ नदी बेसिनों में अर्थात् कावेरी, साबरमती, पेन्नार, माही, तापी, महानदी और गोदावरी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नादेया, पन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जल की कमी है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने आकलन (1980) में किया है कि भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं। बाढ़ संभावित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II पर है।

राज्यों द्वारा बाढ़ नियंत्रण के दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपायों का क्रियान्वयन उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार, योजना आयोग द्वारा आबंटित उनकी अपनी योजना निधियों से किया जाता है। केन्द्र सरकार मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार राज्यों द्वारा स्वीकृति के लिए भेजी गई स्कीमों पर तकनीकी सलाह मुहैया कराने के साथ ही उनका मूल्यांकन करती है। भारत सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ प्रबंधन के लिए विस्तृत मास्टर योजनाएं तैयार करने के वास्ते वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा तैयार की गई मास्टर योजनाएं कार्यान्वयन के लिए संबंधित गंगा बेसिन राज्यों को भेजी गई हैं। इसी प्रकार से, भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र, बराक और उसकी सहायक नदियों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करने के वास्ते वर्ष 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर योजनाएं क्रियान्वयन के लिए सभी बेसिन राज्यों को भेजी गई हैं। इन सभी मास्टर योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के उपाय करने संबंधी सिफारिशें शामिल हैं। सचिव, जल संसाधन की अध्यक्षता वाली वर्ष 1987 में गठित बाढ़ प्रबंध संबंधी दो समितियों की सिफारिशों जिनमें एक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से संबंधित हैं और दूसरी पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है, के साथ–साथ अधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्षों को संबंधित राज्यों को भेजा गया था। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने सितम्बर, 1996 में पांच कार्य बलों का गठन किया है और इन कार्यबलों की रिपोर्ट आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग राज्यों को समय पर बाढ़ पूर्वानुमान सेवाएं मुहैया कराने के लिए देश भर में 157 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों का प्रचालन करता है। बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं से बाढ़ों के कारण होने वाली जान और माल की हानि में कमी लाने में सहायता मिलती है।

विवरण-I

भारत की बेसिन–वार जल संसाधन क्षमता और प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता

क्र.सं.	नदी बेसिन	औसत वार्षिक सतही जल उपलब्धता (बिलियन घन मीटर)	प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता (घन मीटर) 2000
1	2	3	4
1.	सिंधु	73.31	1482
2.	गंगा	525.02	1239
3.	ब्रह्मपुत्र और बराक	585.6	14057
4.	गोदावरी	110.54	1754
5.	कृष्णा	78.12	1088
6.	कावेरी	21.36	619
7.	सुवर्णरेखा	12.37	1118
8.	ब्राहमणी वैतरणी	28.48	2463

1	2	3	4
9.	महानदी	66.88	2131
10.	पेन्नार	6.32	550
11.	माही	11.02	888
12.	साबरमती	3.81	307
13.	नर्मदा	45.64	2628
14.	तापी	14.88	853
	निम्न के बीच पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां		
15.	(क) तापी से साद्री तक	87.41	2870
16.	(ख) ताद्री से कन्याकुमारी तक	113.51	2950
17.	(ग) लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र	15.1	579
	पूर्व की ओर बहने वाली नदियां		
18.	(क) महानदी से गोदावरी तक	22.52	808
19.	(ख) पेन्नार से कन्याकुमारी तक	16.46	311
20.	राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकास क्षेत्र		
21.	बांग्लादेश और म्यांमार में बहने वाली छोटी नदियां	31	12500
	कुल	1869.35	

विवरण-II

देश में सम्भावित बाढ़ क्षेत्र

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	बाढ़ संभावित क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13.9
2.	असम	31.5
3.	बिहार	42.6
4.	गुजरात	13.9
5.	हरियाणा	23.5
6.	हिमाचल प्रदेश	2.3
7.	जम्मू और कश्मीर	0.8
8.	कर्नाटक	0.2
9.	केरल	0.7
10.	मध्य प्रदेश	2.6
11.	महाराष्ट्र	2.3
12.	मणिपुर	0.8
13.	मेघालय	0.2
14.	उड़ीसा	14.0
15.	पंजाब	37.0
16.	राजस्थान	32.6

1	2	3
17.	तमिलनाडु	4.5
18.	त्रिपुरा	3.3
19.	उत्तर प्रदेश	73.36
20.	पश्चिम बंगाल	26.5
21.	दिल्ली	0.5
22.	पांडिचेरी	0.1
	कुल	335.16

(अर्थात् 34 मिलियन हैक्टेयर)

वर्ष 1953–78 की अवधि के लिए राज्यों से
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बाढ़ प्रवण क्षेत्र 34 मिलियन हैक्टेयर
तब (1978) से सुरक्षित क्षेत्र 10 मिलियन हैक्टेयर

कुल : 44 मिलियन हैक्टेयर

सुरक्षा कार्यों की विफलत के कारण बाढ़ ग्रस्त
क्षेत्र को सूचित किए गए बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में
शामिल किया जा सकता है। 4 मिलियन हैक्टेयर
(प्रकल्पित) (ऋणात्मक)
देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र 40 मिलियन हैक्टेयर
(राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की वर्ष 1980 की रिपोर्ट के अनुसार)

केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962

8056. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 (मूल नियम) के उपबंधों को किसी कार्यालय आदेश ज्ञापन के तहत परिभाषित न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों को कार्यालय आदेशों और ज्ञापन के माध्यम से परिभाषित करने की प्रक्रिया की पुनरीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) कानून में यह भली–भांति निर्धारित है कि प्रशासनिक–अनुदेश अर्थात् कार्यालय–आदेश/ज्ञापन मौजूदा कानूनी नियमों में रह गया अन्तराल पाटने की दृष्टि से ही जारी किए जा सकते हैं, कि न उनका स्थान लेने के लिए। कार्यालय–आदेश/ज्ञापन नियमों के प्रावधानों के विपरीत भी जारी नहीं किए जा सकते। केन्द्रीय सचिवालय–सेवा–नियम, 1962 में इस मंत्रालय को, विशिष्टत:, नियमों के अंतर्गत नहीं आने वाले अवशिष्ट मामलों में अनुदेश जारी करने तथा कुछ परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के प्रावधानों के निर्वाह से छूट देने की अनुमति है।

इसके मद्देनजर, उपर्युक्त चलन की समीक्षा करने का विचार नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

8057. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कुछ घटकों ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए वहां उपलब्ध सुविधाओं के बेहतर उपयोग का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की हॉट मेटल का उपयोग नजदीक के एलाय स्टील में करके स्टेनलेस स्टील की पट्टियों का निर्माण करने और फिर इसका प्रयोग सेलम इस्पात संयंत्र में करने का है;

(घ) यदि हां, तो वहां से कितना लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) उत्पादन लागत में कटौती करने व इस्पात उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी, हां। संयंत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये वहां उपलब्ध सुविधाओं के बेहतर उपयोग हेतु दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाइज यूनियन और हिन्दुस्तान स्टील वर्कस यूनियन से सुझाव प्राप्त हुए हैं। अन्य सुझावों के साथ–साथ मुख्य सुझाव हैं :

- बोलानी अयस्क प्रक्रगण संयंत्र में उत्पादन और प्रचालन क्षमता में तत्काल सुधार।
- कोक ओवन के पुनरुद्धार तक दुर्गापुर प्रोजैक्ट्स लिमिटेड से कोक और गैस की अधिप्राप्ति, नई

वायर रॉड मिल लगने तक पुनर्वेसन मिलों की परिवर्तन लागत देकर सी. सी. पी. बिल्लेट्स को 12/14 मि.मी. की छड़ों में बदलना।

- पहियों, धुरियों और स्लीपरों को अंर्तराष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए कारोबार संबंधी सर्वेक्षण करना।
- विभिन्न उपकरणों/मशीनों में निवेश करने के लिए सुझाव।
- कोयला अन्तःक्षेपण संयंत्र, वायर रॉड मिल आदि जैसे संयंत्र में नई इकाइयों की शुरूआत।
- कामगारों के कार्मिक मामलों से संबंधित मुद्दों का निपटान।

(ग) और (घ) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की तप्त धातु का उपयोग, मिश्र इस्पात संयंत्र में नियमित रूप से किया जा रहा है। तथापि, सेलम इस्पात संयंत्र हेतु बेदाग इस्पात स्लेब बनाने के लिए अकेले तत्प धातु का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की तप्त धातु का उपयोग मिश्र इस्पात संयंत्र में करने से जो लाभ प्राप्त होते हैं वे स्क्रैप और विद्युत लागत में बचत के स्थानापन्न के रूप में होते हैं।

(ङ) इस्पात उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता और लागत में कमी लाने के लिए प्रक्रियात्मक प्राचलों में सुधार करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

उर्वरक डीलरशिप का आबंटन

8058. सरदार बूटा सिंह : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की 25 प्रतिशत डीलरशिप अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए आरक्षित की हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2000 तक इस्पात और खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक सहकारिता और संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई उर्वरक डीलरशिप की कुल संख्या; और

(ग) अनु.जा./अनु.ज.जा. के व्यक्तियों को दी गई डीलरशिप की कुल संख्या कितनी है और वह कुल डीलरशिप की तुलना में कितना प्रतिशत है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उर्वरकों का डीलरशिप के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 परसेंट आरक्षण का प्रावधान है। तथापि, जहां तक इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसा आरक्षण नहीं है।

(ग) इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उर्वरकों की डीलरशिप दिए जाने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं होने के कारण ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है। खान और खनिज मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कामगारों को पुनर्वास

8059. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बंद पड़े कारखानों के कामगारों के पुनर्वास के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा एशिया के सबसे बडे सीमेंट कारखाने जिसे सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा था तथा जो पूर्व में सरकार के स्वामित्व में था के कामगारों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) यह किस तारीख से बंद पड़ा है और इसमें काम करने वाले कामगारों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन कामगारों को रोजगार मुहैया कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पदोन्नति के अवसर सृजित करना

8060. श्री मोइनुल हसन : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदोन्नति के अवसर रहित पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उन्हें पदोन्नति के कुछ अवसर दिए जाने चाहिए;

(ख) क्या न्यायालय का यह सिद्धांत और नियम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सभी पदोन्नति के अवसर रहित पदों पर लागू होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सरकार, अलग–थलग पदों पर कार्यरत व्यक्तियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के प्रति पहले से ही जागरूक है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में समूह 'क' के अलग–थलग पदों पर संवर्ग बनाए जाने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करते हुए अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। संगत अनुदेशों के अनुसार, अलग–थलग पदों को मौजूदा संवर्गों में शामिल करके इन पदों की संख्या कम करने के कुछ उपाय सुझाए गए हैं। एक बार जब किसी पद को किसी संवर्ग में शामिल कर लिया जाता है तो उस संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति के अवसर, उस संवर्ग में शामिल किए गए ऐसे पदों को अपने–आप सुलभ हो जाते हैं।

सरकार ने केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित करिअर–प्रोन्नयन की योजना का चलन भी शुरू कर दिया है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि निर्धारित नियमित सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् भी यदि किसी कर्मचारी को रिक्ति–आधारित पदोन्नति की पेशकश नहीं की गई हो तो उसे इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों, शर्तों आदि के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ दिए जाने पर विचार किया जाए। समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के अलग–थलग पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को भी उपर्युक्त योजना का लाभ सुलभ है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

8061. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विज्ञान केन्द्रों की भूमिका के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों के लाभों के लिए कार्य कर रहे संगठनों को किस प्रकार सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1993–94 के दौरान नौं पंचवर्षीय समीक्षा दलों का गठन करके कृषि विज्ञान केन्द्रों की भूमिका और क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा की गई है।

समिति ने प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान तथा अन्य तकनीकी कार्यक्रमों, सम्पर्क स्थानीय प्रबंधन समिति के क्रियाकलाप अनुदेशात्मक फार्म का परिचालन, संरचनात्मक ढांचे का विकास, कार्मिक और वित्तीय प्रबंधन विषयों से संबंधित अनेक सिफारिशें की हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों के क्रियाकलापों में और सुधार लाने के लिए समिति की इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है।

(ग) और (घ) कृषि विज्ञान केन्द्र के क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1997–98 की 43.34 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर वर्ष 1999–2000 में 49.23 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में 57.73 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ङ) कृषकों को कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र के संस्थागत मैकेनिज्म के रूप में डिजाइन किया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्र के वर्तमान क्रियाकलापों में ये शामिल हैं: किसानों के खेतों पर परीक्षण द्वारा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन ताकि स्थान विशेष के लिए कृषि प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता का पता लगाया जा सके तथा किसानों के खेतों में उत्पादन क्षमताओं का पता लगाने के लिए अग्रपंक्ति प्रदर्शन और किसानों तथा सेवारत कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर उनका प्रसार करना।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आज की कार्यसूची में एक गलती के कारण नियम 193 के अधीन चर्चा से संबंधित पाद टिप्पणी कि "अपराह्न 4 बजे या कार्य की पूर्व मदों को यथाशीघ्र निपटाए जाने तक, जो भी पहले हो, आरंभ किया जाए" को मद संख्या 24 के बजाय मद संख्या 25 के सामने दिखाया गया है जो कि एक अंशतः विचारित मद है।

सभा में सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सदस्यों ने इंडियन एयरलाइंस विमान आई सी–814 के अपहरण के संबंध में विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन 10 मई, 2000 को आरंभ हुई चर्चा में भाग लिया। श्री राशिद अलवी अपना भाषण समाप्त करने वाले हैं।

तदुनसार, इंडियन एयरलाइंस विमान के अपहरण से संबंधित चर्चा अपराह्न 4 बजे आरंभ की जाएगी और इसकी समाप्ति के बाद सांख्य वाहिनी परियोजना से संबंधित चर्चा आरंभ होगी।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे गए पत्रों को लेंगे।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2018/2000]

(3) (एक) एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2019/2000]

(5) (एक) नेशनल काउंसिल आफ सांइस म्यूजियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ सांइस म्यूजियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल आफ सांइस म्यूजियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2020/2000]

(7) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा, पटना के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा पटना के वर्ष 1998–99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा पटना के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2021/2000]

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वी. वी. गिरि नेशनल लेबर इन्सटीट्यूट नौयडा के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी. वी. गिरि नेशनल लेबर इन्सटीट्यूट नौयडा के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2022/2000]

[अनुवाद]

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री पी. आर. कुमारमंगलम की ओर से नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड तथा खान और खनिज मंत्रालय, कोयला विभाग के बीच वर्ष 2000–2001 के लिये हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2023/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : अध्यक्ष महोदय, मैं एच पी सी एल (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड विशाख रिफाइनरी) में लगी आग की जांच कर रहे न्यायमूर्ति एस. सी. जैन आयोग के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे मे अनुपूरक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2024/2000]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1998–99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2025/2000]

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (डॉ. सी. पी. ठाकुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2026/2000]

(3) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) नेशनल प्रोजेक्टस कन्सट्रेक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल प्रोजेक्टस कन्सट्रेक्शन कारपोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2027/2000]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं –

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंधन, भू उठाई–धराई सेवाओं के लिए प्रविष्टि) विनियम, 2000 जो 1 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस. ई. सी. 9.2.3. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2028/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री दिलीप राय की ओर से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2000–2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2029/2000]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु उर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी और अनिवार्य माध्यस्थम हेतु योजना के खंड 21 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी और अनिवार्य माध्यस्थम के अधीन माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए अधिनिर्णय के आशोधन के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा अनुबंध एक और दो।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2030/2000]

(2) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय इलैक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय इलैक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2031/2000]

(4) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2000–2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2032/2000]

(5) इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2000–2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2033/2000]

(6) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2000–2001 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2034/2000]

(7) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2000–2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2035/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) आंध्र प्रदेश (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1998 जो 3 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/पी/एमआईएन/848 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1999 जो 17 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3923 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 17 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3924 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1998 जो 24 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओ.एस.आर 1/99 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1998 जो 5 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या पीईआर/ईएसटी/2282/99 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 25 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एलईजीएएल/949 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1999 जो 1 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/99 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1998 जो 16 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/पीआरएस/पेंशन 99–2के/3945 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1998 जो 23 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओएसआर/2/99 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) आंध्र बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 8 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/एआई/529 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 13 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीडब्ल्यूपीएम/3435/78एसकेआर में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1998 जो 13 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीडब्ल्यूपीएम/3435/78एसकेआर में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 13 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3925 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) बैंक आफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1998 जो 24 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/ओएसआर और आईआरए/12/9/2902 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) बैंक आफ बड़ोदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1998 जो 3 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ:पीईएन:92 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1999 जो 15 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईएन/1/99 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) विजया बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 1999 जो 28 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर; पीईएनएस; 71:2000 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1998 जो 5 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआर/एमेंड–1/99 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1999 जो 5 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआर/एमेंड/2/99 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2000 जो 2 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडमनै/5/3822 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2036/2000]

(2) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 371 (अ) जो 1 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रवृत होने की तारीख 1 जून, 2000 नियत की गई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2037/2000]

(3) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ड्राफट चैक, इस्ट्रुमेंट का नकदीकरण और ब्याज का भुगतान) नियम, 2000 जो 4 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 379(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा (दस्तावेजों का प्रमाणीकरण) नियम, 2000 जो 4 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 380(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 जो 4 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 381(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा (न्याय निर्णयन कार्यवाही और अपील) नियम, 2000 जो 4 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 382(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा (मिश्रता कार्यवाही) नियम, 2000 जो 4 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 383(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2038/2000]

(4) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 372(अ) जो 2 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा पूर्वोत्तर में विभिन्न स्थानों को जोडने वाले सभी मार्गों पर की गई यात्राओं के संबंध में अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर के संदाय से छूट दिये जाने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2039/2000]

(5) (एक) आचार्यकुल, पौनार के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्यकुल, पौनार के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2040/2000]

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल) (2000 का संख्याक 2) –संव्यवहार लेखापरीक्षा की टिप्पणी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2041/2000]

(दो) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का मार्च, 1999 में समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल) (2000 का संख्याक 4) –स्वायत्त निकाय।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2042/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 434(अ) जो 4 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा नचिकेता पेपर्स लिमिटेड, पटियाला को एक न्यूजप्रिंट का उत्पादन करने वाले मिल के रूप में अधिसूचित किया गया था।

(दो) का.आ. 435(अ) जो 4 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा नेल्सन पेपर मिल लिमिटेड, तंजौर को एक न्यूजप्रिंट का उत्पादन करने वाले मिल के रूप में अधिसूचित किया गया था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2043/2000]

(2) (एक) एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन काउंसिल एंड एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन एजेंसीज (खंड–I और II) के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन काउंसिल एंड एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन एजेंसीज (खंड–I और II) के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2044/2000]

अपारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं –

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड और उनके सहायक निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड और उनके सहायक निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2045/2000]

(3) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुबंई के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मुबंई के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2046/2000]

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं :

(1) (एक) कोयला खान भविष्य निधि योजना, कोयला खान कुटुम्ब पेंशन योजना (बंद), कोयला खान निक्षेप संबद्ध बीमा योजना और कोयला खान पेंशन योजना, धनबाद के वर्ष 1998–99 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि योजना, कोयला खान कुटुम्ब पेंशन योजना (बंद), कोयला खान निक्षेप संबद्ध बीमा योजना और कोयला खान पेंशन योजना, धनबाद के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल. टी. 2047/2000]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव) : महोदय, श्री हुक्मदेव नारायण यादव की ओर से मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल. टी. 2048/2000]

अपराह्न 12.05 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने मंगलवार 9 मई, 2000 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :–

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा दो सदस्यों का चयन करे और यह प्रस्ताव करती है कि श्री ओंकार सिंह लक्खावत और श्री संजय निरूपम का राज्य सभा की सदस्यता से सेवानिवृत्त होने के कारण उक्त समिति के रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव उक्त संयुक्त समिति के लिए सभा के सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन करें।"

मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों का चयन संबंधित समिति के लिए किया गया है,

1. श्री संघ प्रिय गौतम

2. श्री संजय निरूपम

2. "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार राज्य सभा ने 16 मई, 2000 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 9 मई, 2000 को हुई बैठक मे पारित किये गये

संविधान (नवासीवां संशोधन) विधेयक, 2000 को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया है।"

अपराह्न 12.06 बजे

कृषि संबंधी समिति

की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों' (1996–97) के संबंध में पहले प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्रवाई संबंधी पहले प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों' (1997–98) के संबंध में नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्रवाई संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(3) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों' (1998–99) के संबंध में सातवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्रवाई संबंधी तेरहवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(4) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों' (1996–97) के संबंध में दूसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्रवाई संबंधी पन्द्रहवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(5) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों' (1997–98) के संबंध में दसवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्रवाई संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(6) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों' (1998–99) के संबंध में आठवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्रवाई संबंधी चौदहवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(7) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों' (1999–2000) के संबंध में उन्नीसवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्रवाई संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(8) कृषि मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों' (1996–97) के संबंध में तीसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई संबंधी सत्रहवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(9) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों' (1995–96) के संबंध में तेईसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई संबंधी पैंतीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(10) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों' (1996–97) के संबंध में पांचवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई संबंधी चौदहवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(11) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों' (1997–98) के संबंध में तेरहवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई संबंधी छठे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(12) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों' (1998–99) के संबंध में ग्यारहवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई संबंधी सत्रहवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(13) जल संसाधन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों' (1996–97) के संबंध में चौथे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई संबंधी सोलहवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(14) जल संसाधन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों' (1997–98) के संबंध में बारहवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्रवाई संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(15) जल संसाधन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों' (1998–99) के संबंध में दसवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की–गई–कार्रवाई संबंधी सोलहवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.08 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

[अनुवाद]

(एक) भूतपूर्व सैनिकों के समक्ष आ रही समस्यायें

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं भूतपूर्व सैनिकों के समक्ष आ रही समस्याओं और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं .....*(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य : महोदय, रक्षा मंत्री उपस्थित नहीं हैं... *(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : महोदय, मैं सभा में ही हूं, श्री जार्ज फर्नान्डीज आ रहे हैं। वे राज्य सभा से आ रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गम्भीर मामला है। कृपया अपने–अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय मैं रक्षा मंत्री जी का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर दिलाता हूं और उनसे इस पर वक्तव्य देने का आग्रह करता हूं। इसका विषय है :

"भूतपूर्व सैनिकों के समक्ष आ रही समस्याएं और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : महोदय, सदस्यों को हुई परेशानी के लिए मुझे खेद है, दूसरे सदन में मैं 'प्रश्न काल' में उपस्थित था। वहां ज्योंही प्रश्न समाप्त हुआ मैं सीधे ही इस सभा में चला आया।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, प्रत्येक वर्ष लगभग 55,000 रक्षा सेवा कर्मी या तो सेवा निवृत्त होते हैं या सेवा मुक्त किए जाते हैं। आज देश में लगभग 15 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं।

2. केन्द्र तथा राज्य सरकारें संयुक्त रूप से भूतपूर्व सैनिकों के पुर्नवास और कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं और इन्होंने इस संबंध में कई योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाया हुआ है।

3. पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप इन कार्मिकों की पेंशन में काफी वृद्धि हुई है। उन भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन संशोधित की गई जो कि 1.1.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और 1.1.1996 के बाद सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन बढ़ा दी गई हैं। पेंशन में इस परिशोधन के परिणामस्वरूप वर्ष 2000–2001 का रक्षा पेंशन बजट वर्ष 1997–98 के 4948 करोड़ रुपये से बढ़कर 12000 करोड़ रुपये तक चला गया है।

4. सिविलियन विभागों में भूतपूर्व सैनिकों को पुर्ननियोजन का अवसर देने के लिए केन्द्र सरकार ने उनके लिए ग्रुप 'सी' में 10 प्रतिशत तथा ग्रुप 'डी' में 20 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की हैं। डिफेंस सिक्यूरिटी कोर में भूतपूर्व सैनिकों के लिए शत प्रतिशत आरक्षण है। अर्धसैनिक बलों में सहायक सेनानी के 10 प्रतिशत पद उनके लिए आरक्षित हैं। उनके पुर्ननियोजन को सुकर बनाने के लिए भर्ती में शैक्षणिक योग्यताओं और निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में शिथिलताएं दी गई हैं।

5. केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रुप 'सी' के पदों में 14.5 प्रतिशत तथा ग्रुप 'डी' के पदों में 24.5 प्रतिशत आरक्षण उन्हें देते हैं। अधिकतर राज्य सरकारों, जिनमें बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल तथा मेघालय और केन्द्र शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार शामिल नहीं है ने भी उन्हें राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया हुआ है।

6. सरकारी क्षेत्र में कम होते कार्य अवसरों और कई भूतपूर्व सैनिकों की गांव या शहर न छोड़ने की इच्छा के कारण यह संभव नहीं हो सका कि सभी योग्य उम्मीदवारों को पुनर्नियोजित किया जा सके। स्व–रोजगार संबंधी उद्यम चलाने के लिए उन्हें उन

विभिन्न ट्रेडों एवं व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाया जाता है जो कि सिविलियन जीवन में उपयोगी है यह प्रशिक्षण उन्हें सेवानिवृत्त होने से पहले दिया जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से उन्हें लघु और ग्रामोद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

7. भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा एजेंसियों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सुरक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिकों की एजेंसियों को प्रायोजित करते हैं। कोल इंडिया एवं उसकी अनुषंगी कंपनियां भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही ट्रांसपोर्ट कपंनियों को ठेके देती हैं।

8. भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद कार्मियों की विधवाओं तथा उनके बच्चों के लिए केन्द्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नवत हैं :

(1) शैक्षणिक सुविधाएं :

(क) युद्ध में शहीद हुए और अपंग कार्मिकों के आश्रितों की पढ़ाई एवं आवास के लिए विभिन्न रेजिमेंटल सेंटरों में पैंतीस युद्ध–स्मारक छात्रावासों का निर्माण किया गया है। इन छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा अनुदान दिया जाता है।

(ख) युद्ध में शहीद या अपंग या सेवा के दौरान शहीद या अपंग हुए सैन्य कार्मियों के बच्चों के लिए पच्चीस सीटें चिकित्सा महाविद्यालयों, एक सीट दंत चिकित्सा महाविद्यालयों तथा दो सीटें प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आरक्षित की गई है।

(ग) सैनिक विद्यालयों में पच्चीस प्रतिशत सीटें सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

(2) यात्रा संबंधी सुविधाएं :

(क) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र तथा कीर्ति चक्र जैसे वीरता पुरस्कार विजेताओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को भारतीय एअर लाइन घरेलू हवाई यात्रा में 50 प्रतिशत की छूट देती है।

(ख) रेलवे चक्र विजेताओं को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी वातानुकूल के दो मुफ्त पास देती है। युद्ध में शहीद सैनिकों की पत्नियों को द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए 15 प्रतिशत रियायत दी जाती है।

(3) **चिकित्सा सुविधाएं** : भूतपूर्व सैनिकों का सैन्य चिकित्सालयों में बहिरंग रोगी रूप में इलाज किया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए विशेष रूप से उनके लिए 24 चिकित्सा जांच केन्द्र तथा 12 दंत चिकित्सा केन्द्र खोले गए हैं। भूतपूर्व सैनिक विनिर्धारित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिये चिकित्सा व्यय के 60 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं और जो कि किसी चिकित्सा बीमा योजना के तहत नहीं आते उन्हें विनिर्धारित गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कमीशंड अधिकारी को 60 प्रतिशत तथा अन्यों को 80 प्रतिशत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(4) **कैन्टीन सुविधाएं** : भूतपूर्व सैनिक तथा युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएं नजदीकी सी. एस. डी./यूनिट कैन्टीन से इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं।

9. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अधिकतर समस्याओं के मामले राज्य सरकारों के दायरे में आते हैं। राज्य स्तर में राज्य सैनिक बोर्ड तथा जिला स्तर पर जिला सैनिक बोर्डों को भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद सैनिकों तथा उनके परिवार जनों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने के लिए खोला गया है। राज्य सरकारों से समय–समय पर भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निवारण के लिए आग्रह किया जाता है।

श्री रमेश चेन्नितला : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि माननीय रक्षा मंत्री ने इस देश में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा झेली जा रही अत्यंत गंभीर बातों की ओर ध्यान नहीं दिया है। भूतपूर्व सैनिक, वेतन, पेंशन, अप्रभावी लाभों और अन्य सुविधाओं के संबंध में काफी अन्याय झेल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चेन्नितला, माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया है आप केवल स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : जी हां, श्री वी. पी. सिंह भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 'एक रेंक एक पेंशन' योजना के लिए सहमत हुए थे। पांचवे वित्त आयोग ने भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 'एक रैंक एक पेंशन' के लिए सिफारिश दी थी। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में इस 'एक रेक एक पेंशन' योजना के बारे में बताया था। माननीय रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने भी 13 अप्रैल, 1999 के अनन्तपुर साहिब में घोषणा की थी कि यह सरकार अतिशीघ्र ही इस 'एक रेंक एक पेंशन' को कार्यान्वित करेगी।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 'एक रैंक एक पेंशन' योजना के कार्यान्वयन जिससे देश में हजारों भूतपूर्व सैनिक प्रभावित हो रहे हैं, में विलंब के क्या कारण हैं और यह क्यों हो रहा है।

[श्री रमेश चेन्नितला]

महोदय, निःशक्तता पेंशन योजना भी अत्यंत गंभीर मुद्दों में से एक है। पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद निःशक्तता पेंशन योजना कार्यान्वित नहीं की गई है।

1948 से 1971 तक के युद्धों में लडने वाले प्रभावित सुरक्षा कार्मिकों को कारगिल जैसी सुविधाएं दिए जाने और अनुदानों की मांग भी अत्यंत उचित है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या यह सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी अथवा नहीं।

महोदय, समाचार पत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना प्रकाशित हुई है कारगिल कोष के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में से पर्याप्त राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में स्थानान्तरित की गई है। क्या यह समाचार सच है यदि हां, तो यह वास्तव में चौंकाने वाला है। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। लोगों ने सुरक्षा कोष के लिए उदारता से अंशदान किया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस कोष से कोई भी राशि निकलना उचित नहीं है।

महोदय, अन्त में दो अन्य मुद्दे हैं। पहला चिकित्सा सुविधाएं है। भूतपूर्व सैनिक सेना अस्पतालों में उचित चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कठिनाइयां झेल रहे हैं उन्हें उपचार के लिए वरीयता नहीं मिल रही हैं। सेवारत सुरक्षा कार्मिक उपचार के लिए वरीयता प्राप्त कर रहे हैं यह समय की मांग है कि सेना अस्पतालों में भूतपूर्व सैनिक के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जाए और यह देखा जाए कि वे इन अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करें। भुगतानों की अदायगी भी भूतपूर्व सैनिक के लिए बृहत मुद्दा है।

महोदय, अन्त में सिंह देव समिति जिसे बहुत पहले गठित किया गया था और जिसने 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ने भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने के लिए सिफारिश की थी। श्री जसवंत सिंह, माननीय विदेश मंत्री इस समिति के सदस्य थे। यह सर्वमान्य है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की अत्यंत आवश्यकता है। मैं इन मामलों पर माननीय रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया चाहता हूं।

अन्त में, भूतपूर्व सैनिकों की बेरोजगारी की समस्या को देश के विभिन्न भागों में प्रादेशिक सेना की अधिक इकाईयां का सृजन करके दूर किया जा सकता है ऐसी इकाईयों को पर्यावरणीय विकास और अन्य संबंधित गतिविधियां सौंपी जा सकती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या सरकार देश में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए अधिक प्रादेशिक सेना की टुकड़ियों का सृजन करने को तैयार है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक्स सर्विसमैन की बहुत सी समस्याएं हैं। मंत्री जी का जवाब बहुत संतोषजनक नहीं है। उनके मंत्री बनने के बाद यह उम्मीद थी कि एक्स सर्विसमैन की समस्याएं हल होंगी लेकिन ज्यादातर समस्याएं अभी बाकी हैं। मंत्री जी ने जवाब में कहा कि हर साल 30 हजार से 60 हजार डिफरेंट मिलिट्री आर्गेनाइजेशन्स के लोग रिटायर होते हैं। उसमें सी. पी. ओ., बी. एस. एफ., सी. आर. पी. एफ. की अलाहदा क्या परसैंटेज है? उनके कितने लोग रिटायर हुए? क्या यह सही है कि 1979 ऑनवर्डस् से आर्मी में शॉर्ट सर्विस आफिसर्स 55 परसेंट हो गए हैं? उनकी प्रीमैच्योर रिटायरमेंट में ज्यादा दिलचस्पी है। यदि यह सही है तो ऐसा क्यों है? क्या यह सही है कि दिन–ब–दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अभी कारगिल युद्ध के बाद सारे देश ने देखा और सारे देश से यह कहा गया था कि वे पैसों से उनकी मदद करें और सरकार के साथ कोऑपरेट करें लेकिन देखने में आया कि जनता ने डायरेक्ट आर्मी वैलफेयर एसोसिएशन को मदद करना ज्यादा पसंद किया कम्पैरेटिवली नेशनल डिफेंस फंड और प्राइम मिनिस्टर फंड को। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि जनता का विश्वास प्राइम मिनिस्टर फंड और नेशनल डिफेंस फंड से घटता जा रहा है? इसके बारे में मंत्री जी की क्या मालूमात है और यह बात कितनी सही है?

महोदय, जो लोग रिटायर होते हैं, वे ज्यादातर सिक्योरिटी आफिसर बन जाते हैं। वे पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, बैंकों में, कारपोरेशन में या किसी घर के आगे बन्दूक लेकर खड़े हो जाते हैं। इससे उनका ह्यूमिलिएशन होता है। जो लोग देश की रक्षा करते हैं, सरहद पर खड़े होते हैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, वे लोग रिटायरमेंट के बाद ऐसी जगहों में सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि रिटायर होने के बाद उन्हें एनक्रेज किया जाता है कि वे इस तरह का बिजनेस करें और उन्हें रिक्रूट करें। मेरे ख्याल में हर साल 200–300 करोड़ रुपया ये आर्गेनाइजेशन्स कमाती हैं। वे एक्स सर्विसमैन को परेशान करती हैं और उनसे नाजायज पैसा लेती हैं। यह भी शिकायत आई है कि फेक सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। जो एक्स सर्विसमैन नहीं हैं, उन्हें एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट देकर एम्पलाय किया जाता है। क्या सरकार अपने पैमाने पर कोई ऐसा लॉयजन आफिस बनाने के बारे में सोच रही है जिससे सारा रिक्रूटमेंट हो।

पूरे देश में तकरीबन 33 ऑर्डनेन्स फैक्ट्रीज हैं। वहां बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं। इसका बड़ा बजट है। एक्स सर्विसमैन को इनमें एबजॉर्ब किया जाए। सिविल सर्विस और प्रोविशियल

सर्विस में सर्टेन रिजर्वेशन होता था लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसे खत्म कर दिया। एक्स सर्विसमैन के लिए सिविल सर्विस और प्रोविंशियल सर्विस में कोई रिजर्वेशन नहीं है। उनका वहां रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को डायरेक्ट करना चाहिए। केवल राजस्थान सरकार ऐसी है जिस ने थोड़ा बहुत ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अलवी, नियम बिल्कुल स्पष्ट है आप केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इतना समय कैसे मिल सकता है?

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, ये बी. जे. पी. वाले हमें बोलने नहीं देते। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं अगर यह कहना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम आपको नियमों का अध्ययन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, मैं कालिंग अटेंशन में कोई इर्रिलेवेंट बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक–एक मुद्दा उठा रहा हूं। मैं इसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने मैडिकल के बारे में कहा इसके लिये एक कमेटी लैफ्टिनेंट जनरल एन. फॉयली की सदारत में बनी थी। उसकी कितनी रिकमेंडेशन्स इम्पलीमेंट कर रहे हैं और कितनी नहीं कर रहे हैं? इन्होंने मैडिकल ट्रीटमेंट के लिये कहा कि

[अनुवाद]

'सेवारत और भूतपूर्व सैनिक के बीच कोई विभेद नहीं होना चाहिए।'

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी कृपया समाप्त कीजिए। यह कालिंग अटेंशन हैं, आप भाषण कैसे देंगे?

श्री राशिद अलवी : महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर ही रहा हूं।

[हिन्दी]

उनका एक तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिये और बी. जे. पी. के लोग उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। कारगिल की लड़ाई के वक्त आफिशियली उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में इसका फायदा होगा। इनकी दिलचस्पी इस बात के अंदर नहीं कि उनको फायदा पहुंचाया जाये। इनकी दिलचस्पी चुनाव के अंदर है। थैंक यू।

[अनुवाद]

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय जिस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। माननीय मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिया गया है यहां मैं कुछ अत्यंत ठोस सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि मैं उस राज्य से सम्बद्ध हूं जिसने देश के अखंडता और राष्ट्र के गौरव में भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

सर्वप्रथम मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से इस संबंध में पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्रता पूर्व सुरक्षा कार्मिक उनके आई सी एस सहित सिविल कर्मचारियों जिन्हें उनके वेतन का 40 से 50 प्रतिशत के बीच पेंशन मिलती थी की तुलना में उनके वेतन का 70 से 100 प्रतिशत अधिक पेंशन के रूप में प्राप्त कर रहे थे क्या यह भाग्य की विडम्बना नहीं है कि राष्ट्र के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले उन जवानों और उन अधिकारियों के साथ विभेद किया जा रहा है?

दूसरा मैं उन्हें बताना चाहता हूं यद्यपि माननीय मंत्री जी को इसके बारे में मालूम है कि सिविल कर्मचारियों के लिए मृत्यु–सह–सेवानिवृत्त उपदान की स्वीकृति 1950 में आरंभ की गई थी जबकि सुरक्षा कार्मिकों को यह लाभ 1970 से ही प्राप्त हुआ है। अतः मैं समझता हूं कि इसकी भी छानबीन की जानी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत बड़ा विभेद है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक दो बातें ही कहना चाहूंगा और समाप्त करूंगा। मैं सभा का समय व्यर्थ नहीं करूंगा यह महत्वपूर्ण मामला है कि जेसीओ और अधिकारियों का, सुरक्षा सेवाओं पर सिविल नियंत्रण की झूठी दलील के अंतर्गत दुरुपयोग किया गया है। सिविल नियंत्रण का वास्तविक अर्थ राजनीतिक नियंत्रण है और यह तंत्र नियंत्रण नहीं है। अतः इसे सुरक्षा कार्मिकों पर लादा गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री को इस मामले की छानबीन करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं माननीय सभा में बताना चाहता हूं कि हमारे देश के जवान हमारे रक्षा कार्मिक हमारी सीमा पर अत्यंत आधुनिक अस्त्र का उपयोग

[श्री जे. एस. बराड़]

करते हैं। अब वे अग्नि मिसाइल का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन मेरे माननीय मंत्री और अत्यंत अनुभवी सांसद ने भी सुझाव दिया है कि जवान को भारत सरकार के चपरासी से भी निम्न दर्जा दिया गया है। इस संबंध में मैं आंकडे उदृत करूंगा। भारत सरकार के चपरासी को 2100 से 2200 रुपये तक पेंशन मिलती है जबकि जवान को मात्र 1275 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलती है यह एक बहुत बड़ा विभेद है और मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को इस मामले की छानबीन करनी चाहिए।

अब मैं उनके परिवार पेंशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वक्तव्य में दिये गये तथ्यों के परिणामस्वरूप जवान की विधवा को सिविल की विधवा जिसे 30 प्रतिशत परिवार पेंशन मिलती है की तुलना में मात्र 20 से 24 प्रतिशत ही पेंशन मिलती है जवानों और भूतपूर्व सैनिकों जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, की विधवाओं के विरुद्ध यह विभेद क्यों हैं?

मैं अपने प्रिय मित्र और सहयोगी श्री रमेश चेन्नितला द्वारा कही गई अन्तिम बात को दोहराना चाहता हूं और उसमें एक पंक्ति जोड़ना चाहता हूं। सरकार का उन जवानों के प्रति जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी वीरता दिखाई उदारता व्यक्त करना ठीक है उन्होंने पूरे राष्ट्र को सम्मान दिलाया है इस बात को पूरा राष्ट्र मानता है। जहां तक कारगिल युद्ध के शहीदों का संबंध है किसी राजनीतिक दल अथवा किसी मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। मेरा अनुरोध है कि उन लोगों, जिन्होंने 1947, 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान उसी प्रकार से भुगता है, को वही लाभ दिये जाने चाहिए जो कारगिल युद्ध के शहीदों के लिए दिये जा रहे हैं।

मैं माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन पांच बातों पर विचार करें और उनका जवाब दें।

आपने अनन्तपुर साहिब जैसे ऐतिहासिक स्थल पर 'एक रैंक एक पेंशन' की घोषणा की थी जहां खालसा पंथ का 300वां समारोह मनाया जा रहा था और 'ग्रंथ साहिब' के सम्मुख आपने घोषणा की थी कि "एक रैंक एक पेंशन" दी जाएगी लेकिन उसे आपने अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है। आपको इस देश के 50 लाख भूतपूर्व सैनिकों को सन्तुष्ट करने के लिए इसे कार्यान्वित करना चाहिए। परिवार पेंशन में वृद्धि करने, उचित चिकित्सा देने निःशक्तता में वृद्धि करने वैकल्पिक नौकरियों का प्रावधान और अन्त में भूतपूर्व सैनिकों हेतु वित्त विकास निगम का गठन करने जैसे सभी आश्वासनों का पूरा किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्रीप्रकाश जायसवाल।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। आपने कहा था कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद आप हमें बुलायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रोसीजर है, हम आपको कालिंग अटेंशन के बाद बुलायेंगे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : यादव साहब, आप तो रक्षा मंत्री रह चुके हैं हमे भी थोडा समय दीजिए। आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक्स–सर्विसमैन की समस्याओं के बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, वह पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, ऐसा कई माननीय सदस्य कह चुके हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दो–तीन बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप वहां से बैठे–बैठे लोक सभा में क्या बुलवा रहे हैं ....*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष जी, एक्स–सर्विसमैन को जो मैडिकल फैसिलिटी मिलती है वह केवल आर्मी हास्पीटल में मिलती है। आप जानते हैं कि आर्मी हास्पीटल केवल उन शहरों में होते है, जहां कैन्टोनमेंट बोर्ड होते हैं, वरना हर जगह आर्मी हास्पीटल नहीं होते हैं। ऐसी जगह दो सौ, चार सौ और पांच सौ किलोमीटर अपने इलाज के लिए एक्स–सर्विसमैन को जाना पड़ता है क्योंकि सर्विस के बाद जब वह रिटायर होता है तो अपने नेटिव प्लेस में रहता है। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से मांग करता हू कि कम से कम एक्स–सर्विसमैन को अपना इलाज कराने के लिये सिविल हास्पीटल में इलाज कराने की परमीशन दी जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर चाहे कोई एक्स–सर्विसमैन किसी भी जिले में रहता हो, गांव में रहता हो या कस्बे में रहता हो, वह सिविल हास्पीटल में जाकर अपना इलाज करा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक्स–रेलवेमैन के लिए इस बजट में 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और एक्स–सर्विसमैन के लिए रक्षा बजट में केवल 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि इससे पहले यह 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। इस बार बजट में केवल सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इतनी कम धनराशि में एक्स–सर्विसमैन का क्या कल्याण हो पायेगा और कहां से उनके लिए व्यवस्था हो पायेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय रक्षा मंत्री इस बजट की व्यवस्था को बढ़ाकर दोगुना कर दें। अंत में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट की सर्विसेज में भी एक्स–सर्विसमैन को स्थान मिलना चाहिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : अध्यक्ष जी, मुझे कृपया एक मिनट के लिए बोलने दीजिए, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मैं माननीय सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि गैर सैनिक होते हुए भी उन्होंने हमारा पक्ष सदन में रखा है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : असली बात यह है कि इस मामले में राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? ....*(व्यवधान)* जबकि यह पूरा राज्य सरकारों का काम है, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है।...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या वे ये हास्पीटल दिल्ली में भी देना चाहेंगे या नहीं। जवानों की पेंशन के बारे में दो चीजें मुख्य हैं : एक तो 33 साल का जो काल है, वह खत्म होना चाहिए।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : आप इतने समय तक रक्षा मंत्री थे, आप इतने सालों तक क्या करते रहे।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं .....*(व्यवधान)* ये जो सारी बहस है, यह राज्य सरकारों को लेकर है...*(व्यवधान)* यह सब राज्य सरकारें करेंगी।

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : अभी आपके नेताओं ने यह सवाल उठाया है कि आप नहीं बोल सकते। जब ये हमारे खिलाफ आवाज उठायेंगे तो हम भी इनको बोलने नहीं देंगे। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : ये बोलें कि यह सब राज्य सरकारें करेंगी।..... *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : इन्होंने यह सवाल उठाया है ..... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप सुनिये, आप राज्य सरकारों को बताइये।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यदि आप इन्हें अनुमति देते हैं तो आपको प्रत्येक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस प्रथा को स्वीकृति देनी होगी। ....*(व्यवधान)* मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ....*(व्यवधान)* मैं इसको नहीं मानता। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि यदि आप इस प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं तो आपको हर मामले में इसकी अनुमति देनी पड़ेगी।....*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मुझे इस बात का दुख है कि आप मुझे नियम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपको सभा को नियमानुसार चलाना होगा।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : यह सब कुछ जो हो रहा है यह रेकार्ड पर नहीं जाना चाहिए।

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कटा दिया है कि यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी नाम नहीं देना है। कॉलिंग अटैन्शन के लिए कुछ प्रोसीजर होता है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : प्रोसीजर और रूल तो सबके लिए हैं।...*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। मैं 27 साल सेना में रहा हूं और उनकी समस्याओं को जानता हूं।.....*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : अध्यक्ष जी, जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। आभारी इसलिए हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के प्रश्न पर और उनकी समस्याओं को हल करने के मामले पर सदन में कुछ कहने का मौका मिला और उसके साथ–साथ सदन की सहानुभूति भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर है, यह भी सबके सामने स्पष्ट हुआ। हमें उस समर्थन की बहुत ही जरूरत है। ये समस्याएं एक लंबे अर्से से पड़ी हुई हैं। पिछले दो या तीन सालों में निर्माण हुई समस्याएं नहीं हैं, उनका हल करना अगर पिछले 50 सालों में मुश्किल हो गया तो अब उसे करने के लिए और ज्यादा सहानुभूति की आवश्यकता है यह स्पष्ट होता है।

मैं सबसे पहले वन रैंक वन पैंशन की बात बोलूंगा। वन रैंक वन पैंशन की मांग हम रक्षा मंत्री बनने के काफी समय पहले से करते आए हैं और सदन के भीतर भी वह मांग की है और सदन के बाहर भी वह मांग की है लेकिन अनेक कारणों को लेकर जितनी भी सरकारें बनीं, उन्होंने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। हमने एक ऐसा कदम उठाया कि जिसमें 1 जनवरी, 1996 के पहले और 1 जनवरी, 1996 के बाद जो लोग रिटायर हुए, उनकी पेंशन में कुछ ऐसे सुधार लाए कि 1 जनवरी, 1996 के पहले रिटायर हुए सैनिकों की पेंशन 1 जनवरी, 1996 के बाद रिटायर हुए सैनिकों के लगभग बराबर हुई है।

अध्यक्ष महोदय कुछ मामलों में फर्क है और हमारी तरफ से उस फर्क को मिटाने के लिए भी प्रयास जारी हैं। कुछ प्रस्ताव हमने तैयार किए हैं और उन्हें मंत्रिमंडल के सामने रखने का काम हम शीघ्र ही करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, हमारे मित्र रमेश चेन्नितला, माननीय सदस्य ने, कारगिल के रिलीफ फंड को पी. एम. के रिलीफ फंड में डालने की बात यहां पर कही हैं। एक मायने में तो आरोप ही लगाया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार का जो डिफेंस फंड है या पी. एम. का जो फंड है, उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए आर्मी सोशल वैलफेयर फंड में भी लोगों ने पैसे दिए। जो भी पैसे कारगिल के लिए आए, वे दो संस्थाओं को चल गए। रक्षा मंत्री के नाते, हम तो लोगों से मांग करते ही थे और जब हमसे पूछा जाता था कि इसको हम नैशनल डिफेंस फंड में दें या आर्मी सेंट्रल वैलफेयर फंड, जो सेना का अपना वैलफेयर फंड है, उसमें दें, तो हम आमतौर पर लोगों से कहते थे कि आर्मी सेंट्रल वैलफेयर फंड में दीजिए। जहां भी लोग, कोई संस्था या व्यक्ति या अखबारें जिन्होंने इस कार्य में बहुत बड़ा सहयोग दिया और अपने जरिए जनता से धन जुटाया, जब वे मुझे उस पैसे को लेने के लिए बुलाते थे, यदि उस पहले के बारे में पहले से ही कुछ तय कर लेते थे और मुझे देते थे, तो वे पैसे मैंने आर्मी सेंट्रल वैलफेयर फंड को पहुंचाए। इस सब चीज के बावजूद नेशनल डिफेंस फंड में आई हुई जो रकम है 472 करोड़ 56 लाख रुपए। आर्मी सेंट्रल वैलफेयर फंड में आई हुई रकम है 262 करोड़ रुपये हैं। नेशनल डिफेंस फंड की कोई भी रकम किसी दूसरे फंड को नहीं गई है। अगर गई हो, तो आर्मी सेंट्रल वैलफेयर फंड को गई होगी। उसके द्वारा जो काम होता है उसमें भू.पू. सैनिकों को कभी–कभी मदद करने का काम भी वे अपने ढंग से करते हैं, तो वह पैसा आर्मी सेंट्रल वैलफेयर फंड को जरूर गया है, और कहीं भी एक पैसा उसमें से किसी और फंड में नहीं गया है। इसलिए अगर किसी माननीय सदस्य के मन में यह हो कि लोगों का विश्वास नेशनल डिफेंस फंड में नहीं है, वह ठीक नहीं है। जो पैसा उसमें होता है और जिसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री है और फिर उस फंड में गया हुआ पैसा फिर प्रधान मंत्री के रिलीफ कोष में गया है, इन दो चीजों को लेकर अगर किसी के मन में कोई शंकाएं हों, तो वे उन्हें अपने मन से निकालें, यह मेरा आग्रह है।

अध्यक्ष जी, जो सुझाव यहां पर आए हैं, उन पर जाने से पहले जो आज हम लोग समस्याओं को हल करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और वे समस्याएं आज की नहीं बल्कि अरसे से चली आ रही उनको हल करने की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर मैं कुछ रोशनी डालूंगा। माननीय सदस्य ने कहा कि आजादी से पहले जो सेना में लोग थे, उनको जो पैंशन मिलती थी, वह आज के दिन नहीं है। हमारे पास आजादी के पहले के दिनों का कोई ब्यौरा इस समय नहीं है। मगर चूंकि माननीय सदस्य ने इस प्रकार की बात यहां पर कही है तो हम जांच करके इसकी जानकारी सदन को देंगे और माननीय सदस्य को भी भेजेंगे।

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1947 से पहले जिन लोगों को चोट लगने के कारण सेना से हटना पड़ा या युद्ध में मारे गये, उन्हें जो राहत दी जाती थी, वह नेशनल डिफेंस फंड से अधिकारियों को एक हजार रुपये, वह भी हर महीने या हर साल नहीं बल्कि एक वक्त दिये जाते थे। जे. सी. ओ. को 300 रुपये और जो अदर रैंक्स हैं, जिन जवानों के बारे में हम सबके मन में प्यार है और जितना भी दे पायें, उतना देंगे करके भारी इच्छा है, उनको 200 रुपये दिये गये।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : यह पैसा उनको चोट लगने पर दिया जाता था या शहीद होने पर दिया जाता था... *(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला (झुंझुनूं) : मंत्री जी बतायें कि यह किस फंड से दिया जाता था। ... *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 1947 से पहले मैंने बता दिया कि कुछ दिया जाता था या नहीं दिया जाता था, उसकी हम जानकारी हासिल करके सदन के सामने रखेंगे।... *(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला : मैं कहना चाहता हूं कि एमल्गमेटिड फंड से रुपया दिया जाता था। 100 रुपये की पेंशन और उसके बच्चे को वजीफा दिया जाता था। आपने यहां पर जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, वे सही नहीं हैं। ... *(व्यवधान)* मैं इसको चैलेंज करने को तैयार हूं कि यह आंकड़े सही नहीं हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर मैंने कोई बात गलत कही, ऐसा कह कर कोई सदस्य बता दे तो मैं अपनी गलती को दुरुस्त करूंगा। हम इस जानकारी से... *(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला : यह गलत है। ... *(व्यवधान)* ये आंकड़े गलत प्रस्तुत किये जा रहे हैं।... *(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिये... *(व्यवधान)* आप दिन को रात कैसे कहेंगे।... *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम जानकारी के आधार पर कोई बात यहां पर कहते हैं तो उसका किसी सदस्य को तथ्यों के आधार पर खंडन करना हो तो वह जरूर खंडन करे। किसी गलत चीज को हमें यहां पर रखने की आवश्यकता नहीं है और कोई गलत बात कहें तो उसका बचाव करने की भी हमें आवश्यकता नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना : आपने यह नहीं बताया कि ये रुपये चोट लगने पर दिये जाते हैं या शहीद होने पर दिये जाते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जिनकी जानें गयी हैं और जो डिसऐबल्ड हुए हैं उन दोनों के लिए हैं।... *(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह किस साल की बात है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 1962 की लड़ाई के बाद की बात है।. .. *(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला : 1962 की लड़ाई या उससे पहले राजस्थान में... *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, आप इन्हें बैठाइये।... *(व्यवधान)* मुझे अपनी बात कहने दीजिए।... *(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला : राजस्थान में 25 बीघा जमीन के लिए दो हजार रुपये दिये जाते थे। ...*(व्यवधान)* उसकी क्या कीमत होती है?... *(व्यवधान)* गलत बयानबाजी हो रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यहां पर यह जो सुझाव आया कि जो जवान और अधिकारी सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें टैरीटोरियल आर्मी में भर्ती किया जाये। टैरीटोरियल आर्मी की संख्या पर एक सीमा बांधी है। यदि ऐसा कोई भी प्रस्ताव संसद ने कानून के जरिए बना दिया कि टैरीटोरियल आर्मी की संख्या बढ़ाई जाए और उसके लिए पैसा आबंटित किया जाए तो यह काम जरूर हो सकता है। हम भी जरूर चाहेंगे। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानल) : क्या में एक सेकेंड के लिए कुछ कह सकता हूं? क्षेत्रीय सेना की प्राधिकृत संख्या तीन लाख है। पिछले 50 वर्षों में यह कभी भी 50,000 से अधिक नहीं रही।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए मैंने कहा कि अगर इस मामले में कानून बन जाता है कि टैरिटोरियल आर्मी में उन लोगों को सेना से हटते ही जाना चाहिए और उसके लिए अगर पैसे के आबंटन की बात हो जाती है तो माननीय सदस्य श्री के. पी. सिंह देव जी ने जो बता कही, उसमें वह भी पूरी हो जाती है। एक मजबूत टैरीटोरियल आर्मी बन जाती है और उसके लिए हमें जितने पैसे की आवश्यकता है, वह भी पूरी हो जाती है। आपने कहा, आज के दिन जो टैरिटोरियल आर्मी है, जिसमें संख्या पूरी नहीं होती। उसके कई कारण हैं जिनमें से एक कारण है कि अनेक ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो अपने कर्मचारियों को उसमें जाने के लिए जो छुट्टी देनी चाहिए, वह नहीं देती और यदि कभी छुट्टी दी तो उनकी तनख्वाह रोक देती हैं। उसमें कई समस्याएं हैं... *(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला : टैरीटोरियल इकोलौजीकल आर्मी कंट्री में कितनी हैं, रक्षा मंत्री जी कृपया बताएं।... *(व्यवधान)* आपको क्या तकलीफ है। मैं एक महत्वपूर्ण बात पूछ रहा हूं। ... *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : माननीय सदस्य की परेशानी को मैं यह बताकर दूर करना चाहूंगा कि मैंने जो पुरानी बातें कहीं, उनमें और आज में क्या अंतर है ताकि आज जो लोग हैं, उनको हम किस तरह देखेंगे, कारगिल युद्ध से जो लोग निकल आए हैं, उनकी क्या देखभाल करेंगे। प्रश्न तो मूलतः यह है।

जो जवान या अधिकारी मारे गए, कारगिल युद्ध के बाद उनके लिए 10 लाख रुपये के एक्स–ग्रेशिये का इंतजाम किया।*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : 10 लाख रुपये कब लागू हुए?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह कारगिल युद्ध से लागू हुए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : कारगिल युद्ध के बाद 10 लाख रुपये लागू हुए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी हां।

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय रक्षा मंत्री जी अपना वक्तव्य सुधार लीजिए। 10 लाख रुपये का हमारा प्रस्ताव था। शहीदों के लिए साढ़े सात लाख रुपये पहले स्वीकृत कर दिए गए थे। आपके समय में केवल ढाई लाख और बढ़ाए।... *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज उ.प्र.) : जानकारी रख कर बोला कीजिए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, प्लीज बैठ जाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अनावश्यक बीच में टोका–टाकी बर्दाश्त नहीं करते।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनको रिप्लाई पूरा करने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम यहां अपमान सहने नहीं आए हैं।. ..*(व्यवधान)* अभी श्री सोमनाथ चटर्जी को बिठा दिया। आप क्या समझते हैं। ...*(व्यवधान)* ये कौन होते हैं। ...*(व्यवधान)* ये सदन चलाएंगे, चलाएं। क्या ये हमें दबाएंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनका व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मंत्री जी के वक्तव्य के बीच हस्तक्षेप यह कोई तरीका नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : लड़ाई का मौका आया तो ये नौकरी छोड़कर भाग आये, हमसे बात करते हैं।.....*(व्यवधान)* ये मैदान छोड़ कर भागने वाले हैं। अभी सोमनाथ चटर्जी को भी इसी तरह अनावश्यक टोका–टाकी की .....*(व्यवधान)* मा. अध्यक्ष सदन आप चलायेंगे या कोई सदस्य चलायेंगें।.....*(व्यवधान)* अनावश्यक टोका–टाकी करने वाले मा. सदस्य कहने की बजाय हमसे बैठने की बात कर रहे हैं। यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं। आप बैठ जाइये।

.....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : झूठ और झूठ का पुलिन्दा यहां चला रहे हो।.....*(व्यवधान)* शोर मचाकर हम जैसे लोगों से सच्चाई को नहीं छिपा सकते हो।.....*(व्यवधान)* आप अनावश्यक टोका–टाकी करते हो।.....*(व्यवधान)* अभी सोमनाथ जी को टोका। अध्यक्ष जी सभी को यही सदस्य टोकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको साथ देना पड़ेगा। ....*(व्यवधान)* आप मा. सदस्य से माफी मंगवाइये।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, प्लीज।

.....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या बैठें, आज नहीं बैठेंगे। .....*(व्यवधान)* आप हाउस चलवाइये। यह कोई बात हो गई। बहुमत के बल पर रोकना चाहते हैं। यह कोई बात हो गई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इन दिनों, सभा में किसी अन्य सदस्य के बारे में कोई भी टिप्पणी की जा सकती है।.....*(व्यवधान)* महोदय, आपको बहुत कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसे, दोनों ओर से हो रहा है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मुलायम सिंह जी, मैंने क्या कहा, मैंने आपको सिर्फ कायदे कानून के बारे में कहा, जो आप मुझे सिखाते हो, मैं आपको उसी कायदे की याद

दिला रहा हूं जो कायदा आप मुझे बता रहे थे। मैं उसी को आपको याद दिला रहा था। मैंने आपसे कोई अभद्र बात नहीं कही है।..... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : फिर इस तरह अनियमित रूप से सदन नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा दोनों तरफ से हो रहा है। यह क्या है? यह दोनों तरफ से कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वे भी कर रहे हैं। कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

.....*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : मैं खंडूड़ी जी से पूछना चाहता हूं कि बोर्डर पर आपको लड़ने की आवश्यकता थी, लेकिन आप इधर लड़ रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जो भी युद्ध में शहीद हो गये, उनको इस दस लाख रुपये के अलावा .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हाउस में युद्ध हो रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : और जिनको ऐसी चोटें लगीं, जो किसी काम के काबिल नहीं रहे.....*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : क्या यह 10 लाख रुपया पार्लियामेंट इलेक्शन के जस्ट पहले दिये गये थे, मैं यह पूछना चाहता हूं।..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियमों की परवाह कोई नहीं करता।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन लोगों को भी पांच लाख रुपया जमीन के लिए या मकान बनाने के लिये, अगर मकान हो तो भी, न हो तो भी, पांच लाख रुपया जमीन खरीदकर मकान या सीधे मकान या जमीन के लिए देने का इन्तजाम किया। जो युद्ध में घायल हुए, अगर उनका घाव, डाक्टरों का जो माप करने का तरीका होता है कि कितनी इनवैलिडिटी इनमें आई है, अगर 50 प्रतिशत पर हो तो उनको तीन लाख रुपया एक्सग्रेशिया और अगर 50 प्रतिशत से ऊपर और 75 प्रतिशत तक हो तो 4.5 लाख रुपया और 75 प्रतिशत से ज्यादा हो तो उन्हें छः लाख रुपया देने का इन्तजाम किया। फिर दो बच्चों के शिक्षण का इन्तजाम किया। अगर परिवार में एक ही बच्चा हो तो एक का और एक से ज्यादा हों तो दो बच्चों के लिए इन्तजाम किया। एक–एक लाख रुपया उनके नाम से अलग रखकर उसका ब्याज उन्हें देने का इन्तजाम किया। उसके साथ–साथ जब वे 17–18 साल के हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई पूरी हो जायेगी तो शादी हो या अन्य किसी काम में उन्हें पैसा लगाना हो तो वह पैसा, जो उनके नाम पर रखा जाता है, वह उस उम्र पर उन्हें दिया जाता है, वह देने का इन्तजाम किया।

अपराह्न 1.00 बजे

हम लोगों ने पहले एक सीमा लगाई थी, राज्य सरकार या कहीं से कोई भी जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को पैसा दे, वह पैसा दस लाख से अधिक नहीं हो सकता है, यानि केन्द्र की तरफ से जो पैसा दिया जाएगा और राज्य सरकार या कोई भी संस्था पैसा देने के लिए आगे आएगी, वह सब मिलाकर दस लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। हमने जो सीमा बांधी थी, उस सीमा को हमने हटा लिया, ताकि राज्य सरकारों या अनेक संस्थाओं, अखबारों या स्वयं सेवी संस्थाओं ने जिस तरह से शहीद हुए जवानों के परिवारजनों की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, वह पैसा उनके परिवारजनों को मिले। इसलिए हमने पहले से जो सीमा बांधी हुई थी, उस सीमा को हटा दिया।

महोदय, इसके बाद एक और समस्या सामने आई। आमतौर पर सेना में जो व्यक्ति जाते हैं, वे अपनी–अगर हमें अपघात हुआ, दुनिया से गए, तो किसके हाथ में पैंशन जानी चाहिए– विल लिखते हैं। मौटे तौर पर यह विल अपने परिवारजनों और बीवी–बच्चों के नाम से होती है और शादी नहीं हुई है, तो मां–बाप के नाम से होती है। जब शहीद हुए परिवारजनों के पास पैसा यहां से जाने लगा, तो इस बार एक समस्या उनके मां–बाप की तरफ से आई, उनकी दर्दभरी कहानी सामने आई कि उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। हमारा एक ही बेटा था, वह अपने खुद के परिवार को देखता था और मां–बाप को भी देखता था, लेकिन अब हमें कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने हर महीने एक हजार रुपया का इन्तजाम कर दिया, लेकिन हमने महसूस किया कि एक हजार रुपए से काम नहीं होना है और नेशनल डिफैंस फंड के सामने हमने एक प्रस्ताव रखा। नेशनल डिफैंस फंड की बैठक पिछले दो दिनों में होनी थी, लेकिन सदन के काम को लेकर वह बैठक आगे बढ़ा दी गई। उस बैठक में हम रकम को दो हजार रुपये महीना परिवारजनों को पहुंचाने का इन्तजाम कर रहे हैं। एक हजार आज के दिन में दे रहे हैं, लेकिन दो हजार करने जा रहे हैं।

इसके साथ ही कारगिल के संदर्भ में हर शहीद हुए परिवारों को एक पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी देने का इन्तजाम किया और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अपना योगदान दिया। जमीन का दाम, खरीदने का कार्य पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अपने हाथ में ले लिया। वह पैसा लाखों में जा रहा है। एक कस्बे या शहर में जमीनों के जो

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

दाम है, उसके देखते हुए वह काम सरकार की तरफ से हो गया. .. (*व्यवधान*) डीडीए के मकान दिल्ली में देने के लिए अलग से बन रहे हैं। इसलिए आपकी जो परेशानी थी और जो पुरानी परम्परा रही तथा जो पुरानी हालत है, वह अब नहीं है, उससे हम बाहर आए हैं। एक लम्बे अरसे तक जिनको कुछ भी नहीं मिला, 1947 से लेकर सन् 2000 तक, उनको भी इस कोष से विशेष रकम पहुंचाने का फैसला हमने किया है। नेशनल डिफैंस फंड से जब इजाजत मिलेगी, वह पैसा जाएगा। पिछले 40–50 वर्षों तक जिनके परिवारों ने इंतजार किया, जो आदमी जीवित हैं उन्होंने इंतजार किया कि हमें भी पूछा जाएगा तो उन्हें न केवल पूछना, बल्कि उनकी समस्याओं को जितना हल करना संभव है, उन्हें हल करने का भी हम लोगों ने फैसला किया है। उस पर नेशनल डिफैंस फंड अपना अंतिम निर्णय देने वाला है। मैंने इसमें उनके जो हक के पैसे हैं, उसके बारे में नहीं बताया– जैसे ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस वगैरह हैं, इन सारी चीजों का हिसाब हमने यहां नहीं गिना, क्योंकि हम लोग नहीं होते तो भी उन्हें मिलना ही था। वह किसी की तरफ से जाने वाली रकम नहीं है। सरकार ने फैसला लेकर जो चीजें की हैं, वे मैंने आपके सामने रखी हैं।

महोदय, यहां माननीय सदस्यों ने मेडीकल की बात बड़ी मजबूत से छेड़ी है। यह बात सही है कि जो आर्मी के अस्पताल हैं, जो आज सेवा में हैं, वहां उन्हें प्राथमिकता दी जाती है वह जायज है। उसके बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेना के लिए अस्पताल बनाए हुए हैं, उनमें उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी जो आज सेवा में है। विशेष कर जो अस्पताल उत्तर हिन्दुस्तान, पंजाब और चंडीगढ़ में हैं, ऐसे अस्पतालों में और भी आवश्यक होता है, क्योंकि वहां हर दिन कुछ न कुछ केजुअल्टीज आती हैं और वहां आए हुए लोगों को उसी दिन डिस्चार्ज करने की स्थिति नहीं होती। अस्पतालों में जगह की कमी होती है, लेकिन एक्स–सर्विसमैन के लिए इन अस्पतालों में इलाज का इंतजाम है।... (*व्यवधान*)

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : महोदय, वहां कोई अटेंड नहीं करता।... (*व्यवधान*) आप एक्स सर्विसमैन को मिलिट्री अस्पताल के भरोसे क्यों छोड़ते हैं, अलाउंस क्यों नहीं दे देते? ... (*व्यवधान*) महोदय, राजस्थान के जोधपुर में एक मिलिट्री अस्पताल है, वहां दो सौ किलोमीटर से लोग आते हैं और उन्हें कोई नहीं पूछता। .....(*व्यवधान*) आप आज इसमें कुछ एनाउंसमेंट करिए।..... (*व्यवधान*) यह उनका फंडामेंटल राइट है। .....(*व्यवधान*) जब हिन्दुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट के सब कर्मचारियों को मिलता है तो एक्स सर्विसमैन को क्यों नहीं मिलता। आप उन्हें मिलिट्री अस्पताल के भरोसे क्यों छोड़ते हैं।.....(*व्यवधान*) महोदय, यह हकीकत है, आप इसे मंजूर करें और आज यहां कुछ एनाउसंमेंट करें। .....(*व्यवधान*)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपकी बात ठीक है। इन लोगों के बहुत अधिकार और हक हैं, जो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले जीने का अधिकार है और उसके लिए रोजगार का हक होना चाहिए, लेकिन आज के दिन एम्प्लायमैंट एक्सचेंज में चार करोड 16 लाख पढ़े–लिखे लोगों के नाम दर्ज हैं, ये सब समस्याएं हैं और ये समस्याएं आज की नहीं हैं। .....(*व्यवधान*) अंततोगत्वा हर चीज के लिए पैसे की आवश्यकता है और वह पैसा इसी पार्लियामेंट से देना है। अगर ये मुझे कल पैसा दे दें और कहें कि हर गांव में एक अस्पताल होना चाहिए तो जो काम एक साल में होने वाला होगा, उसे हम छः महीने में करके आपको दे देंगे।.....(*व्यवधान*)

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : आप उन्हें कोई अलाउंस दे दो।.....(*व्यवधान*) आप उन्हें मिलिट्री अस्पताल के भरोसे क्यों छोड़ते है।.....(*व्यवधान*)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम भी इन सारी चीजों को चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं.....(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आज सत्र का आखिरी दिन है और हमें एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करनी है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जो इलाज का मामला है, यह बहुत गंभीर प्रश्न हैं। शहरों में रहने वाले लोगों को तो बड़े अस्पतालों में जाने का मौका मिलता है, हम सेना की बात कर रहे हैं।.....(*व्यवधान*) लेकिन जो गांवों में जवान हैं, अधिकारी है, आम तौर पर गांवों में बहुत कम अधिकारी हैं लेकिन जो जवान हैं उनकी संख्या लाखों में है। हमने बताया है कि 15 लाख एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए हर जगह पर अस्पताल का इंतजाम नहीं है। उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई उपाय निकालना हो तो हर जिले में एक अस्पताल बनाओ। अब हर जिले में बनाने का मतलब है कि हमारे यहां ऐसे बड़े जिले हैं, वहां भी बहुत चल कर जाना पड़ेगा। या जहां पर फौजियों की बहुत अधिक आबादी है वहां पर बनाओ। इस सब चीजों के लिए हम सब तैयार हैं।

श्री राशिद अलवी : जो अस्पताल हैं उन्हीं में एलाऊ कर दो।. ....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : अध्यक्ष जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कारगिल ऑपरेशन के पहले के

लाखों जवानों की सहायता के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?.... .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुथियारी, आप बैठ जाइये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इनको अस्पताल बनाने से रोकने के लिये इनके हाथ–पांव बांधकर रखे थे।.....*(व्यवधान)* हमने तो हाथ–पांव बांधकर नहीं रखे थे।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : मंत्री महोदय, यह बहुत दुख की बात है कि आप ऐसी बात कहते रहे हैं। .....*(व्यवधान)* मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं ऐसा नहीं करता। परंतु जिस तरह से मुझे टोका गया है, जिस तरह से मुझ से प्रश्न पूछे गए हैं उससे यह लगता है कि मैं वह नहीं कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए था।.. ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : वह केवल यही सुझाव दे रहे थे यह किया जाना चाहिए था। इसे राजनैतिक रूप मत दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे स्वीकार है। मैं इसे राजनैतिक रूप नहीं दे रहा हूं।.....*(व्यवधान)* मैं किसी बात को राजनैतिक तरीके से नहीं देख रहा हूं। मैं केवल यही कह रहा हूं कि जिस तरह से यह मुद्दा उठाया गया था यही लगता है कि ये सभी बातें हो जानी चाहिए थी और मैं यह नहीं कर रहा हूं। परंतु इसके लिए धन नहीं है। .....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : ऐसी बात नहीं है। .....*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : हमने ऐसा कभी नहीं कहा है।.....*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर संसद धन मंजूर कर देती है तो हम वे सभी अस्पताल बना देंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी एक बात यह कही गयी कि सर्विसेज की फैमिली पेंशन और सिविलियन्स की फैमिली पेंशन में बहुत अंतर है। अंतर नहीं है, दोनों को तीस प्रतिशत ही मिलता है, अंतर की बात कहां से आ गयी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। जहां तक सेना के जवान और चपरासी की तनख्वाह की तुलना की गयी, तो वह भी जवान के साथ अन्याय है। जवान की तनख्वाह चपरासी से ज्यादा है। माननीय सदस्यों की तरफ से यह बात बहुत स्पष्ट कही गयी कि सिविलियन विडो को पेंशन 30 प्रतिशत और आर्मी विडो को पेंशन 20 से 25 प्रतिशत तथा चपरासी की तनख्वाह ज्यादा और जवान की तनख्वाह कम। तो इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। अगर आपके पास अलग से कोई जानकारी हो तो मुझे भेजने का कष्ट करें, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे।

रोजगार के संदर्भ में एक प्रस्ताव यह भी आया कि आर्डिनेंस फैक्टरी में हम उन जवानों को भर्ती करें जो रिटायर होकर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि आर्डिनेंस फैक्टरी 33 नहीं 39 हैं और उनमें डेढ़ लाख कर्मचारी हैं। उनमें वेस्टेज जो भी हो लेकिन आज वहां एवरेज उम्र 50 साल है। अगर हम 40 साल की उम्र वालों को ही वहां भर्ती करना शुरू करें तो आर्डिनेंस फैक्टरी में जो उत्पादन का मामला है उसमें हम तकलीफ महसूस करेंगे। इसलिए रोजगार के और उपाय खोजने जरूरी हैं।

यह भी कहा गया कि जो सिक्योरिटी एजेंसियां है वे खुद तो हजारों में कमाती है लेकिन जवानों को बहुत कम देती हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वे तो अधिकाशंतः सेना से रिटायर हुए अधिकारियों द्वारा ही चलाई जाती हैं। हम तो यह चाहते हैं कि वे लोग सिक्योरिटी एजेंसियां बनायें और जो जवान डिमोबिलाइज होकर आते हैं, उन्हें उनमें रखें। यह हम लोगों का लंबे अर्से से चल रहा काम है। इसे बढ़ाने का प्रयास है। यदि किसी एजेंसी के जरिए गलत काम होता है तो हम उसकी जरूर जांच करेंगे और उसे सुधारने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि यहां जो प्रश्न उठाए गए, मैंने सब का नाम न लेते हुए जिन प्रश्नों का जो भी जवाब देना। आवश्यक था, वह दे दिया।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी क्या आप अपना उत्तर पूरा कर चुके हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद मुझे बोलने का चांस मिलेगा लेकिन आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया। मंत्री जी की स्पीच बजट स्पीच से बड़ी हो गई।.....*(व्यवधान)* आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी एक और कॉलिग अटैंशन है और उसे भी खत्म करना है।

.....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्री ने इस बारे में स्पष्ट नहीं किया है कि कारगिल की लड़ाई के बाद 10 लाख रुपए किए हैं या बढ़ी हुई राशि में से और बढ़ा दिए हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका जवाब दे दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कारगिल की लड़ाई से पहले साढ़े सात लाख रुपए थे उसे दस लाख किया.....*(व्यवधान)* आपका साढ़े सात लाख रुपए का प्रस्ताव था। मंत्रालय में आने के बाद मैंने उसे स्वीकृति दी जबकि वह पहले स्वीकृत नहीं था। .....*(व्यवधान)* आपका प्रस्ताव था।.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.16 बजे

(दो) शेयर बाजार के सूचकांक में अचानक आई भारी गिरावट के कारण छोटे निवेशकों को हुआ कथित घाटा

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान निम्नलिखित सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें :

> "शेयर बाजार में अंकों में अचानक आयी गिरावट के कारण छोटे निवेशकों को हुई कथित हानि और बैंकों द्वारा शेयर के बदले ऋण मंजूर करने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम"

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, स्टाक बाजारों में मूल्य का उतार–चढ़ाव अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जिनमें कार्पोरेट क्षेत्र तथा सामान्य अर्थव्यवस्था के कार्यनिष्पादन, सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में निवेशकों की प्रत्याशाएं अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के घटनाक्रम आदि शामिल हैं। पिछले दो महीनों के दौरान मुंबई स्टाक एक्सचेंज में सामान्यतः गिरावट का रूझान रहा है किन्तु इसे बाजार का धराशायी होना नहीं कहा जा सकता। 11 फरवरी, 2000 को संवेदी सूचकांक 5933.26 अंक पर उच्चतम रहा तथा 16 मई 2000 को 4230.13 अंक पर बंद हुआ. ..*(व्यवधान)* तथापि, ऐसे उतार–चढ़ावों की वजह से हुआ सूचित नुकसान सांकेतिक है क्योंकि फरवरी, 2000 से पूर्व अनेक महीनों तक सूचकांक में सामान्य वृद्धि होती रही थी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह उत्तरांचल के बारे में सवाल उठाया था। आपने कहा था कि प्रश्न काल के बाद इस सवाल को उठाने की इजाजत दी जाएगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए। हमारे पास दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं। यह दूसरा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, देश का बंटवारा करके देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक और कालिंग अटैंशन है, इसके बाद उसे लेंगे। आपको प्रोसिजर मालूम है या नहीं? आप क्या कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाएं। यह क्या हो रहा है ?

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.18 बजे

इस समय कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे कालिंग अटैंशन के बाद उठाएं। आपको प्रोसीजर मालूम नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कालिंग अटैंशन है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रोसीजर मालूम है या नहीं ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कर रहे हैं? यह प्रोसीजर नहीं हैं।

...(व्यवधान)

---

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, सेबी ने बाजार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए अनेक उपाए किए हैं सेबी ने पूंजी पर्याप्तता, मार्जिनिंग प्रणाली, प्रतिपादन (एक्सपोजर) नियंत्रण तथा मूल्य सीमाओं को शामिल करते हुए जोखिम नियंत्रण उपाय किए हैं। सेबी स्टाक एक्सचेंजों के साथ नियमित रूप से विमर्श करता रहा है। तथा एक्सचेंजों को बाजार का गहन अनुवीक्षण करने तथा जब आवश्यक हो, उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सतर्क किया गया है। एक्सचेंजों ने सेबी को सूचित किया है कि उन्होंने उच्चतर मार्जिन लगाने तथा दलालों तथा अत्यधिक संकेन्द्रण को रोकने सहित विभिन्न कार्रवाई आरंभ की है। सेबी ने निवेशकों को प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से, प्रतिभूतियों में लेन–देन करते समय सावधानी बरतने के लिए चौकस किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 35 बैंकों के संबंध में किए गए एक अध्ययन, जिसमें शेयरों के प्रति कुल बैंक वित्त पोषण के 70 प्रतिशत से अधिक का लेखा–जोखा है, से यह उद्घाटित हुआ कि दिसम्बर, 1999 के अंत में इन बैंकों द्वारा शेयरों के प्रति दिए गए कुल अग्रिम 5611 करोड़ रुपए की राशि के थे। इसमें शेयरों के समवर्ती तथा आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों के प्रति अग्रिम शामिल हैं। बैंकों द्वारा जारी कुल गारंटियां, जिनमें कुल मार्जिनों के एवज़ में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों को बैंकों द्वारा प्रतिभूत शेयरों पर दी गई गारंटियां शामिल हैं, 31 दिसंबर, 1999 को 2385 करोड़ रुपये थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यष्टियों, स्टॉक दलालों तथा कार्पोरेटों को शेयरों/यूनिटों/डिबेंचरों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बांडों के प्रति अग्रिमों के संबंध में पहले ही दिशा–निर्देश जारी कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश 28 अगस्त 1998 को जारी मुख्य परिपत्र में दिए गए हैं। इन ऋणों को स्वीकृत करते समय, शेयरों की प्रतिभूतियों के प्रति व्यष्टियों को वित्त पोषण के लिए दिशा–निर्देश के दायरे में उद्देश्य, राशि अनुरक्षित किए जाने वाले मार्जिन तथा ऋण नीति आते हैं। व्यष्टियों को शेयरों के प्रति अग्रिमों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। (डि–मैट शेयरों के प्रति ऋणों के मामले में 20 लाख रुपए)। लिए जाने वाले न्यूनतम मार्जिन भी निर्धारित किए गए हैं। (डि–मैट शेयरों के संबंध में 25 प्रतिशत तथा भौतिक रूप में शेयरों के संबंध में 50 प्रतिशत) इस संबंध में विशिष्ट ऋण नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सामान्य दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन बोर्डो के अनुमोदन से व्यष्टि बैंकों द्वारा बनाई जानी थी। अन्य बातों के अलावा, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे ऋण का उपयोग सट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए न किया जाए, उपयुक्त पूर्वोपाय करने की सलाह भी दी गई थी। एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, बैंकों द्वारा ऐसे अग्रिमों को एक समग्र सीमा के भीतर सीमित करने पर विचार किया जाना भी अपेक्षित था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारों के साथ फरवरी, 2000 में की गई एक पुनरीक्षण बैठक में पता चला है कि बैंकों द्वारा क्रेडिट सीमा, नियमित आधार पर शेयर पोर्टफोलियो का मार्क–टू–मार्केट निर्धारित करने के लिए शेयरों के मूल्य पर सीमा का निर्धारण, मूल्य अस्थिरता दर्शाने वाली स्क्रिपों के प्रति एक्सपोजर का अनुवीक्षण इत्यादि जैसे जोखिम नियंत्रण उपाय किए हैं।

जबकि इक्विटियों पर बैंक वित्त पोषण के लिए प्रचालन दिशा–निर्देशों को और सुप्रवाही बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी ने निरन्तर पारस्परिक सम्पर्क बनाया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी के अधिकारियों को शामिल करके एक तकनीकी समिति का गठन किया जा रहा है। यह समिति प्रास्थिति की पुनरीक्षा करेगी तथा बैंकों एवं बाजार भागीदारों के साथ उचित विचार–विमर्श के पश्चात् पूंजी बाजारों में बैंकों की भूमिका के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करेगी। अन्य मुद्दों के अलावा, समिति शेयरों के प्रति अग्रिमों के लिए उपयुक्त उच्चतम सीमाओं की वांछनीयता तथा शेयरों एवं आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों के प्रति अग्रिमों संबंधी विवेकपूर्ण मार्जिन स्तरों से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे मूल्यों में उतार–चढ़ाव विशेष रूप से सूचना–प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में उतार–चढ़ाव को उचित समझते हैं और क्या कुछ कंपनियों या कुछ आपरेटरों द्वारा हेर–फेर की तकनीकी अपनाई गई है। छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए वित्त मंत्री क्या एहतियाती कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं।

महोदय, मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि प्राथमिक उपयोग के लिए 'आई. पी. ओज' को 90 प्रतिशत वित्त पोषण बैंकों द्वारा किया जाता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे यह समझते हैं कि यह मनगढ़ंत तेजी

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री किरीट सोमैया]

है और क्या इसमें कुछ सुधार की गुजांइश है। साथ ही बाजार में कई सॉफ्टवेयर कंपनियां आई हैं। वे गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं। उन्होंने उनके नाम की माला जपी और वे अब डॉटकॉम कंपनियों के रूप में बाजार में आई है। मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

मैं सभा के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि 1992 में श्री हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में हेर–फेर की थी। एक बार फिर, 1998 में बी पी एल, विडियोकॉन आदि जैसी कंपनियों के शेयरों के मूल्यों में हेराफेरी बाजार में तेजी लाई। फरवरी 1999 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 3399 के अंक पर था, अक्तूबर, 1999 में यह 4000 के अंक तक पहुंच गया था और फरवरी 2000 में यह 6150 के अंक तक पहुंच गया था और 15 मई, 2000 को यह 4000 के अंक पर था।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, आप प्रक्रिया से अवगत नहीं हैं। यह सार्वजनिक बैठक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

.....*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : महोदय, बाजार में अत्यधिक अस्थिरता है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ दिशा–निर्देश जारी करें। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री ने छोटे निवेशकों के हितों के लिए अनेक कदम उठाए हैं, वे इस मामले में भी समुचित कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर प्रकाश डालने का मौका आपके माध्यम से मुझे मिला है। आज छोटे–छोटे निवेशक अपनी खून–पसीने की कमाई को शेयर बाजार में लगाकर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं ....*(व्यवधान)*... अध्यक्ष महोदय, हम हाउस में पहली बार आये हैं, क्या हमारी बात नहीं सुनी जायेगी? अलग–अलग फाइनेंस कंपनियां हैं, जिन्होंने पहले पैसा इकट्ठा किया है, बाद में नाम बदलकर वे शेयर कंपनियों में आई तथा लोगों ने खून–पसीने से पैसा कमाया और पैसा शेयर में इनवैस्ट किया और जो शेयर की कंपनियां बन रही हैं, जिनके शेयर का भाव 80 रुपये था, कम समय में वह बढ़कर दो हजार रुपये पर पहुंचा है और फिर वापस दो सौ रुपए पर पहुंचा है। यह जो उलट–पुलट होती है, उसके कारण सामान्य वर्ग और मध्यम वर्ग के इनवैस्टर्स का बहुत नुकसान होता है। जैसे यह कहा गया है कि जितनी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को 90 परसेंट बैंक से लोन मिला है और उसके बाद जो बैंक में अप–डाउन होती है, उसके कारण यह होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस मामले में सेबी क्या कर रही है। उसका इस सब पर कोई कंट्रोल है या नहीं। क्या इसकी कोई सीमा रेखा तय है या इस शेयर का रेट इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। लोग नई–नई कंपनियां बनाते हैं और आम जनता की लूट करते हैं। इसमें सेबी का क्या रोल है?

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने बयान में ही कहा है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है और उसके कई कारण हैं। लेकिन यह देखा गया है कि दुनिया भर में जितने स्टाक मार्केट हैं, उनमें पिछले महीने में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है और उससे भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन दुनिया के दूसरे बाजारों में जितना कुछ हुआ है, उसकी तुलना में हमारे यहां कम हुआ है। मैंने अपने को संतुष्ट किया है कि बैंकों से जो पैसा दिया जा रहा है उसकी तुलना हम 1992 से नहीं कर सकते हैं और इसीलिए जो उतार–चढ़ाव मार्केट में हो रहा है उसका कारण यह नहीं है कि बैंकों का पैसा उसमें जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति की तुलना 1992 से करना गलत होगा। आज हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रांग रेगुलेटर सेबी है और सेबी का दायित्व है कि वह लगातार मार्केट को डेली बेसिस पर देखती रहे। यह सेबी का काम है और सेबी अपना काम बखूबी कर रही है और इसीलिए इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमैंट हैं, उससे मार्केट बिल्कुल सेफ है। उतार–चढ़ाव मार्केट में होगा, लेकिन मार्केट को कोई खतरा नहीं है। जो छोटे निवेशक हैं, उन छोटे निवेशकों के मुनाफे में कमी हो सकती है, लेकिन उनकी पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए इसके बारे में विशेष चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.35 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.35 बजे पुनः समवेत हुई।

(डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए।)

[हिन्दी]

श्री प्रभु नाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय,.. .. *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आसन ग्रहण कीजिए। अभी सभा की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है। पहले मुझे सदन की कार्यवाही प्रारंभ करने दें। उसके बाद मैं आप सबको समय दूंगा। तब आप बोलें। कृपया आसन ग्रहण करें।

... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा। आप कृपया बैठिए। रिकार्ड पर कुछ भी नहीं जा रहा है। शांति बनाए रखिए। कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही अब शुरू की जाती है। आज इस सत्र का अंतिम दिन है। माननीय सदस्यों की विभिन्न रुचियां हैं और अनेक माननीय सदस्यों ने नोटिस दिए हैं। इसलिए सभी लोग बोलना चाहेंगे और लोग जल्दी में भी होंगे क्योंकि उन्हें अपने–अपने चुनाव क्षेत्रों में जाना है। यदि सभी माननीय सदस्य एक ही समय में बोलना चाहेंगे, तो वह संभव नहीं होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि एक–एक माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहे, तो सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए समय मिल जाएगा। चूंकि कुंवर अखिलेश सिंह को बोलने की बहुत आतुरता है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात कहें।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की यह सरकार राज्यों का गलत तरीके से बंटवारा कर के पूरे देश को तोड़ने की साजिश कर रही हे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तराखंड को बनाने की साजिश चल रही है और उत्तराखंड के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ छल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जब सदन का अंतिम दिन है, तो सदन के अंतिम दिन सरकार इस बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करना चाहती है। उधम सिंह नगर, जिसमें सिख बहुल आबादी है उसको आज उत्तराखंड में शामिल करने की साजिश की जा रही है। हरिद्वार जनपद, जिसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके उसे उत्तर प्रदेश में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है, मांग की है, उसको भी उत्तराखंड में शामिल करने की साजिश की जा रही है। आज तक सरकार ने यह तय नहीं किया है कि उत्तराखंड की राजधानी कहां होगी, लेकिन आज उत्तराखंड के नाम पर, राजनैतिक लाभ लेने के लिए, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए सरकार उत्तराखंड विधेयक को इस सदन के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहती है। हम सब आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह देश को तोड़ने की साजिश है। छोटे–छोटे राज्यों का गठन कर के इस देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। इसलिए जब तक सदन को विश्वास में न लिया जाए, तब तक इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सदन में नहीं आना चाहिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : सभापति महोदय, इस पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। कृपया मुझे भी अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान करें।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सदस्य यह सवाल उठा रहे हैं, जो आज का एजेंडा है, उसमें कहीं भी इस प्रकार के बिल को इंट्रोड्यूस करने की बात नहीं है और अब कोई सप्लीमेंट्री एजेंडा, आखिरी दिन, आखिरी समय में देना, मान्यता के विरुद्ध है। इसलिए वह बिल आज इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार को भी समझा दीजिए कि आखिरी दिन, आखिरी समय में इस तरह का कोई बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई सप्लीमेंट्री एजेंडा न दें।

सभापति महोदय : एजेंडा में तो ऐसा है नहीं। लेकिन माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, कार्य सूची के अनुसार, पुरःस्थपित करने के लिए कोई विधेयक नहीं है। आज पुरःस्थापित करने के लिए कोई विधेयक सूचीबद्ध नहीं है। कार्य सूची में किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने का उल्लेख नहीं है। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : सभापति जी, नियमों का शिथिलीकरण करते हुए बिल पेश किए जाने की अनुमति देने का अध्यक्ष महोदय को अधिकार है पूर्व में भी ऐसा हुआ है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, श्री लालकृष्ण आडयाणी द्वारा विधेयक को राष्ट्रपतीय स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र के कारण भ्रम पैदा हुआ है। भ्रम का कारण यही है। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया आसन ग्रहण किया जाए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति जी, यह तो सदन को बतलाया जा सकता है कि इसकी सूचना दे दी गई है या नहीं?

सभापति महोदय : अभी तक लिस्ट के अनुसार वह सदन में प्रस्तुतीकरण के लिए नहीं है और न ही सदन को अभी तक इस बारे में कोई सूचना दी गई है।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : इस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति ने श्री लालकृष्ण आडवाणी को एक पत्र भेजा है। उसे परिचालित भी नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने बहुत अहम सवाल उठाया है। .....*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए स्कूल में मास्टर भी इतना नहीं डांटते जितना कि आप डांटते हैं। आप पहले हमारी बात को सुन लीजिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि आप सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दें कि क्या उसका इरादा अनुपूरक कार्यसूची लाने का है। क्योंकि अब तक हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। मेरा मानना है कि जब सदस्यों ने इस मामले को उस स्तर पर उठाया है तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने बहुत अहम सवाल उठाया। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो सवाल उठाया है उसे सरकार जरूर गंभीरतापूर्वक ले। आज चर्चा है कि सप्लीमेंट्री एजेंडा में ये बिल लाए जा रहे हैं। वे आये या नहीं, हमने नोटिस दिया है। इसलिए हम अपनी भावना को आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक कारणों से राज्य का बंटवारा कहीं से भी अच्छा नहीं है। बिहार राज्य के बंटवारे का जो प्रस्ताव यहां पर आ रहा है, वह राजनीतिक कारणों से आ रहा है। बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री कहा करते थे कि हमारी लाशों पर झारखंड बनेगा लेकिन आज उन्होंने ही प्रस्ताव पारित कराया है। इधर और उधर वाले दोनों पक्ष राजनीतिक कारणों से अलग राज्य की बात कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक राज्य की जनता की भावना का सही ढंग से विश्लेषण नहीं कर लिया जाये कि आखिर राज्य की जनता राज्य के बंटवारे के पक्ष में है या नहीं तब तक कोई बिल इस सदन में नहीं आना चाहिए। अगर आप अलग राज्य का दावा करना चाहते हैं। तो जो उत्तर बिहार और मध्य बिहार बचा है, उसके लिए आप क्या विशेष पैकेज देने जा रहे हैं? उस विशेष पैकेज में यह अवधि भी निश्चित होनी चाहिए कि कितने दिनों में केन्द्र सरकार उस पैकेज को पूरा करेगी। अगर यह नहीं होता है तो हम यह कहेंगे कि जनता की भावनाओं का आदर होना चाहिए और यह बिल इस सदन में नहीं आना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व के एक अन्य अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। मेरी माननीय जल संसाधन मंत्री से बात हुई थी उन्हें यहां होना चाहिए शायद उन्हें कही रुकना पड़ गया। सभापति महोदय, मैं मुख्यतया पश्चिम बंगाल में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी उत्पन्न भूमि–क्षरण की गंभीर स्थिति का उल्लेख कर रहा था। विगत वर्षों में 32000 हेक्टेयर से अधिक भूमि बह गई है और उसका कुछ अता–पता नहीं है। मालदा, जहां के श्री ए. बी. ए. गनी खां चौधरी हैं, तथा नाडिया मुर्शिदाबाद और हुगली जिलों में गंभीर स्थिति है।

महोदय, योजना आयोग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केस्कर समिति नामक एक विशेषज्ञ समिति गठित की है जिसने तत्काल कुछ अल्पकालिक व दीर्घकालिक उपाय करने का सुझाव दिया है। दुर्भाग्यवश उनका कार्यान्वयन नहीं किया गया है। कृतिक बल नियुक्त किए गए, दौरा दल भेजे गए। किंतु वे वापस आ जाते हैं तथा केवल तदर्थ उपाय किए जा रहे हैं।

इससे पूर्व इस संबंध में राज्य के मुख्य मंत्री माननीय प्रधानमंत्री से मिले और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी इसका उल्लेख किया। राज्य की वाम मोर्चा समिति के सदस्यों और कुछ विपक्षी सदस्यों ने भी माननीय मंत्री डॉ. सी. पी. ठाकुर से मुलाकात की। मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत ही सकारात्मक रुख अपनाया किंतु उनके हाथ बंधे हैं। जब तक योजना आयोग इसे स्वीकृति नहीं देता और वित्त मंत्रालय धन आबंटित नहीं करता तब तक वे कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः यह बहुत गंभीर मामला है। अब अतिशय कठिनाईयां महसूस की जा रही हैं। एक के बाद एक गांव बह रहे हैं। महोदय, गंगा की दो शाखाएं पद्मा और भागीरथ के बीच 15 किमी की दूरी की अब यह दूरी 1.4 किमी रह गई है। भूक्षरण इस गति से हो रहा है। एक या दो वर्षों में वे मिलकर एक नदी बन जाएंगी। एक आशंका है जो कि काफी हद तक सही है कि या तो भागीरथ सूख जाएगी या भंयकर बाढ़ आदि आएगी और संपूर्ण राज्य गंभीर संकट में फंस जाएगा। हमने आज के समाचार पत्रों में

पढ़ा है कि मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री से मिले और उन्हें 30 करोड़ रुपए का अनुदान देने का आश्वासन दिया गया है। समाचार पत्रों में यह खबर छपी है, मैं मुख्यमंत्री से नहीं मिल सका किंतु यह अति अल्प राशि है और कम से कम जो बाहर कहा गया है उस संबंध में सभा में वचन दिया जाना चाहिए ताकि हम वास्तविक वचन के बारे में जान सकें।

हम सरकार से कार्यवाही करने का आग्रह करते हैं। माननीय मंत्री सहमत हैं कि हम भी इसे पक्षपातपूर्ण मामले के रूप में न लें। ऐसे महत्वपूर्ण मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए जाने चाहिए और इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाया जाना चाहिए। योजना आयोग को यथा संभव शीघ्र इस मामले पर विचार करने और अपनी राय देने के लिए कहा जाना चाहिए। मुझे बताया गया कि योजना आयोग ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। मैं समझता हूं कि मंत्रालय यह स्पष्टीकरण दे रहा है। किंतु इस मामले में विलंब नहीं किया जाना चाहिए और मानसून आने से पूर्व, जो शीघ्र आने वाला है, कार्य शुरू होना चाहिए।

अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले को अति गंभीरता से लें। मुझे विश्वास है कि इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय वक्तव्य देगा और यह कार्य अविलम्ब शुरू किया जाएगा।. ....*(व्यवधान)*

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : वास्तव में मैं पश्चिम बंगाल के प्रभावित क्षेत्र अर्थात् मुर्शिदाबाद से सदस्य हूं। विगत पांच दशकों में इस जिले से लगभग 1.5 लाख लोगों को हटाया गया है और पश्चिम बंगाल के आठ जिलों में 35000 हेक्टेयर क्षेत्र में भूक्षरण हुआ है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करे। इन शब्दों के साथ मैं स्वयं को अन्य माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सहबद्ध करता हूं। . ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हम सबको मौका देंगे। कृपया करके आसन ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, हरदोई और फिरोजाबाद की घटना के बाद एक दुखद घटना उत्तर प्रदेश के कानुपर जिले में हुई जहां दो दलित महिलाओं की निर्मम पिटाई करके उन्हें नंगा घुमाया। 10 मई की रात्रि को शर्मिला सिंह नाम की लड़की, जिसकी घर वालों ने पिटाई कर दी थी, घर से चली गई। उस दलित परिवार का गुनाह यह था कि उन्होंने उस परिवार को शरण दी। उससे कुछ असरदार लोग इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने पूरे परिवार की पिटाई की, सास, बहू की पिटाई की और उन्हें निवस्त्र करके घुमाया गया। मैंने पहले भी इस सदन में विनम्र आग्रह किया था और अपनी बात फिर दोहराना चाहूंगा कि ये सब घटनाएं सरकारी मिजाज से होती हैं। जब से केन्द्र में यह सरकार बनी है, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने सवाल उठा दिया है।

श्री रामजी लाल सुमन : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

सभापति महोदय : यह स्टेट सब्जैक्ट है।

श्री रामजी लाल सुमन : यह दलितों पर अत्याचार का मामला है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने सदन में सवाल उठा दिया है। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

श्री रामजी लाल सुमन : केन्द्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वह आवश्यक कार्यवाही करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : सभापति महोदय, देश के चारों कोनों को जोड़ने के लिए जल–भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे "गोल्डन क्वाड्रीलेटेरल हाइवे" में केरल, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र से लगे पश्चिमी तट को शामिल नहीं किया गया है।

यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लम्बाई 6000 किमी है तथा इस पर 58000 करोड़ रुपये की लागत आएगी इस लागत के एक भाग से डीजल और पेट्रोल पर उपकर से वित्त पोषित किया जा रहा है। उपेक्षित राज्य भी इस निधि में अपना योगदान दे रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश का अधिकतर हिस्सा, लगभग पूरा पश्चिम तट सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे इस प्रमुख राजमार्ग में शामिल होने से वंचित रह गया है। कन्याकुमारी से मुंबई तक बनाया जा रहा यह राजमार्ग अनेक महत्वपूर्ण बड़े और छोटे बन्दरगाहों को जोड़ेगा।

देश के सभी प्रमुख पर्यटक केन्द्रों के लोगों को इसकी सेवाएं प्राप्त होंगी। इससे सभी राज्यों के त्वरित विकास में भी योगदान मिलेगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता और इस राज्य के सभी संसद सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी से दो बार मिले थे। माननीय प्रधान मंत्री ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया था।

मैं माननीय मंत्री महोदय से भी मिला था। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि वह इस पर विचार करेंगे.... *(व्यवधान)* यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ....*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया मुझे आधे मिनट का समय दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें चार राज्य शामिल हैं।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपने सवाल उठा दिया, अब कृपा कर अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : यह क्या है? हमें सभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है..... *(व्यवधान)* मुद्दा क्या है.... *(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : महोदय, मैं टिहरी बांध के निर्माण के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा हूं। पर्यावरणविद इस बांध के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि एक पुष्ट भौगोलिक प्रमाण भी है कि इस तरह के बांध भूकम्पीय क्षेत्र पर बने हुए हैं। यह भूकम्प प्रवण क्षेत्र हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार ने हर प्रकार की वैज्ञानिक विचार को ध्यान में रखा है अथवा नहीं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस पूरे मुद्दे पर फिर से विचार करें। यदि उपचारात्मक कदम नहीं उठाए जाते तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि इस सभा में बाढ़ का पानी भर जाए और दिल्ली का अधिकतर हिस्सा पानी से भर जाए। ऐसी ही घटनाएं इटली में भी हुई थी जबकि विनाशकारी परिस्थितियों वाला इस तरह का बांध बनाने की योजना बनाई गई थी। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे टिहरी बांध की व्यवहार्यता पर पुनः विचार करें।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, आजादी के 52 वर्ष बाद भी, जो लोग स्वतंत्रता आन्दोलन में लड़े थे, उनमें से हजारों लोगों की पेंशन का मामला यहां केन्द्रीय सरकार में पेंडिंग हैं। उनमें से काफी लोग तो मर गये और बहुत से लोग भूख से परेशान मौत के कगार पर हैं। वे लोग यहां आते हैं और इधर से उधर धक्के खाते रहते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनकी पेंशन का अविलम्ब और टाइम बाउंड निष्पादन करें और अखबारों में साया कर दे कि इसके बाद कोई नहीं आये, जो निष्पादन हो गया, सो हो गया। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत हम लोग आज यहां बैठे हैं। मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी हूं इसलिए मैं इस मामले को आपके सामने रखना अपना कर्तव्य समझता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट) : माननीय सभापति महोदय, मैं कालीकट में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

कालीकट केरल के उत्तरी भाग का केन्द्र है जिसमें छः जिले शामिल हैं। केरल राज्य के गठन से पहले, यह क्षेत्र भूतपूर्व मद्रास राज्य में था। उस समय से यह मांग लम्बित है।

मुझे खुशी है कि माननीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य राज्य मंत्री यहां बैठे हैं। वह तथ्यों से भली प्रकार अवगत है। केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अधिकतर याचिकाएं इस क्षेत्र से है। अतः यदि कालीकट में एक नयी न्यायपीठ की स्थापना की जाती है, तो यह आधे केरल राज्य के लिए लाभप्रद होगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं केरल के नारियल जटा मजदूरों के संबंध में एक गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं।

नारियल जटा उद्योग बहुत पुराना उद्योग है, जिसकी सदियों पुरानी परम्परा है। अब केरल में नारियल जटा मजदूर कल्याण निधि योजना बनायी गयी है। केन्द्र सरकार कल्याण निधि में अपना योगदान दे रही थी ताकि पेंशन योजना को कार्यान्वित किया जा सके। केन्द्र सरकार ने उस योजना के लिए भी अनुदान दिए थे। यह अनुदान देने की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अब केन्द्र सरकार ने एक आदेश के तहत उस योजना को अपना योगदान देना बंद कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप इस उद्योग में एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

इसके अतिरिक्त, कपड़ा मंत्रालय के एक कदम द्वारा न्यूनतम निर्यात मूल्य भी समाप्त कर दिया गया है। अतः नारियल जटा उद्योग एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे यथापूर्ण स्थिति बहाल करें और नारियल जटा मजदूरों को जो रियायतें दी जा रही थीं उन्हें जारी रखें। केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा करना न्यायोचित होगा क्योंकि ऐसा कई वर्षों से चल रहा था। यह एक मजदूर–विरोधी निर्णय है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर, मेरा छोटा सा सवाल है। जयपुर शहर के भीतर ट्रक आते–जाते हैं। यहां मंत्री जी बैठे हैं, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने योजना बनाई थी कि जयपुर शहर के बाहर रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। जवाहर नगर में कच्ची बस्ती के पास ट्रकों के आवागमन से कई एक्सीडैंट होते हैं। मेरा अनुरोध है कि शहर के बाहरी इलाके में रिंग रोड

बनाई जाए, जिससे ट्रक आ जा सकें और जयपुर शहर में जो एक्सीडेंट्स से स्थिति बिगड़ रही है, वह न बिगड़े।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा समूचे केरल राज्य के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहूंगा। कालीकट देश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में से एक है जहां से प्रति सप्ताह 35 से अधिक उड़ाने विदेशों को जाती हैं और कालीकट, मुंबई और चेन्नई के बीच 32 से अधिक उड़ाने प्रति सप्ताह होती हैं। वहां से खाड़ी देशों को जाने वाले प्रत्येक यात्री को बिना किसी कारण 500 रुपये अधिक अदा करने पड़ते हैं। यह राशि हवाई अड्डे के विकास को पूरा करने के लिए अदा की जाती थी, लेकिन इसके पूरा हो जाने के बाद भी वह ये राशि प्रयोक्ता शुल्क के रूप में ले रहे हैं। वास्तव में पहले भी किसी उपभोक्ता शुल्क की आवश्यकता नहीं थी। यह शुल्क निरर्थक ही लिया जा रहा है।

उनके द्वारा की जा रही नियुक्तियों के मामले में भी वे पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और स्थानीय लोगों के आरक्षण की उपेक्षा कर रहे हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला मानें और निर्धन लोगों के साथ न्याय करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय सभापति जी, मैं दिल्ली के किसानों के साथ अन्याय और बर्बरता का जो व्यवहार हुआ है, उस संबंध में कहना चाहता हूं कि दिल्ली का मास्टर प्लान बना हुआ है। यमुना किनारे की जमीन को मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट करार कर छोड़ा है कि वहां कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। 16 नवम्बर, 1998 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था। उसमें स्पष्ट कहा कि जो यमुना किनारे डूब की भूमि है, उसका उपयोग निर्माण कार्य के लिए नहीं किया जाएगा। इस भूमि पर पिछले 30 सालों से वहां के करीब 50 किसान काश्त करते थे, क्योंकि यह उनको मिली हुई थी। झील खुरैंजी आफ मिल्क प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव सोसाइटी और दिल्ली पीजेंट्स सोसाइटी है, जिसमें ये छोटे–छोटे किसान अपनी रोजी–रोटी कमाते थे। डी. डी. ए. और भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं ने मिलकर 23 अप्रैल को सैकड़ों पुलिस वालों के साथ उस भूमि पर अतिक्रमण कर लिया और खड़ी फसल बर्बाद कर दी।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : यह गलत बात है।.... *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : वोंचा स्वामी संस्थान को यह 30 एकड़ जमीन इन लोगों ने मिट्टी के भाव 27 करोड़ रुपये में बेच दी। मेरा अनुरोध है कि इस जमीन का आबंटन निरस्त किया जाए और इसे पुनः उन्हीं किसानों को दिया जाना चाहिए। उनकी रोजी–रोटी नहीं छीनी जानी चाहिए और उनका जो फसल को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जानी चाहिए। ये लोग बड़े–बड़े लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : मध्य प्रदेश राज्य में बिलासपुर मंडला राजमार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने के संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिलासपुर मंडला मार्ग बहुत जर्ज हालत में है। राज्य सरकार कार्य कराने में असमर्थ है। राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने के लिए प्लान में डाल दिया है। राज्य सरकार डिफाल्टर की स्थिति में है। आए दिन वहां एक्सीडेंट होते रहते हैं और वर्षा ऋतु में तो आवागमन की सुविधा नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों में मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहूंगा कि बिलासपुर मंडला मार्ग वाया मुंगेली जोड़ा जाए। बिलासपुर से रायपुर मार्ग भी स्वीकृत हो चुका है और जबलपुर मार्ग भी स्वीकृत हो चुका है। बिलासपुर मंडला मार्ग की दूरी केवल 200 किलो मीटर है इसलिए इसे राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : माननीय सभापति महोदय, बर्न स्टेडर्ड की रानीगंज, गलफारबारी और दुर्गापुर इकाइयों के कर्मचारियों की दशा गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि 1 अप्रैल, 2000 को कार्य बंद करने और विशेष रूप से दुर्गापुर इकाई का कार्य बंद रखने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। इस स्थिति में, दुर्गापुर इकाई के स्थानीय प्रबंधन ने 76 कर्मचारियों में से 38 कर्मचारियों को सेवा में रहने की अनुमति दी है जबकि कोई कार्य नहीं हो रहा है। इन 38 कर्मचारियों को वेतन तथा भविष्य निधि की राशि इत्यादि नहीं मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। यह कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्या स्थानीय प्रबंधन का कार्य करने का यही तरीका है? .....*(व्यवधान)* कर्मचारी यूनियनों के साथ भी इस पर चर्चा की जानी चाहिए, केवल स्थानीय प्रबंधन को ही निर्णय नहीं लेना चाहिए.....*(व्यवधान)* मैं माननीय भारी उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें ताकि स्थानीय प्रबंधन ऐसा न कर सके। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस संबंध में मार्ग–निर्देश देने चाहिए और इस देश के कानून का अनुसरण करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हमें भी मौका दीजिए।

सभापति महोदय : बीच में किसी को मौका नहीं दूंगा सूची बनी हुई है।

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सभा और भारत सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र कृष्णगिरि के हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। केवल तीन दिन पहले 14.5.2000 को जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में था, मैंने पेन्नाई नदी पर कृष्णागिरि बांध तथा हौसर में केलावरपल्ली बांध का दौरा किया। बांध का पानी हरे रंग का और बदबूदार था। यह बहुत परेशान करने वाली बात थी। जांच करने पर मुझे इसके कारणों का पता चला ....*(व्यवधान)* पेन्नाइयारू नदी कर्नाटक में चेन्नाकेसावा पहाड़ियों के दक्षिण–पूर्व और नन्दीदुर्ग पहाड़ियों के उत्तर–पश्चिम से निकलती है। यह कर्नाटक के अंदर बंगलौर के उत्तर में लगभग 85 किलोमीटर की दूरी तक बहती है और फिर पागालूर के पश्चिम में 4 किलोमीटर की दूरी पर तमिलनाडु में प्रवेश करती है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री वी. वेत्रिसेलवन : यहां जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है, वह यह है कि बंगलौर की ओर बहने वाली पेन्नाइयारू नदी के रास्ते में उसका पानी काफी प्रदूषित हो जाता है। सभी नालों का पानी, प्रदूषित, गन्दा पानी और बंगलौर शहर का अशोधित अपशिष्ट जल उल्सूर झील और ओरेत्तूर झील में जाता है। इन झीलों का पानी हौसर में केलावरीपल्ली बांध तथा पेन्नाइयारू नदी में जाता है। जब वर्षा नहीं होती है तो केवल गन्दा पानी ही नदी में जाता है। इस तरह से नदी का पानी इतना अधिक प्रदूषित होता है और यही कारण हैं कि कृष्णागिरि बांध का पानी हरा है और उससे बदबू आती है।....*(व्यवधान)*

महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांध के पानी का प्रदूषित होना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इससे फसलें भी खराब होती हैं। इन क्षेत्रों के हजारों लोग जो इस बांध के पानी का उपयोग करते हैं धीरे–धीरे लेकिन निश्चित रूप से इससे प्रभावित हो रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वी. वेत्रिसेलवन : महोदय, मैं आधे मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल कदम उठायें और कर्नाटक सरकार से भी कदम उठाने के लिए कहें ताकि पेनाइयारू नदी को प्रदूषण रहित रखा जा सके और तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हजारों लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके और बांध के आसपास के क्षेत्रों की फसलों को बचाया जा सके। मैं आपसे अनुरोध करता हूं....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री निखिल कुमार चौधरी के सिवाय किसी का नहीं जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : महोदय, मैं तेल शोधक कारखाना बरौनी, उसके प्रबंध, क्रियाकलाप तथा उसकी प्रमुख समस्याओं की ओर सदन का ध्यान, पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान तथा प्राइम मिनिस्टर साहब जिनकी दूरदर्शिता के कारण इस तेल शोधक कारखाने का विस्तार हुआ है लेकिन कुछ समस्याओं की ओर माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बरौनी तेल शोधक कारखाने में जो नई नियुक्तियों हो रही हैं, उसमें स्थानीय शिक्षित बेरोजगार जो कुशल हैं, और अकुशल युवकों को वहां चयनित किया जाये जिससे माननीय परम्पराओं का उल्लंघन न हो।

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : महोदय, जून 1999 में मेरे संसदीय क्षेत्र गुजरात के बनासकांठा में फसले बोई गई थी जिसका बीमा भी करवाया गया और प्रीमियम भी भरा गया था। जी. आई. सी. ने तीन माह के बाद प्रीमियम यह कह कर वापिस कर दिया कि नो सोविंग नो इंशयोरेंश लेकिन यह बात सही नहीं है। जून के बाद जब भी थोड़े–थोड़े अंतराल के बाद बारिश हुई थी उसमें किसानों ने इस आशा के साथ फसल को बोया था कि शायद अब बारिश आ जाएगी। लेकिन अगस्त में कोई बारिश नहीं हुई जिसके कारण सारे खेत सूख गए। नाबार्ड की नीति के अनुसार अप्रैल से सितम्बर तक किसानों ने जो भी बोया था, उसकी बीमा राशि मिलनी चाहिए थी, जी. आई. सी. ने जब प्रीमियम वापस किया तो किसानों और किसान प्रतिनिधियों के उच्च स्तर पर बातचीत की जिसके बाद केन्द्र की एक टीम ने 18 जनवरी 2000 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने पाया कि किसानों की बात ठीक है। उन्होंने पाया कि किसानों ने फसल को बोया भी है। जी. आई. सी. तो सोचती है कि अकाल में किसानों ने कुछ बोया ही नहीं है। इन सब कारणों से किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि इस बार भी बारिश न होने से अकाल जैसी स्थिति है। बैंक उनसे पैसा वापिस करने हेतु नोटिस दे रहे हैं, उनके खेत सूख रहे हैं।

इन परिस्थितियों में सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि संबंधित मंत्री और संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिया जाये कि

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किसानों की दयनीय हालत को देखते हुए बीमा का भुगतान जल्दी किया जाये।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कृषि, उद्योग और अन्य जगहों पर बिजली देने के लिए महाराष्ट्र में एनरॉन बिजली प्रकल्प बना हुआ है। लेकिन पावर कॉरपोरेशन इस प्रकल्प को गैस नहीं देता है, इसलिए आधी बिजली काम में नहीं आती है। उनको गैस देना बहुत जरूरी है। उनको कोयला बहुत ही घटिया क्वालिटी का मिलता है, इसलिए उनको अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने परली, बैजनाथ, भुसावल, नासिक के बिजली प्रकल्पों को विस्तृत करने के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है। जिनके लिए रुपयों की मंजूरी मिलना जरूरी है। यही मेरी विनती है।

[अनुवाद]

डॉ. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला असम) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम भारत सरकार द्वारा तीन राज्यों– उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित विधेयकों को लाए जाने का स्वागत करते हैं। अभी–अभी संसदीय कार्य मंत्री ने यह घोषणा की है कि प्रस्तावित विधेयकों को आज लाया जाएगा। ....*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ये विधेयकों को प्रस्तुत कर रही है अथवा नहीं।

साथ ही साथ हम पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति सरकार की विभेदकारी नीति के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त करते हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को उत्तराखंड का रूप दिया जाएगा तथा बिहार के जनजातीय क्षेत्रों को झारखंड बनाए जाने का प्रस्ताव है, परन्तु असम के कर्बि अंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ियों का क्या होगा।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नोटिस भी नहीं दिया है और इस तरह से विभिन्न माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लग जायेगें तो कैसे चलेगा।....*(व्यवधान)* स्पेशल केस ऐसे नहीं लिये जाते हैं, कृपा करके अपनी सीट पर बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री सी. पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, चूंकि आज सत्र का अंतिम दिन है, अतः सभी सदस्यों को मौका दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : सभी सदस्यों को मौका दिया जाता है।

....*(व्यवधान)*

डॉ. जयन्त रंगपी : सभापति महोदय, सरकार ने उत्तरपूर्वी राज्यों के प्रति बड़ा ही विभेदकारी रवैया अपनाया है। जब सरकार बिहार के जनजातीय क्षेत्रों से झारखंड और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी प्रदेशों से उत्तरांचल का सृजन करने जा रही है, तब असम के जनजातीय क्षेत्रों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में क्या किया जा रहा है?

सभापति महोदय, संविधान में इसके लिए एक विशिष्ट उपबंध है और यह अनुच्छेद 244क है। यदि सरकार द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्तशासी राज्य बनाया जाना है तो उन्हें संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए, प्रजातंत्र में दोहरे मापदंड का कोई स्थान नहीं हो सकता है। यदि उनके पास उत्तर प्रदेश और बिहार के पुनर्गठन के लिए नीति है तो वे असम के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? असम के दो पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक स्वायत्तशासी राज्य का सृजन किए जाने की मांग असम में लंबे समय से चली आ रही है। अब, सरकार ने विभेदकारी नीति को अपना लिया है। यदि वे बिहार का पुनर्गठन कर सकते हैं, तो असम के लिए एक स्वायत्त राज्य का सृजन क्यों नहीं कर सकते हैं, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस पर सभी राजनीतिक दलों में मतैक्य रहा है और इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि संविधान में इसके लिए उपबंध विद्यमान है। अब, वे झारखंड–उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के लिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधयेकों को ला रहे हैं और उस अनुच्छेद के अंतर्गत उन्हें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। परन्तु अभी भी असम के जनजातीय लोगों के लिए एक स्वायत्त राज्य का सृजन किए जाने की सांविधानिक वचनद्धता बरकरार है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : शांति रखिये, बैठ जाइये।

डॉ. जयन्त रंगपी : शांति तभी होगी जब एटोनोमस स्टेट होगा। एटोनोमस स्टेट के बिना हम शांति से नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए 18 तारीख को असम बंद करने का हमने ऐलान किया है।

सभापति महोदय : अब इनकी बात प्रोसिडिंग में नहीं जायेगी।

....*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुझे एक बहुत ही गंभीर, उचित एवं विधिसम्मत मामले, जो कि बोडोलैंड के एक पृथक राज्य के सृजन से संबंधित है को उठाने का अवसर प्रदान किया। आज, मुझे अफसोस है कि वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा उत्तराखंड–झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के सृजन हेतु किस प्रकार का नीति–निर्णयन किया जा रहा है। यद्यपि, मैं इन तीन राज्यों का गठन किए जाने से संबंधित भारत सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं, बोडोलैंड के पृथक राज्य के सृजन के लिए बोडो लोगों की स्वाभाविक मांग की अनदेखी करते हुए बोडोलैंड के लोगों के प्रति विभेदकारी रवैये के कारण मैं अपना रोष व्यक्त करना चाहूंगा। अतः मैं, भारत सरकार से लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने एवं उत्तरांचल एवं वनांचल की तरह अविलंब एक पृथक बोडोलैंड राज्य का गठन करने का प्रबल आग्रह करता हूं। जब तक बोडोलैंड का गठन नहीं हो जाता है, उत्तर–पूर्वी प्रदेश में शांति विकास एवं सामंजस्य नहीं हो सकता।.....*(व्यवधान)* इसलिए, मैं भारत सरकार से पृथक बोडोलैंड राज्य प्राप्त करने के हमारे लंबे समय चल रही उचित और अनपहार्य अधिकार को मान लेने का अनुरोध करना चाहूंगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति लाने और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में यही एकमात्र राजनीतिक समाधान है। अन्यथा, सरकार की यह नीति पूर्वोत्तर राज्यों में शांति लाने और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपनी सभी कोशिशों में असफल साबित होगी।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति महोदय, ऐसी जानकारी मिली है कि आज सरकार सप्लीमेंट्री बिजनेस द्वारा राज्य बंटवारे संबंधी बिल को लाना चाहती है। मैंने आपके माध्यम से ऐसा जानना चाहा था लेकिन सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। मुझे डर है कि सरकार की मंशा कहीं न कहीं गलत है। सरकार सदन में सदस्य कम रहने पर सप्लीमेंट्री बिजनेस के तहत इसे ला सकती है। बिहार सरकार ने इस बिल में जो संशोधन करके यहां भेजा है उन्हें भारत सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया। राज्य सरकार के पैकेज के मामले को केन्द्र सरकार ने बट्टेखाते में रख दिया। दोनों सरकारों की मंशा हमें साफ नजर नहीं आ रही है। राज्य सरकार की मंशा भी राज्य बांटने की नहीं है। वह छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं है। केन्द्र सरकार की मंशा भी राज्य को मजबूत बनाने के पक्ष में नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में राज्य बचे लेकिन जब तक बिहार को पूर्ण पैकेज नहीं मिलता तब तक केन्द्र सरकार इस बिल को किसी भी परिस्थिति में सदन में पेश न करे। यदि वह उसे पेश करती है तो हम सदन में अमर्यादित ढंग से, जिस में सदस्य का कोई रूप नहीं होता है, उसमें आकर उस बिल का विरोध करेंगे। बिहार के बंटवारे के सवाल पर हम किसी भी कीमत पर पैकेज के बिना बिल को नहीं आने देंगे। हम जानना चाहते हैं कि क्या आज सरकार कोई ऐसा सप्लीमेंट्री बिजनेस राज्य बंटवारे के सवाल पर ला रही है? आप सरकार से इसकी जानकारी लेकर सदन को दें। मुझे इस बात का डर है इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं। इस पर चन्द्रशेखर जी भी बोले थे।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अफवाह के आधार पर कोई सूचना नहीं दी जा सकती। यह आइटम एजेंडा में नहीं है। बिल सर्कुलेट नहीं हुआ है। कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, ऐसी सूचना है।

सभापति महोदय : इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सरकार अफवाह का जवाब नहीं देती।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आप आदेश दीजिए कि आज ऐसा कोई सप्लीमैंट्री बिजनेस नहीं आएगा।

सभापति महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है। आपने सवाल उठा दिया। आपने सरकार और सदन का ध्यान आकृष्ट किया। कृपया आसन ग्रहण करिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आप कह दीजिए कि कोई सप्लीमैंट्री बिजनेस नहीं आएगा।

सभापति महोदय : आपके कहने से नहीं कहा जाएगा। कृपया आसन ग्रहण करिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : इसका यह मतलब है कि हमें राज्य बंटवारे के सवाल पर गुमराह किया जा रहा है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आसन ग्रहण करिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आएगा। सरकार की तरफ से इसका जवाब आना चाहिए।

सभापति महोदय : इनकी बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय : कृपया आसन ग्रहण करिए।

...*(व्यवधान)*

---

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री राजेश रंजन, आपने सूचना दी, आपको बोलने का मौक मिला। कृपा करके अब आप आसन ग्रहण करें। विभिन्न सांसदों ने सूचना दी है, कुछ को मौका मिला है, बाकी लोगों को मौका नहीं मिला तो यह उचित न होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर मामले की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा ... *(व्यवधान)* संपूर्ण उड़ीसा राज्य इस मुद्दे से क्रुद्ध है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आप व्यवस्था दें।

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सप्लीमेंट्री एजेंडा में ऐसा कुछ नहीं है। आप कृपया आसन ग्रहण करें।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहूंगा कि भुवनेश्वर में दिनांक 16 मई 2000 को राज्य सचिवालय में सभी राजनीतिक दलों की बैठक में ...*(व्यवधान)* सरायकेला एवं खरसुआं के पूर्व–राज्यों का उड़ीसा राज्य में विलय करने के लिए उड़ीसा के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराए जाने के लिए सर्वसम्मत रूप से दृढ़ संकल्प लिया गया था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जिनका बाकी है, क्या उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा? आप कृपया बैठें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : बैठक में भारत सरकार से, पूर्व–राज्यों सरायकेला एवं खारसुवां की शेष उड़ीसा के साथ ऐतिहासिक, भाषायी एवं सांस्कृतिक समानता होने के बावजूद उन्हें उड़ीसा राज्य से अलग किए जाने से उड़ीसा के लोगों के प्रति किए गए ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह करने का दृढ़संकल्प भी किया गया।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : सभापति महोदय, बैठक में झारखंड राज्य के सृजन के साथ–साथ सरायकेला तथा खारसुवां के उड़ीसा में पुर्नविलयन हेतु संघ सरकार से आग्रह करने का दृढ़संकल्प भी किया गया।...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल सवाईं (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं, श्री अर्जुन सेठी द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : सभापति महोदय, मैं श्री अर्जुन सेठी द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं।... *(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदय, मैं श्री अर्जुन सेठी द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं।... *(व्यवधान)*

श्री प्रभात सामंतराय (केन्द्रपाड़ा) : सभापति महोदय, मैं, श्री अर्जुन सेठी द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सभापति महोदय, मैं, श्री अर्जुन सेठी द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, मैं, श्री अर्जुन सेठी द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : सभापति महोदय, मैं, श्री अर्जुन सेठी द्वारा कही गई बातों का समर्थन करती हूं। ... *(व्यवधान)*

श्री भर्त्रुहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैं, श्री अर्जुन सेठी द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, आप व्यवस्था दें.....*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय : श्री राकेश रंजन, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप कृपया बैठ जायें।

अपराह्न 3.19 बजे

इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, कुंवर अखिलेश सिंह, तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

....*(व्यवधान)*

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप अपनी सीटों पर जाइये।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सीटों पर गये बिना कोई व्यवस्था नहीं होगी।

....*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.21 बजे

इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने स्थान पर वापस चले गए।

सभापति महोदय : कृपया करके पहले सीटों पर जाइये, तब मैं सरकार को बोलूंगा।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सीटों पर जाइये।

.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.21½ बजे

इस समय कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए।

सभापति महोदय : कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): सदन में हमारी सरकार ने पहले ही कहा है कि छोटे राज्यों के तीनों बिल इसी सत्र में पेश किये जायेंगे।.....*(व्यवधान)* हम उन्हें पेश कर रहे हैं। लेकिन पेश करने का मतलब यह नहीं है कि ये तुरंत पास हों, इन पर चर्चा होगी.....*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज उ.प्र.) : पहले क्यों नहीं पेश किये। .....*(व्यवधान)* ऐसे नहीं चलेगा।

अपराह्न 3.22 बजे

इस समय कुंवर अखिलेश सिंह, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : बी.ए.सी. की बैठक में इनके ऊपर चर्चा हो चुकी है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन में घोर अव्यवस्था की स्थिति है इसलिए सदन की कार्रवाई चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 3.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे तब के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.01 बजे

लोकसभा अपराह्न 4.01 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अपराह्न 4.01 बजे

इस समय कुंवर सर्वराज सिंह, श्री जे. एस. बरार, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खडे हो गए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.02 बजे

उत्तर प्रदेश पुर्नगठन विधेयक के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुपूरक कार्यसूची से विधायी कार्य आरंभ करेगी। पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक। श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के पुर्नगठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के पुर्नगठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 5.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 5.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 5.32 बजे

लोक सभा अपराह्न 5.32 बजे पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे गए मान जाएं।

नियम 377 के अधीन मामले *

(एक) गुजरात में बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के दावों के शीघ्र निपटान हेतु साधारण बीमा निगम को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : मैं संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के बारे में बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जून से कई फसलें बोई गई थीं, जिनका बीमा भी करवाया गया और प्रीमियम भी भरा गया था। जी. आई. सी. ने तीन माह के बारे में प्रीमियम यह कहकर वापिस किया कि– नो सेविंग नो इन्श्योरेंस– लेकिन यह बात सही नहीं है। जून के बाद जब भी थोड़े–थोड़े अन्तराल के बाद बारिश हुई थीं। उस समय किसानों ने फसलों को बोया था। लेकिन अगस्त में कोई बारिश नहीं हुई जिसके कारण खेत सूख गये। नाबार्ड की नीति के अनुसार अप्रैल से सितम्बर तक किसानों ने जो भी बोया उसका बीमा मिलना चाहिए। जी. आई. सी. ने जब प्रीमियम वापिस किया तो किसान और किसान प्रतिनिधियों ने उच्चस्तर पर बातचीत की जिसके बाद केन्द्र की एक टीम ने 18 जनवरी 2000 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पाया कि किसानों की बात ठीक है। जी. आई. सी. सोचती है कि अकाल में किसानों ने कुछ बोया ही नहीं। इन सब कारणों से किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि इस बार भी अकाल जैसी स्थिति है और बैंक उनसे पैसा वापिस करने हेतु नोटिस दे रहे हैं। उनके खेत सूख गये हैं।

इन परिस्थितियों में मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए और सरकार को जी. आई. सी. को निर्देश देना चाहिए कि बीमा का भुगतान शीघ्र किया जाये।

(दो) गुजरात में दाहोद रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री बाबूभाई कटारा (दोहद) : गुजरात में दोहद जिले की बहुत समस्यायें रेलवे की हैं जिसके लिए मैंने एवं मेरे क्षेत्र की विविध संस्थाओं ने रेलवे एवं रेल मंत्री को बार–बार लिखा लेकिन अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पश्चिम रेलवे की बहुत सी ट्रेनें दोहद रेलवे स्टेशन से गुजरती हैं लेकिन वहां रुकती नहीं, सिर्फ एक ही ट्रेन रुकती है। वहां सभी ट्रेनों का हाल्ट होना चाहिए। रिजर्वेशन कोटा बढ़ाना चाहिए। कम्प्यूटरीकरण करना चाहिए। इसके बगैर बहुत परेशानी है। इसके लिए उच्च स्तरीय रेलवे अधिकारियों का एक दल दोहद भेजना चाहिए ताकि सब समस्या बातचीत करके एवं समझ कर निराकरण हो सके।

(तीन) दिल्ली के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : राजधानी दिल्ली, दिल्ली की नहीं पूरे देश की है। पूरी संसद को दिल्ली के बारे में चिन्ता होनी चाहिए एवं राजधानी के लिए विशेष योजनाएं एवं विशेष प्रकल्प होने चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण, बिजली, पानी, अवैध निर्माण, अवैध कब्जे, यमुना प्रदूषण आदि बहुत सी समस्यायें हैं।

दिल्ली में आज यमुना नदी में 17 गन्दे नाले गिर रहे हैं। इनके किनारों पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं जाने की आवश्यकता है। दिल्ली के प्रदूषण एवं ट्रैफिक समस्या को रोकने के लिए वाहनों के संचालन संबंधी नियम बनाए जाने की आवश्यकता है। प्रदूषण फैलाने वाली सभी प्रकार फैक्ट्रियों की दिल्ली में लगाने पर रोक लगनी चाहिए। नए आने वाले बहुत से प्रोजेक्ट दिल्ली के आस–पास के प्रदेशों में लगाने चाहिए ताकि दिल्ली में बढ़ती भीड़–भाड़ को रोका जा सके।

* सभा पटल पर रखे माने गये।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का तुरंत विकास किया जाना चाहिए। दिल्ली में विभिन्न निकायों के कारण जो विकास में बाधाएं आ रही हैं, उनको खत्म कर दिल्ली को तुरंत राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।

चांदनी चौक दिल्ली का दिल है। चांदनी चौक की हर गली ऐतिहासिक है। सरकार को चाहिए कि इस ऐतिहासिक शहर को बर्बाद होने से बचाए। इसके लिए एक विकास बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए जो चांदनी चौक की ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करे। गंगा–जमुनी तहजीब वाले चांदनी चौक को अवैध मार्किटों के कारण हो रहे लोगों के पलायन से बचाएं। तंग गलियों में पानी, बिजली, सीवर की विशेष व्यवस्था करने के लिए एक बड़ी धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए एवं चांदनी चौक को एक पर्यटक केन्द्र की तरह विकसित किया जाना चाहिए।

(चार) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की भाटगंज चीनी मिल को अर्थक्षम बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदों के गन्ना कृषकों की स्थिति दयनीय है। उनके करोड़ों रुपये चीनी मिलों पर बकाया है। चीनी मिलें भुगतान नहीं कर रही हैं। वर्षों से चल रही पुरानी चीनी मिलों की क्षमता में गिरावट आ गई है। जौनपुर जनपद की शाहगंज चीनी मिल 60 वर्ष पहले लगाई गई थी जिसकी मशीनरी कालबाह्य और जर्जर हो चुकी है। उसकी क्षमता में आई कमी के कारण किसानों का गन्ना मिल नहीं ले रहा है, वह खेतों में सूख रहा है, एकमात्र आय के साधन गन्ने के न बिकने से कृषकों का जीवन जड़ हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, बूढ़ों की दवाई, छप्पर की छवाई, खेतों की सिंचाई, बेटी की विदाई, बेटे की सगाई, सब कुछ पैसे के अभाव में नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय शर्करा कोष से शाहगंज चीनी मिल को वित्तीय सहायता दिलाये, जिससे वह चीनी मिल चल सके और गन्ना कृषकों के जीवन में आया ठहराव गतिशील हो सके।

(पांच) केरल के अडूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ममपजतारा, चम्पानारुवि और रोज़माला में दूर-संचार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, केरल का अडूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ दुर्गम और पहाड़ी इलाका है। इस चुनाव क्षेत्र में क्विलन और पतनमतिट्टा दो जिले आते हैं। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग घने जंगलों से घिरा है और यहां की जनता काफी गरीब है। अडूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल क्षेत्र जैसे ममपजतारा चम्पानारूवी और रोजमाला में दूर संचार की सुविधा अब भी उपलब्ध नहीं है।

ये तीनों क्षेत्र केरल परिमण्डल के कोल्लम एस.एस.ए. के अधीन आते हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में 2000 से अधिक परिवार रहते हैं और अधिकतर परिवार पिछड़े हुए हैं। बहुत से मुहल्ले ऐसे है जहां जनजातियां तथा अनुसूचित जातियां रहती हैं। इनके आस–पास घने जंगल हैं। यहां का नजदीकी टेलीफोन एक्सचेंज भी लगभग 14 से 15 कि.मी. दूर है। इन क्षेत्रों में किसी घटना के होने पर लोगों के पास संपर्क का कोई साधन नहीं है। नए टेलीफोन के लिए बहुत से आवेदनों के बावजूद भी यहां टेलीकॉम अधिकारी टेलीफोन सुविधा मुहैया कराने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। वे सभी अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं। टेलीफोन विभाग इसलिए कोताही कर रहा है क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज काफी दूर है।

इसलिए मैं सभा के माध्यम से संचार मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएं।

(छह) राजस्थान में, विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर में विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : महोदय, यह पूरे राजस्थान, विशेषकर इसके बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में, बिजली की कमी के बारे में है।

पूरे राजस्थान में बिजली की कमी है। लगभग 50 प्रतिशत की इस कमी को पूरा करने के लिए पंजाब से बिजली खरीदी जा रही है। अलग–अलग स्थानों पर कुल 2000 मे.वा. की क्षमता वाली चार परियोजनाएं लंबित हैं और जिनको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से मंजूरी नहीं मिली है। 71 मे.वा. की क्षमता वाली, रामगढ़ सीसीजीटी स्टेज II परियोजना मेरे चुनाव क्षेत्र, बाड़मेर (राजस्थान) में है। मार्च 2000 के दौरान आर.एस.ई.बी ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की इच्छानुसार सभी स्पष्टीकरण दे दिए हैं।

यह बताया जा चुका है कि गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि. (गेल) द्वारा दी गई खराब गैस के कारण रामगढ़ परियोजना के फेज I और II पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अच्छी गैस की आपूर्ति और चरण–I और II के संपर्क में सुधार के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय–गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओ.एन.जी.सी. के साथ समन्वय स्थापित कर एक नोडल पाइंट के रूप में कार्य कर सकता है। गैस और एच.एस.डी. पर आधारित 35.5 मे.वा. के एक और पॉवर प्लांट के लिए रामगढ़ परियोजना के 6 सी.सी.जी.टी स्टेज II के लिए राजस्थान सरकार ने 45 करोड़ रु. निर्धारित किए हैं। रामगढ़ में अच्छे स्तर की पर्याप्त मात्रा में गैस न होने पर एच.एस.डी. के प्रयोग की मंजूरी और अच्छे स्तर की गैस न होने के कारण यह परियोजना रुकी हुई है।

बाड़मेर और जैसलमेर जिले लगातार तीसरे साल भी सूखे की चपेट में हैं। यहां पीने के पानी की भंयकर कमी है और इन क्षेत्रों में रोजगार के कोई अवसर नहीं है।

इसलिए मैं सरकार से इस परियोजना को जल्दी पूरा करने का अनुरोध करता हूं। इससे इन पिछड़े तथा सूखाप्रवण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने तथा बिजली की कमी को दूर करने में काफी सहायता मिलेगी।

(सात) देश में विशेषकर नक्सलवाद से प्रभावित बिहार के औरंगाबाद जिले में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद में ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी जो कि नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं।

देश में ग्रामीण सड़कों का विकास हर राज्य सरकार की पहली चिंता है पर पिछले कई सालों से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकारों ने ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए निधियों का प्रयोग करने में कोई रुचि नहीं ली है। इन ग्रामीण सड़कों की हालत अब बद से बदतर हो गई है। देश में ग्रामीण सड़कों के सही विकास व रखरखाव न होने के कारण ही नक्सलवादी और अन्य असमाजिक समूह अपनी कार्यवाहियां संचालित कर सके हैं।

अब, क्योंकि नक्सलवादी और अन्य असमाजिक या राष्ट्र विरोधी समूह उठ खड़े हुए हैं देश में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना प्रारंभ करने की तीव्र आवश्यकता है। इसके अलावा, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि बिहार, विशेषकर औरंगाबाद जिले में, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में "बारहमासी सड़कों के द्वारा ग्रामीण संपर्क" और "विशेष क्षेत्रों में सड़कें" योजनाओं के लिए निधि प्रदान करें।

(आठ) रक्षा मंत्रालय के वाहन विभाग को पश्चिम बंगाल के पनगढ़ बेस एरिया में ही रखे जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, पश्चिम बंगाल के पनगढ़ बेस क्षेत्र पर सरकार उचित ध्यान नहीं दे रही है। वाहन विभाग का बड़ा हिस्सा या तो दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो चुका है या किया जा रहा है। यहां लिपिक और चतुर्थ श्रेणी जैसे वर्गों में मानव शक्ति काफी कम हुई है। बेस में एक हवाई–पट्टी भी है। वहां एयरोनॉटीकल गैरेज भी है। कर्मचारियों को प्रदान की जा रही सुविधाएं पर्याप्त नहीं है।

मैं रक्षा मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि पनगढ़ बेस एरिया का वाहन विभाग किसी और राज्य में स्थानांतरित न किया जाए और हवाई–पट्टी को पुनः चलाया जाए और अन्य विभागीय कर्मचारियों को बहाल किया जाए।

(नौ) उत्तर प्रदेश में इटावा में उप-मार्ग को शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : मैं आपका ध्यान इटावा जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं। इटावा जनपद का बाई पास कई वर्षों पहले स्वीकृत हो चुका है लेकिन अभी तक उसका कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, जबकि शहर के अंदर आये दिन जाम 10 से 18 घंटे तक लगा रहता है और आये दिन दुर्घटना होती रहती है। जाम के कारण कई बार मरीज की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इटावा बाई पास को अविलम्ब बनवाया जाये जिससे जनता को राहत मिल सके।

(दस) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में लड़कियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश पासी (चायल) : जनपद कौशम्भी को बने लगभग तीन–चार वर्ष हो गए है, लेकिन जनपद कौशम्भी में अभी तक केन्द्रीय कन्या विद्यालय की स्थापना नहीं की गई है, जिसके कारण छात्राओं को शिक्षा के लिए इलाहाबाद अथवा फतेहपुर जाना पड़ता है, जिसके कारण छात्राओं को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है यहां की जनता की केन्द्रीय कन्या विद्यालय की स्थापना की काफी समय से मांग रही है। जनपद कौशम्भी के अंतर्गत चार विधान सभा क्षेत्र एवं खागा आते हैं। यहां की जनता को होने वाली भारी कठिनाईयों को देखते हुए यहां शीघ्र ही केन्द्रीय कन्या विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए जिससे यहां की जनता को होने वाली असुविधा को दूर किया जा सके।

(ग्यारह) सिविल सेवा परीक्षा में "अन्य पिछड़े वर्गों" के लिए अभ्यार्थियों के चयन में अनियमितताओं को दूर किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री एम. चिन्नासामी (करूर) : भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या 226 दिनांक 29 नवम्बर, 1997 के पृष्ठ संख्या 105 में सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण से संबंधित वह प्रावधान है जिसके अनुसार यदि संघ लोक सेवा आयोग यह समझे कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानक के

आधार पर इन वर्गों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाना संभव नहीं है तो वह प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के निर्धारित मानकों में छूट देते हुए उस वर्ग के उम्मीदवारों को साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुला सकता है।

साक्षात्कार के बाद आयोग द्वारा अभ्यार्थियों के नाम मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों) में प्राप्त अंको के आधार पर योग्यतानुक्रम में रखे जायेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 320 के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए यह अनिवार्य है कि यदि वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए संस्तुत उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं करता है तो इस तथ्य को वह संसद के समक्ष रखेगा। यद्यपि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए अस्वीकृत 16 मामलों की सूचना दी गई है लेकिन सिविल सेवा परीक्षा 1996 के बैच के अन्य पिछडे वर्ग के 21 उम्मीदवारों को नियुक्ति देने से इन्कार किये जाने के मामलों की सूचना नहीं दी गई है।

विद्यमान नियम के अनुसार आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जिनके नाम की संस्तुति आयोग द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता या चयन के मानदण्ड में बिना किसी प्रकार की छूट/ढील दिए हुए की गई है, उन वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर समायोजित नहीं किए जायेंगे।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से इस अनियमितता को दूर करने तथा विद्यमान नियम को कड़ाई से लागू करने की मांग करता हूं ताकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार इसका पूरा लाभ उठा सकें।

(बारह) महाराष्ट्र में इचलकरांजी में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती निवेदिता माने (इचलकरांजी) : अध्यक्ष महोदय मैं महाराष्ट्र राज्य के इचलकरांजी क्षेत्र से लोक सभा का प्रतिनिधित्व करती हू। इस जिले में छः ताल्लुके है जिसकी आबादी 15 लाख के लगभग है। यहां दूरदर्शन का केवल एक लघु ट्रांसमिशन केन्द्र है, जिसकी कवरेज के अंतर्गत बहुत कम क्षेत्र आ पाता है। इस कारण इस जिले की करीब 50 प्रतिशत आबादी को सीधे टी.वी. सिग्नल नहीं मिल पाता है और केबल के माध्यम से दूरदर्शन सुविधा का लाभ उन्हें महंगा पड़ता है। इस वजह से दूर–दराज इलाकों में रहने वाली ग्रामीण जनता दूरदर्शन के कार्यक्रमों से वंचित रहती है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करती हूं कि इचलकरांजी में वर्तमान ट्रांसमिशन को उच्चशक्ति के ट्रांसमिशन में बदलने और तहसील शहुवाडी के दुर्गम क्षेत्र में नया टी.वी. ट्रांसमिशन तत्काल स्थापित करें।

(तेरह) बिहार में बोकारो, गोविन्दपुर में केन्द्रीय विद्यालयों को पुनः खोले जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : हमारे ससंदीय क्षेत्र एवं आसपास के केन्द्रीय विद्यालय बोकारो, गोबिंदपुर आदि बंद हो गए हैं। इससे निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चे प्रभावित हुए हैं। एक तरफ सरकार साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा भारी मात्रा में धन खर्च कर रही है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ लाभुकों को नहीं मिल पाता है और कई स्थानों पर आबंटित राशि का दुरुपयोग होता है। दूसरी ओर जहां स्पष्ट रूप से बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक काम कर रहे हैं, वहां विद्यालय बंद करके संकट खड़ा किया जा रहा है।

विद्यालयों की बंदी के कारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन का प्रशासनिक बोझ बढ़ता जा रहा है। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि बंद केन्द्रीय विद्यालयों को अविलम्ब चालू किया जाये।

(चौदह) बिहार में बरौनी रिफाइनरी की विकास योजनाओं में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार का बेगुसराय है। यहां बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है। इस तेल शोधक कारखाने के अंतर्गत 35 ऐसे गाव हैं जिनमें रिफाईनरी द्वारा विकास के कार्य कराये जाते हैं। गत वर्ष के अतिरिक्त पिछले कई वर्षों से इस प्रकार के विकास कार्य नहीं कराये गये हैं। अभी तक बरौनी रिफाईनरी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विकास संबंधी कोई भी कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के परामर्श से नहीं कराया है। इस रिफाइनरी में अधिकतर पदाधिकारी स्थानीय हैं, जिनके अपने–अपने निजी हित पूरे हो रहे हैं। वे अपने सगे–संबंधियों को ठेकेदार नियुक्त करके उन्हें विकास संबंधी कार्यों के ठेके आबंटित कर देते हैं। छोटे पदों पर नियुक्तियों में भी अपने रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी जाती है। यहां नौकरशाह जन प्रतिनिधियों से कटे रहना चाहते हैं।

मैं सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हू कि इन सभी बातों की जांच करायी जाये और रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यों में स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये ताकि कार्य में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार और भाई–भतीजावाद को समाप्त किया जा सके।

अपराह्न 5.33 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा के कार्य के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा को ज्ञात है, आज अपराह्न 4.00 बजे माननीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सभा में अव्यवस्था होने के कारण इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं किया जा सका।

ऐसी स्थिति में, मैं यह समझता हूं कि अब आज इस विधेयक को और कार्य की अनुपूरक सूची में परिचालित किए गये अन्य विधेयकों को पुरःस्थापित करना संभव नहीं हो सकेगा।

जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है कल महापत्तन न्याय (संशोधन) विधेयक 2000 पर विचार करने के प्रस्ताव पर मत विभाजन आवश्यक गणपूर्ति के अभाव के कारण रोक देना पड़ा था। यदि यह सभा सहमत हो तो पहले इस विधेयक पर जिस पर कि कुछ बहस हो चुकी है, कार्रवाई पूरी कर ली जाए और तब उन मुद्दों पर आधे घंटे की चर्चा की जाए जो कि पर्यटन मंत्री द्वारा दिनांक 4.5.2000 को देश में स्मारकों से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 542 के उत्तर में से उठे थे।

आधे घंटे की चर्चा समाप्त होने पर बजट सत्र के समापन के अवसर पर विदाई संबंधी चर्चा की जा सकेगी।

अपराह्न 5.34 बजे

महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2000

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण जब महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक 2000 पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव सभा की राय जानने के लिए प्रस्तुत किया गया, तो श्री बसुदेव भट्टाचार्य और कुछ दूसरे सदस्यों ने मत–विभाजन की मांग की।

...(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : मैं सभा से अनुरोध करना चाहता हूं....*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, आप कभी–कभी सभा के मूड का पता क्यों नहीं लगा लेते? मैं सभा से एक अनुरोध करना चाहूंगा। मैं सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक 2000 को मत विभाजन के लिए लाने से पूर्व उस पर कृपया पुनः विचार करें। हमने एक संशोधन पेश किया है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने इस विधेयक की जटिलता, उलझन, दुर्बोधता और इसके विभिन्न प्रभावों की बातें कहीं थी। हमने सुझाव दिया था कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाना चाहिए।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर मत–विभाजन होने वाला है।

....(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे तथा इसे प्रवर समिति को भेज दे।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर मत–विभाजन होने वाला है।

श्री माधवराव सिंधिया : यदि यह प्रवर समिति को भेज दिया जाता है तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर सकेगी तथा इसके बाद वह एक व्यापक विधेयक ला सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक मत–विभाजन की स्थिति तक पहुंच गया है।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं केवल अनुरोध कर रहा हूं। *....(व्यवधान)* इसके बहुत अधिक प्रभाव हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब इस विधेयक पर मत–विभाजन होने वाला है। महापतन न्यास (संशोधन) विधेयक 2000 पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया है।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : कृपया इस पर पुनर्विचार करें।

अपराह्न 5.35 बजे

(इस समय श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

अध्यक्ष महोदय : कल, महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक 2000 पर सभा का मत जानने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। श्री बसुदेव भट्टाचार्य और कुछ दूसरे माननीय सदस्यगणों ने मत–विभाजन की मांग की।

तदनुसार दीर्घाएं खाली कर दी गई थीं। दीर्घाओं के खाली होने के बाद यह देखा गया कि सभा कक्ष में केवल 52 माननीय सदस्यगण उपस्थित थे। चूंकि गणपूर्ति पूरी नहीं थी अतः प्रस्ताव पर मत–विभाजन नहीं हो सका।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक 2000 पर विचार के प्रस्ताव को सभा के मत के लिए प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है:

> "कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जो इस विधेयक के पक्ष में हों, कृपया "हां," कहें।

अनेक माननीय सदस्यगण : "हां"

अध्यक्ष महोदय : जो इसका विरोध कर रहे हो वे कृपया "नहीं" कहेंगे।

कुछ माननीय सदस्यगण : "नहीं"

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं अधिक लोग इस के पक्ष में हैं। इसके पक्ष में अधिक लोग हैं।

कुछ माननीय सदस्यगण : महोदय, "नहीं" वालों के पक्ष में समर्थन है। हम इस पर मत–विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग करते समय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए:

1. मत विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाए और वहीं से इस प्रणाली का उपयोग करें।
2. जैसा कि दिख ही रहा है मेरी कुर्सी के दोनों ओर "प्रदर्शन पट्ट के ऊपर लाल बल्ब" जल रहे हैं। इसका अर्थ है कि मतदान प्रणाली शुरू हो चुकी है।
3. मतदान के लिए पहली घंटी के तुरंत बाद दोनों बटनों को एक साथ दबाएं, यथा:
   (I) हेड फोन प्लेट पर सदस्य के सामने एक "लाल" बटन, और
   (II) सीटों के डेस्कों के ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन:
   'पक्ष में' – हरा रंग
   'विपक्ष में' – लाल रंग
   'भाग नहीं लिया' – पीला बटन
4. दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना जरूरी है जब तक दूसरी घंटी न सुनाई दे और लाल बल्ब "बुझ" न जाएं।

   माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि यदि दूसरी घंटी बजने तक दोनों बटनों को दबाये नहीं रखा जाएगा तो उनका मत दर्ज नहीं होगा।
5. मत विभाजन के दौरान पीले बटन (पी) को न दबाएं।
6. सदस्य अपने मत को प्रर्दशन बोर्ड और अपनी डेस्क पर भी देख सकते हैं। यदि उनका मत दर्ज नहीं होता है तो वे पर्चियों द्वारा मतदान के लिए कह सकते हैं।

प्रश्न यह है:

> "कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, राज्य सभा द्वारा यथापारित' में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 10 **अपराह्न 5.43 बजे**

पक्ष में

अनंत कुमार

अर्गल, श्री अशोक

आजाद, श्री कीर्ति झा

आदि शंकर, श्री

आर्य, डॉ. (श्रीमती) अनिता

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

एम. मास्टर मथान

एलानगोवन, श्री पी.डी.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डॉ. बल्लभ भाई

कस्वां, श्री राम सिंह

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुसमारिया, डॉ. रामकृष्ण

कृष्णन, डॉ. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णास्वामी, श्री. ए.

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी. आर.

गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गेहलोत, श्री थावरचन्द्र

गोयल, श्री विजय

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री हरिभाई

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जयशीलन, डॉ. ए. डी. के.

जायसवाल, डॉ. मदन प्रसाद

जावमा, श्री वनलाल

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.

जोशी, श्री मनोहर

झा, श्री रघुनाथ

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तुड़, श्री तरलोचन सिंह

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरनाजी

* देलकर, श्री मोहन एस.

देव, श्री विक्रम केशरी

नाईक, श्री राम

नीतीश कुमार, श्री

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री मानसिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डॉ. लक्ष्मीनारायण

पोटाई, श्री सोहन

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बचदा, श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोस, श्रीमती कृष्णा

भगत, प्रो. दुखा

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

मंजय लाल, श्री

मरांडी, श्री बाबू लाल

मल्होत्रा, डॉ. विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्रीमती आभा

* पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में हुई गलती को ठीक किया।

मल्याला, श्री राजैया

मिश्र, श्री राम नगीना

मुखर्जी, श्री एस.बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए.के.

मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.

मोहले, श्री पुन्नु लाल

यादव, डॉ. जसवंत सिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

* यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

येरननायडू, श्री के.

रमण, डॉ.

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री

राठवा, श्री रामसिंह

राधाकृष्णन, श्री सी.पी.

राम, श्री ब्रजमोहन

राय, श्री नवल किशोर

* राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण

रावत, प्रो. रासासिंह

रूडी, श्री राजीव प्रताप

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेनू, कुमारी श्रीमती

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

* पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में हुई गलती को ठीक किया।

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए.के.एस.

वुक्कला, डॉ. राजेश्वरम्मा

वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी

वेंकटस्वामी, डॉ. एन.

वेणुगोल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

शाह, श्री मावेन्द्र

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

* सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री टी.एच. चाओबा

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, रामानन्द

सिंह, श्री साहिब

सिन्हा, श्री मनोज

सेठी, श्री अर्जुन

सोमैया, श्री किरीट

स्वाईं, श्री खारबेल

* पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में हुई गलती को ठीक किया।

विपक्ष में

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी

कलिअप्पन, श्री के.के.

कुरूप, श्री सुरेश

कृष्णदास, श्री एन.एन.

खां, श्री सुनील

गोविन्दन, श्री टी.

चकवर्ती, श्री स्वदेश

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चिन्नासामी, श्री एम.

जार्ज, श्री के. फांसिस

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पासवान, श्री सुकदेव

बौरी, श्रीमती संध्या

भौरा, श्री भानसिंह

मंडल, श्री सनत कुमार

मलयसामी, श्री के.

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

* मान, श्री सिमरनजीत सिंह

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मोल्लाह, श्री हन्नान

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राय, श्री सुबोध

रायप्रधान, श्री अमर

लाहिड़ी, श्री समीक

सरोज, श्रीमती सुशीला

सरोजा, डॉ. वी.

* पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में हुई गलती को ठीक किया।

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कुंवर सर्वराज

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद

* हसन, श्री मोइनुल

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत–विभाजन का परिणाम ** इस प्रकार है:–

पक्ष में– 121

विपक्ष में–31

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरम्भ करेगी।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी – अनुपस्थित

श्री जी. एम. बनातवाला – अनुपस्थित

प्रश्न यह है :

"खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

* पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में हुई गलती को ठीक किया।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से अपना मत दिया
पक्ष में=121+श्री एस.बी.पी.बी. के. सत्यनारायण राव, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव श्री रघुनाथ झा, श्री चन्द्र विजय सिंह, श्री मोहन, एस.देलकर=126
विपक्ष में=31+श्री सिमरनजीत सिंह मान, श्री मोइनुल हसन=33

"कि विधेयक पारित किया जाए"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम आधे घंटे की चर्चा आरंभ करें? श्री किरीट सोमैया, मुझे लगता है कि वे इच्छुक नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह निवेदन करने का समय नहीं है।

....*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे निवेदन करने का अवसर दिया जाए।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : हमारे घटक दलों की एक रिक्वैस्ट है, सुन लीजिए। ....*(व्यवधान)* आपको अथाह पावर है, आप चेयर से एक मिनट हम लोगों को अपनी बात रखने के लिए अनुमति दे दीजिए, चेयर को बहुत पावर है, आप हम लोगों को अनुमति दीजिए।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : मैं अपनी भावना हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मैं पेशे से डाक्टर हूं। पहले जब मैं मरीज देखता था.....*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आज सत्र का अन्तिम दिन है।.... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कम से कम कुछ सीमा तक मूल्य घटाने का अनुरोध करता हूं।....*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, मैं सरकार से कीमतों की बढ़ोत्तरी के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह कैसे हुआ?...*(व्यवधान)* अब उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया है, मैं इसकी प्रशंसा करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्धान्तों के मामलों में आप समझौता नहीं करेंगे....*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.48 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, इस अति महत्वपूर्ण सत्र के दौरान सभा की कार्यवाही के कुशल संचालन और इसके सफल समापन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। इस सभा ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव तथा विधेयक पारित किए हैं। हम समझते हैं कि इनमें से कई सरकार के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए तथा इसकी नीतियों को जारी रखने के लिए जरूरी थे।

संसदीय जनतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते सभा की राय का हम सदैव अनुपालन करेंगे। इसी तरह जिन मुद्दों को हम आवश्यक समझेगें उन्हें उठाएगें और जनहित के विरुद्ध लाए जाने वाले प्रस्तावों का हम विरोध करेंगे, ऐसा हम हमेशा से करते रहे हैं और करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ यह कहना ही पड़ रहा है कि हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों जैसे कीमतों में बढ़ोत्तरी, कृषि उत्पादन और आय में गिरावट की प्रवृत्ति गरीबी–उन्मूलन कार्यक्रमों एवं योजनाओं में ठहराव, आरक्षण की समस्या, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की बढ़ती वारदातों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दों के बारे में सरकार सन्तोषजनक जवाब नहीं दे पायी है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सत्र के अवसान पर भी सत्र के आरम्भ के समय हमारे जो भय एवं चिन्ताएं थीं, वैसी की वैसी हैं हम उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, हमारी आशायें कि इस सम्मनीय सभा का मंच, हमारी दृष्टि में वर्तमान सरकार की नीतियों से उत्पन्न कई समस्याओं के समाधान में सहायक होगा, मिथ्या साबित हुई, इन मुद्दों पर किए गए हमारे प्रयासों और पहल में कई विपक्षी दलों ने हमें समर्थन दिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं।

अगले सत्रान्तराल के दौरान, स्थायी समितियां और परामर्शदात्री, समितियां अत्यधिक महत्व के कई विधेयकों पर विचार करेंगी। महोदय, आपके माध्यम से इस बारे में मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि नीतियां निर्धारित करते समय संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों और सिफारिशों पर और अधिक ध्यान दिया जाए। हम समझते हैं

कि इस सरकार ने इन समितियों के कार्यों और प्रयासों की अनदेखी करके संसदीय जनतंत्र की सर्वोच्च परम्परा को ठेस पहुंचाई है।

अध्यक्ष महोदय इस घटनापूर्ण सत्र में सभा के कार्य की अध्यक्षता करने के लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करती हूं और मैं आशा करती हूं कि आप माननीय सदस्यों को ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें उन मुद्दों को उठाने की अनुमति देते रहेंगे जिनके जवाब मिलने चाहिए। और जिन मुद्दों को हम पूर्ण और स्पष्ट चर्चा के लिए सभा में लायेंगे उन पर विस्तृत वाद–विवाद की अनुमति देगें।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र अपनी समाप्ति पर है। हर बजट सत्र महत्वपूर्ण होता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी, श्री सोमनाथ चटर्जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान किए जाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं सभा की कार्यवाही चलाने के लिए आपके मार्ग दर्शन और नेतृत्व के बारे में अपनी प्रशंसा व्यक्त करता हूं। निसन्देह, इस दौरान सभा में तनाव और अंशाति के कई भी क्षण रहे हैं लेकिन संभवतः ये क्षण देश में संसदीय जनतंत्र प्रणाली की प्रतिबद्धता को ही प्रदर्शित करते हैं।

अंत्तोगत्वा, हम सब मित्र अपनी धारणाओं और नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर, हम पूर्ण सक्षमता से देश की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति देश के विकास तथा लोगों के आर्थिक हालत में सुधार के लिए प्रयासरत है। हमारे रास्ते अलग ही क्यों न हों लेकिन हम अपने विचारों, कार्यक्रमों और नीतियों को अभिव्यक्त करते हैं। यह देश का ऐसा सर्वोच्च मंच है, जहां लोगों ने हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। महोदय, इसलिए हमारा सदैव प्रसास होना चाहिए, कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है कि लोगों की समस्याओं, उनकी मांगों और आकांक्षाओं का सही रूप से समर्थन करते हुए उन्हें उठायें। कम से कम इस मंच में लोगों के विचारों को सही ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है।

महोदय, कुछ ऐसे क्षण रहे हैं जब हम सरकार से स्पष्ट तौर पर सहमत नहीं हो सकते और हम सहमत नहीं हुए। स्वभविक ही है कि जो संसदीय तरीके हमारे लिए खुले थे, हमने उनका आश्रय लेने की कोशिश की, लेकिन समस्याओं के उलझावों के मद्देनजर स्थिति आजकल और भी जटिल होती जा रही है। सरकारी कार्यों के नये–नये क्षेत्र पनप रहे हैं या सरकार अपने कार्यों और जिम्मेदारियों का फैलाव कर रही है और इन मुद्दों पर चर्चा करने या इस सभा में उन्हें उठाए जाने के लिए समय के अभाव में अवसर कम होते जा रहे हैं। इन सबके बावजूद, हमारे पास मूल्यों की वृद्धि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

हम सभी यह जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी से हर रोज इसके बारे में पूछा जा रहा है। कल भी लगा कि विपक्ष की नेता उसे काफी ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। मुझे विश्वास है कि यह सही है। परंतु इसके बाद एक संलग्नक जारी किया गया था जिसमें उनके सभी विचारों का विरोध किया गया था। यह मैंने समाचार–पत्र में देखा था। परंतु, महोदय, यह निश्चय ही एक मुद्दा है– मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि वे यहां उपस्थित हैं– इस पर इस देश की आम जनता के लिए विचार किया जाना चाहिए।

हम यहां एक विधेयक पारित नहीं कर पाए हैं हर क्षण हम श्रीमती गीता मुखर्जी की अनुपस्थिति महसूस करते हैं। उनके निधन के बाद उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते समय हमने महसूस किया था कि महिला आरक्षण विधेयक को इस सभा में पारित करके हम उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे परंतु दुर्भाग्यवश इसे पेश तक नहीं किया जा सका।

महोदय, मुझे आशा है कि अगले सत्र में प्रधानमंत्री इसे केवल जनमत पर ही नहीं छोड़ देंगे। यही एक ऐसा विधेयक लगता है जिसमें आम सहमति पर जोर दिया जा रहा है। हम सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक पर कुछ समय चाहते थे ताकि उसके जटिल उपबंधों पर विचार किया जा सके जिसकी आपने अनुमति नहीं दी। हमें अनेक विधेयकों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। किंतु आज, इन बातों को पूरा करने के लिए कुछ अजीब ही बात हुई है। उन्होंने अनुपूरक कार्यसूची के माध्यम से अंतिम चरण में विवादास्पद विधेयक को लाने की कोशिश की। इसकी मांग 3 बजे से की गई थी। उस समय भी सरकार ने अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की कि इन विधेयकों को आज पुरःस्थापित किया जाएगा। यह किया जा रहा है और आपने देखा है कि क्या हुआ। ऐसा करना ठीक नहीं है।

महोदय, विपक्ष की नेता ने अल्पसंख्यकों के बारे में कहा है। महोदय, हमने इस सभा में असहनशीलता की भावना की चर्चा नहीं की है जो देश में बढ़ी है। ऐसे गंभीर मामले पर पूरी तरह चर्चा नहीं की गई है। महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में हमारे पास हमेशा समय की कमी रहती है।

महोदय, जहां तक स्थाई समिति का संबंध है, अधिक से अधिक प्रश्न सामने आ रहे हैं चाहे आपको अच्छे लगे या नहीं आपको उनका सामना करना ही है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि स्थाई समितियों की एकमत रिपोर्टों के संबंध में अनुरोध किया

(श्री सोमनाथ चटर्जी)

जा रहा है। अगर ऐसा किया जाता है तो यह संसद के लिए बहुत ही दुखदायी दिन होगा। महोदय, आप समितियों के सभापति नियुक्त कीजिए और अगर फिर भी एकमत रिपोर्टों के संबंध में अनुरोध किये जाते हैं तो काम करना कठिन हो जाएगा। श्री शिवराज पाटिल जी यहां उपस्थित हैं। हम उनके योगदान की हमेशा सराहना करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, हम इन सब बातों पर कई दिनों तक चर्चा कर सकते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब मैं भी एक समिति का सभापति था। इस मामले पर अलग से विचार किया जा सकता है।....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय प्रधानमंत्री, मैंने इसी असहनशीलता के बारे में कहा था।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : श्री चटर्जी आप मुझे एक मिनट तक नहीं सह सकते और आप हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : नयी परंपरा प्रारंभ हो रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दिल को छू लेने वाला विषय है। मैं केवल यही कहूंगा कि यह देखना आपका काम है कि स्थाई समितियां नियमों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से काम कर सकें। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

महोदय, वास्तव में मैं संसदीय कार्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। वो काफी सहायक और मददगार रहे हैं। मैं अपने एक बहुत अच्छे मित्र श्री राम नाईक को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, कई ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को, जिन पर इस सत्र में हम चर्चा नहीं कर सके, हम अगले सत्र में चर्चा के लिए ले सकेंगे। हमें आशा है कि इस सभा के माध्यम से अधिक सहयोग के द्वारा हम लोगों की अच्छी सेवा कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भी, आपने जिस कुशलता से सदन का संचालन किया है, उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। सचमुच में, आपका धैर्य बड़ा गहरा है। बार-बार उसकी परीक्षा होती है और आप सफलता से निकल आते हैं। मेरा विश्वास है कि आपका धैर्य बना रहेगा और हमारे आचरण की मर्यादा भी कायम रहेगी। जैसा मैं कह रहा था, बजट सत्र है, समाप्ति पर है, महत्वपूर्ण है,

सायं 6.00 बजे

बजट पर मतभेद हुआ करते हैं, पहली दफा मतभेद नहीं हुए हैं, लेकिन शायद पहली दफा प्रतिपक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाकर अखाड़े में उतरने का फैसला किया है। इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर बिना बोझा लादे हुए, हम सरकार का काम चला सकते, देश का वित्तीय भविष्य बना सकते, तो अलोकप्रियता अर्जित करने के लिए हम बोझा लादने का निर्णय नहीं करते। कीमतें बढ़ती हैं, उनकी चोट सबको लगती है, लेकिन एक संतुलन बनाकर हमने काम किया है और हमें विश्वास है कि देश की जनता इसे पसंद करेगी। आखिर हम जनता का विश्वास लेकर यहां आए हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि...

कुछ माननीय सदस्य : महंगाई बढ़ायेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने कहा था कि जो भी बोझ देश पर लादा जा रहा है, उसके बारे में हम विचार करेंगे और उन्हें एक तर्कसंगत रूप देंगे। हमें आश्चर्य हुआ, जब मुख्य विरोधी दल ने, मुख्य प्रतिपक्ष ने, जिन्हें शासन चलाने का अनुभव है और जो फिर से शासन में आने की बाट जोह रहे हैं, यद्यपि उनकी आशा पूरी होती दिखाई नहीं देती, लेकिन एक यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाकर, अगर हम आर्थिक क्षेत्र में नहीं चलेंगे और संकुचित दलबंदी से बंधे रहेंगे, तो इस देश की नैया को पार लगाना बहुत मुश्किल होगा। कल डॉ. मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में भाषण दिया, वह हमारी इस बात की पुष्टि करता है कि सत्ता पक्ष में भी बुद्धिमान लोग हैं, सत्तापक्ष में भी दूरदर्शी लोग हैं।.....*(व्यवधान)* उनके भाषण को नकारा नहीं जा सकता, यह रिकार्ड का विषय है। उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए।....*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप क्षमा करेंगे, क्या सभी स्टैंडिंग कमेटियों की सभी सिफारिशें हमेशा सरकार द्वारा मंजूर की जायेंगी।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : फिर शिकायत क्या हो रही है? आज जिस सर्वसम्मत रिपोर्ट की बात कही जा रही है, क्या आपको मालूम है, उसमें हमारे भी सदस्य हैं। उन्होंने नोट-आफ-डिसैंट

नहीं देना है। यह सोच कर नोट नहीं लगाया है, वरना कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आ सकती, जिसमें हमारे सदस्यों की टिप्पणी न होती और वे अपना विरोध प्रकट न करते।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप एक सेंकेंड के लिए मेरी बात सुनेंगे ?.....*(व्यवधान)* जिस समिति का मैं सभापति हूं उसके संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य दिया गया है। क्या आप उसकी बात कर रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने एक सामान्य वक्तव्य दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने नोट किया कि आप अपनी उंगली मेरी तरफ उठा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : विदाई सम्बन्धी उल्लेख है। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : ऐसी कोई परम्परा नहीं है नोट–आफ–डिसेंट नहीं लगाया जा सकता है।.....*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं मानता हूं कि समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। केवल इस आधार पर आप यह नहीं कह सकते कि आप जो बात कर रहे हैं, उसे सरकार स्वीकार करे – यह जरूरी नहीं है। मैं भी प्रतिपक्ष में रहा हूं और किस तरह से हमारी सिफारिशों को नकारा जाता था, इसका मैं भुक्तभोगी हूं, लेकिन हमने कभी इसको शिकायत नहीं बनाया।

इस सत्र में सर्वसम्मति से संविधान संशोधन पारित हुए, इसके लिए हम प्रतिपक्ष के आभारी हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर देश एक मत है और होना चाहिए।

जहां तक परिगणित जातियों और जनजातियों के अधिकारों का सवाल है, नौकरियों में पदोन्नति के प्रश्न को लेकर जो बैकलाग का मामला उठा था और कहा गया कि परिगणित जातियों और जनजातियों के साथ अन्याय हो रहा था, कोई अदालत का फैसला था, लेकिन सारे सदन ने मिल कर उसे परिवर्तित किया। सदन में हमारा इतना बहुमत नहीं है कि हम अपने बल पर संविधान संशोधन विधेयक पारित करा सकते, लेकिन यह मुद्दा ऐसा है कि जिस पर सारा सदन एकमत हो गया। राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्ता देने के बारे में, अधिक धन देने के बारे में बात हुई – इसके लिए भी संविधान संशोधन किया गया। उसमें सारे सदन का सहयोग मिला। इसी तरह के जो राष्ट्र हित के और सब के कल्याण से संबंधित मामले हैं, उन पर अगर सदन एक होकर चले तो इसमें किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए कि हम किस तरह से मिल सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे का साथ दे सकते हैं।

महोदय, अस्पृश्यता सामाजिक क्षेत्र से नष्ट हो रही है लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अस्पृश्यता को फिर से आरंभ करने से काम बनने वाला नहीं है। हम सब इकट्ठे होकर चलें, आज इसकी आवश्यकता है। बजट सत्र में कई बार ऐसे अवसर आए, जब पता लगा कि हमारे बाहरी कितने भी मतभेद हों लेकिन जब महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उदाहरण के लिए जैसे श्रीलंका का सवाल है, उस पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई, मगर मोटे तौर पर श्रीलंका के मामले में सारा देश एक है और पूरा देश चाहता है कि श्रीलंका में शांति स्थापित हो, श्रीलंका की एकता और अखंडता बनी रहे। लेकिन इन सवालों पर हम लगातार प्रतिपक्ष से सलाह लेते रहे हैं, विचार करते रहें हैं। आज ही कश्मीर की आंतरिक स्थिति के बारे में कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल से मेरी चर्चा हुई थी। कल एक कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मेरे घर पर भी आने का कष्ट किया। उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया और हमने उसका उत्तर दिया, लेकिन अभी भी शिकायत जारी है कि हमारी बात मानी नहीं गई। मैंने कल भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं कि हमारा दोष यही है कि हम इस समय सरकार में हैं। लेकिन कोई औचित्य, कोई कारण नहीं है, जिससे कि कुछ मुद्दों पर और आर्थिक क्षेत्र का मामला ऐसा ही मामला है क्योंकि देश गहरे आर्थिक संकट में है और इसलिए कुछ कठोर फैसले करने पड़े हैं।

महोदय, यह आशा लगाई गई थी कि सरकार फैसले दबाव में आकर बदल देगी– हमने भी फैसले कोई खुशी में आकर नहीं किए हैं, लेकिन जो फैसलें किए हैं वे सोच समझ कर किए हैं और इसीलिए उन पर हमारा आग्रह हो रहा है। हम अपने मित्रगण को संतुष्ट करने का कोई रास्ता निकालेंगे, इसका हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में विधेयक सदन में आया है, उससे पहले इनफोर्मेशन की स्वतंत्रता के बारे में हम एक बिल आज इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, वह पेश नहीं हो सका, लेकिन वह विधेयक हमारा तैयार है। लेजिस्लेटिव बिजिनैस के मामले में, इस बजट सत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं समझता हूं कि सब के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। मुझे कभी–कभी लगता था कि शायद ऐसा बंटवारा हो गया है कि सवेरे का समय सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने में दिया जाएगा और शाम का समय ठोस काम करने के लिए दिया जाएगा। इसलिए सत्र शाम तक, रात तक चलता रहा और उसमें सब सहयोग देते रहे। सचिवालय को इसमें जरूर कठिनाई होती है, स्पीकर महोदय, आपको भी आना पड़ता है, डिप्टी स्पीकर महोदय आज दिखाई नहीं दे रहे।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे दौरे पर हैं।

.....(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे ब्राजील गए हुए हैं। अब तो बहुत से मेम्बर्स वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। महिला मेम्बर्स की ओर से एक मांग आई है कि पुरानी सरकार के जमाने में सारी महिलाएं, जो संसद सदस्य हैं, उन्हें विदेश यात्रा में भेज दिया गया था, उन्हें उस समय चीन भेजा गया था, वैसा ही इस समय भी करना चाहिए। अगर सबकी आम सहमति हो तो मैं स्वीकार कर लूंगा, आम सहमति की बात तो माननी ही पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आज तेरहवीं लोक सभा का तीसरा सत्र समाप्त हो रहा है। यह सत्र 23 फरवरी, 2000 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधन के साथ शुरू हुआ था। इस सत्र के दौरान सभा में 38 बैठकें की जो 211 घंटे और 30 मिनट तक चलीं।

चूंकि यह बजट सत्र था, हमारे कार्य का अधिकांश भाग वित्तीय कार्य से संबंधित था। सभा ने वर्ष 2000–2001 के रेलवे और सामान्य बजटों को पारित किया। जैसाकि 1993 से परम्परा रही है, सभा ने बीच में सत्रावकाश लिया ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां, संबंधित मंत्रालयों के संबंध में अनुदान मांगों की समीक्षा कर सके और सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। यह सभा, जो 16 मार्च, 2000 को बैठक के अंत में उक्त प्रयोजन के लिए स्थगित हो गई थी, 17 अप्रैल, 2000 को पुनःसमवेत हुई जिसके बाद वित्तीय कार्य संपन्न किया गया। लोक सभा की स्थाई समितियों ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों के संबंध में 69 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। रेलवे पर चर्चा में 150 सदस्यों ने भाग लिया और सामान्य बजट पर चर्चा में 65 सदस्यों ने भाग लिया।

सभा ने 25 अप्रैल 2000 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को भी पारित किया। इस प्रस्ताव पर 11 घंटों से अधिक समय तक चर्चा चली और उसमें 25 सदस्यों ने भाग लिया।

लोक सभा द्वारा इस सत्र के दौरान पर्याप्त विधायी कार्य भी पूरा किया गया। कुल मिलाकर, सभा ने 26 विधेयक पारित किए। सभा द्वारा पारित कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों में, संविधान 89वां तथा 90वां (संशोधन) विधेयक; भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000; बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 2000; डिजाइन विधेयक, 2000; मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक, 2000; सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक 1999; तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000 शामिल है।

सभा ने नियम 193 के अधीन सार्वजनिक महत्व के चार महत्वपूर्ण मामलों पर सार्थक चर्चा की। ये मामले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्रियाकलापों में राज्य सरकार के कर्मचारियों की भागीदारी; देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति; आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि; तथा इंडियन एयर लाइंस विमान आईसी–814 के अपहरण के संबंध में विदेश मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य से संबंधित थे।

ध्यानाकर्षण के जरिए सदस्यों द्वारा पांच महत्वपूर्ण मामले उठाये गये और संबंधित मंत्रियों ने इन ध्यानाकर्षणों के जवाब में वक्तव्य दिये। इसके अलावा, मंत्रियों द्वारा विभिन्न मामलों के संबंध के 23 वक्तव्य दिये गये। सभा में तीन आधे घंटे की चर्चाएं भी हुईं। जहां तक प्रश्नकाल का संबंध है, 740 तारांकित प्रश्नों में से 98 प्रश्नों का सभा में मौखिक रूप से उत्तर दिया गया। 8061 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर दिये गये तथा सभा द्वारा दो अल्पसूचना प्रश्नों पर भी चर्चा की गई।

गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में, 60 गैर–सरकारी विधेयक पेश किए गए। इनमें से दो विधेयकों पर सभा द्वारा चर्चा की गई और जिन्हें बाद में सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया। एक विधेयक पर आंशिक चर्चा हुई है। सभा द्वारा गैर–सरकारी सदस्यों के दो संकल्पों पर भी चर्चा हुई, जो बाद में सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये। एक संकल्प पर आंशिक चर्चा हुई है।

सदस्यों ने सभा में 225 मामलों को उठाकर नियम 377 के प्रावधानों का भी उपयोग किया। इसके अलावा, 281 सदस्यों ने शून्य काल के दौरान तात्कालिक लोक महत्व के मामले उठाये।

इस सत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात लोकाचार समिति का गठन रही है, जो सदस्यों के नैतिक आचार की समीक्षा करेगी और उनके नैतिक अथवा अन्य दुराचरण के संबंध में इसे भेजे गये मामलों की जांच करेगी। मुझे विश्वास है कि इस समिति, जो हमारी समिति प्रणाली को और अधिक मजबूत बनायेगी, के गठन से सार्वजनिक जीवन में लोकाचार में नया आयाम जुड़ जाएगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने ध्यान दिया होगा, हम इस बजट सत्र के दौरान अधिक महत्व के कार्य को निपटाने में सक्षम रहे हैं। इस कार्य का अधिकांश भाग तीसरे सत्र के दूसरे भाग में निपटाया गया।

कई दिन सूचीबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए सभा देर रात तक कार्य करती रही। यह सभा के सभी सदस्यों से मुझे मिले सहयोग के कारण ही संभव हो पाया। मैं सदन के माननीय नेता, प्रतिपक्ष के नेता, सभा में विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा सचेतकों से मुझे, मेरे सहयोगियों, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ओर सभापतियों के पैनल को प्राप्त सहयोग और सद्व्यवहार के लिए उनका अत्यंत आभारी हूं। मैं आप सबको मुझे दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जिसके कारण सभी सूचीबद्ध कार्य निपटाये जा सकें।

इस सत्रावधि में हम लोगों को संयुक्त राज्य अमरीका के महामहिम राष्ट्रपति श्री विलियम जेफरसन क्लिंटन का संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति क्लिंटन का दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधन विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच निकट और सद्भावनापूर्ण संबंध में मील के पत्थर के रूप में सिद्ध हुआ है। अपने राष्ट्र निर्माताओं की स्मृति का सम्मान करने का प्रयास जारी रखते हुए हमने संसद भवन में आंध्र केसरी तंगुतुरी प्रकाशम पांथलु की प्रतिमा लगाई। प्रकाशम पांथलु की प्रतिमा का अनावरण भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 5 मई, 2000 को किया।

संक्षेप में, हम तेरहवीं लोक सभा के तीसरे सत्र के दौरान महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में सफल रहे और इसके लिए मैं इस सभा के सभी अनुभागों को धन्यवाद देता हूं।

अब 'वन्दे मातरम' की धुन बजाई जाएगी। अतः माननीय सदस्य खड़े हो जाएं।

सायं 6.16 बजे

राष्ट्रगीत

(राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।)

सायं 6.17 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
बुधवार, 17 मई, 2000/ 27 वैशाख, 1922 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (ii)	3		
376	नीचे से 6	पुर्नगठन	पुनर्गठन
विषय-सूची (ii)	6	साधारण निगम	साधारण बीमा निगम
325	4	कृषि संबंधी समिति	कृषि संबंधी स्थायी समिति
337, 338, 339 352, 353, 368 370, 372, 374		पाद टिप्पण से "यह" शब्द का लोप किया जाए ।	
376	7	तब	तक
389	8	गेहलोत, श्री थावरचन्द्र	गेहलोत, श्री थावरचन्द
392	6	वेणुगोल, श्री डी॰	वेणुगोपाल, श्री डी॰
392	8	शाह, श्री मावेन्द्र	शाह, श्री मानवेन्द्र
393	11	जार्ज, श्री के॰फ्रांसिस	जार्ज, श्री के॰ फ्रांसिस

पी० एस० एस० — 48/7/38/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।